खण्ड–476, अंक–4
बुधवार, 19 श्रावण, शक संवत् 1933
(10 अगस्त, 2011 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(पन्द्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2011)

(खण्ड 476 में 05 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2011

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
नियम-311 के अन्तर्गत की गई विभिन्न सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	7-8
प्रश्नोत्तर	8-108
को-आपरेटिव विभाग में वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू होने के बाद हुई नियुक्तियों को अवैध घोषित करने की मांग	108
सदन संचालन में मा0 सदस्यगण से सामंजस्य का वातावरण बनाये रखने का अनुरोध	108-109
विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री गुलाब चन्द्र के निधन पर शोकोद्‌गार ...	109
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	110-111
जनपद लखीमपुर खीरी के गांव रामपुर में एक कि0मी0 ध्वस्त सड़क को सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	111
सीतापुर बिसवां वाया भुडकुन्डी लहर की अवशेष सड़क को शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111
सचिवालय प्रशासन विभाग में 07 वर्षों से कार्यरत कर्मियों का स्थानान्तरण न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	112
जनपद लखनऊ में आलमनगर रेलवे क्रासिंग पर आधुनिक तकनीक से ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	113
बहराइच जनपद में घाघरा एवं सरयू नदियों के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113-114
जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा शामली को नया जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	114
कानपुर की तहसील बिल्हौर के मंधाना क्षेत्र की 06 ग्राम पंचायतों की लगभग 900 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114-115
उत्तर प्रदेश में लखनऊ सहित अन्य जनपदों से बंगलादेशियों को निकाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर में जिलाधिकारी के आदेश से बहुत चौड़े बनाये जा रहे अवैध नाले के निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में विधायक निधि 2000 से 2002 एवं पूर्वांचल विकास निधि 1998 से 2001 की धनराशि का गबन किये जाने के सम्बन्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
जनपद जौनपुर के गड़वारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड सुजानगंज में जर्जर विद्युत तार टूटने से हो रही घटनाओं एवं पूर्वांचल विकास निधि से चयनित ग्राम का विद्युतीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
कुशीनगर जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार शस्त्र लाइसेंस न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
सरकारी भवन में एन0जी0ओ0 का कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118-119
फैजाबाद के परिवहन विभाग में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक मुहम्मदी में डा0 अम्बेडकर समग्र विकास योजना में चयनित ग्रामों को पुनः विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119-120
जनपद जौनपुर में लुम्बनी दुद्धी राजमार्ग सहित कतिपय अन्य जर्जर मार्गों को ठीक कराने एवं नया बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	120-121
इलाहाबाद में जुगनीडीह से कमला नगर मार्ग पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद बांदा में संविदा कर्मी बब्लू शाह एवं संतोष निषाद की राजकीय कार्य करते हुए करन्ट लगने से हुई मृत्यु के बाद परिवारीजनों को मुआवजा एवं एक-एक परिवार के सदस्य को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड होलागढ़ में बने क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	122

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद इलाहाबाद के निर्वाचन क्षेत्र झूंसी के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मुख्य मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	122
स्व0 श्री राम रतन, सहायक अध्यापक के आकस्मिक निधन के फलस्वरूप इनके पुत्र को मृतक आश्रित में नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
जनपद रायबरेली की हैदरगढ़ एवं बछरावां से महराजगंज एवं रायबरेली से शुकुल बाजार वाया इन्हौंना की सड़कों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड फूलबेहड़ व बेहजम लखीमपुर के दलित बाहुल्य ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123-124
जनपद मऊ में मोहम्मदाबाद गोहना की कतिपय सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	124-125
अध्यक्ष पीठ एवं शासन स्तर से समय-समय पर दिये गये निर्देशों के बावजूद शासन के अधिकारियों द्वारा माननीय विधान सभा के सदस्यों के प्रति प्रोटोकाल के नियमों का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	125-130
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-263 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति के मा0 सभापति का नाम निर्देशित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	130-133
वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये बजट में प्राविधानित मदों की धनराशि अन्य मदों में खर्च किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	134
जनपद गोण्डा तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम बमडेरा पूरे वृतिहा के निवासी लान्सनायक सुनील कुमार तिवारी द्वारा आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	134
नियम-300 के अन्तर्गत ग्राह्यता के सम्बन्ध में जानकारी...	135
जनपद गोण्डा तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम बमडेरा पूरे वृतिहा के निवासी लान्सनायक सुनील कुमार तिवारी द्वारा आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	135-136
पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश एवं जिलांश की धनराशि आवंटित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	136-137

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को लागू कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	137-138
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03/2003 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	138
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-17/2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	138
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-05/2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	138
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-08/2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	138
उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण (वित्तीय वर्ष 2007-2008) (सदन के पटल पर रखा गया)	139
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में छोटा पुल एवं विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्वनाथ तथा श्री राम दरश एडवोकेट आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	139
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध श्री चन्दन कुमार तथा श्री बेचन यादव आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	139
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	139-141
विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के प्रथम बुधवार दिनांक 3 फरवरी, 2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या-128 के उत्तर के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 4 फरवरी, 2010 के सन्दर्भ में निदेश संख्या-168(2) के अन्तर्गत प्रश्न का संशोधित उत्तर ...	141-143
विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के प्रथम मंगलवार दिनांक 12 फरवरी, 2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या-141 के उत्तर के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 8 फरवरी, 2011 के सन्दर्भ में निदेश संख्या-168(2) के अन्तर्गत प्रश्न का संशोधित उत्तर ...	144-146
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत संशोधन विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित)	146-147
नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	147-185

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री इरफान सोलंकी को सदन से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	185-186
नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	186-197
श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	197-198
अनुपूरक मांगे समेकित रूप से रखे जाने का अनुरोध	198
वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिये अनुदान संख्या-2 लगायत, 3, 7, 9 लगायत, 11, 13 लगायत, 15,18,21, लगायत 22, 24, लगायत 28, 31, 33, 36 लगायत 37, 39 लगायत 42, 45, 47, लगायत 49, 51, लगायत 52, 57 लगायत 60, 62, लगायत 63, 65, लगायत 66, 68, 71 लगायत 73, 75 लगायत 76, 79 लगायत 81, 83 लगायत 84, 89, 91 व 94 के अन्तर्गत अनुपूरक मांगों पर चर्चा एवं मतदान (स्वीकृत)...	198-206
उत्तर प्रदेश विनियोग (2011-2012 का अनुपूरक) विधेयक, 2011 (पारित) ...	206-213
उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित)	213-215
श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 (पारित) ...	216-235
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित) ...	235-240
प्रदेश में एक ही नाम से (शोभित विश्वविद्यालय) दो विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	240-247
शोभित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 (पारित)	247-264
श्री इरफान सोलंकी, सदस्य, विधान सभा के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कानपुर से प्राप्त सूचना से सदन को अवगत कराना	264-265
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	265-269
नत्थी	270

उत्तर प्रदेश विधान सभा
पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

बुधवार, दिनांक 10 अगस्त, 2011

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-354

1.	अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
2.	अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
3.	अकीलुर्रहमान खाँ, श्री	मुरादाबाद
4.	अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
5.	अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
6.	अजय तोमर, डा0	बागपत
7.	अजय यादव, श्री	एटा
8.	अजय सिंह, श्री	जालौन
9.	अनन्त कुमार मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
10.	अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
11.	अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
12.	अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज
13.	अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
14.	अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
15.	अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
16.	अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
17.	अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
18.	अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
19.	अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
20.	अब्दुल समद अंसारी, हाजी	वाराणसी
21.	अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
22.	अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
23.	अमित गौरव, श्री	एटा
24.	अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
25.	अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
26.	अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
27.	अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
28.	अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
29.	अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
30.	अरशद खान, श्री	पीलीभीत
31.	अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
32.	अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
33.	अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
34.	अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
35.	अवधेश वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
36.	अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
37.	अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
38.	अशोक कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
39.	अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
40.	अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
41.	अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
42.	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
43.	आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
44.	आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
45.	आर0 ए0 उस्मानी, (डा0) श्री	लखीमपुर खीरी
46.	आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ

47. आर0 के0 शर्मा, पंडित बरेली
48. आरिफ अनवर हाशमी, श्री गोण्डा
49. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
50. आसिफ, श्री हरदोई
51. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
52. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
53. इमरान महसूद, श्री सहारनपुर
54. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
55. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सिद्धार्थनगर
56. उत्कर्ष वर्मा 'मधुर', श्री लखीमपुर खीरी
57. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
58. उदयराज, श्री उन्नाव
59. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
60. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
61. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
62. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
63. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
64. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
65. काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
66. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
67. काशीराम, श्री रामपुर
68. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
69. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
70. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
71. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
72. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
73. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
74. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
75. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
76. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
77. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
78. कैलाश साहू, श्री झांसी
79. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
80. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
81. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
82. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
83. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
84. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
85. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
86. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
87. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
88. घूराराम, श्री बलिया
89. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
90. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
91. चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
92. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
93. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
94. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
95. छोटे सिंह, श्री जालौन
96. जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
97. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
98. जगपाल, श्री सहारनपुर
99. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
100. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
101. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
102. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
103. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
104. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
105. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
106. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
107. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
108. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
109. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद

110. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
111. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
112. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
113. दाउद अहमद, श्री हरदोई
114. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
115. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
116. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
117. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
118. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झाँसी
119. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
120. दूधराम, श्री बस्ती
121. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
122. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
123. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
124. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
125. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
126. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
127. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
128. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
129. धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर
130. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
131. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
132. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
133. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
134. नारायण सिंह, श्री आगरा
135. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
136. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
137. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
138. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
139. पशुपति, श्री गाजीपुर
140. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
141. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
142. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
143. प्रजापालन, श्री एटा
144. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
145. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
146. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
147. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
148. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
149. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
150. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
151. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
152. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
153. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
154. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
155. फागू चौहान, श्री मऊ
156. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
157. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
158. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
159. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
160. बिरजू राम, श्री जौनपुर
161. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
162. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
163. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
164. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
165. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
166. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
167. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
168. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
169. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
170. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
171. मंजू, श्रीमती बलिया
172. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
173. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
174. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)

175. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
176. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
177. ममतेश शाक्य, श्री एटा
178. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
179. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
180. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
181. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
182. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
183. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
184. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया
185. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
186. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
187. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
188. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
189. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
190. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
191. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
192. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
193. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
194. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
195. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
196. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
197. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
198. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
199. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
200. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
201. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
202. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
203. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
204. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
205. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
206. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
207. रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'', कुं0 प्रतापगढ़
208. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
209. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
210. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
211. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
212. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
213. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
214. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
215. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
216. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
217. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
218. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
219. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
220. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
221. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
222. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
223. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
224. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
225. राजमती निषाद, श्रीमती गोरखपुर
226. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
227. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
228. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
229. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
230. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
231. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
232. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
233. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
234. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
235. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
236. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
237. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई

238. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
239. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
240. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
241. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
242. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
243. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
244. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
245. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
246. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
247. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
248. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
249. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
250. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
251. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
252. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
253. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
254. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
255. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
256. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
257. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
258. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
259. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
260. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
261. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
262. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
263. लाल जी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
264. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
265. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
266. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
267. वारिस अली, श्री बहराइच
268. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
269. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
270. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
271. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
272. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
273. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
274. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
275. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
276. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
277. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
278. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
279. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
280. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
281. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
282. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
283. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
284. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
285. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
286. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
287. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
288. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
289. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
290. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
291. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
292. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
293. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
294. शिवशंकर, श्री बलिया
295. शीशराम, श्री बिजनौर
296. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
297. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
298. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
299. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
300. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
301. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
302. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
303. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
304. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
305. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया

306. संजय कपूर, श्री रामपुर
307. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
308. संजीव दरियाबादी ''बन्टी'', श्री कानपुर नगर
309. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
310. संध्या, कुमारी मैनपुरी
311. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
312. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
313. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
314. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
315. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
316. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
317. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
318. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
319. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
320. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
321. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
322. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
323. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री गाजीपुर
324. सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
325. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
326. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
327. सुखलाल, श्री पीलीभीत
328. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
329. सुनील शर्मा, श्री गाजियाबाद
330. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
331. सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
332. सुभाष, श्री बलिया
333. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती ललितपुर
334. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
335. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री आजमगढ़
336. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
337. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
338. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
339. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
340. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
341. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
342. सुल्तान बेग, श्री बरेली
343. सुशील कुमार, श्री चन्दौली
344. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री आगरा
345. सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
346. सूर्यभान, श्री मिर्जापुर
347. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
348. सोबरन सिंह, श्री मैनपुरी
349. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
350. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
351. हरिओम, श्री जालौन
352. हसरत उल्ला, श्री एटा
353. हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
354. होराम सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर

नोट :-आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

नियम-311 के अन्तर्गत दी गई विभिन्न सूचनाओं को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मुरादाबाद के कल से 6 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां करोड़ों रुपये की सम्पति जलाई जा चुकी है। सैकड़ों लोग घायल है। मान्ययर, यह कितना गंभीर प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में इस दंगे के फैलने की संभावना है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, आपकी सूचना को मैंने सुनने के लिये चयनित कर लिया है। अग्रवाल साहब आप कहां लांघ रहे हैं ?

(इस बीच भारतीय जनता पार्टी के डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री सतीश महाना तथा विरेन्द्र सिंह सिरोही आदि सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे)

आपकी सूचना सुनने के लिये मैंने प्रथम नम्बर पर चयनित की है। चौधरी साहब, मैं सुनूंगा। माननीय आजम खां साहब, मैंने प्रथम नम्बर पर चयनित किया है, मैं उसको सुनूंगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी का यह आग्रह है कि प्रश्नकाल को स्थगित करते हुये कल हुये अन्याय के संबंध में चर्चा चलाई जाये।

श्री सतीश महाना-

वह लोग राज्यपाल जी के पास जा रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। क्या लोकतंत्र में आदमी शान्तिपूर्वक प्रदर्शन भी नहीं कर सकता ?

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाइये। मैंने सूचना को चयनित कर लिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं चाहता हूं कि सरकार इस घटना पर वहां से रिपोर्ट मंगा लें।

श्री अध्यक्ष-

सिरोही जी, आप बैठिये, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप बैठिये महाना साहब, अग्रवाल साहब आप भी बैठिये। मैं सुनने के लिये तैयार हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के वेल में आये हुये सदस्य नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, मैं सुनने के लिये तैयार हूं।

(समाजवादी पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार व्यवधान करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को 10 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोरा व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 2 मिनट पर 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

(11 बजकर 12 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु कार्य योजना

**1-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल तथा श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होने के कारण युवा वर्ग गलत कार्यों में संलिप्त होने को विवश हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भगवती प्रसाद सागर)-

बेरोजगारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होने के कारण युवा वर्ग के गलत कार्यों में संलिप्त होने की विवशता के संबंध में विभाग में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग द्वारा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से सेवायोजन कार्यालयों के निर्धारित कार्यो के साथ-साथ कैरियर काउन्सिलिंग तथा रोजगार मेलों का आयोजन कर सेवायोजन सहायता उपलब्ध करायी जाती है एवं उन्हें निजी क्षेत्र के नियोजकों के यहां से प्राप्त विभिन्न प्रकार की सेवाओं में सेवायोजित कर अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जा रहा है।

बेरोजगारों की समस्या के समाधान हेतु प्रदेश में कुल 92 सेवायोजन कार्यालय एवं 11 पंजीयन केन्द्र कार्यरत है। इन कार्यालयों में बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीयन किया जाता है। उक्त केन्द्रों के माध्यम से वर्षवार बेरोजगारों को रोजगार में योजित किया गया है। विवरण निम्नवत है :-

वर्ष	सेवायोजितों की संख्या
2007	2508
2008	2322
2009	7613
2010	20556
2011 (माह जून तक)	13281
योग	46280

उक्त के अतिरिक्त विकलांगजनों को सेवायोजन सहायता हेतु प्रदेश में 16 क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय भी स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब मा0 मंत्री जी पढ़ चुके हैं।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

माननीय अध्यक्ष जी हमने सवाल पूछा था मा0 मंत्री जी ने उसके उत्तर में लिखा है कि युवा वर्ग के गलत कार्यों में संलिप्त होने की विवशता के सम्बन्ध में विभाग में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, विभाग के पास यह भी सूचना उपलब्ध नहीं है कि कितने युवक कितने गलत काम करते हैं, कितने बहुत खराब काम करते हैं। मान्यवर, वैसे भी इनकी सूचना खाली उत्तर प्रदेश में जितनी इंजीनियरिंग डिग्री हैं उसमें से 2009 में 27 हजार बी0टेक0 की डिग्री किये यू0पी0टी0यू0 से, 2010 में 42 हजार प्राप्त किये थे और 2011 में 47 हजार 50 लोग डिग्री प्राप्त किये थे। मैं एक यूनिवर्सिटी की बात करता हूं अगर हम एक ही यूनिवर्सिटी का जोड़ लें जबकि 11 यूनिवर्सिटी हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि सवा दो लाख लड़के बी0ए0 पास किये हैं और 55 हजार लड़के एम0ए0पास किये हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य कृपया अनुपूरक कीजिए।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, मैं अनुपूरक पर ही आ रहा हूं। इसी प्रकार से डिप्लोमाधारी डिग्रियों के विषय में, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार पहली यह बात बतायें कि वर्ष 2007 से आज तक कितने लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवा में और कितने लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया ? दूसरा सवाल यह है कि इतनी ज्यादा संख्या में लगभग 20-22 लाख प्रतिवर्ष नवयुवक विश्वविद्यालयों से निकलकर आते हैं उनको रोजगार देने के विषय में क्या सरकार के पास कोई ठोस नीति है जिससे उन्हें कोई रोजगार उपलब्ध करायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य ने यह अनुपूरक किया है कि कितने लोगों को सरकारी और कितने लोगों को गैर सरकारी संस्थाओं में रोजगार दिया गया, अब बताईये कि यह प्रश्न की परिधि में है ?

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

अध्यक्ष जी, प्रश्न की परिधि में है। मैं यह पूंछ रहा हूं कि कितने लोगों को रोजगार देने की नीति है ? प्रतिवर्ष उ0 प्र0 के विश्वविद्यालयों से 22-23 लाख छात्र निकलते हैं, आपको साढ़े चार साल हो गये कितने लोगों को नौकरी दिया और आपकी क्या नीति रही है यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देने के क्या नीति है, इसका उल्लेख कर दें ?

श्री भगवती प्रसाद सागर-

मान्यवर, पहले जो विभिन्न दलों की सरकारें रही उसमें बेरोजगारों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। हमारी सरकार ने इस दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है। लोगों ने दरवाजें बंद कर दिये थे परन्तु बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो लोकप्रिय सरकार चल रही है उसने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम किया और कई विभागों में 01 लाख से अधिक लोगों को नौकरियों दी गयी। इतना शायद इतिहास में कभी भी लोगों को रोजगार नहीं दिये गये। सिर्फ बेसिक शिक्षा में ही लगभग 88 हजार लोगों को नौकरियां दी गई। सफाई कर्मचारी में एक लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी गई। चूंकि यह विस्तृत सवाल है और विभिन्न विभागों से जुड़ा हुआ सवाल है बहुत लोगों को नौकरियों दी गई। हमारे विभाग द्वारा भी रोजगार मेले लगाकर प्राइवेट लोगों को बुलाकर उसमें लोगों को रोजगार दिलाने का काम किया गया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने जो बताया, अपनी जगह है। लेकिन पिछली सरकार ने माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने ग्रेजुएट बेरोजगारों को चार लाख लोगों को पांच सौ रुपए प्रतिमाह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देने की नीति बनाई क्या आपने जो नीति बनाई है उसमें उस नीति को समायोजित करने का कष्ट करेंगे और जिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता है उनको बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेंगे।

श्री भगवती प्रसाद सागर-

मान्यवर, हमारी सरकार ने हमारी सरकार की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने लोगों को निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की पहल की और हम लोग किसी को निर्भर नहीं बनाना चाहते हैं बल्कि स्वतः रोजगार दिलाकर उसको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। जिसके कारण विभिन्न विभागों में प्रयास किया गया और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार बराबर प्रयासरत है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बेरोजगारों को अपने पैरों पर खड़ा करने की मंत्री जी ने बात कही और उस तरफ थोड़ी बहुत बेरोजगारी दूर भी हुई। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने बहुत ही स्पेशफिक फीगर दी गोरखपुर विश्वविद्यालय की दी यू0पी0टी0यू0 की दी जहां से बच्चे बी0टेक0 पास करके इंजीनियरिंग पास करके निकले हैं वह संख्या एक दो नहीं वह संख्या एक वर्ष की पचास हजार से अधिक है। आपने कहा कि हमने अध्यापक लगा दिए सफाई कर्मचारी लगा दिए मान्यवर, अगर सफाई कर्मचारी लगाने की बात है तो क्या इंजीनियरिंग कालेज में पढेंगे इंजीनियरिंग कालेज खोलने की क्या जरूरत है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद क्या सफाई कर्मचारी बनाएंगे। सवाल स्पष्ट है क्या पिछले साढ़े चार साल मे ऐसे उद्योगों की स्थापना की हो जहां 10-20 हजार ऐसे नवयुवकों को जो टेक्नीकली क्वालीफाइड हैं उनको रोजगार मिला है। उनके बारे में स्पेशफिक पूछना चाहता हूं बाकी तो बेरोजगारी है उधर की कुछ बेरोजगारी आपने दूर की है सामने बैठे है लेकिन मैं उसी सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि जो बच्चे इंजीनियरिंग पास करके आए आई0आई0टी0 पास करके आए उन बच्चों को कितना रोजगार दे पाए। आपके पास कार्यालय है जिला स्तर पर भी कार्यालय है जहां पर इस बात

की जानकारी रखी जाती है, प्रदेश स्तर पर कार्यालय है जहां इसकी जानकारी रखी जाती है उस जानकारी के आधार पर बता दीजिए कि कितने हजार नौजवानों को आपने उद्योग या और अन्य क्षेत्र में नौकरी दिलवाई है जो टेक्नीकली क्वालीफाइड है ?

श्री भगवती प्रसाद सागर-

हमारी सरकार ने रोजगार मेलों के माध्यम से जो अशिक्षित है उनसे लेकर शिक्षित नवयुवकों को जिसमें इंजीनियरिंग कालेज से निकले हुए छात्र भी हैं उनको नौकरियां दिलवाई हैं और बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन करके 32 हजार 993 लोगों को नौकरियां दिलवाई।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी मेरा स्पष्ट सवाल है। आप उनकी सहायता करते हैं। कभी-कभी हमारी भी सहायता कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं कह रहा हूं कि आप उनकी भी सहायता करिए। समझ गए होंगे बैठिए। माननीय मंत्री जी ने बताया है जो भी इनका प्रासेस है, उसमें रोजगार मेले के बारे में बताया, उसमें अशिक्षितों से लेकर टेक्निकल लोगों की नियुक्ति कर फीगर दिया है। लगभग 28 या 29 हजार लोगों को सेवायोजित किया है इस प्रासेस के आधार पर।

श्री हुकुम सिंह-

मंत्री जी संख्या जोड़ रहे हैं आपने कितने मिनट का समय दिया ?

श्री अध्यक्ष-

वह आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप बैठ रहे हैं कि नहीं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं तो खामोशी के साथ खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रहा हूं कि अब कहें तब करें।

(श्री जर्नादन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप नौजवानों के लिये क्या कर रहे हैं बताइये ?

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने लोगों को रोजगार दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि सुविधा शुल्क का रेट क्या था मान्यवर ? हमारे यहां आंगनवाड़ी में जो भर्तियां हुई मेरी निजी जानकारी है कि 1 लाख 25 हजार रूपये रेट लिया गया और सफाई मजदूरों के लिये 25 हजार रूपये रेट था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सुविधा शुल्क में कुछ घटाने का प्रयास यह सरकार करेगी ?

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, ओझा जी को अपने समय का सुविधा शुल्क याद था। जो सिपाहियों की भर्ती हुई थी उसकी जांच हुई उसमें यह बताया गया कि क्या क्या तरीका अपनाया गया था। मान्यवर,

हमारी सरकार के समय में माननीय बहिन कुमारी मायावती जी के समय में 35 हजार सिपाहियों की भर्ती की गई है और इसको पूरे देश ने सराहने का काम किया है। इतनी निष्पक्षता से भर्ती नहीं हो सकती है। मान्यवर, इसी के साथ ही साथ कोई भी माई का लाल एक पैसे का आरोप नहीं लगा पाया। पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में इसको सराहा गया। इनको अपना समय का याद आ गया है। इनके समय में जो सुविधा शुल्क के साथ-साथ उनका क्या-क्या उत्पीड़न किया गया है, यह विभिन्न जांचों से परिलक्षित हुआ है। यह उसका ज्ञानवर्धन कराने का काम कर रहे हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

यह कोई अनुपूरक नहीं है इमरान जी बैठिये। ओझा जी, यह कोई अनुपूरक नहीं है आप बैठिये। आप ऐसा बता रहे हैं जैसे गिनते समय आप साथ में रहे हैं।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, शांतिपूर्ण तरीके से सदन चल रहा था लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी, यह इनकी रोज की आदत हो गई है। इनको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने, जितनी भी भर्तियां हुई थीं सभी लड़कों को बहाल कर दिया है। अगर अनियमितता हुई हैं, कुछ थोड़ी बहुत अनियमितता हो सकती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने क्या दंड दिया ? बताओं ना। अगर अनियमितताएं हुई हैं तो आपकी सरकार ने साढ़े चार साल में क्या दंड दिया है उन अधिकारियों को ? माननीय अध्यक्ष जी, इनके लोगों ने इनके बड़े अधिकारियों ने जो भर्ती हुई थी। उसमें दो लड़कियों को मुख्य मंत्री जी के सामने ले गये जबरदस्ती उनको नौकरी का लालच दिया और उनको 10-10 लाख रुपये का लालच दिया लेकिन वह लड़कियां तैयार नहीं हुई। उन लड़कियों को नौकरी का लालच दिया, मैं नाम बता सकता हूं। इसकी जांच हो जानी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि जांच हो। इसकी सी0बी0आई0 से जांच होनी चाहिए और अब जितनी भर्तियां हो रही हैं मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कोई ऐसी नौकरी नहीं और क्यों 6-6 महीना, 3-3 महीना लड़कों का रिजल्ट रुका रहा। पुलिस में जो अभी भर्तियां हुई थीं उसमें क्यों रिजल्ट रुका रहा ? रिजल्ट रुका रहा, और कह रहे हैं निष्पक्ष, इसकी सी0बी0आई0 की जांच करा लो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं अगर सी0बी0आई0 से जांच हो गई, तो कितने विभागों में कितनी बेइमानी है यह पता लग जाएगा, अरे इनकी सम्पत्ति की जांच करा लो, जो मंत्री हैं हर विभाग में लूट पड़ी हुई है इसलिए मैं चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह सरकार माननीय अध्यक्ष जी बजट सत्र में क्यों भागी। एक-एक विभाग पर चर्चा हो जानी चाहिए थी इतनी निकम्मी, इतनी भ्रष्ट सरकार इनकी जांच करा लो।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष बैठें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यहां तक अध्यक्ष जी, हमारी सरकार की पूरी जांच इन्होंने करा ली है। कही कमी नहीं पाई है। एक-एक सड़क दिखवा ली है कही कमी नहीं पाई है। मान्यवर, जितनी नियुक्तियां हुई हैं बिना सुविधा शुल्क के एक भी नियुक्ति नहीं हुई है एक भी नौकरी नहीं मिली है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, राजा बांदा की सम्पत्ति की जांच करा ली जाए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी को-आपरेटिव विभाग में नियुक्तियां हुई हैं।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी और भी प्रश्न है आपने खंडन किया है आपकी बात आ गई है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इन्होंने इसी सदन में गलत बयानी की है।

(शोर)

श्री लालजी वर्मा-

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाया है वह निराधार और असत्य है यह सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इसी सदन में बैजनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई है पास हुई है, को-आपरेटिव विभाग में जो भी नियुक्तियां हुई है जांच करा लें जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें दो लाख से लेकर 10 लाख तक रुपया लिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी और प्रश्न भी आगे है आपकी बात आ गई है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी यह नियुक्तियां अवैध हैं।

श्री लालजी वर्मा-

अध्यक्ष जी इस तरह से नहीं चलेगा।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी आपकी बात आ गई है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इन्होंने जो धांधली की हैं इन्होंने उस समय का बखान किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

क्या आपने इन्हें बोलने को कहा है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने अपने समय का बखान किया है। इन्होंने जो धांधली की है यह उसका बखान कर रहे है। वर्तमान सरकार पर जो इन्होंने आरोप लगाया है पूरी तरह से निराधार है पूरी तरह से असत्य है। यह जो कर रहे हैं अपने समय का बखान कर रहे हैं।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

तीन-तीन चार-चार लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में मैंने जिस बात का जिक्र किया था इन्होंने पूछा क्या कार्यवाही हुई आज भी मुकदमें कायम हैं कार्यवाही हो रही है लोग सस्पेंड है। जिन लोगों का प्रमोशन रुका है उन्होंने धांधली किया था इसलिए प्रमोशन रुका है। यह पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी सरकार है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब बैठ जाएं। सब एक साथ बोल रहे हैं।

(शोर शराबे के मध्य)

श्री लालजी वर्मा-

किसी तरह का पक्षपात करने का काम नहीं किया गया है। (श्री मोहम्मद आजम खां तथा समाजवादी पार्टी के कुछ अन्य सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास कर रहे थे)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठो, हाथ मत हिलाओं, बैठो।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह उचित नहीं है, संसदीय परम्पराओं का हम बहुत सम्मान करते हैं। मान्यवर, क्विशचन ऑवर में अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दी जा सकती है, यह आपको तय करना है लेकिन अनुपूरक के माध्यम से जो चाहें कह डालें और हम लोग सुनते रहें, यह सम्भव नहीं है। यह उचित नहीं है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी ...

श्री अध्यक्ष-

आजम खां साहब, आप बैठें, मा0 नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी जो बोले हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल मिलेगा, जवाब। हम तो शान्ति से सदन को चलाना चाहते है, हम लम्बे समय तक सदन को चलाना चाहते हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय ओझा जी ने सवाल किया और उसका मैंने जवाब दिया। यदि अनुपूरक पूछना है तो अनुपूरक पूछें लेकिन इस तरह से धमकाकर सदन चलाना उचित नहीं है। संसदीय मर्यादा है, हम नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करते है। लेकिन एक सीमा होती है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार इस बात को दोहरा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करते हैं, यह कानून को नहीं मानते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब बात आ गई है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दे दिया है। विषय आ गया है, अब आगे की कार्यवाही चलाने में सहयोग करें।

(श्री मोहम्मद आजम खां तथा कुछ अन्य सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोल रहे थे लेकिन कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था)

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल, अब आगे की कार्यवाही चलने दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, को-आपरेटिव विभाग में जो नियुक्तियां हुई हैं ....

श्री अध्यक्ष-

अब बात आ गई हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, पूरी बात सुन लीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि 'कोई माई का लाल है जो बताये', तो मैं बताना चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कौन सी बहस आप करा रहे हैं, मैं इस बात को पुनः कहना चाहता हूं और मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के समय जितनी नियुक्तियां हुई हैं, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से हुई हैं, किसी भी नियुक्ति में किसी भी तरह का कोई लेनदेन नहीं हुआ है और लेनदेन हुआ था तो मान्यवर, किसी जामने में हुआ था।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जो भी नियुक्तियां हुई हैं ...

श्री अध्यक्ष-

बात आ गई है, अब बैठें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि जितनी भी नियुक्तियां हुई है, पारदर्शी और निष्पक्षता से हुई है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, मान्यवर, आप भी गवाह है, जो मर्यादाओं को रौंदने वाले लोग हैं .....

श्री अध्यक्ष-

आप लोग वरिष्ठ सदस्य हैं, संसदीय परम्पराओं का निर्वहन होता रहे। आप लोग बैठिए।

(सपा के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर सदन में शोरशराबा उत्पन्न हो गया।)

(शोर शराबे के मध्य)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने भी देखा है कि किसकी कितनी हैसियत है।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी, आप बैठ जाइये आपकी बात आ गयी। आगे प्रश्नकाल की कार्यवाही होने दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अगर यह चर्चा हो रही है तो यह कह लें तो हम भी उत्तर देंगे। अगर आप चर्चा लगाये हैं, अगर प्रश्नकाल स्थगित करके चर्चा स्वीकार की है तो इस पर बात हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

कहीं कोई चर्चा स्वीकार नहीं है। सब बात आ चुकी है।

श्री लालजी वर्मा-

नेता प्रतिपक्ष जी, भारत सरकार के गृहमंत्री जी ने भी इस बात की तारीफ की है कि पूरे देश में आज तक उत्तर प्रदेश जैसी पारदर्शी भर्ती कहीं नहीं हुयी है।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी, आप बैठ जायें, आप अपनी बात कह चुके हैं। आगे कार्यवाही चलने दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह आपके अनुरोध को नहीं सुनेंगे, आपकी बात को नहीं सुनेंगे तो यह उचित नहीं है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, ऐसे सदन नहीं चलेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है। मान्यवर, यह सदन आप चलायेंगे कि यह चलायेंगे। मान्यवर, सदन नियमों और परम्पराओं से चलेगा, आजम खां की दादागीरी से सदन नहीं चलेगा और जब भी माननीय आजम खां जी यहां आ जाते हैं तो यह चाहते हैं कि इनके अलावा और कोई न बोल सके। और मैंने वह दिन देखा है कि माननीय श्री नरेन्द्र सिंह गौर ने केवल इतनी बात कही थी कि सरकार ने 71 करोड़ रुपये में से 69 करोड़ रुपया केवल एक संस्था को देने का काम किया है तो हम लोगों को नहीं बोलने दिया गया था। मान्यवर, यह जानबूझकर ऐसे सदन चलाना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।)

प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई की रोकथाम हेतु कार्ययोजना

**2-श्री जोखू लाल यादव, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री मदन चौहान तथा श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई की रोकथाम हेतु सरकार की कोई कार्य योजना शासन में प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

इस संबंध में कार्य योजना पहले से ही विद्यमान है।

प्रदेश में मंहगाई को नियंत्रित करने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :-

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की रोकथाम, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव पर अंकुश लगाने हेतु अधिसूचना दिनांक 01-06-2008 द्वारा चावल, दाल, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल पर स्टाक लिमिट लागू की गयी है। इसी प्रकार अधिसूचना दिनांक 31-03-2011 द्वारा चीनी पर स्टाक लिमिट एवं टर्न ओवर लिमिट दिनांक 30-09-2011 तक के लिये निर्धारित की गयी है।

आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति तथा मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के संबंध में आयुक्त, खाद्य एवं रसद के कार्यालय कक्ष में खाद्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्य की प्रतिदिन समीक्षा करता है। इस संबंध में आयुक्त, खाद्य एवं रसद कार्यालय का टोल फ्री नम्बर 1800 180 5046 जनसुविधा हेतु उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं में हो रही मूल्य वृद्धि की रोकथाम एवं कालाबाजारी, जमाखोरी पर नियंत्रण हेतु समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सख्ती से कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में माह जनवरी, 2011 से माह जून, 2011 तक प्रदेश में 23,441 छापे मारे गये, 822 मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, 368 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा 936 व्यक्तियों को अभियोजित किया गया। 3946 दुकानों को निलम्बित एवं 2169 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये गये तथा 164.0 लाख रुपये की प्रतिभूति एवं 873.60 लाख रुपये की आवश्यक वस्तुएं जब्त की गयी।

जनसामान्य को सस्ती दरों पर खाद्य तेल एवं दालें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित राशन की दुकानों के माध्यम से रु0 16 प्रति कि0ग्रा0 की दर पर पीली मटर की दाल एवं 45.50 रु0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से पामोलीन खाद्य तेल की आपूर्ति की गयी है तथा विभिन्न डिपोज के माध्यम से अरहर की दाल 58 से 62 रु0 प्रति कि0ग्रा0 दी दर से वितरण हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

तारांकित प्रश्न

भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के चिन्हांकन करने हेतु विशेषज्ञ दल का गठन

*1-श्री सतीश महाना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल तथा श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की प्रदेश में वास्तविक संख्या क्या है ? क्या वास्तविक संख्या के आधार पर बी0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्ड एवं अन्य सुविधायें देने हेतु केन्द्रीय सहायता के साथ प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त साधन हैं ? यदि हां, तो क्या इसका लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी

दिनांक 01-03-2000 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या-106.79 लाख भारत सरकार द्वारा निर्धारित है।

प्रदेश में बी0पी0एल परिवारों के पुनर्सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 2007 में पुनः प्रारम्भ किया जाना था। इसी माध्य भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के चिन्हांकन करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया तथा अन्य सम्बन्धित मुद्दों पर संस्तुति देने की लिए एक विशेषज्ञ दल

का गठन दिनांक 12-08-08 को किया गया। अतः बी0पी0एल0 पुनर्सर्वेक्षण 2007 की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 30 मई, 2011 द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के चिन्हांकन के लिए सामाजिक-आर्थिक जनगणना की कार्यवाही का निर्णय लिया है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को चिन्हित किये जाने पर वास्तविक संख्या के आधार पर उन्हें सुविधाएं भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत दिया जाना होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पोलियो पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा नीति निर्धारण की जानकारी

*1-श्री कुबेर सिंह-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पोलियो पर पूरी तरह नियंत्रण हेतु सरकार ने क्या कोई नीति निर्धारित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पुराने राजकीय नलकूपों की क्षमता वृद्धि किये जाने की मांग।

*2-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पुराने राजकीय नलकूपों की क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई (यांत्रिक) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयवीर सिंह)

जी नही। प्रदेश के पुराने राजकीय नलकूपों की क्षमता वृद्धि किये जाने की कोई कार्य योजना नही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आने वाली बाढ़ को रोकने के उपाय

*3-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नदियों में आने वाली बाढ़ से जनजीवन को बचाने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रदेश में सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ से बचाने हेतु तटबन्धों का निर्माण और कृषि योग्य भूमि में कटान की रोकथाम हेतु मुख्य नदियों में कटाव निरोधक संरचनायें निर्मित करायी गयी हैं। वर्तमान में भी यह कार्य चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में गोमती नगर के व्योम खण्ड के भूमि आवंटियों का आवंटन निरस्त करने की जानकारी

*4-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा व्योम खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के भूमि आवंटियों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उन्हें पुनः भू-खण्ड देकर कहीं समायोजन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ में योजित जनहित याचिका संख्या-3779(एमबी)/2006, गोमतीनगर जन कल्याण समिति बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश के करण प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 13.08.2009 द्वारा प्रश्नगत योजना को समाप्त कर दिया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में चीनी मिलों को मानक के अनुसार सल्फर प्रयोग करने हेतु आदेशित करने की मांग

*5-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीनी उत्पादन में बीस पी0पी0एम0 सल्फर की जगह 70 पी0पी0एम0 का प्रयोग कर मानकों की अनदेखी की जा रही है ? क्या यह सही है कि अधिक मात्रा में सल्फर होने के कारण कैंसर, आर्थराइटिस आदि बीमारियां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए चीनी मिलों को मानक के अनुसार सल्फर प्रयोग करने हेतु आदेशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में लिंग अनुपात को रोकने के लिये कार्य-योजना

*6-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निरन्तर लिंग अनुपात की विषमता बढ़ रही है ? यदि हां, तो क्या बढ़ रहे लिंग अनुपात को रोकने के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। उत्तर प्रदेश के लिंग अनुपात में पिछले 03 दशकों में सुधार हुआ है, जो निम्न विवरण से स्पष्ट है :-

वर्ष	लिंग अनुपात
1999	876
2001	898
2011 (अनन्तिम)	908

विगत वर्षो की तुलना में लिंग अनुपात में सुधार हुआ है फिर भी लिंग अनुपात में और सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम-1994 प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू है एवं जनसामान्य में घटते हुए लिंग अनुपात के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की मांग

*7-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में इलाज हेतु निःशुल्क पंजीकरण एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ऐसी कोई नीति विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना

*8-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु क्या सरकार ने कोई कानून बनाया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

राज्य विधान मण्डल द्वारा नैदानिक अधिष्ठान (क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट्स) पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम, 2010 नामक केन्द्रीय अधिनियम को 08 फरवरी, 2011 के उपवेशन में अंगीकृत किया गया।

इस अधिनियम के सम्बन्ध में मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं :-

1. अधिनियम के अन्तर्गत नैदानिक अधिष्ठानों के वर्गीकरण तथा उनके लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने एवं उन मानकों को विकसित करने का प्राविधान किया गया है।
2. इस अधिनियम से सभी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के नैदानिक अधिष्ठान तथा शैय्या युक्त अथवा शैय्या रहित एकल चिकित्सक अधिष्ठान भी आच्छादित हैं।
3. अधिनियम में नैदानिक अधिष्ठानों में आपातकालीन प्रकृति के रोगियों के पहुंचने पर उनका यथोचित उपचार करते हुए स्थिर स्थिति में लाने की बाध्यता का प्राविधान है।
4. अधिनियम के अन्तर्गत राज्य द्वारा **बहु-सदस्यीय राज्य नैदानिक परिषद्** की स्थापना का प्राविधान किया गया है, जबकि पंजीकरण के लिए जिला **स्तरीय बहु-सदस्यीय निकाय** के गठन का प्राविधान है।
5. इस अधिनियम के लागू होने पर सभी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के नैदानिक अधिष्ठानों से सम्बन्धित डाटा विकसित किया जायेगा जिससे भविष्य में राज्य स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में बेहतर नियोजन करना सम्भव हो सकेगा।
6. किसी प्रकार की महामारी अथवा दैवी आपदा के घटित होने की स्थिति में इस प्रकार के नैदानिक अधिष्ठान जनहानि को रोकने में सहयोग प्रदान करेंगे। इसी प्रकार आपदा प्रबन्धन में भी आवश्यकतानुसार इनका सहयोग लिया जा सकेगा।
7. नैदानिक अधिष्ठानों के पंजीकरण एवं विनियमन से सम्बन्धित कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
8. केन्द्र के स्तर पर इस अधिनियम के अनुक्रम में मॉडल नियमावली बनायी जा रही है जो राज्यों को शीघ्र ही उपलब्ध करायी जायेगी। इसके साथ ही साथ नैदानिक अधिष्ठानों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था तथा विभिन्न श्रेणियों के नैदानिक अधिष्ठानों के लिए न्यूनतम मानक भी निकट भविष्य में विकसित किये जायेंगे।
9. इस अधिनिमय के लागू होने से नैदानिक अधिष्ठानों को अपेक्षाकृत अधिक जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं खरीद का निर्धारित लक्ष्य

*9-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं की अच्छी फसल होने के बावजूद भी वर्ष 2011-12 में गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है ? क्या यह सही है कि किसानों का गेहूं सीधा न खरीद कर दलालों के माध्यम से करीब 75 प्रतिशत गेहूं खरीदा गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि लक्ष्य के सापेक्ष कितना गेहूं खरीदा गया ? उसमें से खुले आसमान के नीचे पड़े

होने के कारण कितना गेहूं खराब हो गया है ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए खुले स्थानों पर रखे गये गेहूं को गरीबों में बांटने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

निर्धारित लक्ष्य 40 लाख मी0टन के सापेक्ष कुल 3460116 मी0टन गेहूं क्रय किया गया। मात्र 05 कुन्तल गेहूं वर्षा के कारण कानपुर संभाग में क्षतिग्रस्त हो गया है। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आसन्न की गयी है। वर्तमान में खुले स्थान पर गेहूं नहीं रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

*10-श्री मदन चौहान-

[चौथे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में शराब की सरकारी दुकानों पर प्रिन्ट रेट से अधिक मूल्य पर बिक्री

*11-श्री राजेश यादव-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में शराब की सरकारी दुकानों पर प्रिन्ट रेट से अधिक रेट पर बेची जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश को राजस्व की हानि से बचाने हेतु इस पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

देशी/विदेशी मदिरा का अधिकतम् बिक्री मूल्य (एम0आर0पी0) निर्धारित रहता है। निर्धारित अधिकतम् बिक्री मूल्य से अधिक दाम पर पेय मदिरा की बिक्री अनियमित है और जब भी ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी गहन छानबीन कराकर सम्बन्धित अनुज्ञापियों के विरुद्ध नियम संगत प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

उपर्युक्तानुसार-

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत किसानों को मुआवजा तथा भूखण्ड दिये जाने की मांग

*12-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री को जानकारी है कि गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत किसानों से उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण करते समय उनको हरजाने और अतिरिक्त आवास दिये जाने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त किसानों को मुआवजा तथा अतिरिक्त आवास दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए

निर्धारित अवधि के भीतर किसानों को मुआवजा तथा अतिरिक्त आवास दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2003 के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 09-05-2005 में लिये गये निर्णय के अनुसार कुल 603 प्रभावित परिवारों को नियमानुसार 75 वर्ग मीटर निःशुल्क आवासीय भूखण्ड दिया गया तथा हितबद्ध किसानों को नियमानुसार मुआवजा जिलाधिकारी द्वारा वितरित किया गया।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर में हज हाऊस के निर्माण की मांग

*13-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कई वर्ष पूर्व काशी से काबा तक की उड़ान सेवा शुरू हुई थी ? क्या यह सही है कि हज यात्रियों के लिए कोई स्थायी सुविधा युक्त हज हाउस वाराणसी में न होने से हज यात्रियों को प्रतिवर्ष अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वाराणसी नगर में आवश्यक सुविधायुक्त एक हज हाउस का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनीस अहमद खां)-

जी हां।

जी नहीं।

वाराणसी नगर निगम व बाबतपुर एयरपोर्ट के समीप हज हाऊस निर्माण हेतु उपयुक्त भूखण्ड प्राप्त किए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त गौतम बुद्ध ट्रेड एण्ड एक्जीविशन सेन्टर, मकबूल आलम रोड, चौकाघाट, वाराणसी को स्थायी हज हाऊस में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 08.07.2011 द्वारा जिलाधिकारी, वाराणसी को परीक्षणोपरान्त नियमों के अन्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

नगरों की महायोजनाओं/भवन उपविधि के अन्तर्गत विभिन्न भू-उपयोगों हेतु एफ0ए0आर0 में वृद्धि की मांग

*14-श्री सतीश महाना-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरों में बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए एवं जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजनान्तर्गत शहर में बढ़ाये जा रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए शहरों में हो रहे निर्माण का एफ0ए0आर0 (फ्लोर एरिया रेसिया) बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

नगरीकरण के बढ़ते दबाव के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2008 को नगरों की महायोजनाओं/भवन उपविधि के अन्तर्गत विभिन्न भू-उपयोगों हेतु एफ0ए0आर0 में वृद्धि की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

स्वर्गीय एम0 के0 सिंह सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, कुशीनगर के आश्रितों को पेंशन एवं अनुकम्पा निधि दिये जाने संबंधी प्रार्थना-पत्र

1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एम0 के0 सिंह, सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, कुशीनगर की हत्या अगस्त, 2009 में हुयी थी ? यदि हां, तो उनकी पत्नी श्रीमती श्वेता सिंह को असाधारण पेंशन और अनुकम्पा राशि दिये जाने सहित मृतक आश्रित के रूप में विशेष कार्याधिकारी के पद पर समायोजित किये जाने से सम्बन्धित श्रीमती श्वेता सिंह का प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

असाधारण पेंशन एवं अनुकम्पा राशि दिये जाने के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं, किन्तु मृतक आश्रित के रूप में विशेष कार्याधिकारी के पद पर समायोजित किये जाने से सम्बन्धित श्रीमती श्वेता सिंह का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

1-असाधारण पेंशन की स्वीकृति का प्रकरण महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद को अभिमत/संस्तुति हेतु संदर्भित किया गया था, जिस पर उनकी अभिमत/संस्तुति प्राप्त हो गयी है। प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही प्राक्रियान्तर्गत है।

2-अनुकम्पा निधि से स्वीकृत की गयी धनराशि रु0 67,800/- का भुगतान श्रीमती श्वेता सिंह को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की मांग

2-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र, पट्टी एवं वीरापुर के अन्तर्गत कौन-कौन से मार्ग चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में चयनित किये गये हैं ? क्या सरकार द्वारा अकबरपुर, कादीपुर-चान्दा-पट्टी मार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण हेतु वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 में प्रस्तावित मार्ग को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के प्रमुख जिला मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2010-11 में देल्हूपुर-रानीगंज-पट्टी-कोहडौर मार्ग के किमी0 28 से 35 तक तथा अकबरपुर-कादीपुर-चांदा-पट्टी प्रमुख जिला मार्ग (164 ई0) के चयनित किमी0 0 से 28 तक का चयन किया गया था वर्ष 2011-12 में प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी एवं वीरापुर में चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु किसी मार्ग का चयन नहीं किया गया था।

अकबरपुर कादीपुर-चांदा-पट्टी प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण व उच्चीकरण कार्य हेतु वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तक राज्य सड़क निधि एवं केन्द्रीय मार्ग निधि योजना में प्रस्तावित किया गया था परन्तु प्रश्नगत मार्ग की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2010-11 केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत भारत सरकार के आदेश दिनांक 31.03.2011 द्वारा प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 27.07.2011 को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत निर्गत कर दिया गया है। प्रश्नगत मार्ग को दिनांक 31.03.2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश मार्गों को ठीक कराने की मांग

3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण मार्ग, ओ0डी0आर0, एम0डी0आर0 के नवीनीकरण, पी0सी0 कार्य कराने हेतु नीति के अनुसार क्या अवधि निर्धारित है ? जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 में कौन-कौन से मार्ग पी0सी0 स्तर/पी0-1 पी0-2 से नवीनीकृत किये गये ? क्या अधिकांश मार्गों के पी0सी0 कार्य क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो उसको ठीक करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ग्रामीण मार्ग, अन्य जिला मार्ग एवं प्रमुख जिला मार्ग हेतु क्रमशः 8 वर्ष, 5 वर्ष एवं 4 वर्ष का नवीनीकरण अवधि का चक्र निर्धारित है।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2007-08 में 3 मार्ग 2008-09 में कोई मार्ग नहीं, 2009-10 में 2 मार्ग एवं 2010-11 में 1 मार्ग का पी0-2 से नवीनीकरण किया गया है तथा वर्ष 2007-08 में कोई मार्ग नहीं, 2008-09 में 3 मार्ग, 2009-10 में 31 मार्ग एवं 2010-11 में 13 मार्गों का पी0सी0 से नवीनीकरण किया गया है।

जी नहीं, मात्र 2 मार्गों पर भारी वाहनों के आवागमन के कारण यातायात के अनुरूप पर्याप्त क्रस्ट न होने के कारण क्षतिग्रस्त हुये थे।

उपरोक्त क्षतिग्रस्त मार्गों मे से रामपुर बवरिया गोबिन्दपुर मार्ग का मरम्मत करा दिया गया है तथा दशाा संतोषजनक है एवं सैफाबाद, ढिढुई, वारीकलां के विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ में यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा कतिपय ग्रामों के निर्माण में मानकों का पालन न किये जाने के संबंध में शिकायती-पत्र

4-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा ग्राम सरसीडीह, कठारी, कांधरपुर, लबली पुख्ताखाम के निर्माण में मानकों का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 24-1-2011 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी गयी। कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी। ग्रामीण सचिवालय सरसीडीह, कटारी एवं कांधरपुर के कार्य पूर्ण कर संबंधित विभाग को हस्तानान्तरित किया जा चुका है। ग्रामीण सचिवालय लौली पोख्ताखाम का कार्य पूर्ण हो चुका है, जो हस्तानान्तरण की प्रक्रिया में है।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से किये जाने के हेतु पत्र

5-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-1-2011 जो विधान सभा क्षेत्र, पट्टी के 09 मार्ग एवं चार विकास खण्डों में 100-100 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत किये जाने हेतु है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राज्यांश के अन्तर्गत ऐसी परियोजनायें स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है जिनकी लागत रु0 50.00 लाख से अधिक है। प्रश्नगत मार्गों एवं इण्डिया मार्का-2 हैंण्डपम्पों की प्रति यूनिट लागत रु0 50.00 लाख से कम होने के कारण राज्यांश के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद स्थित लाउदर रोड रामबाग रेलवे क्रासिंग पर रेल उपरिगामी सेतु (आर0ओ0बी0) के निर्माण की मांग

6-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद स्थित लाउदर रोड, रामबाग रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर (आर0ओ0बी0) निर्माण हेतु प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 28-3-2011 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जनपद इलाहाबाद स्थित लाउदर रोड रामबाग रेलवे क्रासिंग पर रेल उपरिगामी सेतु (आर0ओ0बी0) निर्माण का प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद में नजूल भूमि पर पुश्तैनी रूप से आवासित कमजोर आय वर्ग के सागर पेशावासियों को पुनर्वासित करने की मांग

7-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में नजूल भूमि पर पुश्तैनी रूप से आवासित कमजोर आय वर्ग के सागर पेशावासियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 14 जनवरी, 1987 तथा उच्च न्यायालय द्वारा 25 मार्च, 1986 को पी0डी0 टण्डन बनाम उ0 प्र0 सरकार आदि के मामले में पुनर्वासित कराने सम्बन्धी आदेश के अनुपालन में कोई सर्वे कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सर्वे पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सर्वे पूरा कराके सागर पेशावासियों को पुनर्वासित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25-03-1986 एवं तद्क्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-01-1987 में सागर पेशा व्यक्तियों के सर्वे के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

पूर्ति निरीक्षक/पूर्ति लिपिक जिला रायबेली के विरुद्ध एफ0आई0आर0 पर कार्यवाही विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

8-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्ति निरीक्षक/पूर्ति लिपिक जिला रायबरेली के विरुद्ध कार्ड धारकों को परेशान करने एवं विभागीय धनराशि के गबन के विरुद्ध दायर एफ0आई0आर0 पर कार्यवाही विषयक श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, स0वि0स0 का पत्र दिनांक 11 फरवरी, 2011 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की गोमती नगर व इन्दिरा नगर विस्तार योजना में मा0 विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर भूखण्ड आवंटन की मांग

9-श्री राजेश यादव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की गोमती नगर विस्तार एवं इन्दिरा नगर विस्तार योजना में जिन मा0 विधायकों को भू-खण्ड आवंटित नहीं किया गया है, को सस्ती दरों पर उक्त योजना के अन्तर्गत भू-खण्ड प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी

मा0 विधायकों को सस्ती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूखण्ड आवंटन की कोई योजना नहीं है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की भूखण्डों की कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है।

लखनऊ के भाऊ राव देवरस संयुक्त चिकित्सालय महानगर के चिकित्साधिकारियों का अन्य जनपद में तैनाती करने की मांग

10-श्री कुबेर सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ स्थित भाऊ राव देवरस संयुक्त चिकित्सालय, महानगर में लेवल-IV के कितने चिकित्साधिकारी, कितने वर्षों से तैनात हैं ? क्या सरकार लेवल-IV स्तर के चिकित्साधिकारियों को अन्य जनपद के चिकित्सालयों में तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद लखनऊ स्थित भाऊराव देवरस चिकित्सालय, महानगर में लेवल-4 के निम्नलिखित चिकित्सक उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों से तैनात हैं :-

1. डा0 रंजना अग्रवाल- दि0 01.12.1983 से
2. डा0 पूनम तिवारी ओझा- दि0 01.10.10 से
3. डा0 आशुतोष गुप्ता- दि0 01.08.2000 से

जी हां।

लेवल-4 स्तर के चिकित्साधिकारियों के समायोजन की कार्यवाही विचाराधीन है। यथाशीघ्र उक्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के सरोजनी नायडू पार्क में निर्मित कमरों में निर्वासित श्री जे0पी0 गुप्ता, उद्यान अधिकारी को बेदखल किये जाने की मांग

11-श्री कुबेर सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सरोजनी नायडू पार्क में मालियों के निवास हेतु निर्मित दोनों कमरों में अवैध रूप से सेवानिवृत्त

उद्यान अधिकारी जे0पी0 गुप्ता निवास कर रहे हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब तक बेदखल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 16.01.1979 द्वारा श्री जे0पी0 गुप्ता, उद्यान अधिकारी को सशर्त किराये पर आवंटित किया गया किन्तु श्री जे0पी0 गुप्ता द्वारा योजित रिट याचिका संख्या-4567 (एम0बी0)/1999 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ द्वारा स्थनादेश पारित किये गये हैं, जो वर्तमान में भी प्रभावी है।

मा0 उच्च न्यायालय का स्थगनादेश प्रभावी होने के कारण उन्हें बेदखल किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का निर्माण करा कर सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध कराने की मांग

12-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर में सरजू नहर परियोजना के तहत विगत कितने वर्षों से नहरों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है तथा अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ? उक्त नहरों का निर्माण कार्य कितने वर्षों में पूरा कराकर किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना के तहत विगत वर्ष 1977-78 से नहरों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है तथा अब तक कुल रु0 69999.65 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

उक्त नहरों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2015-2016 तक पूर्ण कराकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के केन नहर प्रखण्ड बांदा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में आवंटित धनराशि एवं कार्य की जानकारी

13-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा तथा चित्रकूट में वर्ष 2009-10 से मार्च, 2011 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा एवं प्रखण्ड तटीय बांधों को कुल कितनी धनराशि किन-किन परियोजनाओं के लिए दी गयी है ? क्या यह सही है कि विभाग के अवर अभियन्ता द्वारा बिना काम

के जॉब कार्ड धारक मजदूरों को दस प्रतिशत धनराशि देकर नब्बे प्रतिशत कमीशन के आधार पर करोड़ों रुपये की धनराशि का घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद बांदा में केन नहर प्रखण्ड, बांदा को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं पर निम्न प्रकार धनराशि आवंटित की गई है :-

क्रमांक	योजना का नाम	धनराशि
1	2	3
वित्तीय वर्ष 2009-10		
1-	कमासिन राजवाहा के कि0मी0 0.000 से 15.550 तक क्षतिग्रस्त बैंक मरम्मत का कार्य	18,95,301.00
2-	कमासिन राजवाहा के कि0मी0 15.560 से 32.760 तक क्षतिग्रस्त बैंक मरम्मत का कार्य	14,76,699.00
3-	साडा राजवाहा के कि0मी0 0.00 से 5.550 एवं कि0मी0 20.000 से 23.900 तक सिल्ट सफाई का कार्य	5,25,000.00
4-	अघायूं राजवाहा के कि0मी0 0.00 से 5.000 तक सिल्ट सफाई का कार्य	1,96,000.00
	कुल योग :-	40,93,000.00

वर्ष 2009-10 से मार्च, 2011 तक कुल धनराशि रु0 40,93,000.00 आवंटित हुई थी, जिसके सापेक्ष पूर्ण धनराशि का उपभोग करते हुए उक्त कार्य कराये गये। केन नहर प्रखण्ड, बांदा का कार्यक्षेत्र जनपद चित्रकूट में नहीं पड़ता है। केन नहर प्रखण्ड, बांदा एवं सिंचाई प्रखण्ड-3, बांदा का कार्यक्षेत्र जनपद बांदा में तथा सिंचाई प्रखण्ड-प्रथम, कर्वी का कार्यक्षेत्र जनपद चित्रकूट में पड़ता है। मनरेगा के अन्तर्गत तटीय बांधों के लिए वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में इन खण्डों को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्त सभी कार्य नियमानुसार जाब कार्ड धारक श्रमिकों से ही कराये गये। सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं द्वारा मस्टररोल तैयार किये गये तथा भुगतान चेक के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराये गये। श्रमिकों को 10 प्रतिशत देकर 90 प्रतिशत कमीशन के आधार पर करोड़ों रूपये का घोटाला कराया गया, असत्य है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

14-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[दिनांक 8-8-2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या-182 द्वारा उत्तरित]

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन लखनऊ स्थित टिकैतराय कालोनी के भूतल के आवासों में बाउण्ड्रीवाल बनवाने की मांग

15-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन लखनऊ स्थित टिकैतराय कालोनी में टाइप-3/आर0एस0-3 के भू-तल के कुल कितने आवासों में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण नहीं कराया गया है ? उक्त भू-तल के आवासों में बाउन्ड्रीवाल के निर्माण हेतु कितनी बार धनराशि स्वीकार की गयी है तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग न किये जाने लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या सरकार द्वारा इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन लखनऊ स्थित टिकैतराय कालोनी में टाइप-3/आर0एस0-3 के भूतल के किसी आवास में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है।

भूतल के आवासों में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

16-श्रीमती अरुणा तोमर-

[दिनांक 5-8-2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या-68 द्वारा उत्तरित

लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग की विभिन्न कालोनियों में लखनऊ से स्थानान्तरित पुलिस कर्मियों से आवास खाली कराने की मांग

17-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग की विभिन्न कालोनियों में पुलिस कर्मियों को विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने आवास आवंटित है ? उक्त आवंटित आवासों में कितने ऐसे पुलिस कर्मी हैं, जो अन्य जनपदों में स्थानान्तरित होने के बावजूद आवासों में अवैध रूप से काबिज हैं ? क्या अन्य जनपदों में तैनात पुलिस कर्मियों से आवास खाली कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न कालोनियों में विभिन्न श्रेणियों के कुल-517 आवास पुलिस कर्मियों को आवंटित हैं।

राज्य सम्पत्ति निदेशालय की सूचनानुसार 08 पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण लखनऊ जनपद से अन्य जनपदों में हो जाने के बाद भी आवास में काबिज हैं।

जनपद लखनऊ से स्थानान्तरित पुलिस कर्मियों से आवास नियमानुसार कार्यवाही कर तत्काल रिक्त कराये जाने हेतु संयुक्त निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लखनऊ के भवन निर्माण में अनुमानित व्यय

18-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ के प्रांगण में निर्माणाधीन बहुमंजिले भवन का नजरी नक्शा स्वीकृत कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त भवन के निर्माण पर कितना धन व्यय होना प्रस्तावित है ? क्या सरकार सभी प्रकरणों की जांच करवा कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत भवन के निर्माण का अनुमानित व्यय रु0 11.71 करोड़ होना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लखनऊ के मुख्य भवन, प्रबन्ध निदेशक, आवास एवं अतिथि गृह की मरम्मत एवं उच्चीकरण के कार्य की उच्चस्तरीय जांच

19-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ के मुख्य भवन, प्रबन्ध निदेशक, आवास एवं अतिथि गृह की मरम्मत एवं उच्चीकरण का कार्य बिना निविदा कराये कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जांच संस्थित कर दी गयी है।

जनपद गोण्डा/बलरामपुर में कार्यदायी संस्था पैक्सफेड में सिविल इंजीनियर से कार्य न करवाकर मैकेनिकल इंजीनियर से सड़क, बिल्डिंग आदि का कार्य करवाने की जानकारी

20-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में कार्यदायी संस्था पैक्सफेड में कितने टेक्निकल इंजीनियर (सिविल) हैं जिनसे जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर में कार्य कराया जा रहा है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि सिविल इंजीनियर से कार्य न करवाकर मैकेनिकल इंजीनियरों से सड़क, बिल्डिंग आदि का कार्य करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पैक्सफेड निर्माण प्रखण्ड गोण्डा/बलरामपुर में 01 सहायक अभियन्ता (सिविल) तथा 06 अवर अभियन्ता (सिविल) कार्यरत हैं, जिनसे कार्य कराया जा रहा है।

मात्र एक यान्त्रिक अभियन्ता, प्रभारी परियोजना अभियन्ता के रूप में कार्यरत है।

जी नहीं।

लगभग 16 वर्ष के व्यवहारिक अनुभव एवं प्रशिक्षणोपरान्त लोक निर्माण विभाग की व्यवस्था के अनुरूप यान्त्रिक अभियन्ता से सिविल कार्य कराया जा रहा है।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में सम्पर्क मार्गों का चयन एवं निर्माण

21-श्री राजेश यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में किन-किन सड़कों का निर्माण हेतु चयन किया गया है ? उक्त निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वित्तीय वर्ष 2010-11 में जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र, तिलहर में वरधियाई, बढ़ई, मईयापुर, कोठा, रजपुरा से दिउरा सम्पर्क मार्गों का चयन हुआ है, जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में सिठौली से मलेथुआ सम्पर्क मार्ग की मरम्मत करवाने की मांग

22-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में सिठौली से मलेथुआ सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सिठौली से मलेथुआ सम्पर्क मार्ग जीर्ण शीर्ण एवं पटरियां क्षतिग्रस्त है। मार्ग का स्वामित्व ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग का है।

मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी योजना में स्वीकृत नही हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में माइनरों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की सुविधा

23-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद से सम्बन्धित प्रतापपुर, रसूलहॉ, दुधरा, पट्टीराम तथा कैथवल माइनर की सफाई करवाकर सरकार मार्च, 2011 तक टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत प्रतापपुर, रसूलहां, दुधरा, पट्टीराम तथा कैथवल माइनरों की सफाई रबी 1418 फसली में कराकर टेल तक पानी पहुंचाकर कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान की गयी है।

उ0प्र0 को-आपरेटिव बैंक लि0 डी0ए0बी0 कालेज शाखा कानपुर से सेवानिवृत्त श्री नरेश कुमार मिश्र की अनुग्रह राशि के भुगतान की मांग

24-श्री लालजी यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि को-आपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय 2, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ की कानपुर में स्थानीय मुख्य शाखा डी0ए0वी0 कालेज से श्री नरेश कुमार मिश्र, प्रबन्धक के पद से दिनांक 31-1-2007 में सेवानिवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो बैंक द्वारा दिनांक 1-4-2006 से दिनांक 31-1-2007 तक की अनुग्रह राशि का भुगतान उन्हें कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त अनुग्रह राशि का भुगतान उन्हें कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेश कुमार मिश्र, तत्कालीन प्रबन्धक (सम्प्रति सेवानिवृत्त) उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, डी0ए0वी0 कालेज शाखा कानपुर में कार्यरत रहते हुए उनके द्वारा बरती गयी वित्तीय अनियमितताओं के कारण बैंक के आदेश संख्या-प्रशा0-गोपन/2006-07/931-935 दिनांक 27.01.2007 के माध्यम से निलम्बित किये गये थे तथा निलम्बनाधीन रहते हुए ही दिनांक 31.01.2007 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर श्री मिश्रा बैंक सेवा से सेवानिवृत्त हो गये।

अतः बैंक द्वारा अनुग्रह धनराशि के सम्बन्ध में निर्गत परिपत्र संख्या-प्रशा0-गोपन/2007-08/सी-69 दिनांक 13-10-2007 में उल्लिखित शर्त/प्रतिबन्ध संख्या-2 (1) कि वर्ष 2006-07 में निलम्बित रहे कर्मचारी/अधिकारी को एक्सग्रेसिया अनुमन्य नहीं होगा, के अनुसार श्री मिश्रा वर्ष 2006-07 की अनुग्रह धनराशि पाने के पात्र नहीं है।

बांदा शहर को केन नदी की बाढ़ से बचाने हेतु तटबन्ध का निर्माण एवं कार्य पूर्ण की जानकारी

25-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में केन नदी की बाढ़ से बांदा शहर को बचाने हेतु बनाये जा रहे तटबन्धों की संख्या एवं लागत क्या है और उक्त कार्य कब तक पूर्ण करने की योजना है ? क्या यह सही है कि उक्त तटबन्धों के निर्माण हेतु ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति

के किसानों के खेत से मिट्टी निकालने की शिकायत जिलाधिकारी, बांदा को अप्रैल/मई, 2008 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

बांदा शहर को केन नदी की बाढ़ से बचाने हेतु एक तटबन्ध बनाया जा रहा है, जिसकी वर्तमान पुनरीक्षित कुल लागत रु0 4467.002 लाख है। यह कार्य माह जून, 2012 में पूर्ण होना प्रस्तावित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर (हाथरस) जनपद मुख्यालय पर अतिथि गृह बनवाने की मांग

26-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महामायानगर (हाथरस) जनपद मुख्यालय पर लोक निर्माण विभाग का पुराना अतिथि गृह आवश्यकताओं के अनुरूप छोटा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी सुविधाओं युक्त अतिथि गृह (सर्किट हाउस) जनपद मुख्यालय पर बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के को-आपरेटिव बैंको को घाटे से उबारने की योजना

27-श्री कुबेर सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किस-किस जनपद के को-आपरेटिव बैंक घाटे में चल रहे हैं तथा इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार द्वारा घाटे में चल रहे इन बैंकों की स्थिति ठीक करने हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद उन्नाव, हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, जौनपुर, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं फतेहपुर बैंक घाटे में रहे।

जिला सहकारी बैंकों के घाटे के प्रमुख कारण निम्नवत् हैं :-

फैक्स सचिवों के वेतन भुगतान हेतु दिये गये ओवर ड्राफ्ट के कारण बैंकों को हुई हानि।

वर्ष 1990 में लागू ऋण राहत योजना के अन्तर्गत धनराशि समय से न मिलने के कारण बैंकों को हुई ब्याज की हानि।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बैंकों को हुई हानि।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों पर आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्राविधानीकरण नियम लागू किया जाना।

सहकारी बैंकों में शासकीय धन जमा करने पर प्रतिबन्ध।

जी हां।

सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि हेतु उनके ऋण व्यवसाय को बढ़ाने के लिये फसली ऋण सस्ती ब्याज दर पर उपलब्ध कराके वसूली एवं निक्षेप संचय में वृद्धि करके तथा प्रो0 ए0 वैद्यनाथन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में रिवाइवल पैकेज लागू कराकर बैंकों को घाटे से उबारने की योजना क्रियान्वित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितता के सम्बन्ध के जांच कराये जाने विषयक पत्र

28-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व बरती जा रही अनियिमतता के सम्बन्ध में जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-1-2011, प्रमुख सचिव, सहकारिता, प्रबन्ध निदेशक लेबर फेडरेशन एवं निबन्धक सहकारी समितियों को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त शिकायती पत्र की जांच श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ के मुख्य अभियन्ता से करायी गयी। उन्होंने अपनी जांच आख्या में उल्लेख किया है कि सत्य प्रकाश नाम का कोई अधिशासी अभियन्ता, श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ में कार्यरत नहीं है। श्री एस0बी0सिंह, अधिशासी अभियन्ता एवं श्री रत्नाकर पाण्डेय, अवर अभियन्ता द्वारा ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिनके द्वारा निर्माण कार्य में न तो कोई अनियमितता बरती गयी है और न ही किसी तरह की धनराशि की मांग की गयी है। शिकायत निराधार पाये जाने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्कता नहीं पायी गयी। मा0 विधान सभा सदस्य को शासन के अर्द्ध शा0पा0सं0 1009/49-3-2011-10(4)/2011, दि0 31-5-2011 द्वारा स्थिति से अवगत भी कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के विधनू ब्लाक के ग्राम भैरमपुर से मोतीलाल बाबा के मकान तक के मार्ग का डामरीकरण कराने की मांग

29-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधनू ब्लाक के ग्राम भैरमपुर से मोतीलाल बाबा के मकान तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष

2010-11 में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ? स्वीकृत धनराशि से उक्त मार्ग का डामरीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग का डामरीकरण का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के ग्राम कैंधा से इटावा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत करने की मांग

30-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के ग्राम कैंधा से इटारा सम्पर्क मार्ग कब से क्षतिग्रस्त है ? क्या उक्त मार्ग पूर्णतया आवागमन के योग्य नहीं रह गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2010 में भारी वर्षा होने के कारण मार्ग कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है।

मार्ग यातायात हेतु खुला है परन्तु आवागमन में असुविधा होना स्वाभाविक है।

विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के ग्राम कैंधा से गोपालपुर के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के मरम्मत की मांग

31-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कानपुर नगर के ग्राम कैंधा से गोपालपुर सम्पर्क मार्ग की कब से मरम्मत नहीं कराई गयी है ? क्या उक्त सम्पर्क मार्ग अप्रैल, 2007 से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

इस मार्ग की सामान्य मरम्मत का कार्य एक सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार समय-समय पर कराया जाता रहा है। मार्ग 2010 की अतिवृष्टि वर्षा तथा भारी वाहनों के आवागमन के कारण कुछ स्थानों पर अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है।

जी नहीं। मार्ग वर्ष 2010 की अतिवृष्टि एवं भारी वाहनों के आवागमन के कारण मार्ग कुछ स्थानों पर अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है।

प्रश्नगत कार्य की विशेष मरम्मत का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ में पटरी दुकानदारों को स्थायी रूप से दुकानें आवंटित करने की मांग

32-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में पटरी दुकानदारों को स्थायी रूप से दुकानें आवंटित करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त के सम्बन्ध में मार्च, 2009 से नवम्बर, 2010 तक प्राधिकरण को कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा प्राधिकरण द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रश्नगत कार्य योजना न होने के कारण आवेदन पत्रों का ब्यौरा दिया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम सराय हरीराम से पिडौना के सम्पर्क क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

33-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत बरना-जंघई मार्ग पर स्थित गांव सराय हरीराम से पिडौना सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

विकास खण्ड प्रतापपुर के ग्राम सराय हरीराम से पिडौना गांव का सम्पर्क मार्ग ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित कराया गया था। जो वर्तमान में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। मार्ग की लम्बाई 3.00 कि0मी0 है। मार्ग के कि0मी0 1 में पड़ने वाले नहर का पुल क्षतिग्रस्त होने से मार्ग बाधित है। यह मार्ग लो0नि0वि0 के स्वामित्व में नही हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद में प्रतापपुर के अन्तर्गत कोड़ापुर से बलिकरनपुर, कसरावें जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करवाने की मांग

34-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत कोड़ापुर से बलिकरनपुर होते हुए कसरावें जाने वाले क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग का लो0नि0वि0 द्वारा निर्मित 3 कि0मी0 ठीक दशा में है, परन्तु शेष 1 कि0मी0 पक्का मार्ग नहीं है। कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद में प्रतापपुर के अन्तर्गत उग्रसेन उर्फ बीबीपुर से भोगवारा होते हुए बसनेहटा तिराहा सम्पर्क मार्ग के मरम्मत की मांग

35-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत उग्रसेनपुर उर्फ बीबीपुर से भोगवारा होते हुए बसनेहटा तिराहा तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग का कार्य विभाग की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर के राजकीय नलकूप सं0-39 एच, ग्राम मदारीपुर की मरम्मत करने की मांग

36-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर की राजकीय नलकूप-251 (एच) सराय बक्श तथा 39 एच मदारीपुर विगत कई महीनों से खराब होने के कारण सिंचाई बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजकीय नलकूपों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापपुर, के राजकीय नलकूप संख्या-251 एच सराय बक्श वर्तमान में सिंचाईरत है।

राजकीय नलकूप संख्या-39एच, ग्राम मदारीपुर में कूप का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण कूप से निकास प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने की मांग

37-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के महमूदाबाद, मीरानगर, सेखपुर, बेलौली, बजेहरा होकर खुरवल महमूदाबाद, बिसवां मार्ग से अकबरपुर, सद्दूपुर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी

1. महमूदाबाद से मीरानगर मार्ग-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। जिसकी सामान्य मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत की जा रही है।

2. शेखपुर-बिलौली से बजेहरा होते हुए खुरवल मार्ग-

मार्ग का आंशिक भाग भारी वर्षा व बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। सामान्य मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है। उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

3. बिसवां-महमूदाबाद मार्ग से अकबरपुर-सददपुर मार्ग-

मार्ग पर कुछ स्थानों पर पैच हो गये है, जिसकी सामान्य मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

38-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा किसानों के अवशेष धनराशि का ब्याज सहित भुगतान की मांग

39-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2011 तक कुल कितने गन्ने की पेराई की गयी है तथा सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? पेरे गये गन्ने का कुल कितना गन्ना मूल्य किसानों को भुगतान किया गया तथा कितना बाकी है ? क्या सरकार बकाये गन्ने के मूल्य का भुगतान ब्याज सहित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्च, 2011 तक कुल 631.88 लाख टन गन्ने की पेराई की गयी। गन्ना पेराई हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। चीनी मिलों पर कुल देय गन्ना मूल्य रु0 13031.11 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 02.08.2011 तक रु0 12864.40 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जो कुल देय का 98.72 प्रतिशत है। रु0 166.72 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है।

प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बरूकी से रसूलपुर तक के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

40-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मोरना जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्राम बरूकी से ग्राम-रसूलपुर तक का सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मार्ग गत वर्ष की भारी वर्षा के कारण कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के जर्जर मार्गों की मरम्मत एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध के पत्र पर कृत कार्यवाही

41-श्री कुबेर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के जर्जर मार्गों जलेसर-आगरा मार्ग, जलेसर-एटा वाया निधौली मार्ग, जलेसर-फिरोजाबाद मार्ग, जलेसर-अलीगढ़ मार्ग, जलेसर- सिकन्दराराऊ मार्ग से ग्राम-पिलखतरा व जिनावली मिर्जापुर मार्ग से नगला खड़ी गांव तक, मनीगढ़ मजरा शाहनगर, टिमरूआ मार्ग, कल्याणपुर मजरा जिनावली मार्ग, रेजुआ से बढ़ावली तक मार्ग, नटौरा से खेड़िया सुरजी मार्ग, मिर्जापुर से जगतपुर मार्ग, दोषपुर से जलूखेड़ा मार्ग के मरम्मत एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ख-3-सं0-860031, दिनांक 24 फरवरी, 2011 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

1-जलेसर-आगरा मार्ग-

यह लोक निर्माण विभाग का मार्ग है। इस मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा वर्तमान में मार्ग संतोषजनक स्थिति में है। मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

2-जलेसर-एटा वाया निधौली मार्ग-

यह लोक निर्माण विभाग का मार्ग है। उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 38.60 किमी0 है तथा मार्ग पर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत है। मार्ग के किमी0 1 से 27 तक तथा किमी0 35 से 38.60 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण है तथा इस भाग में मार्ग संतोषजनक स्थिति में है। मार्ग के किमी0 28 से 34 तक मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

3-जलेसर-फिरोजाबाद मार्ग-

यह मार्ग लोक निर्माण विभाग का है। वर्तमान में इस मार्ग की सतह संतोषजनक है। इस मार्ग पर वर्ष 2011-12 में स्वीकृत नवीनीकरण का कार्य प्रगति में है। मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किसी योजना में विचाराधीन नहीं है।

4-जलेसर-अलीगढ़ मार्ग-

यह मार्ग लोक निर्माण विभाग का है तथा यह मार्ग जलेसर सिकन्द्राराऊ मार्ग के नाम से जाना जाता है। उक्त मार्ग को ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में मार्ग संतोषजनक स्थिति में है। चौड़ीकरण का कार्य किसी योजना में विचाराधीन नहीं है।

5-जलेसर-सिकन्द्राराऊ मार्ग से पिलखतरा मार्ग-

यह मार्ग लोक निर्माण विभाग का है तथा लेपन स्तर तक निर्मित है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 4.50 किमी0 है। मार्ग के प्रथम 2.00 किमी0 तथा अन्तिम 1.50 किमी0 लम्बाई क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

6-नावली मिर्जापुर मार्ग से नगला खड़ी मार्ग/ ग्राम मनीगढ़ी मजरा शाहनगर टिमरूआ मार्ग-

यह मार्ग लोक निर्माण विभाग का नहीं है। इस मार्ग का निर्माण विधायक निधि के अन्तर्गत उ0प्र0 नलकूप निगम द्वारा कराया गया है।

7-कल्याणपुर मजरा जिनावली मार्ग-

यह मार्ग अवागढ़ शहनौआ मार्ग के कि0मी0 2 से प्रारम्भ होकर ग्राम कल्याणपुर मजरा जिनावली तक जाता है। मार्ग की कुल लम्बाई 2.00 कि0मी0 है। मार्ग का प्रथम किमी0 लेपित है, जिसकी सतह संतोषजनक है। उक्त मार्ग के क्षतिग्रस्त 1.00 किमी0 मार्ग डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत लेपन स्तर तक स्वीकृत है तथा निर्माण कार्य प्रगति में है। ग्रामीण मार्ग होने के कारण चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है।

8-रेजुआ से बढ़ावली तक मार्ग-

यह लेपित मार्ग है तथा मार्ग की लम्बाई 1.90 किमी0 है। मार्ग की लेपित सतह क्षतिग्रस्त है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार सड़कों की मरम्मत प्रत्येक वर्ष करायी जाती है। ग्रामीण मार्ग होने के कारण चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है।

9-ग्राम नरौरा से खेड़िया सुर्जी तक मार्ग-

यह कच्चा मार्ग है तथा विभाग की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

10-मिर्जापुर से जगतपुर मार्ग-

मार्ग का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा लेपन स्तर तक किया गया था तथा वर्तमान में मार्ग क्षतिग्रस्त है।

11-दोषपुर से जलूखेड़ा मार्ग-

कच्चा मार्ग है तथा विभाग की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

अवस्थापना विकास विभाग उ0 प्र0 द्वारा कतिपय चीनी मिलों की सम्पत्ति के विक्रय मूल्य की जानकारी

42-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की घुघली सिसवा (महराजगंज) खड्डा, लक्ष्मीगंज (कुशीनगर) बैतालपुर देवरिया, भटनी (देवरिया) चीनी मिलों की सम्पत्ति का सर्किल रेट पर कितने-कितने का मूल्यांकन हुआ है और ये इकाइयां कितने-कितने मूल्य में बेंची गयी हैं ? क्या सरकार इसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा अवस्थापना विकास विभाग, उ0 प्र0 के एतद्सम्बन्धी मूल्यांकन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों यथा-डिसकाउन्टेड कैश फ्लो, बैलेन्स शीट मेथड, एसेट्स वैल्युएशन मेथड एवं मार्केट मल्टीपल मेथड से चीनी मिलों का मूल्यांकन किया गया है। प्रश्नगत इकाइयों का विक्रय मूल्य निम्नवत् है :-

इकाई	विक्रय मूल्य (रु0 करोड़ में)
घुघली	3.71
सिसवां बाजार	34.38
खड्डा	22.05
लक्ष्मीगंज	3.40
बैतालपुर	13.16
देवरिया	13.91
भटनी	4.75

आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

महराजगंज की क्षेत्र पंचायत घुघली एवं परतावल में बहने वाले नाले से नष्ट होने वाली फसलों को बचाने की मांग

43-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज की क्षेत्र पंचायत घुघली एवं परतावल में बहने वाले नाले से बरसात के दिनों में अतिरिक्त जल प्लावन से करीब एक दर्जन गांवों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाती है ? क्या यह सही है कि जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराकर कुछ काम भी कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के स्थायी समाधान के लिए किसी योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां, स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत कार्य कराये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के कतिपय ग्रामों में नलकूपों की स्थापना व रि-बोरिंग कराने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

44-श्री कुबेर सिंह-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के ग्राम मिर्जापुर व उदयपुर के बीच, नगला अतिया व जगतपुर के बीच व मरकल के पास एक-एक नलकूप की स्थापना नगला खिल्ली, विकास खण्ड निधौलीकलां में पानी की जांच कराते हुए सरकारी नलकूप की स्थापना एवं खराब नलकूपों की रि-बोरिंग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ख-3-860035 दिनांक 24 फरवरी, 2011 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां।

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के ग्राम मिर्जापुर व उदयपुर के बीच नगला अतिया व जगतपुर के बीच व मरकल के पास खारा पानी होने के कारण उन क्षेत्रों से नलकूप लगाया जाना साध्य नहीं है। नगला खिल्ली, विकास खण्ड निधौली कला में पानी की जांच के उपरान्त खराब नलकूपों की रि-बोरिंग के लिए नलकूप सं0-108 ई0जी0 वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु चयन कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के ग्राम-मनीगढ़ी मजरा शाहनगर टिमरूआ व कल्याण मजरा जिनावली की सड़कों के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग

45-श्री कुबेर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के ग्राम-मनीगढ़ी मजरा शाहनगर, टिमरूआ व कल्याणपुर मजरा जिनावली की सड़कों पर हुये अधूरे कार्य को पूर्ण करवाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ख-3-860039 दिनांक 24 फरवरी, 2011 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, प्रश्न में वर्णित पत्र जिलाधिकारी, एटा के माध्यम से प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, एटा में प्राप्त हुआ है। पत्र में वर्णित मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :-

1-ग्राम मनीगढ़ी मजरा शाहनगर टिमरूआ मार्ग :-

यह मार्ग लोक निर्माण विभाग का नहीं है। इस मार्ग का निर्माण विधायक निधि के अन्तर्गत उ0 प्र0 नलकूप निगम द्वारा कराया गया है। वांछित कार्यवाही सम्बन्धित विभाग द्वारा की जानी है।

2-कल्याणपुर मजरा जिनावली मार्ग :-

यह लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मार्ग है जो अवागढ़ शहनौआ मार्ग के कि0मी0 2.00 से प्रारम्भ होकर ग्राम कल्याणपुर मजरा जिनावली तक जाता है। मार्ग की कुल लम्बाई 2.00 कि0मी0 है। मार्ग का प्रथम कि0मी0 लेपित है, जिसकी सतह संतोषजनक है। शेष 1.00 कि0मी0 डब्ल्यू0बी0एम0 स्तर तक निर्मित है तथा क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त 1.00 कि0मी0 भाग डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत लेपन स्तर तक स्वीकृत है तथा निर्माण कार्य प्रगति में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र में धान क्रय केन्द्रों पर अनियमितता की जांच

46-श्री राजेश यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र में धान क्रय केन्द्रों में अनियमिता विषयक मुख्यमंत्री कार्यालय का अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-सी0एम02/29-4-2011-5 (89)/10 खाद्य तथा रसद अनुभाग-4, लखनऊ को दिनांक 24-01-2011 को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

प्रश्नगत विषय पर मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 30-11-2010, जो कि मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित है, में उल्लिखित शिकायतों की जांच हेतु शासकीय पत्रांक सी0एम0-62/29-4-2010, दिनांक 24-12-2010 द्वारा खाद्य प्रकोष्ठ को जांच हेतु निदेशित किया गया। खाद्य प्रकोष्ठ ने पत्र दिनांक 14-7-2011 द्वारा अवगत कराया है कि जांच का कार्य प्रगति पर है, शीघ्र जांच पूरी करने हेतु एक जांच टीम गठित कर शीघ्र जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार की एन0आर0एच0एम0 योजना के तहत जनपद लखनऊ को प्राप्त होने वाली धनराशि का दुरुपयोग करने वालों की जांच

47-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की एन0 आर0 एच0 एम0 योजना के तहत लखनऊ जनपद में कुल कितना धन प्राप्त हुआ है तथा किन-किन मदों में यह धन खर्च किया गया ? क्या धन खर्च करने में टेण्डर प्रक्रिया अपनायी गयी है ? यदि हां, तो कितने टेण्डर आमंत्रित किये गये और किन-किन फर्मों ने टेण्डर डाला ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि भारत सरकार से प्राप्त इस धन का पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया गया है ?

यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण में उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

भारत सरकार की एन0आर0एच0एम0 योजना के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में वर्ष 2010-11 में कुल प्राप्त धनराशि, प्रारम्भिक अवशेष एवं ब्याज को मिलाकर कुल रु0 3477.11 लाख की धनराशि प्राप्त है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	मद	कुल उपलब्ध धनराशि	कुल व्यय
1	आर0सी0एच0 फ्लेक्सीपूल	1867.33	1116.14
2	एडिसनलटीज अन्डर एन0आर0एच0एम0	684.60	178.44
3	इम्युनाइजेशन	448.87	343.77
4	एन0आई0डी0डी0सी0पी0	0.45	0.00
5	आई0डी0एस0पी0	4.79	1.23
6	एन0वी0बी0डी0सी0पी0	22.42	19.59
7	एन0एल0ई0पी0	6.84	1.79
8	एन0बी0सी0पी0	113.22	66.01
9	आर0एन0टी0सी0पी0	154.93	122.26
10	एन0एम0एच0पी0	173.66	92.87
	कुल योग :-	3477.11	1942.01

अभिलेख जांच एजेन्सी की अभिरक्षा में है।

प्रकरण में जांच प्रचलित है।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज में फुलवा से पलिया तक भक्शी नाले की खुदाई कराने की योजना

48-श्री राजेश यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज में फुलवा से पलिया तक भक्शी नाले की खुदाई कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के हापुड़ से मोदीनगर की सड़क के मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण की मांग

49-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजियाबाद के हापुड़ से मोदीनगर की सड़क जिसका चौड़ीकरण एवं निर्माण कुछ ही वर्ष पहले हुआ था, जर्जर एवं गड्डा युक्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है।

प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत/सुदृढ़ीकरण का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महराजगंज की क्षेत्र पंचायत परतावल में कतिपय मार्गों की सड़कों का निर्माण कराने की स्वीकृति की मांग

50-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज जनपद की क्षेत्र पंचायत परतावल में पनियरा मार्ग महदेवा से सिसवा मुंशी और जी0 एम0 मार्ग सिसवा मुंशी जमुनिया होते हुये नवाबी डर्रा तक की सड़क का निर्माण कराया जाना किस योजना में स्वीकृत है और कार्य पूरा न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

क्षेत्र पंचायत परतावल में पनियरा मार्ग महदेवा से सिसवा मुंशी तक कुल लम्बाई 5.70 कि0मी0 में से 5.00 कि0मी0 मार्ग पूर्व में निर्मित है, अवशेष 700 मी0 किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। गोरखपुर महराजगंज (जी0एम0) मार्ग से सिसवा मुंशी जमुनिया होते हुए नवाबी डर्रा तक निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज मुख्यालय में जाम के निदान हेतु रिंग रोड बनाने की मांग

51-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज मुख्यालय में आये दिन बढ़ते हुये जाम की समस्या को देखते हुये जिला प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों ने सदर मुख्यालय पर रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर कार्य कराने का निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महराजगंज की क्षेत्र पंचायत धुधली और परियरा में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती

52-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज की क्षेत्र पंचायत घुघली और पनियरा में गतवर्ष जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बने हैं उनके भवन को विभाग को स्थानान्तरण कर दिया गया तथा उनमें स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, सभी केन्द्र स्थानान्तरित हो चुके हैं एवं स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर परिषद्, गोण्डा में मा0 काशीराम शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों का आवंटन

53-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर परिषद् गोण्डा में मा0 कांशीराम आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों के आवंटन की प्रक्रिया क्या है ? क्या सभी निर्मित आवासों का आवंटन कर दिया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि शहरी क्षेत्र के लोगों को आवंटन न करके अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों के आवंटन हेतु जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। योजना के पात्र अभ्यर्थियों का सर्वेक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे निर्धारित शर्तें पूर्ण करते हैं, तदुपरान्त निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार आवंटन किया जाता है।

जी हां।

भवनों का आवंटन शहरी क्षेत्र के पात्र निवासियों को ही किया गया है, जिसके लिये उनके आवेदन-पत्रों के साथ संलग्न निवास सम्बन्धी साक्ष्यों की पुष्टि के उपरान्त ही भवन आवंटित किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के से0-एच के फेज-1 की टूटी सड़कों एवं बन्द नालियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण की मांग

54-श्री सुखलाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के से0-एच के फेज-1 में वर्ष 2003-04 से 2010-2011 के मध्य कितनी बार सड़कों एवं नालियों की मरम्मत का कार्य कराया गया एवं उस पर कितना-कितना धन व्यय हुआ ? क्या सरकार उक्त फेज-1 की टूटी सड़कों एवं बन्द नालियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जानकीपुरम् योजना, सेक्टर-एच, भाग-1 में वर्ष 2003-04 से वर्ष 2010-11 के मध्य एक बार सड़कों एवं नालियों की मरम्मत का कार्य कराया गया जिसमें रु0 0.87 लाख का व्यय हुआ।

जी नहीं।

प्रश्नगत योजना दिनांक 28-04-2008 को नगर निगम को हस्तान्तरित है। उक्त क्षेत्र के रख-रखाव के कार्य का दायित्व नगर निगम, लखनऊ का है।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ, खतौली एवं सदर में गंग नहर, मध्य गंगा व अनूप शहर ब्रान्च को आवंटित धनराशि

55-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ, खतौली एवं सदर में गंग नहर, मध्य गंगा एवं अनूप शहर ब्रांच को वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं वर्ष 2010-2011 में कुल कितना धन आवंटित हुआ एवं उससे कौन-कौन कार्य कराये गये ? क्या सरकार पूर्ण विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ, खतौली एवं सदर में गंग नहर, मध्य गंगा व अनूपशहर ब्रान्च पर वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में कुल रु0 2661.78 लाख का आवंटन हुआ। कराये गये कार्यों की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के वाह्य विकास शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि

56-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को वर्ष 2005 से 2011 तक ''बाह्य विकास शुल्क'' के रूप में किस-किस क्षेत्र से कुल कितनी प्राप्तियां हुईं एवं खर्च का मदवार व क्षेत्रवार, विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को वर्ष 2005 से जून, 2011 तक वात्य विकास शुल्क के रूप में क्षेत्रवार निम्नवत् प्राप्ति हुई है :-

1-मुजफ्फरगनर-	11,07,12,869.00
2-शामली-	1,03,73,768.00
3-खतौली-	70,58,820.00
कुल योग :-	12,81,45,457.00

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को वर्ष 2005 से जून, 2011 तक किये गये खर्च का मदवार व क्षेत्रवार विवरण निम्नवत् है :-

1-मुजफ्फरगनर

सड़क-	10,89,00,455.00
पार्क-	62,35,336.00
लाइट-	46,28,182.00

2-शामली

सड़क-	91,61,283.00
पार्क-	4,37,837.00
लाइट-	1,60,650.00

3-खतौली

सड़क-	86,09,579.00
पार्क-	6,85,504.00
लाइट-	12,94,488.00

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के डा0 सन्तोष कुमार सिंह, उप मुख्य चिकित्साधिकारी को पुनः सेवा में लिये जाने सम्बन्धी आदेश

57-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर, डा0 संतोष कुमार सिंह वरिष्ठता क्रमांक 8370 के सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग-3 के निर्गत त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 03 मई, 2010 के क्रम सं0-477 के द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किये जाने का आदेश निर्गत कर दिया गया था ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05-08-2010, 20-08-2010, 07-09-2010 एवं 14-01-2011 जो निर्गत त्रुटिपूर्ण आदेश को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में था प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा विशेष सचिव, चिकित्सा

एवं स्वास्थ्य अनुभाग-3 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

डा0 सन्तोष कुमार सिंह, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर के सेवा समाप्ति सम्बन्धी आदेश को कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23-3-2011 द्वारा निरस्त करते हुए उन्हें पुनः सेवा में मान लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी-डुमरियागंज बांध हेतु अधिग्रहीत भूमि के काश्तकारों को मुआवजे का भुगतान करने की मांग

58-श्री लाल जी यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र, बांसी के पनघटिया, डुमरियागंज बांध, बांसी शाहपुर बांध, नगवा अशोकवा बांध में सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गयी जमीन का कितना-कितना मुआवजा कितने काश्तकारों को दिया गया है तथा कितने काश्तकारों के मुआवजे का भुगतान अभी बाकी है ? बकाये मुआवजा का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के बांसी-पनघटिया बांध, डुमरियागंज-बांसी बांध एवं अशोकवा-नगवा बांध के निर्माण में कृषकों को अधिग्रहीत भूमि के भू-प्रतिकर का भुगतान रजिस्ट्री उपरान्त काश्तकारों को कर दिया गया है।

बांसी-डुमरियागंज बांध हेतु अधिग्रहीत भूमि के 1589 कृषकों में से 1544 कृषकों की भूमि के प्रतिकर का भुगतान धनराशि रु0 137.89 लाख किया जा चुका है। मात्र 45 अवशेष कृषकों के प्रतिकर की धनराशि रु0 1.11 लाख का भुगतान किया जाना बाकी है।

बांसी शाहपुर नाम का कोई बांध निर्मित नहीं है।

कृषकों के उपलब्ध होने पर एवं मृत कृषकों के उत्तराधिकार सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध होने पर बकाये प्रतिकर का भुगतान भी कर दिया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश की सडकों की मरम्मत कराने हेतु सरकार की नीति

59-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सड़कों की मरम्मत कराने हेतु सरकार द्वारा कोई सड़क नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में लेखाशीर्षक 3054 राज्य सड़क निधि, अनुरक्षण मद एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान मद के अन्तर्गत प्रदेश के क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा उप आबकारी निरीक्षक पद पर भर्ती हेतु रिक्तयों का विज्ञापन

60-श्री जोखू लाल यादव-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1989 से जनवरी, 2011 तक उप आबकारी निरीक्षक पद पर भर्ती हेतु कुल कितनी रिक्तियां विज्ञापित करायी गयी और श्रेणीवार कितने चयनित अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा वर्ष 1989 से जनवरी, 2011 तक उप आबकारी निरीक्षक के कुल 49 पदों पर रिक्तियां विज्ञापित कराई गई।

उक्त चयनित अभ्यर्थियों द्वारा उप आबकारी निरीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है।

श्रेणीवार कार्यभार ग्रहण करने वाले 49 अभ्यर्थियों का विवरण इस प्रकार है :-

चयन वर्ष	श्रेणीवार अभ्यर्थियों की संख्या				
	अ0जा0	अ0ज0जा0	पिछड़ा वर्ग	सामान्य	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
1989-90	08	00	05	16	01
2002-03	07	01	03	--	--
2007-08	05	--	03	--	--

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के कतिपय ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण की जानकारी

61-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत फूलपुर-वारी मार्ग पर स्थित सेमरी गांव से नहर की पटरी होते हुये बरेस्ताखुर्द सम्पर्क मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

सामान्य निधि के अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य नहीं किया जाता है।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील एवं वि0खं0 धौरहरा में शारदा परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन बांध

62-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील एवं वि0 खं0 धौरहरा में शारदा परियोजना के अन्तर्गत बांध का निर्माण कार्य चल रहा है ? क्या यह सही है कि उक्त बांध का रूट बदला जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

वर्ष 2008 के मानसून अवधि में नदी की धारा/बहाव में परिवर्तन के कारण उक्त बांध का पूर्व में स्वीकृत समरेखन कहीं-कहीं कट गया था। अतः नदी की धारा/प्रवाह में परिवर्तन के कारण उनके अनुरूप बांध के समरेखन में परिवर्तन किया गया है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम गुड़िया से बम्हनपुर तक की सड़क का निर्माण कार्य

63-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम मुड़िया से बम्हनपुर तक की सड़क जर्जर है ? यदि हां, तो उसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत फेज-7 (पार्ट-3) में अपग्रेडेशन में स्वीकृत है। मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति में है। मार्च, 2012 तक कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

उ0प्र0 विधान सभा के मा0 सदस्यों की संस्तुति पर क्षेत्रों में पक्की सड़कों के स्थापना की योजना

64-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 विधान सभा के मा0 सदस्यों की संस्तुति पर उनके विधान सभा क्षेत्रों में 10 कि0मी0 पक्की सड़क स्थापना की योजना वर्ष 2007-08 से समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो कच्चे मार्गों को पक्का करने के लिये क्या उक्त व्यवस्था पुनः लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

इस प्रकार की कोई योजना नहीं थी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाण्डव नदी पर क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत की मांग

65-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर रमईपुर स्थित पाण्डव नदी पर बना पुल पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है ? क्या उक्त पुल की दीवारें टूट जाने से निरन्तर दुर्घटनायें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त पुल की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत स्थल पर कोई पुल न होकर के अपितु बिनगवां के पास पुल निर्मित है जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24-6-2010 के अनुपालन में माह 07/2010 में लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त राष्ट्रीय मार्ग-86 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

प्रश्नगत पुल काफी पुराना एवं संकीर्ण है इसलिये भारी यातायात होने के कारण दीवारे बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे यातायात अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है।

कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी न होने के कारण कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। एन0एन0ए0आई0 से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रश्नगत पुल एवं राष्ट्रीय मार्ग के पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण एवं सड़क चौड़ीकरण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। जिसका निर्माण कार्य सितम्बर-अक्टूबर माह में शुरू किया जाना प्रस्तावित है। तब तक पुल की सुरक्षा हेतु भारी वाहन यातायात को डायवर्ट कर दिया गया है एवं टूटी हुई दीवार की मरम्मत की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

66-श्रीमती अरुणा तोमर-

[1ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जन सूचना अधिकारी, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदिका श्रीमती आरती सिंह को संशोधित सूचना उपलब्ध कराने की मांग

67-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जन-सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जन-सूचना अधिकारी इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रांक संख्या-55 (अपील) ज0सू0 अधि0/वि0प्र0/10 दिनांक 05-09-2010 को आवेदक को दी गयी सूचना

फर्जी, असत्य एवं तथ्यों के विपरीत है ? क्या यह सत्य है कि आराजी संख्या-989 खतौनी में कोई नम्बर न होने तथा न्यायालय आयुक्त, इलाहाबाद मंडल के समक्ष दायर अपील संख्या-07 वर्ष 2009-10 श्रीमती आरती सिंह बनाम ए0डी0ए0 धारा-27(2) में आयुक्त द्वारा कोई स्थगनादेश जारी नहीं किया गया था ? यदि हां, तो आवेदक को फर्जी सूचना देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र संख्या-55(अपील)ज0 सू0 अधि0/वि0प्रा0/10 दिनांक 05-08-2010 द्वारा दी गयी सूचना अंशतः तथ्यों के विपरीत थी। आवेदिका को संशोधित सूचना प्राधिकरण के पत्र दिनांक 30-07-2011 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

आराजी संख्या-989 पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के विरुद्ध दायर की गयी अपील संख्या-07 वर्ष 2009-10 उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत धारा-27(2) ग्राह्यता के स्तर पर ही न्यायालय आयुक्त द्वारा निरस्त कर दी गयी थी, स्थगनादेश जारी नहीं किये गये थे।

संशोधित सूचना आवेदिका को उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

68-चौ0 सत्यपाल सिंह-

[दिनांक 09-08-2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या-82 द्वारा उत्तरित]

69-चौ0 सत्यपाल सिंह-

[दिनांक 09-08-2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या-83 द्वारा उत्तरित]

जनपद कानपुर नगर स्थित लिफ्ट नहरों से क्षमता के अनुरूप सिंचाई की योजना

70-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर स्थित लिफ्ट नहरों से क्षमता के अनुरूप सिंचाई नहीं हो रही है तथा किसानों से फर्जी सिंचाई शुल्क वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जनपद कानपुर नगर की सभी लघु डाल नहरें निर्धारित क्षमता के अनुरूप उपलब्ध विद्युत तथा नदी में पानी की उपलब्धता के अनुसार संचालित की जा रही है। किसानों से उतना ही शुल्क वसूला जा रहा है जितने की सिंचाई उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। फर्जी शुल्क का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मनकापुरा के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पैकफेड गोण्डा द्वारा निर्माण कार्य हेतु भूमि की जानकारी

71-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 में कितने एन0 एम0 सेन्टर स्वीकृत किये गये ? विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत पैक्सफेड गोण्डा द्वारा जिस भूमि पर निर्माण कार्य करवाया गया है उसकी श्रेणी क्या है ? क्या उप जिलाधिकारी, मनकापुर/तरबगंज से निर्माण कार्य हेतु संस्तुति कराई गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद गोण्डा में वर्षवार स्वीकृत स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का विवरण निम्नवत है :-

वर्ष	स्वीकृत
2007-08	17
2008-09	50
2009-10	120

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत पैकफेड गोण्डा द्वारा जिस भूमि पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वह श्रेणी छः की ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित निःशुल्क भूमि है।

जी नहीं।

जी नहीं। कार्यदायी संस्था उन्हीं स्थानों पर निर्माण कार्य करवा रही है, जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित विवाद रहित निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित राज अपार्टमेन्ट के पार्किंग स्थल बेसमेन्ट में किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण की मांग

72-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-48 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवासीय भवनों में स्वीकृत पार्किंग स्थल पर अवैध निर्माण तथा आवासीय भवन का व्यवसायिक प्रयोग के विरुद्ध याचिका संख्या-2435 वर्ष 2001 एवं याचिका संख्या-34957 वर्ष 2003 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निदेश निर्गत हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त निदेश क्या है ? क्या सरकार मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निदेशों के परिपेक्ष्य में 32 बी0 एन0 रोड, लालबाग, लखनऊ स्थित आवासीय भवन ''राज अपार्टमेन्ट'' के पार्किंग स्थल बेसमेन्ट में किये गये अवेध निर्माण/अतिक्रमण को ध्वस्त कराकर पार्किंग पुनर्स्थापित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-10-2003, 20-01-2004, 24-10-2005 एवं 17-08-2007 की प्रति मा0 विधान सभा अध्यक्ष के कार्यालय में रख दी गयी है। मा0 सदस्य उक्त की प्रति किसी कार्य दिवस में अवलोकित कर सकते हैं।

मौके पर बेसमेन्ट में स्थित पार्किंग के कुछ भाग पर निर्माण है, जिस पर वर्ष 2001 से ध्वस्तीकरण सिविल जज-तृतीय (सी0डि0) के यहां एक वाद-85/01 विचाराधीन है, जिसमें ध्वस्तीकरण के विरुद्ध स्थगन आदेश प्रभावी है, जिससे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं करायी जा सकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर मार्ग से सलेमपुर ग्राम पहरा मार्ग के निर्माण की मांग

73-श्री राजेश यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में तिलहर-जैतीपुर मार्ग से सलेमपुर पहरा मार्ग पर सलेमपुर ग्राम में 75 मीटर मार्ग नहीं बनाया गया है ? क्या उसका भुगतान भी ठेकेदार द्वारा करा लिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। सलेमपुर ग्राम में 75 मीटर मार्ग कच्चा है, जो लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना में स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं है।

जी नहीं।

कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर कल्याणपुर ब्लाक स्थित ग्राम चकरपुर की सड़क के मरम्मत की मांग

74-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर, कल्याणपुर ब्लाक स्थित ग्राम चकरपुर की सड़क दिसम्बर, 2008 से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य मण्डी परिषद द्वारा कराया गया है। मरम्मत का कार्य विभाग की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर स्थित लघु डाल नहरों से सिंचन क्षमता

75-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर स्थित लिफ्ट कैनाल नहरों से कुल कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हो रही है तथा उक्त नहरों से कुल कितने क्षेत्रफल की सिंचन क्षमता निर्धारित है ? निर्धारित क्षमता के अनुरूप सिंचाई न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसके निदान हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जनपद कानपुर नगर स्थित लघु डाल नहरों से फसली 1418 में 1852 हेक्टेयर सिंचाई की गई। जनपद कानपुर नगर की लघु डाल नहरों का वर्तमान में कुल सी0सी0ए0 2932 हेक्टेयर है।

गंगा नदी की धारा का बहाव दूर हो जाना, नदियों में पानी की कमी हो जाना, कम विद्युत उपलब्धता एवं लो-वोल्टेज की समस्या के कारण समस्त सी0सी0ए0 की सिंचाई नहीं हो पा रही है।

जल की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुरूप विद्युत की उपलब्धता एवं लो-वोल्टेज की समस्या के समाधान के पश्चात् ही निर्धारित क्षमता का उपयोग हो सकेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के विधनू ब्लाक के ग्राम लालपुर रामगंगा नहर पुल से जादवपुर सम्पर्क मार्ग के मरम्मत की मांग

76-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधनू ब्लाक के ग्राम लालूपुर, रामगंगा नहर पुल से जादवपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में धनराशि स्वीकृत न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त मार्ग मार्च, 2008 से क्षतिग्रस्त होने के कारण आम जनता को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके उत्तरदायी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्राथमिकता में न आने के कारण।

जी नहीं/मार्ग गतवर्ष की अतिवृष्टि व भारी वाहनों के आवागमन के कारण कहीं-कहीं अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है।

उत्तरदायी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्नगत कार्य की सामान्य मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार कराई जाती रही है। मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के ब्लाक डोभी के ग्राम कछबन्ध (पूर्व) पर पुलिया के निर्माण की जानकारी

77-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक डोभी के अन्तर्गत खुज्झी मोड़ से ग्राम पोखरा को जाने वाली सड़क जो ग्राम कछबन्ध(पूर्व) से होकर जाती है पर पुलिया का निर्माण न होने से वर्षा के दिनों में लगभग 07 फीट पानी भर जाने से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो उक्त सड़क पर पुलिया का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

सितम्बर, 2011 तक कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की राप्ती नदी पर फतेहपुर खजूरडांड पर बने पक्के सेतु के अवशेष कार्य को पूर्ण कराने की मांग

78-श्री लाल जी यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में विगत कई वर्षो से बने खजूरडॉड़ बांसी राप्ती नदी पर फतेहपुर खजूरडॉड़ पर आंशिक पुल बनकर कई वर्षो से तैयार है परन्तु बीच नदी में सिर्फ एक पाइप ब्रिज न बनने के कारण जनता का आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

कार्यस्थल पर किसी पाइप ब्रिज का निर्माण नहीं होना है।

जी हां। पक्के सेतु का अवशेष कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

सादाबाद जनपद महामायानगर में राष्ट्रीय राजमार्ग-93 पर स्वास्थ्य विभाग की निष्प्रयोज्य भूमि पर 'ट्रामा सेन्टर' स्थापित करने विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही

79-डा0 अनिल चौधरी-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सादाबाद, जनपद महामायानगर में राष्ट्रीय राजमार्ग-93 पर स्वास्थ्य विभाग की निष्प्रयोज्य पड़ी भूमि पर 'ट्रामा सेन्टर' स्थापित करने विषयक प्रश्नकर्ता का प0सं0 551/रालोद/ विमदल/विस/2011 दिनांक 19-04-2011 प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ट्रामा सेन्टर के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा ट्रामा सेन्टर तथा ट्रामा मॉस कैजुअलटी प्रबन्धन योजनान्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से प्रथम चरण में जनपद सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, कन्नौज एवं जौनपुर में ट्रामा सेन्टर का निर्माण/स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त योजनान्तर्गत जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में ट्रामा सेन्टर की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त सादाबाद के समीपवर्ती एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा एवं जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ में यह सुविधा उपलब्ध है।

अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कस्बा सादाबाद, जनपद महामायानगर में ट्रामा सेन्टर के निर्माण का औचित्य नहीं पाया गया।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद महामायानगर के कतिपय ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग

80-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के सादाबाद-पुरा मार्ग से ग्राम नगला मैया होकर ग्राम नगला दली जलेसर से सुल्तानपुर कोधई एवं ग्राम मई से ताजपुर-नया गांव को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्गों की विशेष मरम्मत कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत दोनों मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त मार्गों की सामान्य मरम्मत कराया जाना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसे कराया जा रहा है।

उक्त दोनों क्षतिग्रस्त मार्गों की विशेष मरम्मत का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा राजकीय सचिवालय कालोनी महानगर, लखनऊ के बी0, सी0, टाइप-2 तथा टाइप-3 के आवासों का आवंटन

81-श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा राजकीय कालोनियों में आवास आवंटन की नियमावली के तहत कर्मचारियों को कितने वर्ष की सेवा के सेवा के पश्चात् आवंटन किया जाता है ? क्या यह सत्य है कि राजकीय सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ के बी, सी, टाइप-2 तथा टाइप-3 के अध्यासियों की सेवा अवधि के 05 से 10 वर्ष शेष रहते हुये भी कतिपय आवासों का आवंटन अन्य कर्मियों को कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार ऐसे समस्त आवंटन निरस्त करने एवं इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

आवास आवंटन नियमावली, 1980 के अनुसार ऐसा कोई अधिकारी जो लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करे और उसे मकान की आवश्यकता हो, प्रथम नियुक्ति या स्थानान्तरण होने पर लखनऊ में

अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 30 दिन के भीतर आवास आवंटन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है और उसे आवास आवंटित किया जा सकता है।

महानगर सचिवालय कालोनी के बी, सी, टाइप-2 तथा टाइप-3 के अध्यासियों की सेवा अवधि के आधार पर अन्य कर्मियों को आवास आवंटित नहीं किये जाते हैं, बल्कि आवास रिक्त/रिक्त प्रत्याशित होने की स्थिति में आवंटित किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि आवास आवंटन नियमावली, 1980 के नियमों के अन्तर्गत आवास रिक्त/रिक्त प्रत्याशित होने पर आवंटित किये जाते हैं।

जनपद सिद्धार्थनगर में मुख्यालय जाने हेतु पुरजा गायघाट अजगरा के राप्ती नदी पर पुल के निर्माण की मांग

82-श्री लाल जी यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुख्यालय सिद्धार्थनगर में धर्मसिंहवा से सिद्धार्थनगर मुख्यालय जाने हेतु पुरजा गायघाट अजगरा के पास राप्ती नदी पर पुल बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सम्प्रति प्रश्नगत स्थल पर पुल बनाने का कार्य किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ तहसील के अशोकवा होरिल्लापुर घाट पर अधूरे पुल के निर्माण कार्य की मांग

83-श्री लाल जी यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ तहसील के अशोकवा होरिल्लापुर घाट पर अधूरे पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कार्य प्रगति पर है। प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य मार्च, 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर करकोरे-धीमरपुरा मार्ग से वभियाना तक के कच्चे मार्ग को पक्का कराने की मांग

84-श्री राजेश यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में करकोरे-धीमरपुरा मार्ग से वभियाना तक कच्चा मार्ग है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मार्ग को पक्का कराने का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

सहकारी चीनी मिल, तिलहर, शाहजहांपुर के अधिकारियों द्वारा विक्रय की गई चीनी

85-श्री राजेश यादव-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल, तिलहर, शाहजहांपुर के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2006 से 2010 तक की अवधि में चीनी की विक्रय एवं उठान में लाखों रुपयों की चीनी का उधार (बिना मूल्य प्राप्त किये) उठान कराया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवधि में विक्रय एवं उठान की गयी चीनी की तिथिवार मात्रा एवं उसकी कीमत के रूप में मिल को प्राप्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक सहित पूर्ण विवरण सदन को उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

मिल द्वारा वर्ष 2006 से 2010 तक की अवधि में विक्रय की गई चीनी का निर्धारित समस्त मूल्य मिल कोष में प्राप्त होने पर ही चीनी का उठान/प्रेषण संबंधित क्रेता को कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत उतरौला इलाहाबाद मार्ग (मनकापुर से नवाबगंज मार्ग) चौड़ीकरण/उच्चीकरण की मांग

86-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत उतरौला-इलाहाबाद मार्ग (मनकापुर से नवाबगंज मार्ग) का चौड़ीकरण/उच्चीकरण कराने हेतु क्या सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

सम्प्रति कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण/उच्चीकरण का कार्य किसी योजना में स्वीकृत न होने के कारण।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक कांट में कांट-कुरिया कला मार्ग पर गढ़चपा तक मार्ग के निर्माण की मांग

87-श्री राजेश यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक कॉट में कॉट-कुर्रिया कला मार्ग से गढचपा तक मार्ग नहीं बना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक कांट में कांट-कुर्रिया कला मार्ग से गढ़चपा तक मार्ग बना है।

जी नहीं। मार्ग पूर्व से निर्मित है।

उपरोक्तानुसार।

विकास खण्ड सादाबाद, जनपद महामायानगर के मथुरा मार्ग से ग्राम बिसावर को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत की मांग

88-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सादाबाद, जनपद-महामायानगर के मथुरा मार्ग से ग्राम बिसावर को जोड़ने वाले मार्ग ग्राम बिसावर सेपचावरी-फतेहपुरा तक एवं ग्राम मई से मिढावली होकर गढी हरिखा तक के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त मार्गों की सामान्य मरम्मत कराया जाना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसे कराया जा रहा है।

उक्त दोनों क्षतिग्रस्त मार्गों की विशेष मरम्मत का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर की तहसील फूलपुर के गांव अरबासी मय बहादुरगढ़ के मजरा शुकुलपुर में राजकीय नलकूप लगाने की मांग

89-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर की तहसील फूलपुर के गांव अरबासी मय बहादुरगढ़ के मजरा शुकुलपुर के किसानों की सिंचाई की समस्या के निदान हेतु एक राजकीय नलकूप लगाये जाने की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापपुर की तहसील फूलपुर के गांव अरबासी मय बहादुरगढ़ के मजरा शुक्लपुर में नलकूप लगाये जाने के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी, इलाहाबाद की अध्यक्षता में जिला नलकूप स्थल चयन समिति का अनुमोदन न होने के कारण नलकूप लगाया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के बीबीपुर उर्फ उग्रसेनपुर से पिड़ौना सम्पर्क मार्ग को निर्माण कराने की मांग

90-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के पिड़ौना गांव के लोगों को आवागमन हेतु क्या सरकार बीबीपुर उर्फ उग्रसेनपुर से पिड़ौना सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बीबीपुर उर्फ उग्रसेनपुर से पिड़ौना सम्पर्क मार्ग कच्चा ग्रामीण मार्ग है जिसकी लम्बाई 3.50 कि0मी0 है। यह मार्ग किसी योजना में स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई की रोकथाम की योजना

91-श्री जोखू लाल यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई की रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

इस सम्बन्ध में कार्य योजना पहले से ही विद्यमान है।

प्रदेश में मंहगाई को नियंत्रित करने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :-

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की रोकथाम, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव पर अंकुश लगाने हेतु अधिसूचना दिनांक 01-06-2008 द्वारा चावल, दाल, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल पर स्टाक लिमिट लागू की गई है। इसी प्रकार अधिसूचना दिनांक 31-03-2011 द्वारा चीनी पर स्टाक लिमिट एवं टर्न ओवर लिमिट दिनांक 30-09-2011 तक के लिये निर्धारित की गई है।

आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति तथा मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के संबंध में आयुक्त, खाद्य एवं रसद के कार्यालय कक्ष में खाद्य नियंत्रक कक्ष स्थापित किया गया है, जो खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्य की प्रतिदिन समीक्षा करता है। इस संबंध में आयुक्त, खाद्य एवं रसद कार्यालय की टोल फ्री नम्बर 1800 180 5046 जनसुविधा हेतु उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं में हो रही मूल्य वृद्धि की रोकथाम एवं कालाबाजारी, जमाखोरी पर नियंत्रण हेतु समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सख्ती से कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में माह जनवरी, 2011 से माह जून, 2011 तक प्रदेश में 23,441 छापे मारे गये, 822 मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई, 368 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा 936 व्यक्तियों को अभियोजित किया गया। 3946 दुकानों को निलम्बित एवं 2169 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये गये तथा 164.04 लाख रुपये की प्रतिभूति एवं 873.60 लाख रुपये की आवश्यक वस्तुएं जब्त की गईं।

जनसामान्य को सस्ती दरों पर खाद्य तेल एवं दालें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित राशन की दुकानों के माध्यम से रु0 16 प्रति कि0ग्रा0 की दर पर पीली मटर की दाल एवं 45.50 रु0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से पामोलीन खाद्य तेल की आपूर्ति की गई है तथा विभिन्न डिपोज के माध्यम से अरहर की दाल 58 से 62 रु0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड के झांसी एवं चित्रकूट मण्डल में एफ0सी0आई0 गोदाम से खाद्यान्न की निकासी एवं वितरण की सूचना

92-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के झांसी तथा चित्रकूट मण्डल में वर्ष 2008-09 से 31 मार्च, 2011 तक गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल की एफ0सी0आई0 गोदाम के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी-कितनी आपूर्ति की गयी है तथा उसके सापेक्ष कितना वितरण किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में एफ0सी0आई0 गोदाम से खाद्यान्न की निकासी एवं वितरण में भारी अन्तर मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

बुन्देलखण्ड के झांसी एवं चित्रकूट मण्डल के 07 जनपदों यथा-बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर व जालौन में वर्ष 2008-09 से 31 मार्च, 2011 तक गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी के तेल की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आपूर्ति एवं वितरण की सूचना अत्यन्त विस्तृत है जो मेरे कार्यालय कक्ष में सुरक्षित है। मा0 सदस्य किसी भी कार्यदिवस में अवलोकन कर सकते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के जिला चिकित्सालय में सी0टी0 स्कैन मशीन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

93-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के जिला चिकित्सालय में सी0टी0 स्कैन मशीन, चिकित्सक एवं समुचित दवाओं की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में सी0टी0 स्कैन मशीन आदि की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद बांदा के जिला चिकित्सालय में चिकित्सक एवं समुचित दवाओं की व्यवस्था है। चिकित्सालय में सी0टी0 स्कैन मशीन की व्यवस्था नहीं है।

सी0टी0 स्कैन मशीन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर में सिंचाई हेतु बन्द नलकूपों को चालू कराने की मांग

94-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में सिंचाई हेतु कुल कितने सरकारी नलकूप स्थापित हैं ? उक्त नलकूपों में वर्तमान में कितने चालू हैं और कितने बन्द हैं ? क्या सरकार बन्द नलकूपों को चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

दिनांक 01-04-11 की स्थिति के अनुसार कानपुर नगर में कुल 328 नलकूप चलित हैं।

दिनांक 28-4-2011 की बन्दी के अनुसार 320 नलकूप चालू थे एवं 8 नलकूप विद्युत/यांत्रिक दोष में बन्द थे।

उक्त सभी 8 बन्द नलकूप वर्तमान में चालू हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के कल्याणपुर ब्लाक के ग्राम पतरसा से दमगढ़ा होकर रेउरी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

95-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के कल्याणपुर ब्लाक के ग्राम पतरसा से दमगढ़ा होकर रेउरी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कब से नहीं करायी गयी है ? सरकार द्वारा उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

इस मार्ग की सामान्य मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार समय-समय पर कराई जाती रही है तथा वर्ष 2009 में भी इस मार्ग पर सामान्य मरम्मत का कार्य कराया गया है। वर्ष 2010 की अतिवृष्टि व भारी वाहनों के आवागमन के कारण मार्ग कुछ स्थानों पर अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है।

प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 'अपना घर योजना' के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के आवेदनकर्ताओं को उनकी पंजीकरण धनराशि वापस कराने की मांग

96-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2009 में विज्ञापित अपना घर योजना के अन्तर्गत निर्बल आय वर्ग के भवन आवंटन हेतु सामान्य श्रेणी से कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए ? उनमें से कितने लोगों को उक्त योजना में भवन आवंटित हुए ? क्या उक्त योजना समाप्त हो गई है ? यदि हां, तो सामान्य श्रेणी के कितने आवेदनकर्ताओं को उनकी जमा धनराशि अभी तक वापस की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आवेदनकर्ताओं की धनराशि कब तक वापस कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

अपना घर योजनान्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवन आवंटन हेतु सामान्य श्रेणी के कुल 1232 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से लाटरी के माध्यम से 59 आवेदकों को भवन आवंटित हुए।

जी हां।

सामान्य श्रेणी के अवशेष 1173 आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

धनराशि वापस की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के विधनू ब्लाक ग्राम भेरमपुर में ढढिया के पास स्थित नाले के टूटे पुल की मरम्मत कराने की मांग

97-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधनू ब्लाक ग्राम भेरमपुर में ढढिया के पास स्थित नाले पर बना पुल कब से टूटा हुआ है ? क्या सरकार उक्त पुल की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत पुल वर्ष 2006 से टूटा हुआ है।

उक्त पुल ढढिया-मोहनपुर मार्ग (पक्का मार्ग) पर बना हुआ है जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है। उक्त पुल के मरम्मत का कार्य सिंचाई विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर तहसील चौरीचौरा ग्राम बोहाबार (लालपुर) में विक्रेता श्री बेचू प्रसाद द्वारा घटतौली की जांच

98-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, तहसील-चौरीचौरा, ग्राम-बोहाबार (लालपुर) में चीनी, तेल विक्रेता कौन है ? क्या यह सत्य है कि उक्त विक्रेता द्वारा ग्रामवासियों को निर्धारित समय पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाता है और बड़े पैमाने पर घटतौली की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जनपद गोरखपुर के तहसील चौरीचौरा ग्राम बोहाबार (लालपुर) में श्री बेचू प्रसाद उचित मूल्य विक्रेता के रूप में कार्यरत हैं।

जी नहीं।

उचित दर विक्रेता के वितरण एवं बाट माप की जांच वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान गोरखपुर एवं वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षकों की संयुक्त टीम से कराई गई। जांच में यह पाया गया कि विक्रेता द्वारा नियत वितरण दिवसों पर पर्यवेक्षक अधिकारी की उपस्थिति में वितरण किया जा रहा है। जांच के समय उपस्थित बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्डधारकों ने प्रतिमाह नियमित रूप से सही तौल में खाद्यान्न, चीनी एवं मिट्टी तेल प्राप्त होना स्वीकार किया है। मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान, प्रशासनिक समिति के सदस्यों द्वारा भी विक्रेता के वितरण के प्रति संतोष व्यक्त किया है। जांच में विक्रेता के तौल उपकरण यथाविधि मुद्रांकित एवं सत्यापित पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील चौरीचौरा के ग्राम (लालपुर) में फर्जी राशन कार्ड बनाये जाने एवं उस पर कालाबाजारी की जांच

99-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील-चौरीचौरा के ग्राम-बोहाबार (लालपुर) में अधिकतर राशन कार्ड फर्जी रूप से बनाये गये हैं और उन कार्डों को कोटेदार अपने पास रखकर कालाबाजारी करने का कार्य करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

प्रकरण की उप जिलाधिकारी, चौरीचौरा एवं खण्ड विकास अधिकारी ब्रह्मपुर की संयुक्त टीम गठित कर जांच कराये जाने पर यह पाया गया कि लाभार्थियों के पास उनके अपने राशन कार्ड उपलब्ध हैं एवं कोई भी अपात्र लाभार्थी नहीं पाया गया। बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्डधारकों द्वारा प्रतिमाह नियमित रूप से खाद्यान्न चीनी एवं मिट्टी तेल प्राप्त होना स्वीकार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में स्थित घाघरा घाट (संजय सेतु) का टोल टैक्स समाप्त करने की मांग

100-श्री बैजनाथ दूबे-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों पर बने पुलों से टोल टैक्स समाप्त करने की शासन की नीति क्या है ? क्या सरकार जनपद-बहराइच में स्थित घाघरा घाट (संजय सेतु) का टोल टैक्स समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

अधिसूचना दि0 09-12-2009 द्वारा प्रदेश के अधीन समस्त पुलों से पथकर वसूली समाप्त कर दी गई है।

इस मार्ग पर स्वामित्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है तथा टोल टैक्स की वसूली उन्हीं के द्वारा की जा रही है। टोल टैक्स समाप्त करने के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा ही निर्णय अपेक्षित होगा।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के कतिपय ड्रेनों की सफाई की मांग

101-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर की तहसील महमूदाबाद की कुतुबपुर, ठेठरिया सुल्तानपुर, महुआ डाडा, खाफा, भुडकुड़ा, भोगलापुर, कंचनपुर, सरैया महिपतपुर, गद्दीपुर से पहाड़ापुर, पड़रिया, महरिया तथा पहाड़ापुर ड्रेनों की सफाई काफी समय से न होने से खेतों में जलभराव हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेनों की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में रसूलहां माइनर के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि

102-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र, प्रतापपुर के शारदा सहायक खण्ड-39, इलाहाबाद से सम्बन्धित वारी रजवहा से निकली हुई रसूलहां माइनर में अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा गांव बरेस्ता उगापुर आदि के किसानों में वितरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त मुआवजा का वितरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

रसूलहां माइनर के निर्माण हेतु कुल 09 ग्रामों के कृषकों की भूमि प्रभावित हुई है, जिसमें 01 ग्राम ठकुराइन के भू-प्रतिकर के वितरण की कार्यवाही कृषकों से आपसी समझौते के आधार पर दर निर्धारण कराये जाने के पश्चात् भुगतान की कार्यवाही प्रगति में है। शेष 08 ग्रामों का भू-प्रतिकर वितरण, कृषकों से आपसी समझौते के आधार पर दर निर्धारण कराने के पश्चात् धन उपलब्ध होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई हेतु निर्माणाधीन परियोजनायें

103-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई हेतु कोई कार्य-योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्तमान में प्रदेश के असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई हेतु जल उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित 21 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं :-

1-सरयू नहर परियोजना,

2-मध्य गंगा नहर (द्वितीय चरण),

3-बाण सागर परियोजना,

4-कचनौधा बांध परियोजना,

5-अर्जुन सहायक परियोजना,

6-चौ0 चरण सिंह लहचुरा बांध का आधुनिकीकरण की परियोजना,

7-बदायूं सिंचाई परियोजना,

8-कनहर सिंचाई परियोजना,

9-उमरहट पम्प नहर पुनरोद्धार की परियोजना,

10-जोगापुर पम्प कैनाल की निर्माण की परियोजना,

11-टिहरी जल उपयोग की योजना (समानान्तरण देवबंद परियोजना),

12-लोअर रोहणी बांध परियोजना,

13-जमरार बांध परियोजना,

14-पहुज बांध परियोजना,

15-पहाड़ी बांध परियोजना,

16-क्योलारी बांध परियोजना,

17-रतोली बियर बांध परियोजना,

18-उटारी बांध परियोजना,

19-बण्डई बांध परियोजना,

20-भवानी बांध परियोजना,

21-भौरट बांध

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई के दृष्टिगत सिंचाई माफ किये जाने की मांग

104-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में बढ़ती हुयी मंहगाई को ध्यान में रखते हुये किसानों की वर्तमान वित्तीय वर्ष की सिंचाई को माफ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

बढ़ती हुई मंहगाई के दृष्टिगत सिंचाई माफ किये जाने का कोई नीतिगत प्राविधान नहीं है।

दैवी आपदा यथा बाढ़ आदि के कारण हुई फसलों की क्षति पर कृषकों को सिंचाई में छूट दिये जाने का निम्न प्राविधान है :-

1-फसल के 49.9 प्रतिशत की क्षति पर कोई छूट नहीं।

2-फसल के 50 से 75 प्रतिशत तक की क्षति पर सींच में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

3-फसल के 75 से 100 प्रतिशत की क्षति पर सींच में 100 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के गांव रामपुर में टूटी पुलिया के निर्माण की मांग

105-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र, प्रतापपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद से सम्बद्ध रामपुर माइनर में पानी टेल तक पहुंचाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त माइनर पर गांव रामपुर के सामने पुलिया टूट जाने के कारण जनता का आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो पुलिया का भी निर्माण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

पुलिया टूट जाने पर अस्थाई रूप से ह्यूम पाइप डालकर, डाईवर्जन द्वारा आवागमन हो रहा है।

पुलिया का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

तिलहर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहजहांपुर में दवा उपलब्ध कराने की मांग

106-श्री राजेश यादव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर में दवायें उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दवायें उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर, शाहजहांपुर में औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा आवश्यकतानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिले में औषधि भण्डार से औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर में हमीरपुर रोड पर पाण्डु नदी पर क्षतिग्रस्त पुल के मरम्मत की मांग

107-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में हमीरपुर रोड पर स्थित बिनगवां के पास पाण्डु नदी पर बने पुल पर एकल मार्ग होने एवं उसके क्षतिग्रस्त होने के कारण निरन्तर दुर्घटनाएं हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार आवागमन में हो रही भारी परेशानी एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु नये पुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग रा0मा0-86 भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24-6-10 के अनुपालन में माह 07/10 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) को हस्तान्तरित किया जा चुका है। वर्तमान में सेतु आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। प्रश्नगत पुल काफी पुराना एवं संकीर्ण है इसलिये भारी यातायात होने के कारण दीवारें बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जिससे यातायात अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है।

जी हां। एन0एच0ए0आई0 से प्राप्त आख्या के अनुसार पुल के पुनर्निर्माण एवं सड़क चौड़ीकरण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है जिसका निर्माण कार्य सितम्बर/अक्टूबर माह के अन्दर शुरू किया जाना प्रस्तावित है। जब तक पुल की सुरक्षा हेतु भारी वाहन यातायात को डायवर्ट कर दिया गया है एवं टूटी हुई दीवार की मरम्मत की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

पैक्सफेड विभाग, उ0प्र0 में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता की तैनाती की अवधि की जानकारी

108-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पैक्सफेड विभाग उ0 प्र0 में कितने अवर अभियन्ता तथा कितने सहायक अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर कब से तैनात हैं ? क्या उन्हें उनके मूल विभाग में वापस भेजा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पैक्सफेड में 04 सहायक अभियन्ता तथा 09 अवर अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। विवरण संलग्न† है।

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 270 पर।)

जी हां।

मूल विभाग से प्रतिनियुक्ति से वापस किये जाने सम्बन्धी आदेश प्राप्त होने पर अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित अवधि समाप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तथा व्यय धनराशि का विवरण

109-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा वर्ष 2010-11 में विभिन्न कार्यक्रमों हेतु कितना-कितना धन दिया गया तथा प्राप्त धन में से कितना-कितना धन उक्त वर्षों में व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि कुछ धनराशि व्यय नहीं हो पायी ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तथा व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि
2008-09	1846.88	1501.58
2009-10	2900.48	2203.43
2010-11	2793.48	2660.26

जी हां।

वर्ष 2008-09 में स्वीकृत नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, संदर्भन, परिवहन, आशा सपोर्ट सिस्टम, महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री एवं बहुउद्देश्यीय कर्मी का सेवा-पूर्व प्रशिक्षण, लैप्रोस्कोप का क्रय आदि गतिविधियां पूर्णतया सम्पन्न नहीं हो सकीं।

वर्ष 2009-10 में स्वीकृत आशा सपोर्ट सिस्टम, आई0पी0एच0एस0 मानकानुसार जिला चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण, मेडिकल मोबाइल यूनिट, इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, क्रय, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार आदि गतिविधियां पूर्णतया सम्पन्न नहीं हो सकीं।

वर्ष 2010-11 में स्वीकृत आशा सपोर्ट सिस्टम, महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री/बेसिक हेल्थ वर्कर का प्रशिक्षण, रक्त कोष, इमरजेन्सी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, प्रशिक्षण, चिकित्सालयों का उच्चीकरण आदि गतिविधियां पूर्णतया सम्पन्न नहीं हो सकीं।

प्रदेश को डी0ए0पी0 उर्वरक का आवंटन

110-श्री कुबेर सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की सहकारी समितियों में डी0ए0पी0 उर्वरक मांग के अनुरूप उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश को डी0ए0पी0 उर्वरक का आवंटन किया जाता है। आवंटन के अनुसार उपलब्ध कराई गई डी0ए0पी0 उर्वरक में से जनपद एटा की अन्य एजेन्सियों यथा यू0पी0 एग्रो एवं अन्य निजी विक्रेताओं आदि के अलावा सहकारी समितियों को भी डी0ए0पी0 उपलब्ध कराई जाती है।

जनपद गोण्डा के मनकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सृजित पदों के सापेक्ष चिकित्सकों की नियुक्ति

111-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के मनकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितने चिकित्सकों के पद सृजित हैं ? क्या सृजित पदों के सापेक्ष चिकित्सक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो सृजित पदों के सापेक्ष चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सामु0 स्वा0 केन्द्र, मनकापुर गोण्डा में चिकित्सकों के 05 पद सृजित हैं।

सृजित 05 पदों के सापेक्ष 04 चिकित्सक कार्यरत हैं।

चिकित्सकों के रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर रिक्त पदों के सापेक्ष जनपद गोण्डा में चिकित्सकों की तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर में कुड़ासन मछलीगांव के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत/नवीनीकरण की मांग

112-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर में कुड़ासन मछलीगांव मार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। मार्ग की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य पूर्व में ही करा दिया गया है।

आवश्यकता नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई में नगर पंचायत कुरसठ से पहुतेरा पहुंच मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

113-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में नगर पंचायत कुरसठ से पहुँतेरा पहुंच मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। उक्त मार्ग ग्रामीण श्रेणी का है। उक्त मार्ग का कुछ भाग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र मल्लावां में बासा-कुरसठ मार्ग के मरम्मत की मांग

114-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र मल्लावां में बांसा-कुरसठ मार्ग निर्मित होने के एक साल के अन्दर ही क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग की कुल लम्बाई 6.00 किमी0 के सापेक्ष 5.00 किमी0 का निर्माण कार्य विगत 04 वर्ष पूर्व कराया गया था, जो गत वर्ष भारी वर्षा के कारण कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी मरम्मत सामान्य मरम्मत मद में उपलब्ध संसाधनों से करा दी गई है।

प्रश्नगत मार्ग का किमी0 चैनेज 05-06 कुल 1.00 किमी0 का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा किया गया है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उक्त 1.00 किमी0 का निर्माण कार्य सांसद निधि से विगत 04 वर्ष पूर्व कराया गया था जो भारी वर्षा के कारण कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त हो गया है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भाग की दशा संतोषजनक है तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की सूचना के अनुसार शेष 1.00 कि0मी0 मार्ग की दशा 04 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी सन्तोषजनक है। अतः जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार प्रश्नगत का केवल 1.00 किमी0 (किमी0 5.00 से किमी0 6.00) भाग, जो भारी वर्षा के कारण कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी मरम्मत हेतु मरम्मत मद में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है, इसके लिये धनराशि प्राप्त होने पर मरम्मत करा दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

उन्नाव के सोनहार रजबहा से सिंचाई तथा राजस्व वसूली का विवरण

115-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर सिंचाई खण्ड, उन्नाव के सोनहार रजबहा की सफाई वर्ष 2007 से दिसम्बर, 2010 तक कितनी बार कराई गई एवं प्रति सफाई पर कितना-कितना पैसा व्यय किया गया है ? क्या सरकार उक्त रजबहे से की गयी सिंचाई एवं वसूली सहित सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सोनहार रजबहा की वर्ष 2007 से दिसम्बर, 2010 तक तीन बार सफाई कराई गई। इसकी सफाई पर वर्ष 2006-07 में रु0 8.44 लाख, वर्ष 2008-09 में रु0 8.92 लाख एवं वर्ष 2010-11 में दिसम्बर, 2010 तक रु0 10.50 लाख व्यय हुआ। वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2009-10 में इस रजबहा की सफाई पर कोई धनराशि व्यय नहीं की गई।

जी हां विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	कुल सींच (हे0 में)	कुल राजस्व (लाख रु0 में)
2006-07	1736	4.38
2007-08	1415	3.55
2008-09	1513	3.34
2009-10	1329	3.64
2010-11 (दिसम्बर 2010 तक)	631	1.36

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के पिसावा गांव, ब्लाक चन्डौसा के ग्राम पिसावा से गोठनी मार्ग के मरम्मत की मांग

116-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद के पिसावा गांव, ब्लाक चन्डौसा से सड़क मार्ग खुर्जा बुलन्दशहर के लिए निर्मित सड़क जो गांव पिसावा से गोठनी गांव की सीमा तक बनी है टूट चुकी है ? यदि हां, तो उक्त जर्जर सड़क को कब तक ठीक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

117-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष (आरोग्य निधि) की स्थापना एवं लाभ के सम्बन्ध में जानकारी

118-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबों के हृदय रोग, कैंसर, गुर्दा, मूत्र, अस्थि रोग व थैलीसिमिया आदि गम्भीर रोगों के इलाज सम्बन्धी इलाहाबाद हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-846/पांच-1-2008-4 (51)/06, दिनांक 03 अप्रैल, 2008 द्वारा मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष (आरोग्य निधि) की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है और इलाहाबाद में वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा वर्ष 2010-11 में किन-किन लोगों को लाभान्वित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। यह योजना पूरे प्रदेश में लागू है।

इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों व उनके आश्रित सदस्यों को विशिष्ट चिकित्सालयों में सामान्य व अति विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा वर्ष 2010-11 में कोई रोगी लाभान्वित नहीं हुआ।

प्राप्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण पूर्ण कराये जाने हेतु वापस किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप कोई रोगी लाभान्वित नहीं हुआ।

उ0प्र0 को-आपरेटिव बैंक द्वारा सदस्य बैंकों के जमा अंशधन पर लाभांश का भुगतान

119-श्री कुबेर सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 को-आपरेटिव बैंक लि0 द्वारा अपने सदस्य बैंक, जिला सहकारी बैंकों के जमा अंशधन पर कब से लाभांश नहीं दिया गया है ? क्या सरकार उ0 प्र0 को-आपरेटिव बैंक से अपने सदस्य बैंकों के जमा अंशधन पर लाभांश दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2009-10 तक के लाभांश का वितरण किया गया है।

उ0प्र0 को-आपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के प्राविधानों के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है, जिसका प्रबन्ध अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गठित प्रबन्ध कमेटी द्वारा किया जाता है। प्रबन्ध कमेटी द्वारा बैंक की वित्तीय स्थिति, बैंक की सामान्य निकाय की बैठक में प्रस्तुत की जाती है तथा बैंक की सामान्य निकाय जो कि लाभांश घोषित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है, द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सदस्यों द्वारा जमा अंशधन पर लाभांश की घोषणा की जाती है।

उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 को-आपरेटित बैंक लि0, लखनऊ की सामान्य निकाय द्वारा लिये गये निर्णयानुसार बैंक के सदस्यों को उनके द्वारा जमा की गई अंश पूंजी पर 12 प्रतिशत की दर से वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक के लाभांश की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के विधनू ब्लाक के कठोगर से पिपरगवां सम्पर्क मार्ग की मरम्मत की मांग

120-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधनू ब्लाक के कठोगर से पिपरगवां सम्पर्क मार्ग विगत 05 वर्षों से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा उक्त धनराशि से अब तक मरम्मत कार्य न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

गत वर्ष की भारी वर्षा होने के कारण मार्ग कुछ स्थानों पर अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार विशेष मरम्मत का कार्य स्वीकृत न होने के कारण दोषी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर ब्लाक के अन्तर्गत उत्तरीपूरा रेलवे क्रासिंग से राधन मार्ग के कार्य पूर्ण होने की जानकारी

121-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर ब्लाक के अन्तर्गत उत्तरीपूरा रेलवे क्रासिंग से राधन मार्ग तक निर्माण कार्य कब से अधूरा पड़ा हुआ है तथा उक्त मार्ग के पूर्ण न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग पूर्ण है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जहांगीरगंज की सभा हरदिहा जलाल के कोटेदार (उचित दर विक्रेता) की दुकान के निरस्तीकरण की बहाली की मांग

122-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जहांगीरगंज की ग्राम सभा हरदिहा जलाल के कोटेदार (उचित दर विक्रेता) की दुकान कार्ड धारकों को राशन वितरण में घोर अनियमितताओं के कारण दिनांक 8-2-2008 को निरस्त कर दी गई थी ? यदि हां, तो उसी दुकानदार को पुनः उक्त दुकान आवंटित करने का औचित्य क्या है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

उप जिलाधिकारी, आलापुर द्वारा दुकान का अनुबन्ध-पत्र निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 08-02-2008 के विरुद्ध उचित दर विक्रेता द्वारा उपायुक्त (खाद्य) फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या-504 की सुनवाई के उपरान्त उपायुक्त (खाद्य) फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के आदेश दिनांक 20-11-08 द्वारा आदेश दिनांक 08-02-2008 को निरस्त कर दिया गया। अपीलीय आदेशों के उपरान्त उचित दर विक्रेता की दुकान दिनांक 26-12-2008 को बहाल की गई है।

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा घटतौली करने के विरुद्ध कार्यवाही

123-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना घटतौली में कितने मामले इस सत्र के समय प्रकाश में आये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गन्ना घटतौली करने वाली चीनी मिलों में से कितनी चीनी मिलों पर प्राथमिकी दर्ज कराकर गिरफ्तारी की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पेराई सत्र 2010-11 में गन्ना घटतौली के कुल 327 मामले प्रकाश में आये।

गन्ना घटतौली करने वाली चीनी मिलों में से 58 चीनी मिलों पर घटतौली के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें से चीनी मिल रामगढ़ व रोजा में गिरफ्तारियां भी हुई। अन्य चीनी मिलों द्वारा गिरफ्तारी के विरुद्ध मा0 न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के बिलग्राम खण्ड में पी0एम0एम0 मार्ग से बीकापुर इटिया देवी के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करने की मांग

124-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के बिलग्राम खण्ड में जी0एम0एम0 मार्ग से बीकापुर इटिया देवी मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण यातायात में असुविधा होना स्वाभाविक है।

सामान्य मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत मरम्मत का कार्य सदैव किया जाता है। उक्त मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में नहरों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

125-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में नहरों की सफाई वर्ष 2010 में की गयी है ? यदि हां, तो क्या विभिन्न नहरों में टेल तक पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्या इनकी सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में बासुरा रैदा तथा पिपरी ड्रेनों की सफाई कराने की मांग

126-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में बासुरा, रैदा तथा पिपरी ड्रेनों की सफाई काफी समय से नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेनों की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

पिपरी ड्रेन की सफाई वर्ष 2001-02 एवं रैंधाझील ड्रेन की सफाई का कार्य वर्ष 2002-03 में कराया गया है तथा बांसुरा ड्रेन में जंगल सफाई, स्क्रेपिंग व बन्धे हटाने का कार्य माह जून, 2008 में कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर एवं आवश्यकतानुसार ड्रेनों की सफाई कराई जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया के ग्राम अतरिया से बड़ा गांव तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की मांग

127-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया के ग्राम अतरिया से बड़ा गांव तक डामर रोड क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की कब तक मरम्मत करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग का पुनः निर्माण/मरम्मत का कार्य मार्च, 2011 में पूर्ण किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

128-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[दिनांक 09-08-2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या-81 द्वारा उत्तरित]

जनपद कानपुर नगर के विधनू ब्लाक के ग्राम भैरमपुर से मोती लाल बाबा के मकान तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने की मांग

129-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधनू ब्लाक के ग्राम भैरमपुर से मोतीलाल बाबा के मकान तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 व 2011-12 में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा स्वीकृत धनराशि से उक्त मार्ग का डामरीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग का डामरीकरण का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के ग्राम कैधा से गोपालपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत की मांग

130-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के ग्राम कैधा से गोपालपुर सम्पर्क मार्ग कब से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत न कराये जाने तथा स्वीकृत धनराशि से कार्य न कराने के लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या सरकार इसके दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करके क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

इस मार्ग की सामान्य मरम्मत का कार्य एक सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार समय-समय पर कराया जाता रहा है। मार्ग गत वर्ष की अतिवृष्टि तथा भारी वाहनों के आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है।

मार्ग के विशेष मरम्मत की स्वीकृति अभी नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 चीनी निगम के नियंत्रणाधीन छाता शुगर मिल को बेचने का प्रस्ताव

131-श्री प्रदीप माथुर-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 चीनी निगम के नियंत्रणाधीन छाता शुगर मिल को बेचने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा क्रेता से उसे किसानों के हित में चलाने की शर्त रखी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

छाता इकाई का विक्रय जहां है जैसा है के आधार पर किया जा रहा है। इकाई के चलाने हेतु कोई शर्त नहीं रखी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 05 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य कल्याण हेतु योजनायें

132-श्री कुबेर सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पांच वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य के कल्याण हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनायें कब से चलायी जा रही हैं ? क्या यह सही है कि वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 में पांच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में वृद्धि हुयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर इसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रदेश में 05 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनायें चलाई जा रही हैं :-

(1) नियमित टीकाकरण (यू0आई0पी0 वर्ष 1985)

(2) पल्स पोलियो कार्यक्रम (वर्ष 1995)

(3) बाल स्वास्थ्य पोषण माह (दिसम्बर, 2006 से)

(4) अति कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु चयनित जनपदों में पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना (वर्ष 2007 से)

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में विकास खण्ड निघासन के ग्राम ढखेरवा खालसा से रकेहरी तक मरम्मत की मांग

133-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में विकास खण्ड निघासन के ग्राम ढखेरवा खालसा से रकेहटी तक सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग पर निर्माण कार्य पूर्व में राज्य कृषि उत्पादन एवं मण्डी परिषद् द्वारा कराया गया है। उक्त मार्ग हेतु मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित/ स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद व तहसील लखीमपुर खीरी के कतिपय गांवों को नदी की कटान से बचाने की योजना

134-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद व तहसील लखीमपुर खीरी के ग्राम पकरिया, घोसियाना मजरा बन्जरिया, रैगवा, बेलवा आदि दर्जनों गांव शारदा नदी के कटान पर हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त गांवों को नदी की कटान से बचाने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-712/ए0क्यू0/85-23-सिं-5, दिनांक 20 अगस्त, 1985 के द्वारा निर्देश दिये गये है कि बड़े-बड़े शहरों को छोड़कर अन्य ग्रामों को नदी की कटान से रोकने का कार्य न करके यदि उन ग्रामों को ही किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर बसाया जाता है तो ज्यादा लाभदायक होगा।

जनपद बागपत के ग्राम तमेलागढ़ी से नगवा कुटी (मेरठ शामली रोड) के सम्पर्क मार्ग के मरम्मत की मांग

135-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के ग्राम तमेलागढ़ी से नगवा कुटी (मेरठ-शामली रोड) का सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकता नहीं है।

ग्राम खपराना, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत में पुल निर्माण के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

136-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र कम्प्यूटर-सं0-सी 10170387, सी0एम0/वि0को0/एम 170387/2007, दिनांक 01-10-2007 जो ग्राम खपराना, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत में पुल निर्माण के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत सेतु के निर्माण हेतु उ0प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा रु0 1181.70 लाख का आगणन प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराया गया है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

137-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[दिनांक 08-08-2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या-185 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखनऊ स्थित जी0 एच0 कैनाल पर लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से सदर तक सड़क का निर्माण

138-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित हैदर कैनाल पर सड़क/ओवरब्रिज बनवाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसे कब तक बनवा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

लखनऊ में स्थित जी0 एच0 कैनाल पर लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से सदर पुल तक 770 मी0 लम्बाई में स्लैब डालकर सड़क का निर्माण व उसके दोनों ओर के क्षेत्र का विकास तथा सौन्दर्यीकरण कार्य माह अक्टूबर, 2009 में पूर्ण कर दिया गया है। शेष अन्य भाग पर वर्तमान में सड़क निर्माण आदि का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के कतिपय गांवों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण की गुणवत्ता की जांच

139-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2008-09 में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा द्वारा मसकनवा डीह, सबरूपुर, खास, मिर्जापुर, परसम, चकगौरा, लोहारनपुरवा, राधानगर, हरिजन बस्ती, चमारनपुरवा सम्पर्क मार्गों पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की तकनीकी सेल से जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत सभी मार्गों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में ए0एन0एम0 सेन्टर व जननी सुरक्षा केन्द्र के भवनों का निर्माण कार्य

140-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में कितने ए0एन0एम0 सेन्टर व जननी सुरक्षा केन्द्र के भवनों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित था ? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित कराते हुए दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद गोण्डा में वर्ष 2007-08 में 17, वर्ष 2008-09 में 50, वर्ष 2009-10 में 120 तथा वर्ष 2010-11 में 30 ए0एन0एम0 सेन्टर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था। जननी सुरक्षा केन्द्र के निर्माण प्रस्तावित नहीं थे।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर-बीबीपुर मार्ग से जमुवा, कबूला, बसनेहटा जाने वाले सम्पर्क मार्ग के मरम्मत की मांग

141-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में कौन-कौन सी नई सड़कें निर्माणाधीन हैं अथवा निर्माण

कराया जा चुका है ? क्या सरकार प्रतापपुर-बीबीपुर मार्ग से जमुवा, कबूला, बसनेहटा जाने वाले सम्पर्क मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वित्तीय वर्ष 2010-11 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत मजरों को जोड़ने हेतु निर्माणाधीन निम्न सम्पर्क मार्ग है :-

1-ग्राम सभा हंसराजपुर में मुसहर बस्ती सम्पर्क मार्ग।

2-ग्राम सभा जलालपुर मुतफरका में महुरिया सम्पर्क मार्ग।

3-ग्राम सभा वारी में अनुसूचित सम्पर्क मार्ग।

4-ग्राम सभा वारी में ठकुरान बस्ती सम्पर्क मार्ग।

5-ग्राम सभा रेथुआ में पसियान बस्ती सम्पर्क मार्ग।

6-ग्राम सभा जलालपुर मुतफरका में अनुसूचित बस्ती, पासी बस्ती सम्पर्क मार्ग।

7-ग्राम सभा महरछा में रंघई का पूरा सम्पर्क मार्ग।

8-ग्राम सभा महरछा में रंघई का पूरा सम्पर्क मार्ग।

9-ग्राम सभा महरछा में डीही पासी बस्ती सम्पर्क मार्ग।

10-ग्राम सभा भेलखा में सोनरिटी सम्पर्क मार्ग।

11-ग्राम सभा बाबूपुर बेलो में मुसहर बस्ती सम्पर्क मार्ग।

12-ग्राम सभा जलालपुर मुतफरका में अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में वर्ष 1995-96 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम में गौसेसीपुर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग एवं बाघापुर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण कराया गया है।

प्रतापपुर-बीबीपुर मार्ग से जमुवा, कबूला, बसनेहटा सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 3.00 कि0मी0 है। मार्ग जीर्णशीर्ण एवं पटरिया क्षतिग्रस्त हैं। मार्ग का स्वामित्व ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग का है। यह मार्ग लो0नि0वि0 के स्वामित्व में नहीं है। अतः मरम्मत का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के मरम्मत की मांग

142-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत इफ्को से वीरकाजी होते हुए महुलिया, वीरकाजी से अजेहरा तथा नई कोटि फूलपुर से अमिलियां तिराहा के सम्पर्क मार्गों की सरकार मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

इफ्को से वीरकाजी होते हुए महुलिया सम्पर्क मार्ग का 1 कि0 मी0 भाग ठीक दशा में है, जो लो0नि0वि0 के स्वामित्व में है। शेष दो कि0मी0 मार्ग जीर्णशीर्ण एवं पटरियां क्षतिग्रस्त है, जिसका स्वामित्व ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग का है।

पीरकाजी से अजेहरा सम्पर्क मार्ग ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा निर्मित है।

नई कोटि फूलपुर से अमिलिया तिराहा सम्पर्क मार्ग जीर्णशीर्ण स्थिति में है तथा पटरियां क्षतिग्रस्त हैं। मार्ग ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा निर्मित है।

मरम्मत का कार्य लो0नि0वि0 की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के बलीपुर गांव के पास (हाइ-वे के निकट) की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराने की मांग

143-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत सैदाबाद से फूलपुर जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर स्थित बलीपुर गांव के पास (हाइ-वे के निकट) की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। परन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के ग्राम धतौना, सेमरी तथा सावडीह के सामने आवागमन हेतु क्षतिग्रस्त पुलिया के मरम्मत की मांग

144-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39, इलाहाबाद से सम्बद्ध वारी रजवाहा पर स्थित गांव धतौना, सेमरी, सावडीह तथ तिलहर के सामने नहर पर आवागमन हेतु निर्मित पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

ग्राम लिलहट के सामने क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत की जा चुकी है। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर ग्राम धतौना, सेमरी तथा सावडीह के सामने क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के विकास खण्ड फूलपुर के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के मरम्मत की मांग

145-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत कोड़ापुर से कसरावें जोगिया शेषपुर (वि0खं0 फूलपुर) के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम ज्ञानपुर से ग्राम पड़रिया कलां तक खड़न्जा मार्ग का डामरीकरण की मांग

146-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम ज्ञानपुर से ग्राम पड़रिया कलां तक सड़क कच्ची है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का कब तक डामरीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, मार्ग खड़न्जा स्तर तक निर्मित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नगत कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड निघासन की ग्राम सभा लुधौरी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना की मांग

147-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड निघासन की ग्राम सभा लुधौरी में कोई भी जच्चा-बच्चा केन्द्र एवं ए0एन0एम0 सेन्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में ए0एन0एम0 सेन्टर या जच्चा-बच्चा केन्द्र की स्थापना करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड निघासन की ग्राम सभा लुधौरी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित एवं सरकारी भवन में संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालय ट्रामा सेन्टर में चिकित्सकों एवं स्टाफ की तैनाती की मांग

148-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के जिला अस्पताल ट्रामा सेन्टर में स्टाफ स्वीकृत पदों के विरुद्ध डाक्टर की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर डाक्टर तथा स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर के ट्रामा सेन्टर में कोई पद स्वीकृत नहीं है। ट्रामा सेन्टर का कार्य जिला चिकित्सालय के स्टाफ से लिया जा रहा है।

पद सृजन के उपरान्त चिकित्सकों एवं स्टाफ की तैनाती की कार्यवाही आवश्यकता/उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

149-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

लखीमपुर खीरी के मझरा रेलवे स्टेशन से बाबा कुटी तक, वि0 ख0 रमियांबेटड जिला खीरी मार्ग पर सड़क बनाने की मांग

150-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के मझरा रेलवे स्टेशन से बाबा कुटी तक, वि0खं0 रमियांबेहड जिला खीरी बंधा मार्ग पर बोल्डर सड़क पर खड़ा हुआ है किन्तु अभी तक तारकोल डालकर सड़क नहीं बनाई गई है ? यदि हां, तो उपरोक्त सड़क को कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

तारकोल डालकर सड़क बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में बंधों पर पक्की सड़क बनाने का प्राविधान नहीं है।

नये सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

151-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07-04-2011, कतिपय ग्रामों में नये सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में है जो अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

1-पत्र में वर्णित क्रम सं0-1,4,5,13,15, 19,26,29 की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से कम होने के कारण पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना शासन की प्राथमिकता में नहीं है।

2-पत्र में वर्णित क्रम सं0-2,3,8,9,10,11,17,18,20 मार्गो पर नरेगा के अन्तर्गत मिट्टी एवं पुलिया का कार्य प्रगति में है तथा इन्हें लेपित मार्गों से जोड़ने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

3-पत्र में वर्णित क्रम सं0-16 व 28 में अंकित कार्य जिला योजना में प्रस्तावित है तथा क्रम सं0-27 पर अंकित कार्य किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

4-पत्र में वर्णित क्रम सं0-7,14,25 के कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है, जिनका कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बांदा की पी0एम0जी0एस0वाई0 यूनिट द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है तथा क्रम सं0-24 पर अंकित कार्य लोक निर्माण विभाग बांदा द्वारा प्रगति में है।

5-क्रम सं0-12,22 पर अंकित ग्राम/मजरा जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा, तिन्दवारी एवं बड़ोखरखुर्द की अधिकृत सूची में न होने के कारण कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

6-क्रम सं0-6,21 एवं 23 अंकित ग्राम/मजरे पूर्व से ही लेपित मार्गों से जुड़े है।

उपरोक्तानुसार।

बढ़ती मंहगाई को कम करने की योजना

152-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे-पेट्रोल, तेल, नमक, चीनी, प्याज, लहसुन, सब्जियों आदि की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो सरकार ने बढ़ती हुई मंहगाई को कम करने के लिये कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत पहले से ही कार्य योजना विद्यमान है।

प्रदेश में मंहगाई को नियंत्रित करने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :--

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की रोकथाम, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव पर अंकुश लगाने हेतु अधिसूचना दिनांक 01-06-2008 द्वारा चावल, दाल, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल पर स्टाक लिमिट लागू की गयी है। इसी प्रकार अधिसूचना दिनांक 31-03-2011 द्वारा चीनी पर स्टाक लिमिट एवं टर्न ओवर लिमिट दिनांक 30-09-2011 तक के लिये निर्धारित की गयी है।

आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति तथा मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के सम्बन्ध में आयुक्त, खाद्य एवं रसद के कार्यालय कक्ष में खाद्य नियंत्रण कक्ष स्थपित किया गया है, जो खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्य की प्रतिदिन समीक्षा करता है। इस सम्बन्ध में आयुक्त, खाद्य एवं रसद कार्यालय का टोल फ्री नम्बर 1800 180 5046 जनसुविधा हेतु उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं में हो रही मूल्य वृद्धि की रोकथाम एवं कालाबाजारी, जमाखोरी पर नियंत्रण हेतु समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सख्ती से कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में माह जनवरी, 2011 से माह जून, 2011 तक प्रदेश में 23,441 छापे मारे गये, 822 मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, 368 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा 936 व्यक्तियों को अभियोजित किया गया। 3946 दुकानों को निलम्बित एवं 2169 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये गये तथा 164.04 लाख रुपये की प्रतिभूति एवं 873.60 लाख रुपये की आवश्यक वस्तुएं जब्त की गयीं।

जनसामान्य को सस्ती दरों पर खाद्य तेल एवं दालें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित राशन की दुकानों के माध्यम से रु0 16 प्रति कि0ग्रा0 की दर पर पीली मटर की दाल एवं 45.50 रु0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से पामोलीन खाद्य तेल की आपूर्ति की गयी है तथा विभिन्न डिपोज के माध्यम से अरहर की दाल 58 से 62 रु0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से वितरण हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर में ग्राम कैंधा से इटारा सम्पर्क मार्ग के मरम्मत की मांग

153-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में ग्राम कैंधा से इटारा सम्पर्क मार्ग कब से क्षतिग्रस्त है ? क्या उक्त मार्ग आवागमन के योग्य नहीं रह गया है ? यदि हां, तो स्वीकृत धनराशि से मरम्मत दोषी न कराने के लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गत वर्ष में भारी वर्षा होने के कारण मार्ग कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है।

मार्ग यातायात हेतु खुला है।

विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। अतः कार्य न कराने के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम रानीगंज फार्म तथा रानीफार्म एवं गोविन्दपुर फार्म के सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण करने की मांग

154-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी, तहसील निघासन की ग्राम सभा लुधौरी के मजरा ग्राम रानीगंज फार्म तथा रानीफार्म एवं गोविन्दपुर फार्म के सम्पर्क मार्ग कच्चे हैं तथा सतहा नाला पर आर0सी0सी0 पुलिया नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त मार्गों का डामरीकरण करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी हां, परन्तु रानीगंज फार्म लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा रानीगंज फार्म से रानीफार्म व गोविन्दपुर फार्म जाने वाला मार्ग एक कच्चा मार्ग है, जिस पर सतहा नाले पर एक रपटा निर्मित है।

प्रश्नगत कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज स्थित ग्राम चमरौली की श्रीमती कंचनलता सिंह, उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न/चीनी/मिट्टी तेल के उठान की पुष्टि

155-श्री दीपक कुमार-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज स्थित ग्राम चमरौली प्रथम की राशन कोटेदार कंचनलता सिंह के पति उमेश सिंह उनके फर्जी हस्ताक्षर करके राशन उठाते व वितरण करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार हैण्डराइटिंग एक्सपर्ट से हस्ताक्षरों की जांच कराकर फर्जी हस्ताक्षर पाये जाने पर आपराधिक एवं धोखा धड़ी का मुकदमा दर्ज करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

श्रीमती कंचनलता सिंह, उचित दर विक्रेता, ग्राम चमरौली प्रथम द्वारा ही खाद्यान्न/चीनी/मिट्टी तेल का उठान करने की पुष्टि गोदाम प्रभारी एस0एफ0सी0 द्वारा की गयी है। इसलिए हस्ताक्षर की जांच हस्तलिपि विशेषज्ञ से कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत मोतियाबिन्द के आपरेशन

156-श्री कुबेर सिंह-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्धता निवारण कार्यक्रम उ0प्र0 में चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के ग्राम मिर्जापुर, उदयपुर, नगला, अतिया व मरकना में कितने व्यक्तियों का इलाज इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया तथा कितनों को निःशुल्क चश्मा उपलब्ध कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि विधान सभा क्षेत्र जलेसर में लेंस प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत मोतियाबिन्द के आपरेशन अब केवल लैंस प्रत्यारोपण विधि से करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं (माइक्रोस्कोप सहित मानकानुसार शल्यक्रिया कक्ष) में ही मोतियाबिन्द के आपरेशयन किये जाते हैं तथा आपरेशन के पश्चात् चश्मा उपलब्ध कराया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र जलेसर में लैंस प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः वहां पर स्वैच्छिक संस्था गांधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़ (जिसके पास अपना पोर्टेबल आपरेटिंग माइक्रोस्कोप है) द्वारा 05 निःशुल्क कैंप किये गये, जिनमें 186 व्यक्तियों को मोतियाबिन्द आपरेशन करके नेत्र ज्योति प्रदान की गयी तथा सभी लाभार्थियों को निःशुल्क चश्मा वितरित किये गये। इस कार्य के लिए क्षेत्र में सघन प्रचार-प्रसार किया गया था।

जनपद सीतापुर विकास खण्ड पहला, रामपुर, मथुरा, महमूदाबाद में कार्यरत दाइयों के मानदेय की मांग

157-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद विकास खण्ड पहला, रामपुर, मथुरा, महमूदाबाद में कार्यरत दायियों का मानदेय वर्ष 2007 में नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दायियों को बकाया/मानदेय दिलायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दायित्वों को बकाया/मानदेय दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत आशा बहुओं से संस्थागत प्रसव का कार्य लिया जा रहा है तथा आशा बहुओं को ही मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा अंशकालिक दाइयों के मानदेय का भुगतान न किये जाने तथा अंशकालिक दाइयों का कार्य आशा बहुओं से लिये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटित नहीं किया गया है, जिससे जनपद सीतापुर के अंशकालिक दाइयों के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में नगरों/महानगरों में सेलुलर फोन के मानकों के विपरीत लगाये गये टावरों को हटाने की मांग

158-श्री बिशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगरों/महानगरों में सेलुलर फोन के भारी क्षमता वाले कुल कितने मोबाइल टावर विभिन्न कम्पनियों के छतों के ऊपर लगे हैं जिसमें जेनरेटर लगे हैं ? इन्हें लगाने हेतु क्या विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्राप्त की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानकों के विपरीत को लगाये गये टावरों हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उपलब्ध सूचना के अनुसार विकास प्राधिकरण क्षेत्रों एवं विनियमित क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न कम्पनियों के कुल 3032 मोबाइल टावर छतों पर लगे हैं।

विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी विधि व नियमों के अनुपालन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी किये गये अधिसूचना/उपविधि द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की रतन खण्ड योजना में अवशेष कार्य पूर्ण कराने की मांग

159-श्री लालजी यादव-

विधान सभा के प्रथम बुधवार के अता0 प्रश्न संख्या-178 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत अवशेष कार्य (नाली, सड़क आदि) पूर्ण हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार इसके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उक्त अवशेष कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य हेतु आमंत्रित निविदा की दरें उच्च होने के कारण निरस्त कर दी गयी थी, पुनः निविदा प्राप्त करने में समय लगने के कारण कार्य समय से पूर्ण नहीं हो सका है।

प्रकरण में अवशेष कार्य समय से पूर्ण नहीं कराने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित कराया जा रहा है।

उक्तानुसार उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अवशेष कार्य दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण कराने की लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतनखण्ड, भू-खण्डों के सामने नालियों का निर्माण कार्य की मांग

160-श्री लालजी यादव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतन खण्ड, लखनऊ में कितने भू-खण्डों के सामने नालियों का निर्माण नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त भू-खण्डों के सामने की सभी नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शारदानगर योजना के अन्तर्गत रतनखण्ड में 390 भू-खण्डों के सामने नालियों का निर्माण नहीं किया गया है।

जी हां।

प्रश्नगत भू-खण्डों के सामने की सड़कें व सीवर लाइन का कार्य प्रगति पर है सड़क व सीवर लाइन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नालियों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की शारदानगर योजना के अन्तर्गत रतन खण्ड में जलापूर्ति

161-श्री लालजी यादव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतन खण्ड, लखनऊ में पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिससे वहां के अध्यासियों को पीने के लिये एवं भवनों के निर्माण के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के अध्यासियों को पानी आपूर्ति करने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शारदानगर योजना के अन्तर्गत रतनखण्ड में जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या-93/9 को निरस्त करने की जानकारी

162-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या-93/9 वैकल्पिक भू-खण्डों के आवंटन पर कब से लागू किया गया है ? क्या उक्त प्रस्ताव संख्या-93/9 को भूतलक्ष्मी प्रभाव से लागू किया जा रहा है ? क्या यह प्राधिकरण द्वारा उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-56 (2) ''क'' का उल्लंघन है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त अधिनियम की धारा-41 (1) के तहत प्राधिकरण के प्रस्ताव संख्या-93/9 को निरस्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रस्ताव संख्या-93/9 विवादित प्रकरण प्राधिकरण के गठन के समय नगर महापालिका से अन्तरित हुई पुरानी सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई बाधाओं के निराकरण हेतु दिनांक 26-03-04 से लागू है।

जी नहीं।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रस्ताव संख्या 93/9 को निरस्त कराया जाना जनहित/प्राधिकरण के हित में नहीं है।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेउता, में चौका नदी के जयरामपुर घाट पर पुल निर्माण की मांग

163-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नाबार्ड-16 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सेउता, जनपद सीतापुर में चौका नदी के जयरामपुर घाट पर पुल एवं पहुंच मार्ग बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। प्रश्नगत सेतु का आगणन नाबार्ड-16 में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित था परन्तु इस सेतु की वित्तीय स्वीकृति राज्य योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 12-7-11 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

सेतु का निर्माण माह दिसम्बर, 2011 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के चौक बशीर खां इण्टर कालेज, हर्रा को अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने की मांग

164-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौ0 बशीर खां इण्टर कालेज, हर्रा मेरठ को सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक में फरवरी, 2007 में अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने की सहमति दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनीस अहमद खां-

अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने के प्रकरणों पर प्रमुख सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक-06-02-2007 में अन्य प्रकरणों के साथ चौधरी बशीर खां इण्टर कालेज, हर्रा, मेरठ के सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श किया गया था, किन्तु अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने की राज्य सरकार की अधिकारिता पर रोक लगाने विषयक, स्पेशल अपील संख्या-903/2006 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की द्वि-सदस्यीय खण्डपीठ के आदेश दिनांक 24-08-2006 के संज्ञान में आने पर अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गयी।

जी नहीं।

प्रश्न के प्रथम अंश के उत्तर में उल्लेख के अनुसार।

लखनऊ से कन्नौज वाया मल्लावां मार्ग को राजमार्ग घोषित करने पर विचार

165-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार लखनऊ से कन्नौज वाया मल्लावां मार्ग को राजमार्ग घोषित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

लखनऊ से सण्डीला तक 58.00 कि0मी0 राज्य मार्ग सं0-25 का भाग है तथा मेंहदीघाट से कन्नौज तक 12.00 कि0मी0 राज्य मार्ग सं0-21 का भाग है। सण्डीला से मेंहदीघाट तक के भाग 49.71 कि0मी0 को राज्य मार्ग घोषित करने का कार्य किसी योजना में विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड ऐका की ग्राम पंचायत नगलाधीर मजरा नगला किशुन सिंह के गाटा सं0-2650 में पानी की निकासी व्यवस्था

166-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड ऐका की ग्राम पंचायत नगलाधीर मजरा नगला किशुन सिंह के गाटा संख्या-2650 सड़क के किनारे नाली में फसल की बुआई करने से नाली का पानी अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी की निकासी व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड ऐका की ग्राम पंचायत नगलाधीर मजरा नगला किशुन सिंह के गाटा संख्या-2650 पर सड़क के किनारे सिंचाई विभाग की कोई नाली नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

पूर्वी यमुना नहर में समानान्तर देवबन्द फीडर चैनल की परियोजना

167-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी यमुना नहर में पानी की कमी को दूर करने के लिए निर्माणाधीन समानान्तर देवबन्द फीडर चैनल की परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना कब तक प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पूर्वी यमुना नहर में पानी की कमी को दूर करने के लिये समानान्तर देवबन्द फीडर चैनल का निर्माण मार्च-2009 में पूर्ण हो गया तथा जून-2009 से पूर्वी यमुना नहर को पानी नियमित रूप से उपलब्ध कराया जा रहा हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

साधन सहकारी समिति, मथुरा में कार्यरत कर्मचारियों का कथित प्रकरण

168-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति, मथुरा में कार्यरत कर्मचारियों को कितने वर्षों से वेतन भुगतान नहीं किया गया है ? उनके वेतन का भुगतान न करने के क्या कारण है तथा उक्त कर्मचारियों का वेतन भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार साधन सहकारी समिति मथुरा नाम की कोई समिति निबन्धित/कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के धरमापुर गांव के पूरब स्थित सेतु निगम द्वारा निर्मित पुल की सड़क पर डामर रोड बनाकर यातायात की मांग

169-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के धरमपुर गांव के पूरब स्थित सेतु निगम द्वारा निर्मित पुल के आगे तथा उस पार स्थित सीलिंग के बीच में दोनों तरफ लगभग 300 मीटर कच्ची सड़क बाढ़ में बह जाने के कारण बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्राली ऊंचाई के कारण पार नहीं कर पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पुल के दोनों तरफ खराब सड़क पर डामर रोड बनाकर यातायात को खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

सम्प्रति प्रश्नगत कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में सुमली, चौरारी के नालों/ड्रेनों की सफाई की जानकारी

170-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर, तहसील महमूदाबाद में सुमली, चौरारी नाली के साथ-साथ सिंचाई विभाग की ड्रेनों में घास व मिट्टी के भराव से क्षेत्र में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विभागीय नालों/ड्रेनों की सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में सिंचाई हेतु बन्द राजकीय नलकूपों को चालू कराने की जानकारी

171-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महमूदाबाद जनपद सीतापुर में सिंचाई हेतु कुल कितने राजकीय नलकूप है तथा उनमें से कितने नलकूप संचालित हैं व कितने बन्द है ? क्या सरकार बन्द नलकूपों का संचालन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में सिंचाई हेतु कुल 91 राजकीय नलकूप स्थापित हैं जिनमें से दिनांक 01-04-2011 की स्थिति के अनुसार 67 नलकूप संचालित हैं। सप्ताहान्त दिनांक 12-05-2011 की बन्दी के अनुसार यांत्रिक दोष से कोई नलकूप बन्द नहीं था तथा विद्युत दोष से 54 नलकूप बन्द थे।

संचालित श्रेणी के कुल 67 राजकीय नलकूपों में से विद्युत दोष से बन्द 30 नलकूपों को दिनांक 16-05-2011 तक सिंचाईरत कर दिया गया है। विद्युत सुधारात्मक श्रेणी में वर्गीकृत 24 राजकीय नलकूपों को सिंचाईरत कराने के पूर्ण प्रयास विभाग द्वारा किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के मनकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अल्ट्रासाउन्ड मशीन उपलब्ध कराने की मांग

172-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के मनकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अल्ट्रासाउन्ड मशीन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में अल्ट्रासाउन्ड मशीन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के वजीरगंज झिलाही मार्ग एवं दुर्जनपुर लिदेहना मार्ग पर स्थित लकड़ी के पुलों के स्थान पर पक्के पुलों के निर्माण की मांग

173-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के वजीरगंज झिलाही मार्ग पर स्थित लकड़ी का पुल (चौखट घाट) एवं दुर्जनपुर लिदेहना मार्ग पर स्थित लकड़ी के पुल के स्थान पर पक्के पुलों का निर्माण कराने हेतु क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में धन आवंटन कर निर्माण काय्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सम्प्रति प्रश्नगत पुलों का निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है, अतः धन आवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के बी0पी0एल0 परिवारों को बी0 पी0 एल0 राशन कार्ड जारी करने की मांग

174-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने बी0पी0एल0 परिवारों को बी0पी0एल0 राशन कार्ड जारी किये गये ? क्या सरकार शेष परिवारों को राशन कार्ड जारी करायेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शाहजहांपुर जनपद में कितने बी0पी0एल0 परिवार

हैं तथा उनमें से कितनों को बी0पी0एल0 राशन कार्ड दिये गये हैं ? क्या सरकार शेष बी0पी0एल0 परिवारों को बी0पी0एल0 राशन कार्ड जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

भारत सरकार द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार प्रदेश में कुल 106.79 लाख बी0 पी0 एल0 परिवारों को बी0 पी0 एल0 राशन कार्ड निर्गत किए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा राशन कार्डों की संख्या में वृद्धि न किए जाने के कारण शेष परिवारों को राशन कार्ड जारी किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर में बी0 पी0 एल0 परिवारों की कुल संख्या, पुनर्सर्वेक्षण स्थगित कर दिए जाने के कारण, बता पाना सम्भव नहीं है। जनपद में 99301 बी0 पी0 एल0 परिवारों को बी0 पी0 एल0 राशनकार्ड जारी किए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा राशन कार्डों की संख्या में वृद्धि न किए जाने के कारण शेष परिवारों को राशन कार्ड जारी किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम बरहा के उचित दर विक्रेता के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही

175-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम बरहा, ब्लाक मंगरौरा, तहसील पट्टी के कोटेदार के विरुद्ध जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गयी सूचना पर तहसीलदार/सहायक सूचना अधिकारी, पट्टी प्रतापगढ़ द्वारा अपने पत्र मेमो/रा0लि0जन-08, दिनांक 30-1-2008 द्वारा पूर्ति निरीक्षक पट्टी द्वारा प्रस्तुत सूचना उपलब्ध करायी गयी है ? यदि हां, तो वह सूचना क्या है एवं दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक द्वारा उचित दर विक्रेता के विरुद्ध शिकायत करते हुए कार्यवाही/जांच आख्या की प्रति मांगी गयी जिसे उन्हें उपलब्ध करा दिया गया। श्री राकेश कुमार उचित दर विक्रेता बरहा के विरुद्ध पायी गयी अनियमितताओं के कारण आदेश संख्या-201 दिनांक 13-01-2009 द्वारा दुकान का अनुबन्ध-पत्र निरस्त कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

176-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[2सरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0-14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के ग्रामीण अंचलों में गैस एजेन्सियों द्वारा घटतौली करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

177-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जिले के ग्रामीण अंचलों में गैस एजेन्सियों द्वारा गैस सिलेण्डर में घटतौली करके ग्राहकों का शोषण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसके निराकरण हेतु कोई ठोस योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में पूर्व से ही पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। प्रदेश में एल0पी0जी0 गैस की कालाबाजारी एवं घटतौली रोके जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश निर्गत हैं, जिसके अन्तर्गत जनपद में ए0आर0टी0ओ0, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, ऑयल कम्पनी के प्रतिनिधि, निरीक्षक विधिक माप विज्ञान एवं जिला पूर्ति अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा जांच की कार्यवाही की जाती है। यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित गैस एजेन्सियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के जिला चिकित्सालय में चिकित्साधिकारियों की एम0बी0बी0एस0 डिग्री धारक होने की जांच की मांग

178-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के जिला चिकित्सालय में कितने चिकित्साधिकारियों की तैनाती है एवं कितने चिकित्साधिकारी सी0एम0ओ0, गोण्डा द्वारा सम्बद्ध किये गये हैं ? क्या सम्बद्ध किये गये सभी चिकित्सक एम0बी0बी0एस0 डिग्री धारक हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद गोण्डा के जिला चिकित्सालय में 23 चिकित्साधिकारियों की तैनाती है। 04 चिकित्साधिकारी मु0चि0अ0, गोण्डा द्वारा चिकित्सकों की कमी के कारण जनहित में सम्बद्ध किये गये थे, जिनकी सम्बद्धता मु0चि0अ0, गोण्डा के आदेश दिनांक 29-04-2011 द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

सम्बद्ध सभी चिकित्साधिकारी एम0बी0बी0एस0 डिग्री धारक हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के मनकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला डाक्टर की तैनाती की मांग

179-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के मनकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला डाक्टर की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा के पत्र दिनांक 27-11-2008 द्वारा डा0 सारिका जैन महिला चिकित्साधिकारी की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनकापुर में तैनाती की जा चुकी है, परन्तु उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में महिला चिकित्साधिकारियों की अत्यन्त कमी है। उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया है। आयोग की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जायेगी।

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में जिला योजनान्तर्गत व्यय धनराशि का विवरण

180-श्री कुबेर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में जिला विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में सड़क एवं पुल निर्माण हेतु अनुमानित व्यय रु0 274.99 लाख में से विधान सभा क्षेत्र जलेसर में कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या सरकार व्यय की गयी धनराशि की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद एटा में जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2010-2011 में सड़क एवं पुल निर्माण हेतु व्यय की गयी रु0 274.99 लाख में से विधान सभा क्षेत्र जलेसर में तीन सम्पर्क मार्गों पर कुल रु0 40.02 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

जी हां, सूची निम्नवत् है :-

क्रम सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत (रु0 लाख में)	वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत व्यय रु0 274.99 लाख के सापेक्ष व्यय
1	2	3	4	5
1	सादाबाद, जलेसर, अवागढ़, ऊंचागांव मार्ग से नगला बालजीत सम्पर्क मार्ग।	1.60	26.78	16.42

क्रम सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत (रु0 लाख में)	वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत व्यय रु0 274.99 लाख के सापेक्ष व्यय
2	रोहिना से भरकना मार्ग से नगला काना सम्पर्क मार्ग।	1.30	28.12	7.50
3	उडेरी माईनर से नगला वसू सम्पर्क मार्ग।	0.87	20.12	16.10
	कुल योगः-		**75.02**	**40.02**

प्रश्न नहीं उठता।

प्रयोगशाला सहायकों (ग्राम्य) का प्रशिक्षण एवं नियुक्ति

181-श्री दीपक कुमार-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2010-11 में प्रयोगशाला सहायकों (ग्राम्य) का प्रशिक्षण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या प्रशिक्षित प्रयोगशाला सहायकों (ग्राम्य) की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो नियुक्ति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की ट्रान्सपोर्टनगर योजना में भू-खण्ड सं0-एफ-86 के मिसिंग होने के कारण उसी योजना में भू-खण्ड सं0-एफ-502 के समायोजन की जानकारी

182-श्री काशीराम-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ट्रान्सपोर्टनगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या-एफ 86 की सम्पूर्ण धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा हो चुकी है ? यदि हां, तो आवंटित भूखण्ड के स्थल पर मिसिंग होने के कारण प्रस्तावित भूखण्ड संख्या-एफ 502 का प्राधिकरण द्वारा निस्तारण/निबन्धन किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

भू-खण्ड संख्या-एफ-86 के मिसिंग होने के कारण उसी योजना में भू-खण्ड संख्या-एफ-502 के समायोजन का प्रस्ताव समायोजन कमेटी में प्रस्तुत है। कमेटी के निर्णय के उपरान्त अग्रतर कार्यवाही निष्पादित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज की ग्राम पंचायत पिपरावां सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक बनाये जाने की मांग

183-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज की ग्राम पंचायत पिपरावां सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। मार्ग की स्वीकृति आर0आई0डी0एफ0-17 योजनान्तर्गत प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर, महमूदाबाद अन्तर्गत दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0 के कर्मकारों को ओवर टाइम के भुगतान की मांग

184-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर, महमूदाबाद अन्तर्गत चीनी मिल के कर्मकारों को पेराई सत्र 2009 एवं 2010 के बकाया ओवर टाइम का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल के कर्मकारों के बकाया ओवर टाइम का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0 महमूदाबाद जिला सीतापुर में कार्यरत कर्मकारों को सत्र 2009 का कुल रुपये 1,52,321/-ओवर टाइम मद में मिल समिति द्वारा सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

पेराई सत्र 2010 का रुपये 1,94,334/-ओवर टाइम देय है, जिसका भुगतान किया जाना शेष है। मिल समिति द्वारा अवशेष गन्ना मूल्य का पूर्ण भुगतान करने के उपरान्त कर्मकारों के उक्त अवशेष ओवर टाइम का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद एटा में जिला विकास योजनान्तर्गत राजकीय नलकूपों पर एम0सी0वी0 लगाने पर हुआ व्यय

185-श्री कुबेर सिंह-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में जनपद एटा में राजकीय नलकूप हेतु अनुमानित व्यय रु0 35 लाख में से विधान सभा

क्षेत्र जलेसर हेतु कितनी धनराशि व्यय की गई ? क्या सरकार व्यय की गई धनराशि की मदवार सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जिला विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में जनपद एटा में राजकीय नलकूपों हेतु मात्र 35 हजार रुपये प्राप्त हुए जिसमें से विधान सभा क्षेत्र जलेसर में खारा पानी होने के कारण कोई भी पैसा इस योजना के अन्तर्गत व्यय नहीं किया गया।

जी हां।

जिला विकास योजनान्तर्गत 35 हजार रुपये जो 27 राजकीय नलकूपों पर एम0सी0वी0 लगाये जाने पर व्यय किये गये, की सूची निम्नानुसार है :-

ब्लाक का नाम	नलकूप संख्या	एम0सी0वी0 की संख्या
शीतलपुर	61, 201, 174, 31, 32, 62, ई0जी0	06 नग
निधौलीकला	19, 12, 67, 206 ई0जी0	04 नग
नारहरा	193, 124, 09, 187, 26 ई0जी0	05 नग
जैथरा	200, 71, 110, 68, 66, 115 ए0जी0	06 नग
अलीगंज	166, 62, 07, 70, 10, 138 ए0जी0	06 नग
	योग :	27 नग

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कच्चे या खड़न्जायुक्त मार्गों को पक्का कराने की नीति

186-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कच्चे या खड़ण्जायुक्त मार्गों को पक्का कराने की क्या नीति है ? क्या सरकार को जानकारी है कि शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक के ग्राम पैना बुजुर्ग में पुवाया रोड से सरदारों के झालों तक का मार्ग जिसकी दूरी 500 मी0 है, खड़ण्जा युक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे लेपन स्तर तक बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

500 से अधिक आबादी की बसावटों को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सर्वऋतु एकल मार्ग से जोड़ने की नीति विद्यमान है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति लि0 लखनऊ से सेवानिवृत्त स्थाई लिपिक, श्री धर्मवीर सिंह के ग्रेच्युटी एवं भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान की मांग

187-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-2-08 जो श्री धर्मवीर सिंह,

सेवानिवृत्त स्थाई लिपिक, सरकारी गन्ना समिति, मोदीनगर की भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान एवं ग्रेच्युटी भुगतान के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

भविष्य निधि की अन्तिम भुगतान धनराशि रु0 69,446.00 (रु0 उन्हत्तर हजार चार सौ छियालिस) चेक दिनांक 1-12-2008 द्वारा तथा ग्रेच्युटी की देय धनराशि रु0 1,36,467.00 (रु0 एक लाख छत्तीस हजार चार सौ सरसठ) मात्र का चेक दिनांक 3-2-2009 द्वारा भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर महमूदाबाद की किसान सहकारी चीनी मिल लि0 के सेवानिवृत्त व्यक्तियों की ग्रेच्युटी के भुगतान की मांग

188-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर महमूदाबाद अन्तर्गत चीनी मिल कर्मियों का जीवन बीमा की किश्त एवं पी0एफ0 (पर्सनल फण्ड) जनवरी, 2010 से नहीं जमा किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि लगभग 30 सेवानिवृत्त व्यक्तियों को उनकी ग्रेच्युटी नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जीवन बीमा एवं पी0एफ0 जमा कराने एवं सेवानिवृत्त कर्मियों की ग्रेच्युटी का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

किसान सहकारी चीनी मिल लि0 महमूदाबाद जनपद सीतापुर के कर्मियों का जीवन बीमा की किश्त जून, 2011 तक जमा की जा चुकी है। मिल की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पी0एफ0 (भविष्य निधि) जनवरी, 2010 से जमा नहीं किया गया है, परन्तु जून, 2011 का पी0एफ0 जमा किया जा चुका है।

जी हां।

चीनी मिल की आर्थिक स्थिति ठीक होते ही बकाया पी0एफ0 एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के ग्रेच्युटी का भुगतान किया जायेगा। जीवन बीमा की किश्त का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। चीनी मिल अपने संसाधनों से बकाया पी0एफ0 एवं ग्रेच्युटी का भुगतान करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

गोमती नदी का जल स्तर बनाये रखने की कार्य योजना

189-श्री कुबेर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी का जल स्तर बनाये रखने हेतु सरकार ने कोई ठोस कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

गोमती नदी का जल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से एक बैराज का निर्माण वर्ष 1980 में कराया गया था। वर्ष 2010-11 में गोमती बैराज से 2.00 कि0मी0 डाउन स्ट्रीम में एक वियर का निर्माण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

को-आपरेटिव विभाग में वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिश लागू होने के बाद हुई नियुक्तियों को अवैध घोषित करने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो बात चल रही थी और को-आपरेटिव विभाग में वैद्यनाथन कमेटी लागू होने के बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, उसका सेवामण्डल को अधिकार नहीं था। इसी सदन में वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई थी और पास हुई थी, तो ये सब नियुक्तियां अवैध हैं और इसमें भ्रष्टाचार भी है, इसलिए इन नियुक्तियों की जांच होनी चाहिए और ये नियुक्तियां अवैध मानी जानी चाहिए। जिसको अधिकार है, जिला सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी को उनको पूरा अधिकार दिया जाए, क्योंकि यह सदन की गरिमा का सवाल है, ऐसा नहीं होता है तो सदन का अपमान होगा और जो-जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वैसे तो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी ये दो मांगें हैं कि कम से कम विधायकों पर रिसटेक्ट नहीं चलना चाहिए, इस पर रोक लगायी जानी चाहिए।

सदन संचालन में सदस्यों से सामंजस्य का वातावरण बनाये रखने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

सम्मानित नेता प्रतिपक्ष अन्य सदन के सभी सम्मानित नेतागण हमारे सत्ता पक्ष के वरिष्ठ मा0 मंत्रीगण एवं सदस्यगण यह सत्र 12 तारीख तक का है और मेरी पूरी कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के हमारे साथीगण अपनी समस्याओं को सदन के समक्ष जनहित में ला सकें और सत्ता पक्ष पर भी मैं यह भरोसा रखता हूं कि जो सदन की जिम्मेदारी है, सरकार पक्ष से उसका जवाब देना या अन्य जो उनकी सहभागिता है उसका निर्वाहन करें और सदन को चलाने में उनका सहयोग भी हो। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि शब्दों के कुछ ऐसे भाव निकल जाते हैं कि कटुता भी बढ़ जाती है और सदन में गरमा-गरमी का माहौल भी हो जाता है, लेकिन फिर उसमें आप सब लोग मिलकर के सभी सम्मानित सदस्यगण सदन की गरिमा को बनाते हैं और सदन को सुचारु रूप से चलाना चाहते हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष जी या अन्य हमारे वरिष्ठ मंत्री और अन्य दल के नेताओं से अनुरोध भी कर रहा हूं कि आप जिस तरह से जैसा भी सहयोग चाहें और सबसे यह भी अनुरोध

करूंगा किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग न हो, जो किसी को सदन में ठेस पहुंचे, यह बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो इस सदन के मेम्बर बनकर आये हैं और प्रदेश पर जनता का बहुत भरोसा है। अगर हम लोग भी असंसदीय शब्दों के आधार पर एक दूसरे पर वार करते रहेंगे तो हम तो अभी हमसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कहीं न कहीं प्रदेश की जनता उसको भी नोटिस लेती है। मैं अन्त में अनुरोध करूंगा कि चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, हर माननीय सदस्य का सम्मान हैं कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग भी न हो, न ऐसे आचरण का प्रयोग हो कि किसी को ठेस पहुंचे और हम लोग हमेशा इस सदन में बैठते रहते हैं, एक अच्छा माहौल जब बनता है तो वास्तव में इस गरिमामय सदन का बहुत महत्व रहता है, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस सदन की कार्यवाही संचालित करने में सत्ता और विपक्ष के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण सहयोग करें और इस बात का भी अनुरोध करता हूं कि अपनी बात कहें, खूब कहें, हम तो सुन रहे हैं, आठ बजे रात तक, नौ बजे रात तक सदन चला रहा हूं और संसदीय परम्पराओं का पालन करते हुए पूरा विपक्ष का अधिकार है कि अपनी बात सदन में रखवा लें और आलोचना करना भी उनका अधिकार है, उस आलोचना में कहीं कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, उसको बहुत कटुता न मान करके एक सामान्जस्य का माहौल बनायें, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री गुलाब चन्द्र के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गुलाब चन्द्र का 07 जून, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री गुलाब चन्द्र का जन्म 1926 में गोरखपुर शहर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गुलाब चन्द्र वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र हाटा (अ0जा0), जिला देवरिया से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे थे। श्री गुलाब चन्द्र जिला कांग्रेस कमेटी, देवरिया के महामंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा हिन्दू डिप्रेस्ड क्लास एसोसियेशन के अध्यक्ष रहे थे। वे जिला नगरपालिका के सदस्य एवं अनेक समितियों तथा बोर्डों के सदस्य भी रहे थे। श्री गुलाब चन्द्र अखिल भारतीय खटिक महासंघ के मंत्री रहे थे। उद्योग में उनकी विशेष रुचि थी। श्री गुलाब चन्द्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

माननीय श्री गुलाब चन्द्र, पूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक-संतप्त परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतक के शोकाकुल परिवार तक पहुंचवा दूंगा।

मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि दो मिनट के लिए मौन धारण कर लें।

(तत्पश्चात् सदन के सभी सदस्यों द्वारा खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

माननीय सदस्यगण कृपया स्थान ग्रहण करें।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 10 अगस्त, 2011 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 35 सूचनायें प्राप्त हुईं। निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं जो पढ़ी हुई मानी गईं।

पहली सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जो जनपद लखीमपुर खीरी के गांव रायपुर में 01 कि0मी0 ध्वस्त सड़क को सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री निर्मल वर्मा की जो सीतापुर बिसवां वाया भुटकुंडी लहरपुर की अवशेष सड़क को शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्रीमती मधुबाला पासी की जो सचिवालय प्रशासन विभाग में 07 वर्षों से कार्यरत कार्मिकों का स्थानान्तरण न किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जो जनपद लखनऊ में आलमनगर रेलवे क्रासिंग पर आधुनिक तकनीक से ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री सुरेश्वर सिंह की जो बहराइच जनपद में घाघरा एवं सरयू नदियों के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जो जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा शामली को नया जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री संजीव दरियाबादी की जो कानपुर की तहसील बिल्हौर के मंधाना क्षेत्र की 06 ग्राम पंचायतों की लगभग 900 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री विद्यासागर गुप्ता की जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहित अन्य जनपदों से बंगलादेशियों को निकाले जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह की जो जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री कृपाशंकर सिंह की जो जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर में जिलाधिकारी के आदेश से बहुत चौड़े बनाये जा रहे अवैध नाले के निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की जो जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में विधायक निधि 2000 से 2002 एवं पूर्वांचल विकास निधि 1998 से 2001 की धनराशि का गबन किये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की जो जनपद जौनपुर के गढवारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड सुजानगंज में जर्जर विद्युत तार टूटने से हो रही घटनाओं एवं पूर्वांचल विकास निधि से चयनित ग्राम का विद्युतीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की जो कुशीनगर जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार शस्त्र लाइसेंस न दिये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना चौ0 सत्यपाल सिंह की जो सरकारी भवन में एन0जी0ओ0 का कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री सुधीर कुमार की जो फैजाबाद के परिवहन विभाग में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री उत्कर्ष वर्मा की जो जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक मुहम्मदी में डा0 अम्बेडकर समग्र विकास में चयनित ग्रामों को पुनः विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्री जावेद अंसारी एडवोकेट की जो जनपद जौनपुर में लुम्बनी-दुद्धी राजमार्ग सहित कतिपय अन्य जर्जर मार्गों को ठीक कराने एवं नया बनाया जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी इलाहाबाद में जुगनीडीह से कमलानगर मार्ग पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री कैलाश चौरसिया की जो जनपद बांदा में संविदा कर्मी बल्लूशाह एवं संतोष निषाद की राजकीय कार्य करते हुए

करंट लगने से हुई मृत्यु के बाद परिवारीजनों को मुआवजा एवं एक-एक परिवार के सदस्य को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्री गुरु प्रसाद मौर्या की जो जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड होलागढ़ में बने क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री प्रवीण पटेल की जो जनपद इलाहाबाद के निर्वाचन क्षेत्र झूंसी के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मुख्य मार्गों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है। बाइसवीं सूचना श्री अनिल दोहरे की जो स्व0 श्री राम रतन, सहायक अध्यापक के आकस्मिक निधन के फलस्वरूप इनके पुत्र को मृतक आश्रित में नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। तेइसवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जो मा0 सदस्य के उपस्थिति न होने के कारण इसे अस्वीकार किया गया है। चौबीसवीं सूचना श्री राजाराम त्यागी की जो जनपद रायबरेली की हैदरगढ़ एवं बछरावां से महराजगंज एवं रायबरेली से शुकुल बाजार वाया इन्हौंना की सड़कों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पच्चीसवीं सूचना श्री राजेश कुमार गौतम की जो जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड फूलबेहड़ व बेहजम लखीमपुर के दलित बाहुल्य ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। छब्बीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जो जनपद मऊ में मोहम्मदाबाद गोहना की कतिपय सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचना पुनरावृत्ति के कारण अस्वीकार की जाती हैं।

1-श्री कुवेर सिंह, 2-श्री प्रदीप माथुर, 3-श्री श्रीपति आजाद, 4-श्री दीप नारायण सिंह, 5-श्री लालजी यादव, 6-श्री अरविन्द सिंह यादव, 7-श्री जर्नादन प्रसाद ओझा, 8-श्री मदन चौहान तथा 9-श्री सुरेश कुमार खन्ना।

जनपद लखीमपुर खीरी के गांव रायपुर में एक कि0मी0 ध्वस्त सड़क को सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे पैत्रिक गांव रायपुर में 1 कि0मी0 ध्वस्त सड़क का निर्माण पत्रावली मा0 मंत्री जी की संस्तुति सहित मय आगमन सहित शासन स्तर पर मौजूद होने के बाद भी आवागमन बन्द है। जनहित में सी0सी0 रोड बनाने की मांग करता हूं।]

सीतापुर बिसवां वाया भुटकुंडी लहर की अवशेष सड़क को शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री निर्मल वर्मा-

[महोदय, कृपया आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र बिसवां में सीतापुर बिसवां रोड से वाया भुटकुन्डी बिसवां लहरपुर मार्ग का अवशेष भाग लम्बाई लगभग 1.5 कि0मी0 की अति शीघ्र निर्माण की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सचिवालय प्रशासन विभाग में 07 वर्षों से कार्यरत कार्मिकों का स्थानान्तरण न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती मधुबाला पासी-

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान हिन्दी दैनिक हिन्दुस्तान में कुछ दिन पूर्व छपी खबर के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा एक विशेष जाति को टारगेट करके समीक्षा अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के स्थानान्तरण की बात प्रकाशित हुई है। इस सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि सचिवालय प्रशासन विभाग में वर्षों से जमे समीक्षा अधिकारियों एवं सहायक समीक्षा अधिकारियों द्वारा कैबिनेट सचिव के कार्यालय के कुछ कर्मचारियों से साठ-गांठ करके सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग को एक अनौपचारिक सूची भिजवायी गयी है जिसके आधार पर सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा स्थानान्तरण किया जा रहा है। सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 एवं 5 द्वारा दिनांक 04 जुलाई, 2011 से 22 जुलाई, 2011 तक किये स्थानान्तरणों की सूची देखने से स्पष्ट है कि इसमें सचिवालय प्रशासन विभाग के विभिन्न अनुभागों में मात्र एक से डेढ़ वर्ष से कार्यरत समीक्षा अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों को अकारण स्थानान्तरित कर दिया गया है। जबकि सचिवालय प्रशासन विभाग के विभिन्न अनुभागों में 49 समीक्षा अधिकारी 07 से 16 वर्षों से कार्यरत हैं, 15 समीक्षा अधिकारी मा0 मंत्रीगणों के यहां तैनात हैं जिनकी सचिवालय प्रशासन विभाग में कार्यावधि 07 से 09 वर्षों की है। इसी प्रकार सचिवालय प्रशासन विभाग के विभिन्न अनुभागों में 47 सहायक समीक्षा अधिकारी 07 से 18 वर्षों से कार्यरत हैं, 22 सहायक समीक्षा अधिकारी मा0 मंत्रीगणों के यहां तैनात हैं। जिनको सचिवालय प्रशासन विभाग में कार्यावधि 07 से 18 वर्ष हो चुकी है। इसके अतिरिक्त सचिवालय प्रशासन विभाग में 07 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कार्मिकों में 18 समीक्षा अधिकारी (लेखा), 02 सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा), 25 जूनियर ग्रेड क्लर्क तथा 10 कम्प्यूटर सहायक सम्मिलित हैं। किन्तु सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय से कार्यरत इन कार्मिकों को स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है। जबकि अद्यतन नियमावली के अनुसार एक शाखा में कोई कार्मिक अधिकतम 07 वर्ष तक तैनात रह सकता है। सचिवालय प्रशासन विभाग मा0 मुख्य मंत्री जी के अधीन है इसमें नियमों का अनुपालन न करके किसी जाति के आधार पर स्थानान्तरण किया जाना मा0 मुख्य मंत्री जी की विभाग पर ढीली पकड़ को प्रदर्शित करने के साथ ही जनता में गलत संदेश प्रेषित करता है।

अतः सचिवालय प्रशासन विभाग में 07 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत उक्त कार्मिकों को स्थानान्तरित करने की मांग के साथ ही सदन के संज्ञान में प्रकरण लाते हुए सदन की कार्य सूची को निलम्बित कर चर्चा कराये जाने की भी मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ में आलमनगर रेलवे क्रासिंग पर आधुनिक तकनीक से ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

लखनऊ मध्यम विधान सभा क्षेत्र में मोहान रोड पर आलमनगर रेलवे क्रासिंग स्थित है। यह रेलवे क्रासिंग प्रायः बन्द रहती है क्योंकि इस रेलवे मार्ग से बहुत अधिक संख्या सवारी रेल गाड़ियों एवं माल गाड़ियों का आवागमन बना रहता है। जिससे हर आधे घण्टे पर यह रेलवे क्रासिंग बन्द हो जाती है। इस सड़क मार्ग पर 24 घण्टे बड़े वाहन और छोटे वाहनों का आवागमन अधिक होने के कारण घण्टों जाम की स्थिति रहती है। मोहान रोड मुख्य मार्ग होने के कारण यातायात का भारी दबाव रहता है। इस रेलवे क्रासिंग के पास ही रेलवे के बड़े-बड़े गोदाम बने हैं जिससे सामनों की ट्रकों के द्वारा ढुलाई भी होती है जिससे आम जनता को आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विधान सभा 2011 के प्रथम सत्र में नियम-301 के अन्तर्गत आलमनगर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी थी जिसके उत्तर में मा0 लोक निर्माण मंत्री ने कहा है कि रेलवे क्रासिंग के दूसरी ओर दो मन्दिर और एक मस्जिद है इस कारण मार्ग की चौड़ाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि ओवर ब्रिज के पिलर्स को ऊंचा करके और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर इस आवश्यक ओवर ब्रिज को बनाया जा सकता है और जब तक उ0 प्र0 सरकार इस सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव पास नहीं करेगी तब तक रेलवे विभाग अपना कार्य प्रारम्भ नहीं करेगा।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मोहान रोड के आलमनगर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने की मांग करता हूं।]

बहराइच जनपद में घाघरा एवं सरयू नदियों के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश्वर सिंह-

महोदय, बहराइच जनपद में घाघरा एवं सरयू नदियों का प्रकोप जारी है, अब तक इस वर्ष महसी तहसील के अन्तर्गत 150 से अधिक घरों का अस्तित्व घाघरा ने समाप्त कर दिया है, नानपारा एवं कैसरगंज तहसीलें भी बाढ़ से प्रभावित है, अब तक के जिन कटान पीड़ितों को बसने हेतु जमीन नहीं उपलब्ध कराई गई हैं वह सब बेलहा-बहरौली तटबन्ध पर किसी तरह अपना गुजर-बसर कर रहे हैं, जिससे आवागमन एवं बाढ़ के समय राहत कार्य पहुंचाने में बाधा आती है।

अतः जितने किसानों के घर घाघरा एवं सरयू में विलीन/कट गये हैं, उन्हें बसने के लिए भूमि एवं सरकार की नीति के अनुसार जो लोग बी0पी0एल0 धारक नहीं है, उन्हें महामाया आवास उपलब्ध कराना, पशुओं के चारे की व्यवस्था एवं दवा उपलब्ध कराना, पशुओं की मृत्यु होने पर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मुआवजा देना, मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाकर सभी पीड़ित किसानों को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराना, जिन किसानों की जमीनें कट गयी हों उनकी लगान माफ करना, ऋणों की वसूली स्थगित कर ब्याज माफ करना, बिजली का बिल माफ करना, जिन किसानों की फसलें नष्ट हो गयी हैं, उन्हें मुआवजा देना, शुद्ध पानी के लिये इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाना, बाढ़ के कारण फैली बीमारियों हेतु टीकें एवं दवा उपलब्ध कराना, साथ ही दैवीय आपदा में जो भी अधिकारी एवं कर्मचारी शिथिलता बरतता पाया जाय उसके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हो।

विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है, हाल में घटित हुआ है, घटना सुनिश्चित है।

अतः विधान सभा की कार्य प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत नियम-301 के तहत सरकार को सदन में जवाब देने हेतु निर्देशित करें।]

जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा शामली को नया जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक-

[मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद-मुजफ्फरनगर के कस्बा-शामली को नया जनपद बनाये जाने के लिए ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। कस्बा शामली जनपद का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। यहां पर स्कूल, कालेज, डाकघर, बैंक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की आबादी लगभग 15 लाख के आस-पास होगी और इस कस्बे का क्षेत्रफल लगभग 5000 वर्ग कि0मी0 के आस-पास होगा। विकास खण्डों एवं थानों की संख्या भी मानक के अनुरूप है। कस्बा शामली की भौगोलिक स्थिति भी अच्छी है। शामली कस्बा को जनपद बनाये जाने से क्षेत्र की लाखों आबादी लाभान्वित होगी और जन-सामान्य को सभी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। अभी स्थिति यह है कि कस्बा शामली के आस-पास की आबादी के लोगों को अपने कार्य से जनपद-मुजफ्फरनगर तक आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि कस्बा शामली को नया जनपद बना दिया जाता है तो क्षेत्रीय जनता को काफी लाभ होगा।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

कानपुर की तहसील बिल्हौर के मंधाना क्षेत्र की 06 ग्राम पंचायतों की लगभग 900 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजीव दरियाबादी-

[महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद कानपुर (शहर इकाई) की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि 2005-06 में उ0 प्र0 औद्योगिक विकास निगम द्वारा कानपुर की तहसील बिल्हौर के मान्धना क्षेत्र के निम्नलिखित 6 ग्राम पंचायतों की लगभग 900 एकड़ कृषि भूमि के अधिग्रहण की तरफ दिलाना चाहता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1-बगदौधी कांगर आंशिक, 2-शादीपुर, 3-उमरादेव, 4-विरतिया, 5-पचपेर आंशिक, 6-प्रेम आंशिक क्षेत्र अग्रहीत हुआ उक्त क्षेत्र में 7 लाख रु0 प्रति बीघा की दर से शादीपुर आदि का भुगतान किया जबकि 14 लाख रु0 तय हुआ था। भुगतान की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसके बावजूद निगम सम्पूर्ण भूमि पर जबरन कब्जा कर रही है। जब शादीपुर आदि गांवों के किसानों में आपत्ति जताई इसके बावजूद भी किसानों को उनका भुगतान नहीं किया गया जबकि इनकी भूमि का भुगतान लगभग 25 लाख रुपये बीघा हो गया है। शेष शादीपुर की भूमि लगभग 5 लाख रुपया बीघा बाजार मूल्य है। यहां किसान विगत 15 दिनों से धरना-प्रदर्शन चला रहे हैं परन्तु निगम के अधिकारी उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से बंगलादेशियों को निकाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विद्यासागर गुप्त-

[निवेदन यह है कि उ0 प्र0 में और खास तौर पूरे लखनऊ में जगह-जगह बांगलादेशी लोग मलिन बस्तियां बनाकर हजारों की संख्या में रह रहे हैं। उनके राशन कार्ड और वोटर कार्ड भी बनाये जा रहे हैं। वह लोग चोरी डकैतियों एवं अन्य गैर कानूनी कार्यों में लिप्त हैं और प्रदेश के कानून-व्यवस्था भी चौपट हो गयी है।

श्रीमन् आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करता हूं कि इन बांगलादेशियों को लखनऊ एवं प्रदेश के अन्य जनपदों से निकालने के आदेश दिये जायें।]

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर अन्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है क्योंकि वर्तमान में हाटा तहसील के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की दूरी बहुत अधिक पड़ती है जिसके कारण जनमानस को वहां पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में सरकार द्वारा कप्तानगंज नगर पंचायत को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में कागजी कार्यवाही भी की गयी है लेकिन अभी तक कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने की घोषणा नहीं की गयी जबकि नगर पंचायत कप्तानगंज तहसील बनाये जाने पूर्ण मानक रखता है। कप्तानगंज नगर पंचायत को तहसील बनाये जाने हेतु धरना प्रदर्शन किये जाते रहे हैं। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने के कारण जनमानस में असन्तोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर में जिलाधिकारी के आदेश से बहुत चौड़े बनाये जा रहे अवैध नाले के निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृपा शंकर सिंह-

[महोदय, ग्राम महेश खेड़ा तह0 बीघापुर जनपद उन्नाव में सिंचाई विभाग द्वारा जिलाधिकारी के निर्देश पर किसानों की भूमि जमीन से बहुत चौड़े नाले का निर्माण कराया जा रहा है। किसानों को उनके भूमि का न तो मुआवजा दिया गया है न ही उनको बदले में कोई जमीन दी गयी है जिससे उस क्षेत्र के किसान आन्दोलित हैं। कल एस0डी0एम0 और थानाध्यक्ष बलपूर्वक नाले का निर्माण कराना चाह रहे थे जिस पर किसानों ने अवैध नाला निर्माण को रोकने हेतु आन्दोलित होकर विरोध प्रकट किया। इसमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने धक्का मुक्की करके एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विधवा को घायल कर दिया। इस घटना से क्षेत्रीय जनता उद्वेलित हैं और आज पुनः भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जिलाधिकारी के निर्देश पर नाला निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। यह एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है तथा यदि नाला न रोका गया तो पूरे क्षेत्र का किसान जनआन्दोलन कर रहे हैं। किसानों की भूमिधरी जमीन पर अधिकारियों द्वारा नाला बनाया जाना नितान्त अनुचित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को किसानों की भूमिधरी जमीन से नाला निकलवाने को रुकवाने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में विधायक निधि 2000 से 2002 एवं पूर्वांचल विकास निधि 1998 से 2001 की धनराशि का गबन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बैजनाथ दुबे-

[मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 में विधायक निधि में अनियमितता की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा अतारांकित प्रश्न एवं नियम-51 दिनांक 5-9-2002 के माध्यम से उठाया था जिसकी जांच का कार्य मण्डलायुक्त देवीपाटन मण्डल को दी गई थी। मण्डलायुक्त ने अपने अधीनस्थ टी0ए0सी0 से जांच करायी तथा आरोप सही पाये गये इसी बीच अपराध अनुसंधान विभाग उ0 प्र0 को अर्धशासकीय पत्र-270/25-8-2003, 17/02-06-2003, 28-04-2003 गोपन अनुभाग के आदेश के क्रम में जांच की गई है और कर्मचारियों के विरुद्ध मु0अ0सं0-396/2002, धारा-409, 406 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर, गोण्डा एवं 489/02, धारा-409, 406 भा0द0वि0 थाना कोतवाली फैजाबाद में दर्ज करायी गयी तथा मण्डलायुक्त के निर्देश पर टी0ए0सी0 जांच के आधार पर परियोजना निदेशक को 5285696/-का प्रथम सूचना रिपोर्ट में गबन को सम्मिलित करने हेतु निर्देश दिये गये। मण्डलायुक्त

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

देवीपाटन के निर्देश पर परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 गोण्डा ने अपने पत्रांक सं0-वि0नि0यो0/प्र0सू0रि0/2002-03 दिनांक 14-12-2002 को एफ0आई0आर0 में टी0ए0सी0 रिपोर्ट सम्मिलित करने हेतु कोतवाली नगर गोण्डा से अनुरोध किया। परन्तु अब तक वसूली की कार्यवाही नहीं हो पायी तथा कार्यवाही से भी नहीं अवगत कराया गया।

इसी क्रम में पूर्वांचल विकास निधि वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-01 को भी नियम-301 के माध्यम से दिनांक 2-2-2010 को उठाया गया इस पर भी जांच करायी गई थी और आरोप सही पाये गये तथा अधिकारियों से रु0 134709/-एवं 10.46 लाख की वसूली के आदेश दिये गये परन्तु अभी तक उक्त अधिकारियों से दोनों प्रकरण में आर0सी0 जारी करके वसूली की कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व प्रकरण को मा0 सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त विधायक निधि एवं पूर्वांचल विकास निधि में गबन की धनराशि की तत्काल वसूली करने हेतु शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के गढ़वारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड सुजानगंज में जर्जर विद्युत तार टूटने से हो रही घटनाओं पूर्व पूर्वांचल विकास निधि से चयनित ग्राम का विद्युतीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

[जनपद जौनपुर के विधान सभा गढ़वारा में राजा बाजार विकास खण्ड महराजगंज तथा ग्राम भटोली दुबान/कोदई का पुरा/कोतॉव तथा सुजानगंज बाजार विकास खण्ड सुजानगंज में जर्जर तार टूटने से आये दिन घटनायें होती रहती हैं। अभी हाल में ही राजा बाजार में तार टूटने से एक विधवा महिला का घर जल गया तथा बाजार में व्यवसायी वर्ग के लोग के होने की वजह से तार टूटने से अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विभाग को बार-बार अवगत कराने के बावजूद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पा रही है। जनमानस काफी आक्रोशित है। सुजानगंज के वर्तमान अवर अभियंता न तो टेलीफोन उठाते हैं और न ही जर्जर तार के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं करना चाहते हैं।

उल्लेखनीय होगा मेरे द्वारा दिये गये विधायक निधि, पूर्वान्चल विकास निधि/बिजनेस प्लान के तहत चयनित गांव पर धन देने के बाद भी विद्युतीकरण नहीं कराया जा रहा है। जिसकी वजह से ग्रामीण विद्युत लाभ से वंचित है।

अतः तत्काल प्रभाव से उपर्युक्त गांव में जर्जर तार बदलने तथा विद्युतीकरण करने तथा सुजानगंज के अवर अभियंता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कुशीनगर जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार शस्त्र लाइसेंस न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शम्भू चौधरी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद कुशीनगर में नियमानुसार शस्त्र लाइसेंस न दिये जाने के तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

जनपद कुशीनगर में जिला प्रशासन द्वारा शस्त्र लाइसेंस दिये जाने में अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। तमाम ऐसे शस्त्र लाइसेंसों का प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर के यहां लम्बित हैं जिन्हें वास्तव में अपने जान माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता है।

मान्यवर, आपके संज्ञान में उदाहरण स्वरूप यह भी लाना चाहता हूं कि विगत कुछ माह पहले श्रीमती ममता देवी बसहिया उर्फ कप्तानगंज थाना पो0 कप्तानगंज जो क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की प्रमुख भी हैं द्वारा अपने जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया था जिसमें कुशीनगर जिला प्रशासन द्वारा मौखिक रूप से यह कहा गया कि आपके पति के ऊपर कुछ मुकदमें हैं इसलिए आपको लाइसेंस देने में दिक्कत आ रही है जबकि आवेदिका के ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है।

नियमानुसार जिस व्यक्ति के ऊपर अपराध सिद्ध हुआ हो या अपराधी हो ऐसे व्यक्ति को शस्त्र लाइसेंस देने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच परख कर ही लाइसेंस निर्गत करना अथवा नहीं करना उचित होगा।

उक्त शस्त्र लाइसेंस के सम्बन्ध में आपके द्वारा भी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को पत्र के माध्यम से नियमानुसार शस्त्र लाइसेंस दिये जाने को कहा गया था किन्तु फिर भी शस्त्र लाइसेंस दिये जाने में अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है।

अतः आपसे आग्रह है कि उक्त आवेदिका तथा अन्य जन की जानमाल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये जाने की मांग करता हूं।]

सरकारी भवन में एन0जी0ओ0 का कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

चौ0 सत्यपाल सिंह-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्था राजकीय बाल गृह शिशु प्राग नारायन रोड लखनऊ जो सरकारी भवन है इसमें वाइन्ड लाइन के कार्यालय का संचालन एक एन0जी0ओ0 द्वारा किया जा रहा है चूंकि भवन, महिला कल्याण विभाग का सरकारी भवन है तथा बिजली बिल, टेलीफोन तथा पानी का भुगतान भी विभाग द्वारा किया जा रहा है और असरकारी चाइल्ड लाइन के दफ्तर को फर्नीचर आदि भी उपलब्ध कराया गया है। इससे पूर्व टिकरा हाउस लखनऊ में भी एक एन0जी0ओ0 का कार्यालय चल रहा था उसको

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भी बिजली बिल, फर्नीचर आदि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया था। खाली कराने के समय उक्त एन0जी0ओ0 से बिजली बिल व पानी बिल की कोई भी वसूली अभी तक नहीं की गयी। सरकारी भवन में असरकारी दफ्तर का संचालन कराया जाना नियमों के विरुद्ध एवं शासकीय धन की बर्बादी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि असरकारी कार्यालय को तत्काल सरकारी भवन से खाली कराकर सम्बन्धित संस्था से पूरे कार्यकाल का बिजली और पानी एवं टेलीफोन बिल की औसत वसूली किये जाने के निर्देश सरकार को देने का कष्ट करें।]

फैजाबाद के परिवहन विभाग में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुधीर कुमार-

[मान्यवर, उ0प्र0रा0स0प0नि0 के फैजाबाद क्षेत्र में श्री सन्तोष कुमार लगभग 13 वर्षों से कार्यरत हैं तथा वर्तमान में सेवा प्रबन्धक एवं फैजाबाद डिपो प्रभारी का भी कार्य देख रहे हैं। इनके द्वारा निगम के प्रतिष्ठावान एवं इन्हें अनुचित लाभ न पहुंचाने वाले कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जाता है। इनके द्वारा पूर्व संविदा पर चालक श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फैजाबाद डिपो परिसर में कमरा आवंटित किया गया है। जहां बैठकर श्री मिश्रा श्री सन्तोष कुमार के समर्थन से कर्मचारियों से अवैध वसूली करते हैं। इनके क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में माननीय विधायक श्री चन्द्रभद्र सिंह द्वारा पत्रांक-ग-3,885169, दिनांक 9-7-2011 तथा मा0 विधायक श्री रमेश गौतम द्वारा दिनांक 15-5-2011 को शिकायती-पत्र दिया गया, परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सन्तोष कुमार द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित की गयी है। जिसकी शिकायत विभिन्न मजदूर संगठनों द्वारा समय-समय पर की गयी है। इनकी गति विधियों की जांच परिवहन निगम के हित में आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि जांच के पूर्व श्री सन्तोष कुमार को फैजाबाद क्षेत्र से हटा दिया जाय जिससे वह जांच कार्य प्रभावित न कर सकें।

परिवहन निगम के हित में यह अतिआवश्यक है कि श्री सन्तोष कुमार को निलम्बित कर इनके सम्पूर्ण कार्यकाल की तथा इनके विरुद्ध की गयी शिकायतों की गहन जांच करायी जाय।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण की जांच कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक मुहम्मदी में डा0 अम्बेडकर समग्र विकास योजना में चयनित ग्रामों को पुनः विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उत्कर्ष वर्मा-

[मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक-मोहम्मदी के ग्राम पंचायत-मोहम्मदपुर दीन (ग्राम-भीमनगर जो अनुसूचित जाति की बस्ती है) का वर्ष 1997-98 में डा0 अम्बेडकर समग्र

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम विकास के रूप चयन कर इन्दिरा आवास, नल, शौचालय, खड़न्जा, सड़क व बिजली आदि विकास कार्य कराये गये थे। असंतृप्तता के कारण उक्त ग्राम को पुनः विकास कार्यों से संतृप्त करने हेतु उक्त योजना के अन्तर्गत ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में चयनित कर निर्माण सामग्री (ईट, गिट्टी, मौरंग व बालू आदि) जो गिरायी गयी थी, को वन विभाग के कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आपत्ति कर जबरदस्ती हटवा दिया गया है जो सरकारी नीतियों/आदेशों का सरासर उल्लंघन एवं संतृप्त होने वाले ग्राम के साथ घोर अन्याय है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कि उक्त ग्राम भीमनगर जो वर्ष 1997-98 में चयनित होकर विकसित हुआ था एवं पुनः वर्ष 2011-12 में पुनः संतृप्तिकरण हेतु चयनित हुआ था, को डा0 अम्बेडकर समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत पुनः विकास कराकर संतृप्त कराने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर में लुम्बनी दुद्धी राजमार्ग सहित कतिपय अन्य जर्जर मार्गों को ठीक कराने एवं नया बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जावेद अंसारी एडवोकेट-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली अति महत्वपूर्ण सड़कों की घोर उपेक्षा से आम नागरिकों का पैदल चल पाना दूभर हो गया है। ये सड़कें आवागमन योग्य नहीं रह गयी हैं जिनका प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराया जाना ग्रामीण विकास तथा जनहित में आवश्यक है।

1-लुम्बनी-दुद्धी राज मार्ग जौनपुर से शाहगंज जाने वाला मुख्य मार्ग पूर्वांचल विश्वविद्यालय तक पुनर्निर्मित कराया गया, परन्तु पूर्वांचल विश्वविद्यालय से शाहगंज होते हुए बिलवाई बाजार तक लगभग 38 किमी0 की अति महत्वपूर्ण सड़कें अत्यन्त जर्जर, गड्ढायुक्त पैदल चलने योग्य नहीं रह गयी हैं जिससे लोगों को भारी असुविधा है तथा मार्ग के न बनाये जाने से व्यापक रोष व्याप्त है।

2-इसी प्रकार वि0 खं0 करंजा कला के ग्राम मनवल में माले यादव के मकान से मुख्य सड़क तक जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग पैदल चलने योग्य नहीं रह गया है। लगभग 2 किमी0 सड़क अत्यन्त जर्जर है इसका शून्य से लेपन स्तर तक का जनहित में निर्माण जरूरी है।

3-वि0 ख0 खुटहन स्थित मुबारकपुर से जठाना का सम्पर्क मार्ग पूर्व प्रधानाचार्य राम पलट यादव के घर तक अत्यन्त जर्जर डेढ़ कि0मी0 सड़क को पुनर्निर्माण जनहित में कराया जाना आवश्यक है।

4-साथ ही पूर्वांचल विश्वविद्यालय के आगे से देवकली के कटानी पुरवा तक की 800 कि0मी0 तक शून्य से लेपन व मीरापुर छतौरा सम्पर्क मार्ग (मेन रोड पर स्थित अदालती हरिजन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के मकान के आगे से) संजय सिंह के मकान तक 400 मीटर सम्पर्क मार्ग का लेपन स्तर तक का कार्य जनहित में आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विकास से सम्बन्धित कार्य को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें।]

इलाहाबाद में जुगनीडीह से कमला नगर मार्ग पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सोरांव जनपद इलाहाबाद में जुगनीडीह से कमलानगर मार्ग पर पुल न होने के कारण क्षेत्रीय जनता के आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण जनहित में पुल का निर्माण कराना आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसे जनहित के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जुगनीडीह से कमलानगर मार्ग पर पुल निर्माण कराने हेतु सम्बन्धितों को आदेशित करने का कष्ट करें।]

जनपद बांदा में संविदा कर्मी बल्लू शाह एवं संतोष निषाद की राजकीय कार्य करते हुए करन्ट लगने से हुई मृत्यु के बाद परिवारीजनों को मुआवजा एवं एक-एक परिवार के सदस्य को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश चौरसिया-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बांदा में संविदा कर्मी के रूप में बल्लू शाह पुत्र जामिन शाह निवासी ग्राम रामपुर व सन्तोष निषाद पुत्र राम स्वरूप निषाद निवासी ग्राम चिल्ला में तैनात थे जो अवर अभियन्ता की देख-रेख में विद्युत दोष ठीक करने का काम करते थे पावर हाउस जसपुरा में तैनात अनिल कुमार अवर अभियन्ता ने सिट डाउन लेकर बल्लू शाह को लाइन ठीक करने के बाद खम्भे पर चढ़ा दिया और पांच मिनट बाद लाइन चालू करा दिया जिससे करन्ट लगने से बल्लू शाह बुरी तरह घायल होकर खम्भे से नीचे गिर गया और दिनांक 12-4-2011 को उसकी मृत्यु हो गयी। इसी तरह सन्तोष निषाद जो पलरा पावर हाउस में संविदा कर्मी थे सिट डाउन लेकर जे0ई0 के निर्देश में कार्य कर रहे थे। सप्लाई चालू कर देने से उनकी मृत्यु हो गयी है। सरकार की तरफ से अभी कोई आर्थिक सहायता उक्त दोनों संविदा कर्मियों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मा0 महोदय से अनुरोध है कि उक्त दोनों संविदा कर्मियों के परिवार को 10-10 लाख रुपये मुआवजा दिये जाने तथा परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी दिये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने हेतु सरकार को निर्देश देने की कृपा करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड होलागढ़ में बने क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गुरू प्रसाद मौर्या-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत मड़ियाहू शाखा बड़ी नहर है। जिस पर स्थित ग्राम सभा मुकुन्दपुर किमी0 8,250, बभनपुर कि0मी0 10.300, तथा उमरिया बादल उर्फ गैंडा किमी0 12.00 वि0ख0 होलागढ़ में बने पुल लगभग 10 वर्षों से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ग्रामीण जनता व क्षेत्र वासियों का आवागमन बाधित है जिससे जनता में भारी आक्रोश है। जोकि जनहित में उक्त पुलों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त जनहित या लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त कार्य कराने की कृपा करें।]

जनपद इलाहाबाद के निर्वाचन क्षेत्र झूंसी के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मुख्य मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रवीण पटेल-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद के मेरे निर्वाचन क्षेत्र झूंसी के अन्तर्गत निम्नांकित मुख्य मार्ग क्षेत्र का अत्यन्त व्यस्ततम मार्ग है, लोक निर्माण द्वारा निर्मित निम्नांकित भुजमार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गई है, लोगों का आवागमन बन्द हो गया है, मार्ग के मरम्मत न होने के कारण आम लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि क्षेत्र के निम्नांकित मुख्य मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

1-हनुमानगंज सहसों मुख्य मार्ग पर ग्राम बनी से वारी मुख्य मार्ग तक लगभग 2 किमी0।

2-जी0टी0 रोड मुख्य मार्ग पर सरयतोपुर से कटियारी चकिया तक लगभग 1.5 किमी0।

3-बाबूगंज कनेहरी मुख्य मार्ग पर गिरधरपुर मनेयू होते हुए बेलवा तक। लगभग 2 कि0मी0।]

स्व0 श्री राम रतन, सहायक अध्यापक के आकस्मिक निधन के फलस्वरूप इनके पुत्र को मृतक आश्रित में नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल दोहरे-

[आपके संज्ञान में लाना है कि श्री कुलदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री राम रतन, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, पूरनमऊ, नेकपुर, मल्लावां, जनपद-हरदोई का आकस्मिक निधन दिनांक 14-7-2001 को ड्यूटी के दौरान हो गया था। इनके परिवार द्वारा नियमित समय-सीमा के अन्दर मृतक आश्रित के रूप में इनके पुत्र को लिये जाने हेतु आवेदन किया गया था किन्तु विभाग द्वारा लापरवाही के चलते अभी तक इनके पुत्र को मृत आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः उक्त प्रकरण पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए सदन के पटल के माध्यम से तत्काल प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं तथा साथ ही साथ इनके पुत्र श्री कुलदीप कुमार को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त/समायोजन किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।]

जनपद रायबरेली की हैदरगढ़ एवं बछरावां से महराजगंज एवं रायबरेली से शुकुल बाजार वाया इन्हौंना की सड़कों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजाराम त्यागी-

[जनपद-रायबरेली के अन्तर्गत बछरावां विधान सभा की बछरावां से हैदरगढ़ एवं बछरावां से महराजगंज दोनों की दूरी 20 कि0मी0 पड़ती है। भारत सरकार ने सी0आर0एफ0 से इनकी वाइडनिंग एवं स्टेन्थिंग हेतु प्रत्येक सड़क को बीस-बीस करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इसी के साथ रायबरेली, शुकुल बाजार वाया इन्हौना को कि0मी0 06 से कि0मी0 10 तक के लिए चौड़ीकरण हेतु चार करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। उ0 प्र0 सरकार को पैसा प्राप्त हो जाने के बाद भी अभी तक कार्य नहीं कराया गया है। इन सड़कों के चौड़ीकरण न होने से आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और लोगों की जानें चली जाती है। इस सड़कों को शीघ्र चौड़ी किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मार्ग को चौड़ीकरण न होने से लोगों में रोष तथा क्षोभ व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड फूलबेहड़ व बेहजम लखीमपुर के दलित बाहुल्य ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश कुमार गौतम-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड फूलबेहड़ के निम्नलिखित ग्राम चुरुई पुरवा मजरा हेडोलना, झखरा, अटकोना, सलारपुर, दलित बस्ती का पुरवा, मोहना पुरवा मजरा सिसौना, टाणा मजरा तेतारपुर, बेचपरी, मेड़ईपुरवा, उर्रा, खुसिटवा, बेरिहा, मुकुन्दा मजरा मकसोहा, रैनी, लठिया, नरी, गोसियाना, विकास खण्ड लखीमपुर के अन्तर्गत ग्राम बैदनपुरवा, लोनीपुरवा मजरा करनपुर वि0 खं0 बेहजम के अन्तर्गत ग्राम मिर्जापुर, इन्दिरानगर, जहानपुर, ऊंचीपार इत्यादि का आजादी के इतने वर्षों के उपरान्त भी अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो सका है ग्रामों में विद्युत न होने के कारण रात में जंगली जानवरों का अत्यधिक प्रकोप बढ़ गया है रात के समय हमेशा अप्रिय घटना घटित होने की आशंका बनी रहती है। ग्रामों के छात्र-छात्राओं की शिक्षा-दीक्षा बाधित हो रही है। किसानों को सिंचाई हेतु अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युतीकरण हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों से कई बार अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक उपरोक्त ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो सका है जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड फूलबेहड़ व बेहजम, लखीमपुर के उपरोक्त दलित बाहुल ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मऊ में मोहम्मदाबाद गोहना की कतिपय सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न सड़कों का जैसे-

(1) आजमगढ़-मुहम्मदाबाद मुख्य मार्ग से बरामदपुर शेख शल्लू मियां के घर होकर बरामदपुर गांव तक 1.5 कि0मी0 सड़क का पुनर्निर्माण कार्य।

(2) मु0 बाद गोहना-आजमगढ़ मुख्य मार्ग से बनियारपार होते हुए हाफिजपुर गांव तक 3.00 कि0मी0 सड़क का पुनर्निर्माण कार्य।

(3) रानीपुर मिर्दाहादीपुर मुख्य मार्ग से दुर्जेपुर मोड़ से पलिया गांव तक 3.00 किमी0 सड़क का पुनर्निर्माण कार्य।

क्षेत्रीय जनता का अनुरोध है कि निम्नवत् सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़कों का पुनर्निमार्ण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 10 अगस्त, 2011 को नियम-300 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुयीं :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी ने अध्यक्ष पीठ एवं शासन स्तर से समय-समय पर दिये गये निर्देशों के बावजूद शासन के अधिकारियों द्वारा माननीय विधान सभा के सदस्यों के प्रति प्रोटोकाल के नियमों का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-263 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति के मा0 सभापति का नाम- निर्देशित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना श्री राम बिशुन आजाद एवं श्री अनूप सण्डा की पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश एवं जिलांश की धनराशि आवंटित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्री जोखूलाल यादव ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये बजट में प्राविधानित मदों की धनराशि अन्य मदों में खर्च किये जाने के सम्बन्ध में। पांचवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (2005-06) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को लागू कराये जाने के सम्बन्ध में। छठवीं सूचना श्री बैजनाथ दूबे की जनपद गोण्डा तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम-बभडेरा, पूरे वृतिहा के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निवासी लान्स नायक सुनील कुमार तिवारी द्वारा आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो जाने के सम्बन्ध में। सातवीं सूचना चौ0 सत्यपाल सिंह की महिला कल्याण निगम द्वारा चलाये जा रहे महिला रोजगारपरक कार्यक्रमों हेतु ऊंची दर पर खरीद फरोख्त कर गड़बड़ी किये जाने के सम्बन्ध में। यह सूचना संविधान के अनुच्छेदों तथा सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियमों से सम्बन्धित न होने के कारण पोषणीय नहीं है, अतः नहीं सुनी जायेगी। आठवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना में करोड़ों रुपयों का गबन किये जाने के सम्बन्ध में। यह सूचना संविधान के अनुच्छेदों तथा सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियमों से सम्बन्धित न होने के कारण पोषणीय नहीं है, अतः नहीं सुनी जायेगी। नौवीं सूचना श्री लालजी यादव की नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत शारदा नगर योजना/कानपुर रोड योजना में सीवरेज पम्पिंग प्लान्टों के निर्माण में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में। यह सूचना संविधान के अनुच्छेदों तथा सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियमों से सम्बन्धित न होने के कारण पोषणीय नहीं है, अतः नहीं सुनी जायेगी। दसवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की जनपद लखीमपुर खीरी में तिकोनियां खाद गोदाम में खाद न मिलने के कारण किसानों के सामने उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में। यह सूचना संविधान के अनुच्छेदों तथा सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियमों से सम्बन्धित न होने के कारण पोषणीय नहीं है, अतः नहीं सुनी जायेगी। ग्यारहवीं सूचना सुश्री मिथलेश पाल की जनपद मुजफ्फरनगर, प्रेमपुरी स्थित जैन कन्या पाठशाला इण्टर कालेज में अध्यापिकाओं की अनियमित नियुक्ति निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में। यह सूचना संविधान के अनुच्छेदों तथा सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियमों से सम्बन्धित न होने के कारण पोषणीय नहीं है, अतः नहीं सुनी जायेगी।

अध्यक्ष पीठ एवं शासन स्तर से समय-समय पर दिये गये निर्देशों के बावजूद शासन के अधिकारियों द्वारा माननीय विधान सभा के सदस्यों के प्रति प्रोटोकाल के नियमों का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर जो सदन से सम्बन्धित है, उस पर मुझे नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी भारत का संविधान जो है दुनिया के श्रेष्ठतम संविधानों में से एक है। लिखित संविधान है। गहन अध्ययन के बाद संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री समिति ने किया था। मान्यवर, इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र चार स्तम्भों में खड़ा है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता। आज जब हम देखते हैं नक्शा उठाकर एशिया का तो भारत वर्ष ही एक ऐसा देश है जो आस-पास जहां लोकतंत्र बिखरता है, जुड़ता है, फिर बिखरता है, कहीं न कहीं संकट आता है, लेकिन हमारा लोकतंत्र जबसे बना यह देश संविधान लोकतंत्र हमारा अडिग है अक्षुण है।

मान्यवर, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है लेकिन इधर मैं देख रहा हूं कि संविधान की जो सबसे बड़ी खुबसूरती थी कि यह चारों स्तम्भ जिनका मैंने जिक्र किया यह एक दूसरे को ओवरलैप न

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करें एक दूसरे के क्षेत्रों में दखल न दें लेकिन आज मैंने जो विषय यहां पर उठाया है मान्यवर, कहने के लिए मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस विधायिका का अधिकारों का दिन बदिन क्षरण होता जा रहा है विधायकों की गरिमा परम्पराएं और सच पूछे तो मान्यवर, विधायक है क्या ? यह पूरा सदन मिलकर विधायिका बन जाता है सदन बन जाता है और जिस समय एक विधायक का अपमान हो जाय या एक विधायक की गरिमा कहीं खण्डित होती है तो सच पूछें तो आपकी गरिमा खण्डित होती है, विधान सभा की गरिमा खण्डित होती है। लेकिन मैं किसी एक सरकार पर नहीं, किसी एक साल पर नहीं, किसी एक घटना की बात नहीं कर रहा हूं दसियों साल से और पीछे ले जाना चाहें तो कई सालों से धीरे-धीरे अधिकारों का क्षरण होता चला जा रहा है। न्यायपालिका के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन जिस तरह से कार्यपालिका मान्यवर, विधायिका के प्रति शिष्टाचार के जो नियम कानून आपने बनाये हैं उनका पालन नहीं कर रही है यह एक अत्यन्त चिन्ता का विषय है। इसे बहुत गम्भीरता से लेने की जरूरत है वर्ना मैं साफ शब्दों में इस सदन में कह देना चाहता हूं एक वह दिन आयेगा जब इस विधायिका के दरवाजे पर कार्यपालिका ताला बन्द कर देगी और अपनी तिजोरी में रख देगी और उसके बाद तभी विधायिका काम करेगी जब कार्यपालिका उसको इजाजत देगी। मान्यवर, अगर हम अपने गौरव, गरिमा की रक्षा के लिए खुद मजबूत कदम नहीं उठाते तो फिर हमें दूसरों को दोषी भी नहीं ठहरना चाहिए। मैं इसी सदन में आज जब पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं आपके सामने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कि हमारा तो छोड़िये आपके दिये हुए निर्देशों का पालन क्यों नहीं होता, हमारा तो छोड़िये इस सरकार के दिये वचन, इनके समय-समय पर जारी किये शासनादेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है मैं यहां पर किसी से नहीं पूछने जा रहा हूं कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है लेकिन मैं 4 बिन्दु रख देता हूं आपके सामने और यह रख रहा हूं उत्तर प्रदेश शासन के संसदीय अनुभाग-2 के 25 अप्रैल, 2007 तक के जो संकलित आदेश, शासनादेश है। मान्यवर, आप देखें अगर क्या इसका पालन हो रहा है यह सवाल मैं सदन में रखना चाहता हूं। मान्यवर, सदस्यों के सम्मान के लिए यह कहा गया है पृष्ठ 29 पर मान्यवर, एक छोटी सी बात मैं कह देता हूं जो रोजमर्रा की बात है आपकी पीठ द्वारा स्पष्ट और कड़े आदेश जारी किये गये हैं सभा स्थल या समारोह में सम्मानित सदस्य के आसन के लिए प्रोटोकाल का पालन किया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि 15 अगस्त आने वाला है बता दीजिएगा कितने 15 अगस्त, 26 जनवरी या बैठकें बीत गयीं क्या हमारे सम्मान की रक्षा करते हुए इन आदेशों का प्रोटोकाल में पालन होता है।

हम प्रोटोकाल में प्रमुख सचिव के ऊपर आते हैं लेकिन कहां पालन होता है यह मैं जानना चाहता हूं आपसे। मान्यवर, जब मैं यह औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं तो एक विषय और लाना चाहता हूं साधारण सा है मान्यवर, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण। मान्यवर, जब कोई माननीय सदस्य किसी अधिकारी के कार्यालय में जायें और जब अधिकारी की बात होती है तो सभी अधिकारियों की बात होती है शीर्ष से लेकर नीचे तक। जब कोई सदस्य किसी अधिकारी के कार्यालय में मिलने जायें उस अधिकारी को खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। मान्यवर, मैं यहां कुछ सफाई नहीं चाहता मैं यहां नहीं चाहता कि इस पर वाद-विवाद हो लेकिन यहां जितने लोग बैठे हैं वह मुझे बता दें कि इस शिष्टाचार का पालन कहां होता है, कितनी जगहों पर होता है और किसके साथ होता है। मान्यवर, खड़ा होना

तो दूर रहा प्रतीक्षा करनी पड़ती है छोटे से छोटे अधिकारी बैठे रहते हैं और हमारे विधायक लाबी में बैठे रहते हैं। मान्यवर, मैं दूसरी बात उठाना चाहता हूं कि यह भी है कि जब बात खत्म हो जाय तो उसे विदा करना चाहिए खड़े होकर यथासम्भव प्रयास करना चाहिए कि सम्मान के साथ उसे विदा करें कहां किया जाता है। पत्रों के संदर्भ में जो पत्र हमारे जाते हैं। मैं नहीं जानता, बहुत खुशकिस्मत कोई विधायक हो, जिसके पत्रों का समय से सही जवाब आता हो, वरना जो मान्यवर, आपका शासनादेश है जिस पुस्तिका का मैंने जिक्र किया है, इसमें पहले तो यह बताना है कि आपका पत्र मुझे प्राप्त हो गया है और आपके पत्र पर हम दिखवा रहे हैं और यथासमय आपको सूचित किया जायेगा। कितने खुशकिस्मत लोग हैं, विपक्ष की तो छोड़िये, सत्ता पक्ष के कितने सम्मानित विधायक हैं, जिनको यह सम्मान मिलता है, जिनके पत्र का तत्काल जवाब आ जाता है। मान्यवर, यही बात को अगर छोड़ दें। फोन करने पर 10-10, 15-15, 20-20 लोग फोन करते हैं और इंतजार ही करते रहते हैं। फोन करने पर पहली व्यवस्था है कि जब आप फोन करें तो अगर अधिकारी किसी अत्यन्त आवश्यक कार्य में व्यस्त नहीं है तो वह उसी समय फोन लेगा, अगर व्यस्त है तो व्यस्तता जैसे ही समाप्त होगी तो सबसे पहला वह काम करेगा कि काल बैक करेगा। पता नहीं कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिनको यह सुविधा मिली हुई है। मान्यवर, अखबार पढ़ता हूं, चौथे, पांचवें, छठे पेज पर पता लगता है कि कोई जिलाधिकारी, कोई उप जिलाधिकारी उद्घाटन करता रहता है और हमारे सम्मानित विधायक उसमें बुलाये ही नहीं जाते हैं और अगर बुलाये भी जाते हैं तब भी उद्घाटन वह स्वयं करता है। मान्यवर, यह कोई एहसान नहीं होगा, यह तो मान्यवर, निर्देश है आपका, कि जब कभी ऐसे कार्यक्रम हों, सम्मानित विधायक को सम्मानपूर्वक बुलाना चाहिये।

मान्यवर, एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि अगर बाढ़ आ गयी है, कहीं अग्निकांड हो गया, कहीं दैवी आपदा आ गयी तो राहत के समय यह जिम्मेदारी उस अधिकारी की है, जो राहत बांटने जायें कि उस क्षेत्र के सम्मानित विधायक को लेकर जाये। यथासंभव अगर प्रमुख भी हों तो उसको भी लेकर जाये लेकिन बात चूंकि विधायकों और विधायिका की चल रही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी जगहों पर इस निर्देश का पालन होता है। अगर कोई कहे भी अगर, तो होता क्या है कि मान्यवर, कोशिश की जाती है कि जिस समय राहत सामग्री बंटे, तब विधायक जी मौजूद न रहें। मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा हूं, इसको लाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। हम यहां विषय उठाते हैं, आप निर्देश दे देते हैं, सरकार की तरफ से चाहे यह सरकार हो, चाहे दूसरी सरकार हो, चाहे तीसरी सरकार हो, चाहे चौथी सरकार हो, माननीय मंत्री खड़ें होते हैं, वह कहते हैं कि हम एक और सरकुलर जारी कर देगें और सरकुलर के जारी होते-होते इस विषय पर 138 पेज हो गये हैं। इन 138 पेजों के बाद मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत दुख के साथ कहना यह चाहूंगा कि क्षरण तो हुआ है, लेकिन कहीं संतोष नहीं हुआ है। तो मान्यवर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, विधायिका नहीं मजबूत रहेगी तो यह जान लीजिये कि देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा और यह जिम्मेदारी आपकी है, यह जिम्मेदारी हमारे सम्बन्धित मंत्रियों की है यह जिम्मेदारी हम सबकी है कि इस शिष्टाचार का पालन जो न करें, उसकी सूचना आपको मिले और आप कार्यवाही करें। कारण क्या हो गया है, इधर हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। एक

फर्ज अदायगी की जाती है और जब फर्ज अदायगी की जाती है तो उनका मन और बढ़ जाता है। मान्यवर, मैं आज विधायिका के सम्मान के लिये आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, याचना करूंगा कि इस विषय पर पूरा सदन एकमत हो जाये और एकमत होकर यह सुनिश्चित कर ले कि विधायिका के सम्मान की रक्षा के लिये जो लोकतंत्र में है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि के प्रति अधिकारी जवाबदेह है अगर इसे आप सुनिश्चित नहीं करेंगे तो वह दिन दूर नहीं, जब विधायिका में ताला लगेगा और कार्यपालिका उसे अपनी जेब में रखेगी, तो मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हुये आपसे चाहता हूं कि इसका आप कड़ाई से पालन करायें, दलों की दीवार से ऊपर उठकर करायें और सिर्फ फर्ज अदायगी न करें बल्कि इसे देखें वरना इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरी नोटिस तो नहीं है, लेकिन सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जितनी बातें कहीं, यह हम सब लोगों का अनुभव है और पूरे सदन की इस पर एक राय होगी, इस पर कोई संशय नहीं हो सकता। दूसरी बात और इसके साथ जोड़ना चाहता हूं ताकि व्यवस्था में यह शामिल हो जाये। अधिकारी जितना इन चीजों को करते हैं और जानबूझकर विधायकों के सम्मान की अनदेखी हो रही है, उसके साथ एक दूसरी बात और हो रही है, हम यहां राजनैतिक तौर पर दूसरे-दूसरे दलों से आते है। चुनाव लड़कर आते हैं, कोई हमसे जीत जाता है कोई हमसे हार जाता है, कभी हम सत्ता पक्ष में होते हैं और कभी विपक्ष में होते हैं। लेकिन राजनैतिक विरोधों के बावजूद जिसकी जो मर्यादा है इस सदन में अगर कोई मंत्री है तो हमको स्वीकार करना है चाहे वह हमारा कितना भी बड़ा राजनैतिक विरोधी हो लेकिन मंत्री का एक सम्मान है। हम आज चुनाव जीत करके आये हैं और विधायक हैं तो हमसे पराजित होने वाले को भी लोकतन्त्र में इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है कि आज की तारीख में जब तक हम इस पद पर चुने गये हैं तब तक हम इस पद पर हैं और हमारी एक मर्यादा है। श्रीमन्, बार-बार यह निर्देश जारी किये गये हैं कि उद्घाटन करते समय शिलान्यास के पत्थरों को जरूर देखा जाय। अधिकारी अनदेखी क्यों कर लेते हैं मा0 मंत्रीगण जब शिलान्यास करने जाते हैं मान्यवर, इस पर विचार करेंगे और वहां शिलान्यास अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जो राजनैतिक तौर पर आपका विरोधी है तो वह पत्थर है या टुकड़े में है या नहीं लगाया गया है, इस बात पर कभी भी कोई कार्रवाई इन चार सालों में नहीं हुई है। पक्ष वालों की अनदेखी हो रही हो तो उसे मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन विपक्ष का जो विधायक है उन लोगों को अधिकारीगण पूरी तौर से उपेक्षित करते हुए अगर वहां कोई राहत का चेक बांटना हो, कोई कार्यक्रम हो तो सत्तारूढ़ पार्टी के छोटे-छोटे कार्यकर्ता जो स्थानीय हैं उनको खुशामद में, आपने नहीं कहा मैं आप पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं कि सरकार ने ऐसा कोई निर्देश दिया है लेकिन मान्यवर, खुशामद में अपनी ओर से सारा अनर्थ कर रहा है और यह खुशामद हमें कहीं न कहीं अच्छी लगती है उसके खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं होती है। मैं नहीं कहूंगा कि किस अधिकारी ने कब ऐसा किया है लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है मैं एक घटना का जिक्र कर दूंगा तो उससे बात स्पष्ट हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायेगी। हमारे जनपद बलिया में एक मार्डन तहसील बनी, उसका उद्घाटन हुआ और मा0 मंत्री जी गये और जिस दिन कार्यक्रम था उसी दिन मुझे सूचना दी गयी, यदि मुझे पहले से सूचना होती तो मैं निश्चित रूप से उनका वहां स्वागत करता लेकिन मुझे इसका भी अवसर नहीं दिया गया। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक मार्डन तहसील बनी उसके उद्घाटन के अवसर पर उसके शिलान्यास का पत्थर सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उस पर जिन लोगों का नाम था वह किसी दूसरी पार्टी से सम्बन्धित थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अधिकारियों पर ही न डालकर जिन चीजों पर नजर रख सकते हैं उन पर रखें। मान्यवर, जब आप अपनी व्यवस्था दें तो इस बिन्दु को भी शामिल करें।

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत मामला है, हमारा पत्थर हटवा दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, मा0 सदस्य कृपया बैठ जायें आपका जो मामला हो उसे लिख करके हमारे पास भेज दें।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क, पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि शिष्टाचार एवं प्रोटोकॉल के लिए शासन स्तर से समय-समय पर सम्मानित सदस्यों के सम्मान के लिए स्पष्ट एवं कड़े निर्देश जारी किये जाते रहे हैं जैसा कि मा0 सदस्य ने नियम-300 की सूचना में शासन के संसदीय कार्य अनुभाग के शासनादेश दिनांक 25 अप्रैल, 2007 का उल्लेख किया है। उक्त शासनादेश के अलावा भी समय-समय पर मा0 सांसदों, विधायकों के प्रति शिष्टाचार एवं प्रोटोकॉल का पालन करने, मा0 सदस्यों/विधायकों या जनप्रतिनिधियों से बात करके कार्यवाही किये जाने तथा विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति समान रूप से शिष्टाचार प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा क्रमशः 14 नवम्बर, 2007, 28 नवम्बर, 2007, 6 फरवरी, 2008, 30 मई, 2008, 21 अक्टूबर, 2008 तथा 24 मई, 2008 को सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। मान्यवर, मैं इस बात को दिखवाऊंगा और प्रयास करूंगा कि जो शासनादेश जारी किये गये हैं उनका पूर्णतः पालन किया जाय। मान्यवर, यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

अभी मा0 प्रमोद तिवारी और मा0 अम्बिका चौधरी जी को सुना। नियम-300 की सूचना के माध्यम से इस विधायिका के, इस सदन के सम्मानित सदस्यों के प्रति सम्मान और शिष्टाचार को किस तरह से अधिकारीगण निर्वहन करेंगे। बराबर एक निर्देश जारी होते रहे हैं जिनका उल्लेख संसदीय कार्य मंत्री जी और मा0 प्रमोद तिवारी जी ने किया है और इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूं इस लोकतांत्रिक प्रणाली में विधायिका एक महत्वपूर्ण अंग है और जिस संस्था में, जिस मण्डप में हम बैठे हैं यह अपने में एक पवित्र संस्था है, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है और मण्डप में बैठे हुए सदस्य

को कहीं न कहीं इस बात का निर्देश देना पड़ रहा है कि उनके सम्मान में और उनके विधायी कार्यों में सहयोग हेतु जो प्रोटोकॉल जारी हुए हैं, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिन शासनादेशों का उल्लेख किया है इसको दिखवायें नहीं बल्कि सरकार इसको नोटिस करे। निश्चित तौर पर इस सदन के मा0 सदस्यों की गरिमा, सम्मान जिनके लिए आपने जनपद में प्रोटोकॉल अफसर भी रखे हैं, इस सब पर गौर करते हुए यह सुनिश्चित कराने की कृपा करें कि कहीं हमारे सम्मानित सदन के सदस्यों को जो अनुमन्य है, जो सम्मान के लिए निर्देशित किया गया है इसका पूर्णतः पालन हो और हमारे सम्मानित सदस्यों के सम्मान को सुनिश्चित करायें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पालन हो यह आपकी सदिच्छा है, पालन हो इसके लिखित आदेश जायं। परन्तु एक प्रश्न अनुत्तरित है, जब इसका पालन न हो तब क्या होगा ? तो मेरा मान्यवर, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अगर सदन को आश्वस्त कर दें और सरकार को निर्देश दे दें कि भविष्य में अगर इसका पालन नहीं होगा तो ऐसे अधिकारियों को अपने चैम्बर में बुलाकर, कैसे पालन करना चाहिए, यह आप सिखायेंगें, तो मैं समझता हूं कि इसका पालन होना शुरू हो जायेगा। दो-चार अधिकारियों को आप अपने चैम्बर में बुलाकर उनको पढ़ा दें, समझा दें, चेतावनी दे दें कि भविष्य में इसका पालन होगा अन्यथा एक पत्र और चला जायेगा और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इसमें कुछ सुधार होगा।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, भरोसा रखें। मैंने इस सूचना पर मा0 प्रमोद तिवारी जी, अम्बिका चौधरी जी तथा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-263 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति के मा0 सभापति का नाम-निर्देशित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 208(1) के अन्तर्गत विधान सभा अपने कार्य-संचालन के लिए एक नियमावली का गठन करती है और उसी के तहत यह उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया का कार्य-संचालन नियमावली, 1958 निर्मित हुई है। इसके सेक्शन 263 में समितियों के गठन के बारे में विशद चर्चा है। इसके नियम-263 में विशेषाधिकार समिति के गठन की व्यवस्था है। विशेषाधिकार समिति, हमारे विधायकों के जो विशेषाधिकार हैं, उनका जब कभी उल्लंघन होता है तो उसी समिति के माध्यम से उसकी छानबीन होती है और छानबीन करके, रिपोर्ट बनाकर सदन के पटल पर रखते हैं, फिर सदन तय करता है कि जिसने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है उसको किस प्रकार का दण्ड दिया जाए, प्रताड़ित किया जाए या जेल भेजा जाए, यह पूरे सदन का अधिकार मिल जाता है। लेकिन इस कमेटी के गठन में एक व्यवस्था है कि अध्यक्ष एक विशेषाधिकार समिति

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाम-निर्देशित करेंगे, जिसमें उपाध्यक्ष को सम्मिलित करके कुल 10 सदस्य होंगे। उपाध्यक्ष इस समिति के सभापति होंगे परन्तु जब उपाध्यक्ष नहीं हैं तो समिति का अध्यक्ष कौन होगा ? संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। वह तो इस पीठ को यह आदेश है वह जिसको चाहे उसको अध्यक्ष बना दे। इसके कारण यह समिति पंगु बन गई। मुझे इसको लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बहुत से विधायकों के मामले उठते हैं और विशेषाधिकार समिति को आपके माध्यम से संदर्भित होते हैं। क्या विशेषाधिकार समिति उस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दे सकती है जिसका मान्य अध्यक्ष ही नहीं है अगर इस प्रकार का केस 1962 में केशव सिंह के मामले में उठा होता तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करके यह कह देता कि यह विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट अवैध है। यह तो महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद दीजिए कि उसने लड़कर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर जो हाई कोर्ट ने स्टे दिया है उसके आदेश को नहीं माना और जिसको सजा दिया उसको पूरी सजा भुगतनी पड़ी। हाई कोर्ट के स्टे को नहीं माना उसने अपनी गरिमा कायम की लेकिन मान्यवर, यह रपट आपके यहां आए और इसकी रिपोर्ट को कोई व्यक्ति कोर्ट में चैलेंज करे तो क्या यह मान्य होगा क्योंकि यह विधिवत गठित ही नहीं हुई है। मैं आपकी विवशता जानता हूं पीठ की विवशता जानता हूं। उपाध्यक्ष का चुनाव किन परिस्थितियों में होता है नेता सदन की सद्इच्छा इसमें महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण व्यवहार कार्य करता है। मैं नहीं समझता कि पांच साल होने को है आज तक एक समिति विधिवत गठित नहीं हो सकी। मैं इस पर ज्यादा भाषण नहीं करता केवल मैं उपाध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न को लेकर नहीं मैं 263 के बारे में आपके समक्ष प्रश्न उपस्थित कर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क, पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इसी नियमावली के नियम-201(2) में माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि समितियों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण समितियों में किसी सदस्य को सभापति नियुक्त किया जा सकता है उपर्युक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश के 100 क में भी स्पष्ट व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की दशा में जिन समितियों में उपाध्यक्ष विधान सभा सभापति होते हैं उन समितियों को अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अपने अथवा अन्य समितियों के सभापतियों के सभापतित्व में सम्बद्ध किया जा सकता है तो मान्यवर, यह नियमावली में है। आपको अधिकार है किसी को भी 201(2) में बना सकते हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय मंत्री जी आप 201(2) को आगे पढ़ें।

श्री लालजी वर्मा-

उसको देख लें उसमें लिखा है यदि सभापति किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हैं अथवा उनका पद रिक्त हो तो अध्यक्ष उनके स्थान में अन्य सभापति नियुक्त कर सकेंगे। यह 201 में है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो अथवा उनका पद रिक्त हो लेकिन नीचे पढ़िये यदि समिति के सभापति समिति के किसी उपवेशन से अनुपस्थित हों तो समिति किसी अन्य सदस्य को

उस बैठक के सभापति का कार्य करने के लिए निर्वाचित करेगी। केवल थोड़े समय के लिए निर्वाचित कर सकती है। यह गठित नहीं हुई है काम करने के लिए है यह गठन तो हुआ ही नहीं यह टम्परेरी है। आपने कुछ दिन के लिए कर दिया यह परमानेन्ट आप नहीं कर सकते हैं। परमानेंट तो उपाध्यक्ष ही होगा। मान्यवर, हम लोग अपने को धीरे-धीरे जूडिसियरी के अधिकार क्षेत्र में देते जा रहे हैं। कभी यह मामला उठेगा तो स्वाभाविक रूप से यह वहां चेलेंज होगा कि यह समिति विधिवत गठित ही नहीं थी इसलिए समिति की रिपोर्ट पर विधान सभा को कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा अब तो कुछ समय बचा है मैं पीठ की मजबूरी भी समझता हूं आप भी समझते हैं जब तक नेता सदन सहमत नहीं होंगी यह हो नहीं सकता है नेता सदन हम लोगों में से न बनाइए अपने लोगों में से बना दीजिए कुछ लोग बहुत लालायित होंगे दौड़ रहे होंगे। जो मंत्री पद नहीं पाए हैं उन्हीं को बना दीजिए कम से कम कुछ दिन के लिए तो हो जायं। मान्यवर, इस पर आप अपनी व्यवस्था दीजिए यह नहीं कि कम होगा क्या होगा गठित होगी कि नहीं।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, चार साल से जब-जब सत्र शुरू हुआ यह प्रश्न उठा। संसदीय कार्य मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा नियम सम्मत कहा कि यह आपको अधिकार है आप जैसा निर्णय लेंगे यह स्पष्ट है कि साढ़े चार साल तक आपने निर्णय नहीं लिया। समितियों का कार्य बाधित है और विशेषाधिकार समिति का कार्य बाधित हो, किसी निर्णय के न होने के कारण या नियमों में स्पष्टतया न होने के कारण तो यह कहीं न कहीं विधायक और इस सदन के विशेषाधिकार का हनन है स्वयं में। तो साढ़े चार साल से विशेषाधिकार समिति का गठन न होना यह स्वयं में विशेषाधिकार का हनन हो रहा है। केवल नियमों में स्पष्टता न होने के कारण या निर्णय न होने के कारण। मैं समझता हूं कि आपके लिये भी और इस सदन के लिये भी यह मर्यादासम्मत होगा कि जो भी व्यवधान हो, अगर उप सभापति के न होने के कारण से गठन नहीं हो पा रहा है और उप सभापति का चुनाव नहीं हो पा रहा है, जो परिस्थितियां हैं वह सब जानते हैं तो ऐसी परिस्थितियों के लिये नियमों में कोई न कोई परिवर्तन करने की प्रक्रिया अभी शुरू हो जानी चाहिए। मान्यवर, मेरा इतना आग्रह है कि नियमों में यह एक जो बाधा या नियम में अड़चन है, यह जो नियमों में एक मतभेद है, यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर उप सभापति का चुनाव नहीं होता तो समितियों की अध्यक्षता कौन करेगा ? यह नियम में संशोधन की प्रक्रिया का प्रस्ताव मैं करता हूं कि इस पर विचार हो और नियम में संशोधन किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

जैसा कि माननीय पाण्डेय जी और माननीय ओम प्रकाश जी ने विशेषाधिकार समिति के गठन के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना उठाई और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने नियमावली के नियमों का उल्लेख करते हुए बताया और आप सब लोगों ने विचार किया कि विशेषाधिकार समिति नहीं है और हम माननीय विधायकों के अधिकारों का हनन होता है, और यहां पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुनाई देता है। इस सन्दर्भ में दिनांक 10 अगस्त, 2011 को इस सदन में एक प्रस्ताव लाया गया कि उपर्युक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश के 100 क में स्पष्ट व्यवस्था है कि उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की दशा में जिन समितियों में उपाध्यक्ष, विधान सभा सभापति होते हैं, उन समितियों को अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अपने अथवा अन्य समितियों के सभापतियों के सभापतित्व में सम्बद्ध किया जा सकता है। यह निर्णय भी हुआ था और यह प्रस्ताव पारित हुआ था इसी सदन में कि अध्यक्ष चाहें तो किन्हीं समितियों के किसी सभापति को जो रिक्त समितियां हैं उसके कार्य को देखने के लिये सभापति बना सकते हैं लेकिन जहां तक विशेषाधिकार समिति का विषय है इस सन्दर्भ में मुझको अधिकृत किया गया और हमारे यहां विशेषाधिकार के प्रकरण लम्बित भी हैं और मैं स्वयं कुछ देख भी रहा हूं और कुछ का निर्णय यहीं सदन में लिया भी है, जिसको मैंने ग्राह्य किया है। इस विशेषाधिकार समिति के विषयों को जो आये हैं, मैं स्वयं देख रहा हूं अैर जितने भी प्रकरण होंगे उनको मैं उसी आधार पर स्वयं निस्तारित करने का पूरा प्रयास करूंगा।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपका निर्णय आये। आपका अंतिम रूप से जब इस पर निर्णय आये, व्यवस्था आये उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं नियम समिति के सभापति हैं। इस नियमावली में अगर कोई परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है, और समय-समय पर परिवर्तन हुए भी हैं। हमने इसके पहले भी नियमों में परिवर्तन किया है और जब हम यहां विधायी कार्य करते हैं तो सरकार तो प्रदेश को संचालित करने के लिये विधेयक ले आती है उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है और बड़े-बड़े संशोधन होते हैं। अपनी कार्य विधि तय करने के लिये अगर नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है और अनुभव के आधार पर यह किया जाना है। श्रीमन् तो नियम समिति की बैठक बुला करके और माननीय अध्यक्ष जी आप इस पर विचार कर लें। इन चीजों पर विचार कर लें और मेरी समझ से यह उपयुक्त होगा। इस टिप्पणी को अगर अन्यथा न मानें, संसदीय कार्य मंत्री जी अगर सहमत हों तो श्रीमन्, अगर 5 साल का कार्य काल बिना उपाध्यक्ष के चल गया और उन परम्पराओं को नष्ट किये जाने के सभी मेडल अगर सरकार लेना चाहती है तो एक यह भी प्रस्ताव आ जाय नियमावली में कि उपाध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया जाय। तो इस पर भी मान्यवर, विचार कर लें और उसकी दूसरी अतिरिक्त व्यवस्था कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माता प्रसाद पाण्डेय जी, श्री ओम प्रकाश सिंह तथा श्री अम्बिका चौधरी जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बजट में प्राविधानित मदों की धनराशि अन्य मदों में खर्च किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री जोखूलाल यादव की है इन्होंने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये बजट में प्राविधानित मदों की धनराशि अन्य मदों में खर्च किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। जोखूलाल यादव जी बोलें।

*श्री जोखूलाल यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके आभारी हैं आपने नियम-300 पर बोलने का मुझे अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी विधायकगण संविधान के अन्तर्गत चुनकर आए हैं। मान्यवर, संविधान के तहत ही बजट पारित होता है और बजट पारित होने के बाद विभिन्न मदों के लिए धनराशि निश्चित की जाती है और यह तय किया जाता है कि विभिन्न कार्य होंगे। लेकिन मान्यवर, इस सरकार में जो बजट पारित हुआ वह जिन कार्यों पर खर्चा होना चाहिए था वह उस पर न खर्चा करके तमाम ऐसे कार्यों में ऐसे फिजूल खर्चा किए गए जो भारत के संविधान के अनुरूप जो कार्य होने चाहिए थे बजट पारित होने के बाद वह नहीं हुए। इसलिए आप देख लें नियम-300 आप अवगत हैं जिसमें संविधान का उल्लंघन होता हो और आप कार्य-संचालन नियमावली, 1958 देख लें उसका भी उल्लंघन हो रहा है तो मान्यवर, सरकार को इतनी छूट न दी जाए कि जो सदन बैठ कर, लोकतंत्र में सबकी आस्था है सदन में बैठकर हम किसी काम के लिए बजट पारित करते हैं और वह बजट उन पर न खर्च करके अन्यत्र खर्चा किया जाता है यह लोकतंत्र और संविधान के विपरीत है और नियमों के विपरीत है प्रक्रिया एवं कार्य संचालन निमावली, 1958 है उसका भी उल्लंघन है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, आपने पूरी तरह से सुना सदन ने भी सुना। नियम-300 में कौन सी सूचना ली जाती है ? कौन सी सूचना नहीं ली जाती है फिर भी सदन के संज्ञान में बात लाई गई है तो इसको दिखवा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने जोखूलाल यादव जी और माननीय मंत्री जी को सुना मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

जनपद गोण्डा तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम बभडेरा पूरे वृतिहा के निवासी लान्सनायक सुनील कुमार तिवारी द्वारा आतंकवादियों से लड़ते हुये शहीद हो जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

श्री बैजनाथ दुबे जी, आपने नियम-300 में दिया है यह नियम-300 में नहीं आता है लेकिन आपने आतंकवादियों द्वारा शहीद होने के बारे में बताया है। इसलिए दो मिनट में अपनी बात कह दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम-300 के अन्तर्गत ग्राह्यता के सम्बन्ध में जानकारी

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, आप कहते हैं नियम-300 में नहीं आता है तो 300 में आता क्या है ? बराबर यह कहा जाता है कि यह सूचना नियम-300 में नहीं आती इसको अग्राह्य किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

वह इसलिए अग्राह्य हो जाता है क्योंकि नियम-300 में नहीं आता है। नियम-300 की परिधि के अन्दर अगर सूचनायें आएंगी तो निश्चित ग्राह्य हो जाएंगी। लेकिन आप सबकी बातें किसी न किसी माध्यम से सदन में आ जाएं ऐसे विषयों को मैं ले लेता हूं कि माननीय सदस्यों की बातें नियम-300 में ही आ जाएं। नियम-300 की परिभाषा को आप पढ़ें सदन के अन्दर कोई ऐसा कार्य विनियमित हुआा हो या सदन चलते समय कोई ऐसे औचित्य के विषय लाए जा सकते हैं, जैसे अभी आप लाए हैं कि आतंकवादियों के साथ लड़ते समय शहीद हो जाने के सम्बन्ध में, तो शहीद के प्रति सम्मान था आतंकवादियों ने मारा है, तो दो मिनट इनको सुन लेंगे लेकिन क्या यह नियम-300 की परिधि में आ रहा है इसको तो अग्राह्य करना ही पड़ेगा। सदन के अन्दर इस तरह की घटनायें होती हैं जिसमें कोई नियम विनियमित हो जाए रूल्स रेगुलेशन्स या सदन की प्रक्रिया बाधित हो तब तो उसको हम उस परिधि में ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम सब सूचनायें ग्राह्य कर देंगे। अब कोई पेंशन योजना में घोटाला हुआ है कोई सीवरेज पम्पिग प्लान्टों के निर्माण की अनियमितता के सम्बन्ध में लिख रहा है यह सब नियम-300 में नहीं आता है लेकिन मैं लिबरल व्यू लेते हुए कुछ बातें माननीय सदस्यों की सदन में आ जाएं इसलिए मैं ले लेता हूं। लेकिन जब निर्णय देना पड़ेगा उसकी ग्राह्यता अग्राह्यता को नियमों की परिधि के अन्दर देखेंगें।

जनपद गोण्डा तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम-बभडेरा, पूरे वृतिहा के निवासी लान्सनायक सुनील कुमार तिवारी द्वारा आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय बैजनाथ दुबे जी, आप अपनी बात कहें।

*श्री बैजनाथ दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 16-02-2011 को नियम-301 में मैंने एक सूचना लगाई थी, लान्सनायक सुनील कुमार तिवारी, राजौरी बार्डर पर तैनात थे और आतंकवदियों से मुकाबला करते समय उनको गोली लगी और वह शहीद हो गए। उसके परिवार में केवल एक बच्चा है, बहुत कम उम्र का है और उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए पेट्रोल पम्प या गैस एजेंसी के लिए मैंने भारत सरकार से संस्तुति की मांग की थी तथा यह भी मांग किया था कि उनके परिवार को जिसे अनुमन्य हो, उनको वीरता पुरस्कार देना चाहिए। इसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के सम्बन्ध में मैंने सूचना लगाई थी, 8 महीना बीत गया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि उस पर सरकार का क्या जवाब आया है ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

वैसे यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं। लेकिन मा0 मंत्री जी, यह केवल बैजनाथ दुबे जी का ही विषय नहीं है, नियम-301 के अन्तर्गत यदि किसी सूचना पर निर्धारित समय में उत्तर नहीं आ रहा है तो उसे सुनिश्चित करायें। बैजनाथ जी की सूचना तो एक स्पेसिफिक है लेकिन जितनी भी नियम-301 की सूचनाएं हैं, उनका उत्तर समय से आये, यह सुनिश्चित करा दें।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जी मान्यवर, मैं सुनिश्चित करूंगा कि नियमों के अनुसार समय से उसका उत्तर मिले।

पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश एवं जिलांश की धनराशि आवंटित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राम बिशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी नियम-300 में सूचना है, हमें भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आजाद जी, आपकी यह सूचना दिनांक 09 अगस्त, 2011 को अग्राह्य हो चुकी है।

श्री राम बिशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्वांचल विकास निधि का जो पैसा है, विपक्ष के विधायकों को न राज्यांश का पैसा दिया जा रहा है और न जिलांश का पैसा दिया जा रहा है। जो पिछड़े जनपद हैं, उनके विकास के लिए योजना चलायी गयी थी। मान्यवर, मेरे द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र 2010 में सवाल लगाया गया था, वर्ष 2007-08 के लिए मेरे द्वारा प्रस्ताव किया गया था, जो पैसा स्वीकृत हुआ था, उस पैसे को अलग खर्च कर दिया गया। मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा द्वारा पांच प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी उस पर आज तक मान्यवर, कोई कार्य नहीं कराया गया और मान्यवर, सरकार द्वारा जो प्रश्नोत्तर भेजा है, उसमें मनकापुर विधान सभा क्षेत्र को 37.1030 लाख रुपये का आवंटन किया गया है, लेकिन अभी तक काम कहीं नहीं हुआ है। आपके माध्यम से व्यवस्था हो जाए कि जो प्रस्ताव मेरे द्वारा दिए गए हैं, उन पर काम शुरू हो जाए और मैंने जो इस सम्बन्ध में सूचना दी थी, उसको अग्राह्य कर दिया गया है तो मान्यवर, मैं आपको यह प्रश्नोत्तर की छाया प्रति भेज रहा हूं, आप इसका परीक्षण करवा लीजिए और जो हमारी योजनाएं हैं, उन पर काम शुरू करवा दीजिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, भिजवा दीजिए, हम दिखवा लेंगे।

श्री राम बिशुन आजाद जी की इस सूचना को मैं पूर्व में ही अग्राह्य कर चुका हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को लागू कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4, माननीय नगर विकास मंत्री जी।

(मा0 नगर विकास मंत्री, श्री नकुल दुबे ने जैसे ही मद संख्या-4 पढ़ना शुरू किया, श्री प्रदीप माथुर अपने स्थान पर बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, एक मिनट। एक और सूचना सुनने के लिए चयनित हुई थी। माननीय माथुर साहब, आपकी यह जो सूचना है, यह शासन में विचाराधीन है, इसमें आपको क्या सुनाना है ?

*श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति, 2005-06 ने अपने प्रतिवेदन में यह संस्तुति की थी कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1983 की भांति पंचायती राज संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भी राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने हेतु एक अधिनियम बनाया जाए। किन्तु यह सरकार जानबूझकर यह अधिनियम नहीं बना रही है क्योंकि पंचायती राज विभाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की यदि सघनता से जांच की जाए तो एन0आर0एच0एम0 से भी बड़ा घोटाला निगलेगा। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो सरकार द्वारा इन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को दी जाती है, उसमें सुनियोजित भ्रष्टाचार होता है और जनता विकास के लिए तरसती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय माथुर साहब, यह शासन में गया है। इस पर शासन में पत्राचार हो रहा है। शासन से इस पर जवाब आने के बाद इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। नियम समिति में संशोधन का प्रस्ताव लाये हैं, लिखकर दिये हैं, यह शासन में गया है। इस पर तो व्यवस्था हुयी है कि इस पर शासन में पत्राचार हुआ है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा राज्य की आडिट होती है।

श्री अध्यक्ष-

अरे माथुर साहब इसको रहने दीजिए। इस पर शासन स्तर पर पत्राचार हुआ है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-100 में इनको स्थानीय प्राधिकारी घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 के संशोधन से।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

बस अब मत पढ़िये। माथुर साहब, मैं इस सूचना को इसी आधार पर अग्राह्य कर चुका हूं। आपका प्रत्यावेदन आया है उस पर नियम समिति में संशोधन के संदर्भ में शासन से जवाब मंगाया जा रहा है कि आपकी इस समिति के अंतर्गत जिला पंचायत भी सम्मिलित किया जाये ताकि इसका आप परीक्षण या आडिट जो भी करना चाहें करें। इस पर आपका प्रत्यावेदन विचाराधीन है। माथुर साहब अब आप बैठ जायें।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03/2003 (स्पष्टीकरण सहित) †

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास कर एवं निबन्धन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपके अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या 03/2003 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा-(7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-17-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) †

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास कर एवं निबन्धन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-17/2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-05-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) †

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास कर एवं निबन्धन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-05/2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-08-2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) †

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास कर एवं निबन्धन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-08/2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण (वित्तीय वर्ष 2007-2008) †

वन, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण (वित्तीय वर्ष 2007-2008) को उ0प्र0 वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा-23(5) की उपधारा (ए) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-9 में कुछ नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में छोटा पुल एवं विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्वनाथ तथा श्री राम दरश एडवोकेट आदि की हस्ताक्षरित याचिका

श्रीमती विद्या चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में छोटा पुल एवं विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री विश्वनाथ तथा श्री रामदरश एडवोकेट, निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्दन कुमार तथा श्री बेचन यादव आदि की हस्ताक्षरित याचिका

श्रीमती विद्या चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री चन्दन कुमार तथा श्री बेचन यादव, निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 09 अगस्त, 2011 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 10 अगस्त, 2011 से 12 अगस्त, 2011 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 10 अगस्त, 2011 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जाय।

2-दिनांक 10 अगस्त, 2011 से दिनांक 12 अगस्त, 2011 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>अगस्त, 2011</u>

10 बुधवार

1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

2-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

---

† छापा नहीं गया।

3-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011

(ख) श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(घ) शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

11 गुरुवार निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011

(ख) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011

(ग) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011

12 शुक्रवार 1-श्री सतीश महाना, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कानपुर नगर की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कानपुर नगर को विभक्त करते हुए कानपुर दक्षिणी नाम से एक नया जनपद गठित किया जाय।''

2-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के महानगरों में बाहरी सीमा पर रहने वाले दलित एवं मलिन बस्तियों की विद्युतीकरण निःशुल्क किया जाय।''

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-13 में कुछ नहीं है।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के प्रथम बुधवार दि0 2 फरवरी, 2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या-128 के उत्तर के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दि0 4 फरवरी, 2010 के सन्दर्भ में निदेश संख्या-168(2) के अन्तर्गत प्रश्न का संशोधित उत्तर

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के प्रथम बुधवार, दिनांक 03 फरवरी, 2010 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-128 के उत्तर के सम्बन्ध में ''उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश'' (तेरहवा संस्करण) के निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत उनके द्वारा अभिसूचित सूचना, दिनांक 04 फरवरी, 2010 के सन्दर्भ में निदेश संख्या-168(2) के अन्तर्गत उक्त प्रश्न का ''संशोधित उत्तर'' सदन में प्रस्तुत करता हूं, जो निम्नवत् है :-

[''श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र 2010 के प्रथम बुधवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 128 के उत्तर के सम्बन्ध में 'उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (तेरहवां संस्करण)' के निदेश संख्या 167/168 के अन्तर्गत उनके द्वारा अभिसूचित सूचना, दिनांक 04 फरवरी, 2010 के सम्बन्ध में निदेश संख्या-168(2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण एवं संशोधित उत्तर।''

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण।
1	2	3	4
क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि	जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत 04 चीनी मिलें स्थापित हैं, जिसमें निगम क्षेत्र	चीनी मिल अगौता पर पेराई सत्र 2002-03 का रु0 542.30 लाख का अन्तर गन्ना मूल्य बकाये के सापेक्ष दिनांक 3-7-2010 तक रु0 267.11 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा	प्रश्नगत प्रकरण में गलत सूचना दिये जाने के कारण जिला गन्ना अधिकारी,

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1	2	3	4
जनपद बुलन्दशहर में कुल कितनी चीनी मिलें हैं और उन चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का कुल कितना रुपया बकाया है ? क्या सरकार किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत करायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	की एक चीनी मिल बुलन्दशहर, सहकारी क्षेत्र की एक चीनी मिल अनूपशहर व निजी क्षेत्र की दो चीनी मिल साबितगढ़ व अगौता है। मात्र एक चीनी मिल अगौता पर गन्ना कृषकों का पेराई सत्र 2002-03 का अन्तर गन्ना मूल्य रु0 542.30 लाख तथा पेराई सत्र 2008-09 का रु0 185.19 लाख	रु0 275.19 लाख बकाया है। पेराई सत्र 2008-09 का रु0 185.19 लाख गन्ना मूल्य एवं विकास कमीशन रु0 48.42 लाख तथा देय ब्याज रु0 17.96 लाख को सम्मिलित करते हुये चीनी मिल के विरुद्ध दिनांक 2-09-2009 को वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया था, जिसके क्रम में रु0 233.61 लाख का भुगतान कर दिया गया है। देय ब्याज रु0 17.96 लाख का भुगतान नहीं किया गया है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार, बुलन्दशहर के स्तर से कार्यवाही की जा रही है। पेराई सत्र 1995-96 तथा 1996-97 के विलम्बित गन्ना मूल्य पर देय ब्याज मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या-167-168/ 1998 के अन्तर्गत चीनी मिल अगौता द्वारा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-17 की उपधारा-3 में प्राविधान के अनुसार 12 प्रतिशत की दर से ब्याज	बुलन्दशहर (संप्रति जिला गन्ना अधिकारी, गाजियाबाद) का आदेश दिनांक 19-10-2010 द्वारा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है।
	बकाया है। उक्त देय गन्ना मूल्य की ब्याज सहित वसूली हेतु उक्त चीनी मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। चीनी मिल अध्यासी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है	के सापेक्ष रुपये 218.78 लाख का भुगतान माह अगस्त, 2006 में सम्बन्धित गन्ना समितियों को कर दिया गया था। उक्त अवमानना याचिका में पारित में निर्णय दिनांक 4-11-2009 के क्रम में ब्याज की अवशेष धनराशि रुपये 118.09 लाख में से रुपये 50.72 लाख ब्याज की धनराशि संबंधित गन्ना समितियों को भुगतान कर दी गयी तथा शेष धनराशि को वर्तमान में चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य में समायोजित कर दिया गया	

1	2	3	4
	तथा दिनांक 30-01-2010 को चल-अचल सम्पत्ति की नीलामी की तिथि निर्धारित की गई है।	है। पेराई सत्र 2006-07 के गन्ना मूल्य निर्धारण का प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम निर्णय दिनांक 27-02-2008 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों में से रुपये 7/- प्रति कु0 कम करके चीनी मिल अगौता द्वारा पेराई सत्र 2006-07 का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। रुपये 94.40 लाख की धनराशि के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय से अन्तिम निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त यथा निर्देश कार्यवाही की जायेगी। पेराई सत्र 2007-08 का गन्ना मूल्य चीनी मिल अगौता द्वारा सीधे गन्ना कृषकों के खाते में भुगतान किया जाता रहा है। तद्नुसार ही जिला गन्ना अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा चीनी मिल, अगौता से प्राप्त सूचना के आधार पर अवशेष गन्ना मूल्य की सूचना दी गयी परन्तु कतिपय कृषकों को वर्ष 2007-08 का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य प्राप्त नहीं होने सम्बन्धी तथ्य जब जिला गन्ना अधिकारी, बुलन्दशहर के संज्ञान में आया तो उनके द्वारा चीनी मिल अगौता से वस्तुस्थिति की जानकारी की गयी। चीनी मिल अगौता द्वारा वर्ष 2007-08 के सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने की सूचना पत्र दिनांक 15-7-2010 द्वारा उपलब्ध करायी गयी।]	

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के प्रथम मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी, 2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या-141 के उत्तर के संबंध में प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 08 फरवरी, 2011 के सन्दर्भ में निदेश संख्या-168(2) के अन्तर्गत प्रश्न का संशोधित उत्तर।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीकरण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के प्रथम मंगलवार दिनांक 12 फरवरी, 2010 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-141 के उत्तर के संबंध में ''उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (तेरहवां संस्करण)'' के निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत उनके द्वारा अभिसूचित सूचना दिनांक 08 फरवरी, 2011 के सन्दर्भ में निदेश संख्या-168(2) के अन्तर्गत उक्त प्रश्न का ''संशोधित उत्तर'' सदन में प्रस्तुत करता हूं, जो निम्नवत् है :-

[श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 2010 के पहले मंगलवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-141 के उत्तर के संबंध में ''उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (13वां संस्करण)'' के निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत उनके द्वारा अभिसूचित सूचना दिनांक 08 फरवरी, 2011 के सम्बन्ध में निदेश संख्या-168(2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण एवं संशोधित उत्तर।

मूल प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्यारे लाल शर्मा द्वारा जिला चिकित्सालय मेरठ में रोगियों से प्राप्त होने	जी हां।	पी0 एल0 शर्मा, जिला चिकित्सालय, मेरठ में दिनांक 01-04-2009 से 31-10-2009 तक रोगियों से प्राप्त शुल्क को विलम्ब से जमा कराया गया।	प्रश्नगत अतारांकित प्रश्न संख्या-141 के सम्बन्ध में डा0 ए0एस0 राठौर, प्रमुख अधीक्षक, पी0एल0 शर्मा, जिला चिकित्सालय, मेरठ को तथ्यों की सही जानकारी प्राप्त न करके सतही तौर पर गलत एवं भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने के लिये कार्यालय आदेश संख्या-889/पांच-1-11ए0क्यू0 -157/09, दिनांक 25-04-2011 द्वारा परिनिन्दित किया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1	2		3		4
वाली शुल्क को दिनांक 01-04-09 से 31-10-09 तक जिला अस्पताल के कोषागार में जमा कराया गया है ? यदि हां तो उसका विवरण क्या है ?	विवरण निम्नवत् है :-		विवरण निम्नवत् है :-		
	माह	**धनराशि**	**माह**	**धनराशि (रु0)**	
	04/09	रु0 618424/-	21/04/09	400000/-	
	05/09	रु0 809731/-	05/05/09	360000/-	
	06/09	रु0 793721/-	22/05/09	390000/-	
	07/09	रु0 785436/-	30/05/09	225000/-	
	08/09	रु0 1014073/-	11/06/09	230000/-	
	09/09	रु0 854980/-	25/06/09	328000/-	
	10/09	रु0 672083/-	08/07/09	355000/-	
			21/07/09	450000/-	
			03/08/09	269312/-	
			03/08/09	30688/-	
			19/08/09	545000/-	
			04/09/09	351000/-	
			22/09/09	386000/-	
			08/10/09	525000/-	
			26/10/09	468000/-	
			05/11/09	235448/-	

1	2	3	4
यदि नहीं तो यह धनराशि किस-किस अधिकारी के पास जमा रही ?	प्रश्न नहीं उठता।	दिनांक 01-04-2009 से 12-08-2009 तक मो0 मुस्तकीम खान, चीफ फार्मासिस्ट एवं दिनांक 13-08-2009 से 21-10-2009 तक श्री अनिल शर्मा, फार्मासिस्ट, जिला चिकित्सालय, मेरठ को शुल्क विलम्ब से जमा करने का दोषी पाया गया।	
क्या नियमों के विरुद्ध धनराशि अपने पास रोकने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?	प्रश्न नहीं उठता।	उ0प्र0 कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3 के अन्तर्गत दोषी पाये जाने पर उक्त दोनों कर्मचारियों को वर्ष 2010-11 हेतु प्रतिकूल प्रविष्टि एवं परिनिन्दा दी गयी, जिसे उनकी सेवा पुस्तिका एवं चरित्र पंजिका में भी अंकित कर दिया गया है।	
यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।	प्रश्न नहीं उठता।]	

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत संशोधन विधेयक, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीकरण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत संशोधन विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 25-8-2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत संशोधन विधेयक, 2011 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत संशोधन विधेयक, 2011 को पुरः स्थापित करता हूं।

नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 10 अगस्त, 2011 को नियम-311 की 10 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 57 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी है। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना श्री लालजी यादव की चमरमंगता समुदाय को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री अम्बिका चौधरी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की मुरादाबाद में हुये दंगों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सतीश महाना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री उदयभान करवरिया, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री शिवबालक पासी, श्री रामसेवक, श्री संजीव दरियाबादी, श्री अजयपाल सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री ईश्वरचन्द्र शुक्ला, श्री संजय कपूर, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री चौधरी रवीन्द्र प्रताप, श्री शिव गणेश लोधी, श्री माधो पासवान, श्री राजाराम त्यागी, श्री अशोक सिंह, श्री अजय कपूर, श्रीमती अमीता सिंह, श्री पंकज मलिक तथा श्रीमती कृष्णा राज की प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा नाबालिक लड़कियों एवं महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना-डा0 आर0ए0 उस्मानी की लखीमपुर खीरी के निघासन मे सोनम हत्या काण्ड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। पांचवीं सूचना-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भईया की लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। छठी सूचना-श्री अनुग्रह नारायण सिंह की पुलिस की पदोन्नति भर्ती में दौड़ में सम्मिलित मृतक कर्मियों के परिजनों को मुआवजा देने एवं उम्र के हिसाब से दौड़ कराये जाने के सम्बन्ध में। सातवीं सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की प्रदेश में अनुसूचित जाति में सम्मिलित गोंड एवं गोंड़ जाति में विभेद करने

से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। आठवीं सूचना-श्री सिबगतुल्ला अंसारी की गाजीपुर की तहसील मुहमदाबाद अन्तर्गत गंगा नदी के भयंकर कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। नवीं सूचना-श्री दुर्गा प्रसाद यादव की आजमगढ़ में खराब पड़े ट्रांसफार्मरों को ठीक कराये जाने एवं समुचित विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में। दसवीं सूचना-श्री राधेश्याम जायसवाल की आयुर्वेद यूनानी विभाग में तैनात तृतीय श्रेणी कर्मियों की तैनाती व समायोजन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। ग्यारहवीं सूचना-श्री अम्बिका चौधरी की पी0सी0डी0एफ0 क्षेत्र के दुग्ध संघों के कर्मचारियों का करोड़ों रूपये बकाये वेतन का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। बाहरवीं सूचना-श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सहकारी बैंक सिद्धार्थ नगर में जमाकर्ताओं द्वारा जमा की गयी धनराशि को वापस न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। तेरहवीं सूचना-डा0 पी0के0 राय की मुख्य पश्चिमी गंडक कैनाल की सफाई न होने, टेल तक पानी न पहुंचने व नहर की क्षतिग्रस्त पटरियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। चौदहवीं सूचना-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की पूर्वी उत्तर प्रदेश में जल-जनित मस्तिष्क ज्वर फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। पन्द्रहवीं सूचना-श्रीमती सै0 सादाब फातिमा की उ0प्र0 पर्यटन विकास निगम के होटलों एवं आवास गृहों को प्रबन्धकीय संविदा पर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। सोलहवीं सूचना श्री मदन चौहान की नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा झोपड़ी में बसे गरीब लोगों को आवास दिये जाने के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव के अनुसार पुनर्वास नीति बहाल किये जाने के सम्बन्ध में। सत्राहवीं सूचना-श्री सनातन पाण्डेय जनपद बलिया के ग्राम सभा हजौली निवासी श्री कन्हैया पाण्डेय को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के इशारे पर पुलिस द्वारा किये गये उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। अठ्ठारहवीं सूचना-श्री जोखू लाल यादव इलाहाबाद, जौनपुर मार्ग पर स्थित फूलपुर टाउन एरिया के रेलवे क्रासिंग पर बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में। उन्नीसवीं सूचना-श्री प्रदीप माथुर जनपद मथुरा के पर्यटक स्थल वृन्दावन में शासन की समग्र विकास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। बीसवीं सूचना-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव लखनऊ में बी0ए0 एवं बी0कॉम0 के प्रथम वर्ष में छात्रों को प्रवेश न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इक्कीसवी सूचना-डा0 अनिल चौधरी प्रदेश के आलू किसानों को उत्पादन का लागत मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। बाइसवीं सूचना-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जनपद बांदा के भूरागढ़ क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत चालू न करने तथा प्लाट आवण्टियों के नक्शे पास न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। तेईसवीं सूचना-श्री बैजनाथ दूबे, श्री राम विशुन आजाद प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत हो रही धांधली व अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। चौबीसवीं सूचना-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जनपद सीतापुर के राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद व अन्य विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। पच्चीसवीं सूचना-श्री आरिफ अनवर हाशमी प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाये जाने व केन्द्र के समान सारे देयकों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। छब्बीसवी सूचना-श्रीमती मिथलेश पाल मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना के ग्रामों में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। सत्ताईसवीं सूचना-श्री दीप नारायण सिंह बुंदेलखण्ड में किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

जिन सूचनाओं को विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सुना जायगा, उनका विवरण निम्नवत है :-

1-श्री उदयराज की उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली के लगभग 30 मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा

2-श्री रियाज अहमद की पीलीभीत स्थित नेशनल हाई-वे बरेली-हरिद्वार मार्ग एन0एच0-74 के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की जाती है।

1-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,

2-श्री हाजी जमीरउल्ला खां,

3-श्री अरविन्द सिंह यादव,

4-श्री जोखूलाल यादव,

5-डॉ अजय तोमर,

6-श्री राजाराम त्यागी,

7-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही,

8-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

9-श्री उदयभान करवरिया,

10-श्री कुबेर सिंह,

11-महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी,

12-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,

13-श्री कृष्ण गोपाल पटेल,

14-श्री महेश चन्द्र गुप्ता,

15-श्री कैलाश चौरसिया,

16-श्री इमरान मसूद,

17-श्री विशम्भर सिंह यादव, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री दीप नरायण सिंह

18-श्री अमित गौरव,

19-डा0 आर0ए0 उस्मानी,

20-श्री लल्लू सिंह,

21-श्री विश्वनाथ,

22-श्री जर्नादन प्रसाद ओझा,

23-श्री अनूप कुमार गुप्ता,

24-श्री विनोद सरोज,

25-श्री अनूप सण्डा तथा

26-श्रीमती मधुबाला पासी।

श्री अध्यक्ष-

यह दो सूचनाएं सुनने के बाद इन पर शासन का ध्यानाकर्षण किया जायेगा।

श्री अंबिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने आपसे निवेदन किया था कि इस सूचना पर हमारे मा0 नेता आजम खां, जी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी एक तात्कालिक घटना पर मैंने नियम-311 के अन्तर्गत आपको एक सूचना दी थी और आपने मा0 अध्यक्ष जी यह आश्वासन दिया था कि इसकी तात्कालिकता और गंभीरता को देखते हुए, इसको मैं सुन लूंगा और यह भी कहा था कि एक सूचना है उसके बाद आपको सुन लूंगा लेकिन आपने जिस तरह से क्रम निर्धारण कर दिया है। ...

श्री अध्यक्ष-

अब क्रम निर्धारण हो गया है, आप बैठ जाइए। क्रम निर्धारण से सभी सदस्य सदन के सभी संतुष्ट हैं, लेकिन आप संतुष्ठ नहीं है जबकि सभी की महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप ही का क्रम लिया जाए।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कोई आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। अब मा0 सदस्य आप बैठ जाएं।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने जो आश्वासन दिया था, मैं चाहता हूं कि आप उसको स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आश्वासन पूरा हो रहा है, सुन रहे हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, आजम खां जी के बाद मुझे सुन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

अभी और भी सूचनाएं हैं, उसके बाद सुना जायेगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, इनके बाद हमें सुन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बाद में देख लिया जायेगा, क्रम बना दिया है तो कोई सदस्य विरोध नहीं कर रहा है लेकिन आप ही खड़े हो गए हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आश्वासन दिया था लेकिन अब क्रम बन गया है, किन्हीं परिस्थितियों में नोटिस का जवाब देते हुए क्रम बना दिया गया है, अब आप बैठ जाइए।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, आजम खां जी के बाद सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

सूचना 5वें क्रम पर चली गई है, आप बैठ जाइए, इसे देख लेते हैं, करा देते हैं, आप चिंता मत करिए, बैठ जाइये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं, इस सूचना के संबंध में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के मोस्ट सेंसटिव जिलों में से एक जिला है और पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1980 में दंगे के बाद मुरादाबाद के आर्थिक हालात बहुत खराब हुए और पूरी दुनिया में बुरा संदेश गया, क्योंकि मुरादाबाद पीतल नगरी है और यहां से पीतल का बना हुआ सामान पूरी दुनिया में जाता है इस तरह फॉरेन एक्सचेन्ज की बड़ी रकम सरकार को, देश को मिलती है। सरकार को, देश को मिलती है, जिससे देश को लाभ होता है। तरक्की का जमाना है इण्टरनेट है, ई-मेल है, फैक्स है, टेलीफोन है, मोबाईल है, पहले दंगे की सूचना बराबर के शहर में भी बहुत देर से आती थी, लेकिन तकनीकी के इस दौर में दंगे की सूचना अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश की जनता में बाद में आती हैं, लेकिन उन देशों में भारत के अलावा जहां मुरादाबाद का बना हुआ सामान जाता है, वहां ई-मेल और इण्टरनेट, मोबाईल के जरिये यह सूचना पहले चली जाती है और जो आर्डर्स खरीद के विदेशों से आने होते हैं वह उसी वक्त खारिज कर दिये जाते हैं।

मुरादाबाद के तनावपूर्ण हालात से देश का आर्थिक नुकसान होता है, इस बहस की जरूरत नहीं है कि क्या कारण थे, समाचार पत्रों में सारी बातें आ गई हैं, फिक्र की बात यह है कि प्रशासन को जो कड़े कदम उठाने चाहिए थे, वह समय रहते नहीं उठाये गये और पुलिस फोर्स जो बुलाई गई थी इसलिए कि सारे त्यौहार निपट जाएं और जो खास कार्यक्रम चल रहा है, धार्मिक वह मुकम्मल हो जाय उसके बाद पुलिस फोर्स का विद्ड्राल होगा, लेकिन न जाने क्यों आज समाचार पत्रों में किसी ने प्रशासन के सिलसिले में कहा कि जितने भी अधिकारी हैं, वह मुरादाबाद का मिजाज नहीं जानते, मिजाज जानने का मतलब यह है कि वहां दंगा किन कारणों से हो जाता है, एक सुअर ईदगाह में

जाता है और दंगा हो जाता है, न वह प्रशासन से झगड़ा था, न वह शासन से था, न वह हिन्दू और मुसलमान का था, बल्कि अनदेखी करने के कारण 1980 में एक सुअर के ईदगाह के मैदान में नमाज के वक्त दाखिल हो जाने से दंगा हुआ और ढाई वर्ष तक उस दंगे की वजह से मुरादाबादी हालात खराब हो गये, आर्थिक रूप से मुरादाबाद बरबाद हो गया और फिर दोनों समुदाय ने मिलकर, कारोबारी लोगों ने बैठ कर यह तय किया कि हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगें क्योंकि इस झगड़े से मुरादाबाद का और देश के भविष्य का सवाल जुड़ा हुआ है। आज भी लगभग वैसे ही हालात है। पूरे मुरादाबाद शहर में कर्फ्यू है, पहले तीन थानों में लगा, फिर छः थानों में हुआ और अब नौ थानों में हुआ, मुरादाबाद के ऐसे स्थानों का जहां इस तरह के दंगे होते हैं, वहां अफवाहों का बाजार गरम होता है। याद होगा आपको कभी मेरठ में दंगा हुआ था। उस समय नये-नये मोबाइल फोन्स चले थे उस वक्त और यह बात फिर जांच में साबित हुई थी कि कुछ लोगों ने ऐसी सूचनाएं मोबाइल के जरिये दी थीं जो बहुत ही माहौल को खराब करने वाली थीं और सत् प्रतिशत असत्य सूचनाएं थीं। इस तरह की सूचनाओं की बुनियाद पर मुरादाबाद के हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि तीन त्यौहार बड़े आने वाले हैं, रमजान का पाक महीना है, इस महीने में आमतौर पर लोग शान्ति का माहौल चाहते हैं, इबादत का माहौल होता है और क्योंकि रात की तराबीह होती है और रात के तकरीबन साढ़े ग्यारह बजे तक मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ते हैं और आमतौर पर मस्जिद खुली रहती हैं और सारी रात इबादत हुआ करती है। इस महीने का सरकार को लिहाज रहे, इस पाक महीने का लिहाज रहे, इबादत करने वाले लोगों की इबादत में खलल न हो और कर्फ्यू कम से कम वक्त के लिए रहे, लेकिन सरकार इसे सख्ती से यानी वह सख्ती नहीं जिससे डण्डा, पुलिस और गोली से काम लिया जाय बल्कि ऐसी सख्ती जो प्रशासन की सख्ती हो और जो चूक हुई है अधिकारियों से फोर्सेस के विद्ड्राल की उसके कारण जानने चाहिए। ऐसे राजनीतिक लोग जिन्होंने अच्छा रोल नहीं अदा किया है, उनके बारे में भी जानकारी इस सरकार को होना चाहिए, उसके बारे में मैं किसी की तरफ इंगित नहीं कर रहा हूं, सरकार को सब कुछ मालूम है कि यह दंगा नहीं होता, हालात सुधर जाते क्योंकि नेशनल हाई-वे से हालात खराब हुए हैं, नेशनल हाई-वे पर पूरा कन्ट्रोल हो सकता था।

मुरादाबाद शहर के अन्दर जिगर द्वार के अन्दर दंगे का दाखिल होना या सम्भल रोड पर दंगे का दाखिल होना या ईदगाह की तरफ दंगे का दाखिल होने या करूला में दंगे का दाखिल होना यह एक बड़ा सवाल है और यह भी सवाल है कि आखिर क्यों मुस्लिम मोहल्लों में अन्य लोगों ने अपने घर खाली कर दिये और दूसरे मोहल्लों में मुस्लिम लोगों ने क्यों घर खाली कर दिये। ताकि दंगाइयों को दंगा करने का पूरा मौका मिल सके। थानाध्यक्ष कहां थे, सीओ कहा थे डीआईजी आईजी कहां थे। और इस बात की सूचना क्यों नहीं हुई प्रशासन को मकानात खाली किये जा रहे है इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए मैं समझता हूं कि सरकार इसके लिए आश्वस्त करे कि यह दंगा आगे नहीं बढ़ेगा। 1980 दोहराया नहीं जायेगा क्योंकि वह भी यही महीना था यही दिन थे और यही हालात थे। बिल्कुल इसे धर्म के आधार पर हिन्दू मुसलमान सिक्ख, ईसाई के आधार पर न देखें बल्कि यह देखें कि बहुत शिकायत है लोगों को इस बात की कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो कुछ होता है वह किसी एक व्यक्ति एक समुदाय से सम्बन्धित है कहीं पर प्रशासन की चूक हुई है जो बात वहां से बढ़कर यहां तक पहुंची है। त्यौहारों का ख्याल रखते हुए क्या ऐसे प्रभावी कदम उठाये गये हैं जिससे सरकार

आश्वस्त हो इस बात के लिए कि मुरादाबाद से जल्द से जल्द कर्फ्यू का विद्ड्राल होगा हालात नार्मल होंगे। और अगर इस बात की जरूरत हो कि सरकार या प्रशासन तंत्र वहां कमजोर पड़ा है या वह चुनाव करीब है सरकार अपनी पकड़ खो चुकी हैं और जो दूसरे लोग हैं उनकी पकड़ मजबूत होती जाती है। वह लोग अपने तरीके से सरकारों को और राजनीति करने वालों को चलाने की कोशिश करती है। अगर कोई ऐसा दल सर्वदलीय सारे राजनीतिक दलों से एक एक नेता को ले जाकर मुरादाबाद के उन इलाकों में जहां यह हालात खराब हुए हैं अगर उनके जाने से हालात ठीक हो सकें तो उसकी भी अगर कोशिश की जाय तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानकारी भी चाहूंगा कि इस वक्त मुरादाबाद के क्या हालात हैं गुजरी हुई रात क्या हालात थे क्या कोई हत्या तो नहीं हुई। जो लोग जख्मी हुए है उनका हाल क्या है। और ऐसी अनडिस्क्रिमेटेड या डिस्क्रिमेटेड गिरफ्तारियां जिसमें जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया गया होगा उनके बारे में पुलिस की क्या नीति रहेगी ? क्यों कि अगर एक वर्ग की गिरफ्तारी होगी तो माहौल भावुक होगा। और माहौल फिर खराब होगा। लोग मस्जिदों में नमाज के लिए तरावी के लिए जाना चाहेंगे। उनके लिए उनके जाने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या इंतजामात किये हैं ?

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इस कार्य-स्थगन की सूचना पर माननीय आजम खां साहब ने मुरादाबाद के बारे में जो बातें कहीं है मान्यवर, और जितनी गंभीरता से बहुत सी बातों को उन्होंने जानबूझकर उद्घाटित भी नहीं किया है। सिर्फ उद्देश्य यह है कि वहां तनाव किसी प्रकार समाप्त हो। दंगे की स्थिति और भड़क करके पूरे प्रदेश में नहीं जाने पाये बल्कि उसको शांत किया जा सके। इस दिशा में एक वरिष्ठ नेता होने के नाते आज उन्होंने सदन में भी इस बात को कहते हुए जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं एक बात संज्ञान में डालना चाहता हूं कि अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी ही इसका मुख्य कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि 90 फिसदी वहां के पुलिस आला अफसर से लेकर नीचे के सिपाहियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। जो मुरादाबाद की गलियों का भूगोल नहीं जानते थे वहां का मान्यवर कहां तनाव बनता है ? कहां रोका जाना चाहिए ? यह नहीं जानते थे और उसका सबसे बड़ा दूसरा सबूत यह है कि हमारे दूसरे साथी इमरान मसूद साहब ने व्यक्तिगत तौर पर सूचना मिलने के बाद एसएसपी मुरादाबाद से रात को 12 बजकर 10 मिनट पर फोन किया। छह बार फोन किया कि अमुक परिवार की दो लड़कियां उस मोहल्ले में फलां मकान में फंस गयी हैं बाहर दंगाई हैं और उस पर उनकी सूचना देने के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दूसरे समुदाय के लोगों को जिन्होंने इस साम्प्रदायिक सौहार्द की स्थिति को मजबूत करते हुए रात को उन लड़कियों की हिफाजत किया और सवेरे साढ़े पांच बजे उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम किया। नागरियों ने अपनी ओर से इंतजाम किया प्रशासन और सरकार ने मान्यवर बिल्कुल इसके प्रति गंभीरता नहीं बरती है। इसलिए इस कार्य-स्थगन पर बल देते हुए मान्यवर मैं इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस पर क्या कहना है। एक सूचना मा0 ओम प्रकाश सिंह की और आपकी सूचना है जो कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था आदि से सम्बन्धित है। यह मुरादाबाद की स्पेसिफिक सूचना है। इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवार यह कानून व्यवस्था का मुद्दा है।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत, वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह बहुत ही दुखद घटना है। मान्यवर, सरकार पूरी तरह से कृतसंकल्पित है कि किसी तरह से यह घटना आगे न बढ़ने पाये और इसी कारण मान्यवर, अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा मौके पर उपस्थित हैं। 10 कम्पनी पी0ए0सी0 वहां पर आच्छादित की गयी है। आर0ए0एफ0 की 4 कम्पनी पहुंच चुकी हैं 3 कम्पनी आज पहुंच जायेंगी सायंकाल तक। जो जिलाधिकारी की सूचना है इस घटना में थाना क्षेत्र कटघर, मंझौला, मुगलपुरा, नागफनी, गलशहीद कोतवाली में कर्फ्यू लगा दिया गया है जो जारी है। आज प्रातःकाल से रिपोर्ट भेजने तक जो अब तक की स्थिति है कि शहर में शांति व्यवस्था कायम है तथा कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इस प्रकरण में तीन दुकानें, 6 खोखे, 4 मोटरसाइकिलों को आग लगायी गयी, 11 लोगों को चोटे आई हैं जिसमें से 7 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, 2 व्यक्ति मुरादाबाद में चिकित्साधीन हैं जो खतरे से बाहर हैं तथा एक व्यक्ति जिसके सिर में चोटे आई हैं उसे दिल्ली रिफर कर दिया गया है। जिसका इलाज लोकनायक जय प्रकाश अस्पताल, नई दिल्ली में चल रहा है। इस प्रकरण में लगभग 50 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी का यह पूरा प्रयास रहता है और जब से सरकार बनी है हमेशा इस बात पर जहां भी इस तरह के जो कुछ लोगों ने इस तरह का माहौल बिगाड़ने का काम किया है तो उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ कार्यवाही करने का काम किया गया है। मैं सदन को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से गम्भीर है और इस घटना को हमारी यह चाहत है कि दोनों पक्षों में माहौल अच्छा बने और वातावरण अच्छा हो, त्योहार जो रमजान का महीना है उसके अवसर पर इस मुबारक महीने में किसी को किसी तरह की असुविधा न होने पाये।

*नेता विरोधी दल (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

अध्यक्ष जी, अभी मुरादाबाद के दंगे के बारे में आदरणीय मो0 आजम खां साहब ने पूरा अवगत करा दिया है, अम्बिका चौधरी जी ने अवगत करा दिया है, मुरादाबाद के किसी भी वर्ग के लोग हैं किसी भी धार्मिक वर्ग के लोग दंगा नहीं चाहते हैं। लेकिन पुलिस की ढ़िलाई की वजह से जब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक एम0एल0ए0 का टेलीफोन जाता है रात के 12.00 बजे दो लड़कियां फसी हुई थीं सहारनपुर की, और फोन पर बात हो जाती है और बात होते-होते काट देता है तो वह तो सीधी सीधी लापरवाही है अगर उसी क्षण उसी समय नेशनल हाइवे पर जब कोई बात थी तो बहुत एक्टिव हो जाना चाहिए था पुलिस को और यहां पर संसदीय कार्य मंत्री जी बार-बार जब भी खड़े होते हैं, जब भी कोई मंत्री खड़ा होता है माननीय सुश्री मुख्यमंत्री मायावती अगर इतनी संवेदनशील मुख्यमंत्री होती तो इतनी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है तो मुख्यमंत्री जी को यहां रहना चाहिए था, जवाब आना चाहिए था लेकिन शायद मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं, फुर्सत इसलिए नहीं चाहें दंगे होते रहें, चाहे लोग मारे जायें, चाहे निर्दोष लोग जेल में भेज दिये जायें। जो मिलेगा उसको, खासकर अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई मिलेंगें और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी होगें तो जरूर जेल जायेगें भले लोग जायेगें, उद्योगपति जायेगें। अभी तो लगभग एक महीना हुआ है, मुरादाबाद का ही मामला है, बगागांव में संभल के पास में मैनाठौर, कितने दिन तक कर्फ्यू लगा था, वहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री जी, पूर्व रक्षा मंत्री जी जाना चाह रहे थे, शान्त करने जाना चाह रहे थे, मोहम्मद आजम खां साहब जाना चाह रहे थे, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया था।

(सत्ता पक्ष की ओर से श्री अकबर हुसैन के बीच में खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

आज कर्फ्यू नहीं लगा, तो क्यों नहीं जाने दिया था। क्या आपत्ति थी कौन आदमी घर से बाहर निकले थे। जो निकलते थे वह जेल चले जाते थे क्या था यह, इससे पहले बेलारी में भी हुआ वहां भी कर्फ्यू लगा। तो इसलिये मान्यवर, बहुत संवेदनशील होना चाहिये, दंगा नहीं होना चाहिये और जिन अधिकारियों ने ढिलाई बरती है उनके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए लेकिन सबको फुरसत कहां है, केवल वही लेनदेन, इसी से फुरसत नहीं है, केवल लेना ही लेना है देना नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, दंगों की गंभीरता पर ही बोले। एक इतनी बड़ी घटना घटी है, इसको आप हल्का न करें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हम तो गंभीरता से ले रहे है। अगर यही थानेदार, यही इंस्पेक्टर, यही सी0ओ0, यही डी0आई0जी0, यही एस0एस0पी0 अगर एक्टिव होते अच्छे लोग होते, ईमानदार लोग होते, रिश्वतखोर नहीं होते यह लोग, तो बहुत कुछ हो जाता। अच्छे लोगों की भले लोगों की बात सुनना चाहिये। जनप्रतिनिधियों की बात सुनना चाहिये चाहे प्रधान हो, चाहे मुहल्ले के लोग हों, सभासद हो, कभी बात सुनी जाती है इनकी ? अगर दरोगा हो, सी0ओ0 हो, इंस्पेक्टर हो, अगर मोहल्ले में उसका व्यवहार होता है तो कभी दंगा नहीं होता है। उसकी बात लोग मानते हैं, इंस्पेक्टर की बात मानते है। सी0ओ0 की मानते हैं, दरोगा की मानते है जनता के लोग कभी क्या दंगा चाहते है। कभी नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो चाहे किसी भी वर्ग का हो, कोई दंगा नहीं चाहता। लेकिन लापरवाही से दंगे होते हैं और कभी-कभी तो यह लोग खुद दंगा करवाते है। इसलिये करवाते हैं कि जब पचासों लोग, हजारों लोग मिल जायेगें तो पैसे लेकर कमाई कर लेगें। यह परम्परा है इसलिये अच्छे लोग, ईमानदार लोग, भले लोग जिसका जनता से सीधा सम्पर्क हो, जनता को विश्वास में लेना चाहिये, पब्लिक के लोग, चुने हुये लोग, जन प्रतिनिधियों को विश्वास में लेना चाहिये, फिर कस्बे के

शहर के, मोहल्ले के भले लोगों को विश्वास में लेना चाहिये। इसलिये मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सभी नियमों को स्थगित करके इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

समाजवादी पार्टी के एक सदस्य-

मान्यवर, मैं इसी सम्बन्ध में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, मैनागढ़ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी बोल दिये, मा0 आजम खां साहब बोल दिये तो अब आप कौन सी जानकारी देंगे ?

श्री लाल जी वर्मा-

अब मान्यवर, अगर इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं दूसरी बात लाना चाहते हैं तो कहें।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जायें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि प्रदेश सरकार ने इसको गम्भीरता से लिया है और उसका परिणाम यह है कि अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) वहां पर कैम्प किये हुए हैं और उनके नियन्त्रण में पूरी तरह से प्रभावी ढंग से इसको रोकने का काम किया जा रहा है। रात से इस समय तक जब तक यह रिपोर्ट आयी है कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और मान्यवर, इसमें किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री अम्बिका चौधरी, मा0 नेता प्रतिपक्ष, श्री आजम खां साहब को सुना और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना है ओम प्रकाश जी की और प्रमोद तिवारी जी की, तिवारी जी बतायें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मेरी सूचना तात्कालिक है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 चौधरी साहब, इसके बाद आपकी ही सूचना को लूंगा बाकी दो सूचनाओं को मैं रोक दे रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, पहले कार्य-स्थगन की सूचना ले लें, हमारी ओर से महाना जी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पहले तिवारी जी बोल लें उसके बाद महाना जी बोल लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था लगातार खराब होती चली जा रही है हर मोर्चे पर अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो आज उत्तर प्रदेश में कानून का

राज नहीं बल्कि जंगल का राज है। मान्यवर, मैं सिर्फ अपनी बातों के समर्थन में कुछ आंकड़े दे रहा हूं और मैं समझता हूं कि उन आंकड़ों के साथ स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। मान्यवर, 01 जनवरी, 2008 से 31 दिसम्बर, 2010 तक का विगत तीन वर्षों का विवरण इस प्रकार है मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 2008 में 1663, 2009 में 1869 और 2010 में 2177 मामले सामने आये, ये हैं डकैती और लूट के मामले। जिस प्रदेश में डकैती और लूट बढ़ रही हो तो क्या उसे सरकार अपराध नहीं मानती, डकैती और लूट तो मान्यवर, आतंक का दूसरा नाम है। इसी तरह अगर आप देंखें बलवा-2008 में 4114, 2009 में 3842 और 2010 में 3745, दहेज हत्या-2008 में 2913, 2009 में 2205 और 2010 में 2052, मान्यवर फिरौती के लिए अपहरण-वर्ष 2008 में 58, 2009 में 57 और 2010 में 57 यानी कि तीन साल में वही फीगर सामने आ रही है। लेकिन मान्यवर, एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारी, आपकी और सभी की चिन्ता का विषय है। मान्यवर, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, मासूम बच्चियों से बलात्कार, पुलिस थाने में बलात्कार, कहीं पर भी जो बलात्कार की घटनाएं हुई है वह चौकाने वाली हैं। मान्यवर, मैं पढ़ दूं 21 जून को गैंगरेप के बाद जिन्दा जलाया गया, वैश्याना घटनाओं में इजाफा, यह मैं सुर्खियों की बात कर रहा हूं अमर उजाला की।

मान्यवर, दो दुष्कर्म से यू0पी0 फिर शर्मसार, यह मैं सुल्तानपुर की 6 साल की बच्ची की बात कर रह हूं, सीतापुर में छात्रा से रेप, यह घटना है 20 जून की है और तो छोड़िये, हवस न पूरी होने पर दोनों आंखें फोड़ दी, यह भी इसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कानपुर में, महानगर है वहां गैंगरेप की शिकार किशोरी ने आत्महत्या की, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है आप स्वयं देखें कानून-व्यवस्था की क्या स्थिति है ? मेरठ में चलती कार में युवती से गैंगरेप, यह घटना 2 फरवरी की है। गैंगरेप की शिकार छात्रा ने दी जान यह घटना 31 जनवरी, दैनिक जागरण। शिक्षकों ने गुरू-शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया, दलित छात्रा से 5 दिन तक गैंगरेप होता रहा, राष्ट्रीय सहारा का यह समाचार 31 जुलाई का आपको दे रहा हूं। मान्यवर, अगर घटनाओं के सिलसिले में चलें तो अभी 04 अगस्त को, विधान सभा जब प्रारम्भ हुई उसके एक दिन पहले फैजाबाद में सर्राफ भाइयों की हत्या हुई। डेली न्यूज की बात 3 अगस्त की, दिन-दहाड़े 17 लाख रूपये की लूट। मान्यवर, गुण्डा टैक्स मांगने पर, हिस्सा मांगने को लेकर हुई हत्या, यह घटना 4 अगस्त की डेली न्यूज की है। अब तो घर में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, इलाहाबाद की बात कर रहा हूं धूमनगंज में एक युवक की हत्या की गयी। (अपनी सीट पर बैठे हुए श्री मो0 आजम खां ने कहा कि अब लोग जेल में भी सुरक्षित नहीं हैं।) आजम भाई कह रहे हैं कि जेल में भी डा0 सचान सुरक्षित नहीं रहे, तो मान्यवर, कहां सुरक्षित है।

मुरादाबाद जिसका जिक्र अभी किया जा रहा था इतना संवेदनशील है। 14 जून की घटना गैंगेरेप के बाद छात्रा का कत्ल। सबसे दुःखद और शर्मनाक जो घटना है उसकी तरफ आने के पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में औसतन 04 बलात्कार रोज हो रहे हैं, यह 22 जून, 2011 की उत्तर प्रदेश दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक हैं। (मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली में क्या हो रहा है ?) मान्यवर, मैं तो दिल्ली का विधायक हूं नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश के लिए अधिकृत हूं। दिल्ली में आपके 3-4 चुने हुए लोग हैं, उनसे पूछिये। लापरवाह सरकार, दुराचार पर दुराचार, आपकी लापरवाही और दुराचार पर दुराचार, क्यों करवा रहे है इस तरह से। भयमुक्त समाज

में पुलिस का खौफ, बलात्कार व रेप की घटनाओं से कांपा यू0पी0, यह आज अखबार की खबर है 21 जून, 2011 कितनी घटनाओं का जिक्र हो, चारों तरफ अगर आप देखें तो दिखायी देती हैं। मैं जिस घटना की ओर आना चाहता हूं। निघासन, लखीमपुर में एक सोनम नाम की मासूम बच्ची 14-15 साल की उसकी लाश लटकी हुई मिलती है एक ऐसे पेड़ की टहनी से जहां उसका पैर जमीन से छू रहा था। जो बलात्कार या बलात्कार का प्रयास हुआ, मेरा मानना है कि बलात्कार हुआ, लेकिन जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयी, उसको पहले नहलाया गया, सारे सबूत मिटाये गये तो यह बात तो सामने आ रही गयी कि बलात्कार का प्रयास किया गया। मान्यवर, अगर थाने के अन्दर होता और थाने के अन्दर होने के बाद उसी कैम्पस के एक पेड़ में लटका दिया जाता है तो इससे ज्यादा गंभीर घटना क्या हो सकती है, क्या यह सरकार गम्भीर है। यह नहीं किस तरह अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है। तीन-तीन डाक्टर मुआयना करते है और तीनों डाक्टर पोस्टमार्टम की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। सरकार का एक सिपाही, सी0ओ0 का एक फालोअर इतना ताकतवर है कि उसके लिए तीन-तीन डाक्टर गलत रिपोर्ट देते हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं। इन्होंने दोबारा तीन डाक्टरों के पैनल से जांच करवायी, जो लखनऊ से गये तो उन्होंने माना कि यह आत्महत्या नहीं हत्या है। बलात्कार का प्रयास हुआ, साक्ष्य मिटाये गये। उसके बाद भी मान्यवर, हो क्या रहा है वहां पर आज भी जब इतना प्रयास कर लिया गया उसके बाद भी उस घटना की सी0बी0आई0 जांच के लिए सरकार तैयार नहीं हो रही है। सरकार ने यह कहा था अगर सोनम के मां बाप लिखकर दे देंगे तो हम करा देंगे। मान्यवर, एक पीड़ित को इतना तो अधिकार होना चाहिए कि जब वह देख रही है कि उसकी लड़की मारी जा रही है पेड़ के तने पर फर्जी लटकाई जा रही है तीन-तीन डाक्टरों से एटाप्सी की रिपोर्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गड़बड़ कराई जा रही है उसका इंसाफ नहीं है। तो मां बाप अगर लिखकर दे रहे है तो इस सरकार को सी0बी0आई जांच कराने में क्या दिक्कत है। मान्यवर, सर शर्म से झुक जाता है जब हम रिपोर्ट पढ़ते है कि फर्जी एनकाउंटर के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मानवाधिकार हनन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। दलितों के उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उद्योग के क्षेत्र में नहीं आगे विकास के क्षेत्र में नहीं आगे लेकिन दलित उत्पीड़न, अपहरण, लूट, डकैती के मामले में उत्तर प्रदेश आगे चल रहा है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं यहां विधान सभा में बैठकर सरकार जवाब दे दे कि दिल्ली में क्या हो रहा है, बम्बई में क्या हो रहा है पंजाब में क्या हो रहा है तो वहां उनकी सरकार है वहां के विधायकों के प्रश्न होने दीजिए वह सदन के प्रति जवाब देह हैं वह वहां जवाब देंगे लेकिन यहां आप जवाबदेह हैं।

उत्तर प्रदेश के लिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि प्रति दिन औसतन चार बलात्कार हो रहे हैं तो आपकी सरकार को सर उठाकर चलने का हक किसने दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब थाने में सोनम का बलात्कार होता है तीन-तीन डाक्टर गलत रिपोर्ट देते हैं तो आखिर वह कौन सा हाथ था, किसने दबाव दिया कि तीन डाक्टर ने फर्जी रिपोर्ट दी। तो मान्यवर, एक सोनम नहीं इस उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी सोनम का बलात्कार हो रहा है और इस सरकार की आंखें खुल नहीं रही है। या मैं कहूं कि सरकार कहीं न कहीं से क्योंकि जब सरकार का जलाल खत्म हो जाता है, सरकार के साये में अपराधी पलने लगते हैं तो फिर उस सरकार से कानून व्यवस्था की बेहतरी की

उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं सोनम प्रकरण में सरकार को उसका बचन याद दिलाते हुए अगर उसके मां बाप तैयार हो जाएंगे तो हम इसकी सी0बी0आई0 से जांच करा देंगे डी0एम0 के माध्यम से पत्र भेजा गया है कि इसकी सी0बी0आई0 जांच कराई जाय। मैं चाहता हूं कि सोनम की हत्या और बलात्कार की सी0बी0आई0 जांच कराई जाय इस अविलम्बनीय और लोक महत्व व जीवन से जुड़े प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहते हुए सिर्फ इतना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर विस्तृत चर्चा कराई जाय।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने इस अति महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था की जितनी खराब स्थिति हो सकती है उसके सेचुरेशन प्वाइंट पर है। सरकार उसके लिए गम्भीर नहीं है। परसों 8 अगस्त, 2011 को मेरे द्वारा विधान सभा में प्रश्न लगाया गया था तो तारांकित प्रश्न-1 पर लगा था उसमें मैंने पूछा था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है। यदि हां तो उसका प्रारूप क्या है उसका लिखित उत्तर मिला कि जी नहीं, मान्यवर इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि अपराधों पर नियंत्रण की कोई योजना है उसका उत्तर मिलता है कि नहीं तो इससे ज्यादा गम्भीर बात क्या हो सकती है। सरकार आम आदमी की सुरक्षा के लिए आम आदमी की जान माल के लिए आम आदमी जो भयग्रस्त है उसकी चिन्ता को मुक्त करने के लिए सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की हनक खत्म हो गई है सरकार की धमक खत्म हो गयी है सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। शासन करने के लिए हर स्थान पर खड़ा होना आवश्यक नहीं है सरकार इकबाल से चलती है। खत्म होने का कारण सत्ता पक्ष में बैठे हुए सदस्य भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। कहीं न कहीं सत्त पक्ष के इशारे के ऊपर उन लोगों के ऊपर इशारा है जो अपराधी हे जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने आंकड़े बताने का काम किया। सरकार के द्वारा प्रायोजित आंकड़े की छपते हैं उसके बाद भी अपराध बढ़ रहे हैं। हम अगर मान्यवर रोज समाचार पत्रों की बात मान्यवर, रोज करने का प्रयास करें तो हमें लगता है कि रोज आदरणीय प्रमोद जी ने कहा कि चार बलात्कार होते हैं लेकिन कहीं कहीं 24 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें 10-10 बलात्कार 24 घंटे मे हो जाते हैं और उन घटनाओं के बाद उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है और दो चार दिन के बाद व्यक्ति भूल जाता है क्योंकि हर रोज एक घटना होती है। इसके बाद मान्यवर, एक जवाब आया था पिछली विधान सभा में भी आया था इस बार भी आया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इसकी समीक्षा हुई। मैं इस समीक्षा की बात मुझे ध्यान है कि सभी समाचार पत्रों में इस समीक्षा के लिये प्रकाशित हुआ था कि आदरणीया मुख्यमंत्री जी ने लॉ एण्ड आर्डर के ऊपर एक कदम उठाया था और बैठक में उन पुलिस के अधिकारियों को यह बात कहा था कि उनको इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में थाने बिकते हैं। मैं मान्यवर, इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से इस बात की हमारी जिज्ञासा है कि कौन कौन से थाने थे जो बिकते थे और जो थाने बिकते थे उनके ऊपर अंकुश लगा कि वे सही तरीके से काम करने की चेतावनी दी गई ? क्या उनको दंड दिया गया ? दंडित नहीं किया तो क्या आज भी थाने बिक रहे हैं ? यदि बिक रहे हैं तो उनका रेट क्या है।

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर बात है। माननीया मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह बयान आ जाय और उसके बाद भी किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो इसका मतलब है कि सीधा संदेश जाता है कि जो खरीद फरोख्त की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं उनको भी आने का निमंत्रण देना। मान्यवर, यहां पर बात कही गई है दलित छात्राओं के साथ उत्पीड़न। लड़कियों को मान्यवर, छोटी बालिकाओं का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। अगर वह घर से बाहर जायेंगीं तो लौटकर सकुशल वापस आ जायेंगी कि नहीं आ जायेंगी इस के ऊपर मान्यवर, बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह और शंका बनी हुई है। मान्यवर, एक घटना का जिक्र करना प्रारम्भ करें तो एक बहुत बड़ा पुलिन्दा है। कहां से शुरू करें और कहां अंत करें। अगर एक दिन में 4 अपराध हो रहे हैं तो पिछला विधान सभा सत्र समाप्त होने के बाद आज तक का लें लें। यानि एक विधान सभा के सत्र से विधान सभा के दूसरे सत्र तक 6 महीने अर्थात् 180 दिन। यह एक सत्र से दूसरे सत्र की बीच का समय है जिसमें हजारों की संख्या में अपराध हुए हैं। मान्यवर, यह अपराध रूप क्यों नहीं रहे हैं ? कहीं इसमें यह संदेश तो नहीं कि पुलिस वाले कहीं न कहीं अपराध करने में सहयोग कर रहे हैं। या सरकार का संरक्षण इन अपराधियों को प्राप्त है। मान्यवर, सीतापुर में एक दलित छात्रा के साथ बलात्कार करके उसको जिन्दा जला दिया गया। एक दलित किशोरी को अगवा करके उसके साथ सामूहिक दुराचार किया गया।

मान्यवर, कन्नौज में एक लड़की से दुराचार का प्रयास किया गया और उसमें सफल नहीं होते है तो उसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं। निघासन में थाने में अन्दर एक बालिका के साथ दुराचार करके उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। कहां पर न्याय मिलेगा। गैंग रेप के बाद उसको मार दिया जाता है। रोज सुबह समाचार पत्रों को उठाकर देखिये तो रोज दुराचार, अत्याचार, बलात्कार, हत्या हुई यही सब पढ़ने को मिलेगा और कुछ नहीं पढ़ने को मिलेगा। सुबह जब अखबार उठाकर देखा जाता है तो यही सब घटनायें उसमें देखने को मिलती हैं तो समझ में नहीं आता है कि इसको किस संवेदना के साथ पढ़ा जाय। मान्यवर, हम कहां पर बैठे हैं ? हमारी क्या जिम्मेदारी है ? मान्यवर, व्यापारियों की हत्या हो जाती है। कानपुर में एक व्यापारी गाजियाबाद जाने के लिये निकला उसका अपहरण हो जाता है। वह स्वयं पुलिस को जानकारी नहीं देना चाहते। सबसे गम्भीर बात यह है कि किसी का अपहरण हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है इसकी जानकारी पुलिस को नहीं देना चाहते क्योंकि वह जानते हैं कि मेरा अपहरण हो गया पुलिस को जानकारी दे दी तो अपहरणकर्ता को तो देना पड़ेगा पुलिस को जानकारी हो गई तो उसको भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा तब ही मामला सुल्टेगा। इसीलिये पुलिस के अधिकारी को माइनस करने के बाद सीधे सीधे अपहरणकर्ता जिसका पता चलता है उससे परिवार वाले बात करते हैं। मान्यवर, ऐसी बहुत सारी बातें हमारे संज्ञान में हैं और बहुत सी समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आती हैं। मान्यवर, यहां पर जो सार्वजनिक रूप से एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत तीन डाक्टर्स की हत्या हो गई। दो से बाहर और एक की जेल के अन्दर हत्या हुई। मान्यवर, विषय इतना लम्बा है मैं बस अपनी बात कह कर समाप्त कर दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि सड़क के ऊपर चलना महिलाओं के लिए दूभर हो गया है और ज्वेलरी पहनकर तो निकल ही नहीं सकती है। चैन स्नैचिंग की घटनायें इतनी बढ़ गई है कि अगर कोई चेन खींचने में असफल हो गया तो उसकी हत्या हो जाती है। इस बात से इंकार नहीं किया जाता सकता है। मान्यवर,

एक महिला नकली चेन पहनकर निकलती है उसकी चेन खींचकर ले गए वह नकली निकली तो उसे आकर लुटेरे मारते हैं कहते है कि नकली चेन पहनती है हमें धोखा देती है। समाज में भय व्याप्त है। आशंका है जो सरकार अपराधियों पर अंकुश लगाने के आधार पर आई थी वही सरकार अपराधियों के साथ बैठी हुई दिखाई देती है। इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। आज मान्यवर लूट डकैती अपहरण, राजनीति यह सब चीजें आम हो गई है।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें बहुत सूचनायें हैं।

श्री सतीश महाना-

संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि पारदर्शिता है यह बहुत गम्भीर विषय है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कुछ अपराधियों के पाप को अपने सर पर ले लीजिएगा। पुलिस वालों के द्वारा अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। अगर आपकी नीयत साफ है तो प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज्य स्थापित दिखाई देना चाहिए था। रटी रटाई बात यहां नहीं कहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

अपराध और अपराधी निरंकुश हैं। अपराधियों में अंकुश होता तो दिखाई देना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में सदन को चलाने का कोई औचित्य नहीं है मेरा आपसे आग्रह है कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें।

(कुछ सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष-

अब कोई मेम्बर नहीं बोलेगा, दल के सदस्य बोल लिए है। ग्राह्यता पर बात आ गई है। माननीय ओम प्रकाश जी एक सदस्य के लिए कह रहे हैं अब और नहीं, बात आ गई है। ग्राह्यता पर बात आ गई है। सब मा0 सदस्य बोलेंगे तब तो यह चर्चा हो गई। महाना साहब बोल लिए। हर जिले के लोग बोलेंगे तो कैसे चलेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर।)

श्री अध्यक्ष-

आप सभी बैठ जाएं। मैंने 20-25 माननीय सदस्यों को सुनने के लिए चयनित किया है सबकी एक-दो मिनट बात आ जाएगी उसका तरीका यही है आप लोग समयबद्ध तरीके से बोलें। कल नौ बज गया था। डा0 राधा मोहन दास जी बोलें।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आपने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर 23 नवम्बर, 2007 को फैजाबाद वाराणसी, संभवतः लखनऊ तीन कचहरियों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में ब्लास्ट हुआ और जो अपराधी पकड़े गए थे आफताफ आलम और शहजुद्दरहमान दो अपराधी पकड़े गये उनको छोड़ दिया गया। इसके बात दिसम्बर, 2007 को ही एक दूसरी घटना हुई थी, जिसमें सी0आर0पी0एफ0 रामपुर के कैम्प पर आक्रमण हुआ था, अपराधी पकड़े गए सलीम अंसारी और सलाउद्दीन, माननीय न्यायालय ने दोनों को मुक्त कर दिया। एक घटना बनारस में 7 दिसम्बर, 2010 को हुई, आज तक कोई पकड़ा नहीं गया, कानपुर की दो-तीन माह पहले की घटना है, किसी इलाके में बम मिला था, लखनऊ में भी एक-आध महीने पहले की घटना है, कहीं बम बगैरह बरामद हुआ, घटना होते-होते बच गई। अभी सी0ए0जी0 की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, मैं किसी काशीराम योजना के बारे में नहीं बोल रहा हूं, उसका जो पक्ष है, माननीय सी0ए0जी0 ने जब इस पर टिप्पणी किया कि पत्थर मिर्जापुर से ढुलवा करके राजस्थान ले गए 670 किमी दूर पर और इस प्रकार से पैसे की बर्बादी हुई तो सरकार ने जो सी0ए0जी0 को जवाब दिया, वहां की कानून-व्यवस्था की जो स्थिति थी, वह इतनी खराब थी कि वहां पर यह सारी फैक्ट्रियां बन्द हो गई थी, इसलिए मजबूरी में हमें वह पत्थर राजस्थान भेजने पड़े। पत्थर भेजने पड़े या नहीं भेजने पड़े, वह एक अलग विषय होगा लेकिन यह स्वीकृति सी0ए0जी0 को स्वयं सरकार ने दी कि उस जिले में, चन्दौली में, मिर्जापुर में और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि अब वहां फैक्ट्रियां चल नहीं पायेंगी और आश्चर्य क्या होता है, सी0आर0पी0एफ0 ने उसी क्षेत्र चन्दौली में अपनी कोबरा बटालियन को स्थापित करने के लिए जमीन मांगी, जमीन को चिन्हित कर लिया गया और उसके बावजूद सी0आर0पी0एफ0 को अपनी बटालियन बनाने के लिए वहां जमीन नहीं दी गयी। कुछ बातों के ऊपर माननीय अध्यक्ष जी, मैं बिन्दुवार अपनी बात रखूंगा। मेरी अपनी यह मान्यता है कि जब से यह एसएसपी की व्यवस्था बदली गई है और जनपदों में डी0आई0जी0 की व्यवस्था की गई है। मैं इस सदन में इस विषय को पहले भी ला चुका हूं। यह जो दोहरी व्यवस्था पहले हुआ करती थी, एस0एस0पी0 एक नौजवान होता था, जो जनपद में घूमा करता था, पूरे जनपद में पेट्रोलिंग करके और थानों में जा करके अपराधों को नियन्त्रित किया करता था। मुझे कम से कम अपने जिले का पूरा संज्ञान है और मैं इसका दावा कर सकता हूं कि आप कहीं पर बैठे होंगे, डी0आई0जी0 व्यवस्था के बारे में यही देखते होंगे, मैंने किसी डी0आई0जी0 को कानून-व्यवस्था की रक्षा करने के लिए, अपराध पर नियन्त्रण करने के लिए जनपद के किसी हिस्से में कभी जाते देखा नहीं है। आफिसों में बैठकर, थानाध्यक्षों को बुलाकर, एसपी, सिटीज को बुलाकर बैठक करना, कहीं हत्या हो जाय तो मीडिया को लेकर पहुंचना, बयान देना और फिर अपने घर वापस चले जाना, डी0आई0जी0 व्यवस्था यही कर रही है। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, सरकार ने ही इस व्यवस्था को बदला है। सरकार खाली इतने ही आंकड़े निकलवा ले कि एस0एस0पी0 व्यवस्था के समय अपराध कितने होते थे और आज जब हम डी0आई0जी0 की व्यवस्था लेकर आए हैं तब अपराध कितने हो रहे है, इस पर परिवर्तन की बात करनी चाहिए। लेकिन सरकार करे कैसे ? सरकार तो केवल सुरक्षा को लेकर प्रयोग कर रही है।

पहले आई0जी0, जोन हुआ करते थे, कुछ दिनों पहले, जून-जुलाई में मैंने पढ़ा जोन की व्यवस्था बदल दी गयी है। पूरे प्रदेश को तीन जोन में बांट दिया गया है, हर जोन में कोई अधिकारी होंगे, डी0आई0जी0 या डी0जी0 लगा दिए गए, साथ में सचिव लगा दिया गया और एक-एक जोन में 6-6 मण्डल जोड़ दिए गए और यह कह दिया गया कि एक-एक जोन के यह प्रभावी अपने-अपने

जोन में 6-6 दिन महीने में जायेंगे और जा करके वहां निरीक्षण करेंगे और अगर एक जोन में 6 मण्डल हैं और 6 दिन जाना हो तो 36 दिन तो महीने में होते भी नहीं हैं, वह जा ही नही सकते और जायेंगे तो यहां कैसे बैठेंगे ? कहीं न कहीं सरकार की प्राथमिकता में चूक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस सुधार आयोग की बातें लगातार कही गई। दिसम्बर, 2006 में पुलिस सुधार आयोग के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। 2008 आते-आते गठन हुआ, प्राविधानों के विपरीत क्योंकि राज्य सुरक्षा आयोग में नेता प्रतिपक्ष को उसका सदस्य होना चाहिए था। मार्च में बनाया गया और दिसम्बर में जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया तब जा करके नेता प्रतिपक्ष को डाला गया और अध्यक्ष महोदय, 3 साल हो गए हैं, आज तक राज्य सुरक्षा आयोग की एक बैठक भी नहीं हुई है। महत्वपूर्ण क्या है, राज्य सुरक्षा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के सामने प्रस्तुत करने का प्राविधान बनाया गया था। मैं नहीं जानता पिछले तीन सालों में आज तक राज्य सुरक्षा आयोग का कोई प्रतिवेदन राज्य की कानून-व्यवस्था और अपराध की दृष्टि से कभी सदन में रखा गया या नहीं। यह कहा गया था कि हर जनपद में, हर थाने मे कानून-व्यवस्था नियन्त्रित करने वाले अधिकारी दूसरे होने चाहिए और अपराध की जांच करने वाले अधिकारी दूसरे होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

थोड़ा समय का ध्यान रखें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, चूंकि थानाध्यक्षों के पास राजनैतिक दबाव के अलावा काम का बहुत दबाव होता है। अगर यह दोहरी व्यवस्था की गयी होती कि हर थानों में इन्वेस्टिगेटिंग अफसर अलग किये गये होते और लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था अलग की गयी होती तो शायद यह स्थिति न हुयी होती। बहुत साफ निर्देश दिये गये थे कि थानाध्यक्षों, एस0एस0पी0 और डी0आई0जी0 और आई0जी0 की पोस्टिंग किसी जनपद या किसी थाने में कम से कम दो साल के लिए होनी चाहिए। आज जिस प्रकार से कानून व्यवस्था के नाम पर और मैं इसे कानून व्यवस्था बिगड़ने का कारण बनाता हूं क्योंकि जब कोई अधिकारी यह जान जाता है कि अगर मेरे क्षेत्र की कानून व्यवस्था बिगड़ी तो मेरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो उसके जनपद में जितने लोग कानून को बिगाड़ने की क्षमता रखने वाले होते हैं वह उनसे पैक्ट कर लेता है, अधिकारी जाकर उन्हीं से संबंध स्थापित करता है, उन्हीं की मानमनव्वल करता है, उन्हीं को मक्खन लगाता है और उन्हीं से आग्रह करता हैं कि तुम शांत रहो। तुम्हारे जितने भी गलत काम होंगे सबको मैं प्रश्रय दूंगा और सब करूंगा। यही सच्चाई है। हम जनपद का यह अनुभव है। जिस जनपद में जो भी प्रभावी होगा और पुलिस की निगाहों में वहीं प्रभावी होता है क्योंकि वही कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की क्षमता रखता है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आपका निर्देश है तो मैं इस आग्रह के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि सुरक्षा के साथ यह खेल बंद होना चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिए। पुलिस सुधार आयोग की संस्तुतियां लागू होनी चाहिए और जो लोग अपराधों को नियंत्रण करने में असफल होते हैं उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत मूल्यवान बिन्दु उठाये हैं और इतनी समझदारी से एक बात कहकर निकल गये हैं, मुझे वाकई इस बात का कष्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि बम काण्डों में फलां-फलां लोग सम्मिलित हुए। इत्तफाक से वह मुस्लिम समुदाय के ही लोग थे जिनके नाम लिये और इस पर आपत्ति हुयी कि न्यायालय ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। मान्यवर, अगर न्यायालय ने गलत छोड़ा है तो सरकार को उसकी अपील में जाना चाहिए था और अगर वह बेगुनाह छोड़े गये तो माननीय सदस्य को अभिनव भारत के बारे में भी बताना चाहिए था। यह उनकी समझदारी है कि अपने तरकश के तीर का इस्तेमाल करें और जिसके सीने में वह तीर उतर जाये बस उसे ही उसकी सूचना हो। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लॉ एण्ड आर्डर के सिलसिले में, इन्काउंटर्स के बारे में उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में यह कहा है कि उन पुलिस कार्मियों को फांसी दी जानी चाहिए। किसी सरकार के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कमेंट और सदन में न्यायालय से बेगुनाहों को छोड़ दिये जाने पर ऐसा कमेंट, मान्यवर, दोनों से एक चिंता का विषय पैदा होता है। मैं चाहूंगा कि सरकार अपने जवाब में इस बात को जरूर कहे कि वह लोग जो बम काण्डों में पकड़े गये थे, इत्तफाक से वह मुसलमान नाम के थे, न्यायालय ने उन्हें छोड़ा तो सरकार अपील में क्यों नहीं गयी ?

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जिस बात को डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने कहा और जिसको जिस रूप में आजम खां साहब ने लिया। डा0 राधामोहन जी का मकसद केवल इतना ही था कि उसमें अपराधी पकड़े गये उनका नाम लिया उसका धर्म या नाम से कोई संबंध नहीं था। अर्थात् इस सरकार और कानून के रक्षक इतने कमजोर हैं कि बम काण्ड में जो लोग पकड़े जाते हैं तो उनके विरुद्ध साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर पाती। यह सरकार की, कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था के रक्षकों की कमजोरी है। यह व्यक्त करना उनका मकसद था और निश्चित रूप से इस सरकार का पुलिस तंत्र अपराधियों से मिला हुआ रहता है। पुलिस संरक्षण देती है इसलिए अपराध बढ़ रहा है और जब पुलिस संरक्षण देगी तो फिर कानून का राज कहां होगा और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मुख्य मंत्री जी जितनी सुरक्षा में चलती हैं और जनता के बीच जिस रूप में वह जाती है और निरीक्षण के समय जिस तरह से बस्तियों में ताले लगा दिये गये, लोग घरों में बंद कर दिये गये। यह सिद्ध करता है कि कानून का राज इस प्रदेश में नहीं है। यदि राजा ही असुरक्षित महसूस कर रहा है तो निश्चित है कि जनता तो असुरक्षित रहेगी, इसलिये यहां कानून का राज नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने इसी सदन में राज्य सुरक्षा आयोग में नेता प्रतिपक्ष को सदस्य न बनाये जाने की बात भी कही थी और आश्चर्य होता है कि वह बात सुनने वालों ने नहीं सुनी। वह हमारे दल के नहीं होते, वे समाजवादी पार्टी के होते। हम लोगों ने उस बात को भी कहा था, उन बातों को नही सुना गया और जिन लोगों की बात इन लोगों ने कही थी, वे लोग हैं जो सरकार में।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मा0 नेता प्रमोद तिवारी जी ने एवं अन्य सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं। इस समय प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा रही है।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मेरी एक सूचना थी और आपका विनिश्चय अंतिम है।

श्री अध्यक्ष-

जब विनिश्चय अंतिम है तो मेरी बात सुनिये। मैंने कहा था कि मा0 अंबिका चौधरी जी को, मा0 प्रमोद तिवारी जी को और मा0 ओम प्रकाश सिंह जी को सुनने के बाद होगी, इसके बाद ली जा रही है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान की कार्य संचालन नियमावली, 1958 के अध्याय-10 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कृपया आप खोल कर देख लें, उसके अध्याय-10 के नियम-58 का उपनियम-3 देख लें। मैंने 311 में सूचना आपको दी थी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने उसे नियम-56 में परिवर्तित कर दिया।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, वह कहता है कि ''प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा।''

श्री अध्यक्ष-

उसको सुनने के लिये मैंने चयनित भी किया है हो सकता है कि क्रम में वह 2 या 3 पर हो जाये। मैंने उसको चयनित तो किया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

पूरे हिन्दुस्तान में अधिकार है तो आपको समझाने का भी अधिकार है। आप बैठ जाइये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 प्रमोद तिवारी जी की और अन्य दल के नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश की चरमराती हुयी कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में जो अपने मुझको बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। सैद्धान्तिक रूप से क्या होना चाहिए, क्यों समाज में अपराध बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ रहा है ? इस पर काफी नीतिगत विषय, नीतिगत बातें भी आयी, आंकड़े भी आये। मैं अपने आपको केवल इलाहाबाद तक ही सीमित करना चाहता हूं। इस समय इलाहाबाद में विगत 2 महीनों में अपराध की एकदम बाढ़ आयी है जैसे पानी की बाढ़ आती है, इसी तरह अपराधों की

बाढ़ आ गयी है। अभी 8 अगस्त को घूरपुर थाने में कांग्रेस के एक नेता श्री रामजी तिवारी की दिनदहाड़े हत्या कर दी गयी। हमारे यहां प्रशान्त अग्रवाल को जो एक सर्राफा व्यापारी है, उनके यहां 5 करोड़ की लूट हुयी थी, आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। ध्रुव अग्रवाल जो डी-डमास हीरे के मालिक व व्यापारी थे, उनके यहां 10 करोड़ की लूट हुयी, हत्या हुयी आज तक कुछ पता नहीं चला। अभी 6 अगस्त को धूमनगंज थाने में एक व्यक्ति मनीष जो वर्धमान जिले का रहने वाला था, को पेट्रोल डाल करके जला दिया गया, उसमें कोई अभियुक्त पकड़ा नहीं गया। इसी तरह जॉर्जटाउन थाने के भल्लपुर में रात में पूरा का पूरा ए0टी0एम0 जिसमें करीब 20 लाख रुपये थे, चोर उठा ले गये, उसमें भी कोई पकड़ा नहीं गया है। इसी के साथ-साथ, कौशाम्बी जिले में पूरामुफ्ती थानान्तर्गत 20 लाख की डकैती अरविन्द केसरवानी और राधे मोहन केसरवानी के यहां हुयी, उसमें उन लड़कों ने दौड़ा कर जनता की सहायता से 6 अपराधियों में से 3 अपराधियों को खुद पकड़ लिया, बाकी 3 अपराधी उनका 20 लाख रुपया लेकर के भागे हुये हैं और इसके बावजूद वह रुपया बरामद नहीं हुआ। एक लड़की जिसकी चेन छीनी गयी, उस लड़की ने खुद अपराधियों को दौड़ा के पकड़ा। मान्यवर, इस प्रकार इलाहाबाद में अपराधों की बाढ़ आ गयी है। धूमनगंज थाना तो अमेरिका का शिकागो हो गया है। प्रतिदिन गंभीर घटनायें घटित हो रही है। अपहरण, लूट, बलात्कार की बारिश सी हो रही है।

मान्यवर, इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाए और इन अपराधो का खुलासा करने की सरकार से मांग करती हूं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, यह सरकार अपराध नियंत्रण करने में असमर्थ है, इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् श्री प्रदीप माथुर के साथ कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

अभी तो कोई व्यवस्था ही नहीं आई है। अभी तो सरकार अपना पक्ष रख भी नहीं पायी है। (अन्य सदस्यों के खड़े होने पर) पहले श्यामदेव चौधरी जी की सूचना है, श्री रियाज साहब, उस्मानी जी, जिन लोगों को भी रोजा अफ्तार में जाना है उन लोगों की सूचना हम पहले सुन लेंगे, लेकिन अभी शेष दो सूचनाएं सुननी हैं, अभी ढ़ाई बज रहा है, मैं स्वयं कोशिश कर रहा हूं कि चाहे रियाज साहब की सूचना हो, या उस्मानी साहब की सूचना हो, इनको पहले सुनकर जल्दी छोड़ दिया जाए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त और भ्रष्टाचारमुक्त एवं विकासयुक्त समाज की स्थापना एवं कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित करने के लिए वर्तमान सरकार कटिबद्ध है, अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण शासन की प्रमुख वरीयता है। मान्यवर, अभी मा0 प्रमोद तिवारी जी ने इस विषय को उठाने का कार्य किया और मान्यवर, उन्होंने जो नोटिस दी है यदि आप उसी को देखने का काम करें। उन्होंने लिखा है कि 2008 में 1 लाख 61 हजार, 82, वर्ष 2009 में 1 लाख

60 हजार 875, तथा वर्ष 2010 में 1 लाख 59 हजार 796 प्रकरण दर्ज किए। मान्यवर, उनकी नोटिस से ही यह बात विदित है कि अपराध घट रहे हैं। मान्यवर, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रकाशित क्राइम इंडिया, जिसके आधार पर अपराध दर में उत्तर प्रदेश पूरे देश में मान्यवर, कुल 35 राज्य हैं, केन्द्रशासित और स्वयंशासित राज्यों को मिलाकर उसमें उत्तर प्रदेश 34 वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में अपराध दर 88.4 थी जबकि अन्य प्रदेशों में अपराध की दर ज्यादा थी, आंध्र में अपराध दर- 216.6, गुजरात में 200.5, कर्नाटक में 230.3, हरियाणा में 221.9, मध्यप्रदेश में 293, महाराष्ट्र में 183.6, उड़ीसा में 137.9, राजस्थान में 252.2 तथा दिल्ली में 282.6 मान्यवर, इस तरह से जो पूरे देश का औसत अपराध दर है प्रतिलाख 181.4 था। मान्यवर, इससे यह सुनिश्चित है कि उत्तर प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए पूरी तरह से वर्तमान सरकार ने प्रयास किया है और उसके कारण अपराध दर की स्थिति हमारे यहां कम हुई है। अलग-अलग घटनाओं में भी ऐसा ही है, हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश 25 वें स्थान पर है, डकैती में उत्तर प्रदेश 25वें स्थान पर है, लूट में उत्तर प्रदेश 24 वें स्थान पर हैं, चोरी के मामलों में 30वें स्थान पर और मान्यवर, अनुसूचित जातियों पर अपराध के मामले में भी यू0पी0 30वें स्थान पर है। मान्यवर, इस तरह से प्रत्येक तरह के जो अपराध है उन सभी अपराधों में भी है। मान्यवर, मा0 तिवारी जी ने निघासन की घटना का जिक्र किया था, मान्यवर, हमारी सरकार और मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश के परिणामस्वरूप ही घटना के समय थाना निघासन पर विद्यमान थानाध्यक्ष सहित 11 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया, तीन डाक्टरों जिन्होंने गलत पोस्टमार्टम किया था, उनको भी निलंबित किया गया, पुलिस कप्तान को वहां से स्थानान्तरित करके उसके बाद निलंबित किया गया है। और तगड़ी कार्यवाही क्या हो सकती है ? यह इस मान्यवर के द्वारा जो कार्यवाही की गई उस से यह स्थापित होता है। मान्यवर, महिला अपराधों के बारे में बहुत बढ़-चढ़ कर माननीय तिवारी जी और दूसरे माननीय सदस्य जिक्र करते हैं, मान्यवर राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार ही उत्तर प्रदेश का स्थान 35 राज्यों में महिला अपराध का सम्पूर्ण अपराध मिला कर 22वां है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का उत्तर प्रदेश में जो अपराध दर है, सम्पूर्ण अपराध मिलाकर 11.9 है जबकि आन्ध्र प्रदेश में 30.7, गुजरात में 13.9, हरियाणा में 21.9, मध्यप्रदेश में 22.3, महाराष्ट्र में 13.8, उड़ीसा में 20.1, राज्यस्थान में 26.2, दिल्ली में 23.9 और पूरे भारतवर्ष में 17.4 है।

मान्यवर, मध्य प्रदेश में तो बलात्कार की घटना उत्तर प्रदेश से लगभग पांच गुना ज्यादा है, दर के हिसाब से। मान्यवर, अनुसूचित जाति के अपराध के मामले में भी हमारा जो स्थान है वह 25वां है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार, नेशनल क्राइम इन इण्डिया के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध दर 3.8 रही, जबकि यह अपराध दर राजस्थान में 7.5, उड़ीसा में 4.2, मध्यप्रदेश में 4.3, बिहार में 04, आन्ध्र प्रदेश में 5.4 रही। मान्यवर, इसके साथ-साथ अपराध होना और उसमें कार्यवाही होना, मान्यवर, अपराधों के विरुद्ध जो कार्यवाही हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश का जो स्थान है उसके अनुसार लगभग 94.8 प्रतिशत विवेचनाओं का निस्तारण सुनिश्चित किया गया। मान्यवर, इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी, जो गृह विभाग को स्वयं देखने का काम करती है,

उनका स्पष्ट मत है और हमारी सरकार स्पष्ट मत है कि अपराधी, अपराधी है, न तो उसकी कोई जाति है, न तो उसका कोई धर्म है, न उसकी कोई राजनीतिक पार्टी है, जो भी अपराध करेगा, उसका स्थान जेल है और इस बात को उन्होंने कहा ही नहीं कर के दिखाने का काम किया। मान्यवर, मुझे याद है हम लोग जब सदन में थे, माननीय तत्कालीन नेता विरोधी दल ने खड़े होकर हमारे एक मंत्री के ऊपर आरोप लगाने का काम किया और उसी दिन उनका इस्तीफा हुआ और उसी दिन मान्यवर, जब यह पाया गया कि वह दोषी हैं, जांच में जब वह दोषी पाये गये, उनको जेल भी जाना पड़ा और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पैरवी किया उस पैरवी का परिणाम हुआ कि उनको सजा भी मिली। मान्यवर, जिनको हम सजा दिलवाते हैं, जिनको हम जेल भिजवाते है, कुछ लोग उनकी वकालत भी करने लगते हैं, मान्यवर इस बारे में मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मान्यवर, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को किसी तरह से बख्शने का काम नहीं किया जा रहा है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से कुछ घटनाएं जब हुई, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कानून में भी संशोधन करके और यह जो आज ही बिल लगा हुआ है, उसमें हम चर्चा करेंगे, इस तरह से अपराधियों का जो मनोबल है उसको तोड़ने के लिए ऐसी कार्यवाही करने का निर्णय लिया है कि निश्चित रूप से हमारा उत्तर प्रदेश, अपराध शून्य उत्तर प्रदेश होगा, ऐसी हमारी चाहत है और ऐसा निश्चित होगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे बहुत से साथी विशेषकर कांग्रेस के साथी और उनके नेताओं को केवल उत्तर प्रदेश ही दिखाई पड़ता है, अगर किसान का कोई मामला आयेगा, कहीं महिला का मामला आयेगा, उत्तर प्रदेश में तो उनको दिखाई पड़ जाता है, उनकी आंख देख लेती है, लेकिन दूसरे प्रान्तों में चाहे वह दिल्ली में उनकी नाक के नीचे ही होता है, उसको वह नहीं देख पाते, दूसरे प्रान्तों में भी नहीं देख पाते, महाराष्ट्र में रात में ही कल ही तीन किसानों की पुलिस की गोली से हत्या होती है। उनको देखने व नहीं जाने का काम करते हैं। तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है और हमारा पूरा प्रयास है, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो आंकड़ा दिया है वह इस बात को प्रदर्शित करता है कि अपराध घटा है और नेशनल क्राइम ब्यूरो भी इस बात को साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अपराध घटे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा, माननीय चौधरी साहब ने जो जिक्र किया बनारस वाले चौधरी साहब ने उन्होंने इस बात को कहा कि नियमावली में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अन्तर्गत इसको ग्राह्यता में उठाया ही नहीं जा सकता है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सरकार ने निघासन के सिलसिले में जो कार्यवाही की है उसकी सूचना दी। निघासन मेहनाखेर इन जगहों पर जो बलात्कार हुए वह बहुत ही दिल दहलाने वाले थे। मान्यवर, यहां तक हुआ कि लड़की की डेड बाडी जब पोस्टमार्टम के लिए ले जायी गयी तो डाक्टर ने लड़की के बाप को बुलाकर उसकी लाश के सामने खड़े होकर उसके गुप्त अंग पर इशारा करके यह कहा कि देख इसके साथ बलात्कार कहां हुआ है। तो इस हद तक गिर गये सरकारी अधिकारी, कर्मचारी चाहे वह पुलिस वाले हों या डाक्टर्स हों। इसमें सरकार ने यह माना है कि निघासन में ऐसा हुआ और यही

वजह है कि पुलिस कर्मियों पर इंस्पेक्टर पर कार्यवाही हुई और उन्हें निलम्बित कर दिया गया। मान्यवर, हाईकोर्ट के बहुत से फैसले हैं कि सस्पेंशन इज नो ऐक्शन, सस्पेंशन इज नो पनिश्मेंट। तो मान्यवर, यह तो कोई पनिश्मेंट नहीं है। हां इसमें कौन लोग जेल गये। कौन जिम्मेदार जेल गया किस धारा में गया इतनी जानकारी और दे दें और जहां तक यह मुकाबले की बात है मान्यवर, बड़े नेता हैं प्रमोद तिवारी जी हैं वह उस समय सुन नहीं रहे थे जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री आंकड़े पढ़ रहे थे और पूरे देश का आंकड़ा रख रहे थे। तो यह बड़े नेताओं का मुकाबला है। आपकी देश में सत्ता है, मध्य प्रदेश और फलां प्रदेश की जानकारी उन्होंने दी। मान्यवर, अगर बलात्कारों का मुकाबला होने लगेगा कि इस प्रदेश में इतने बलात्कार हुए और हमारे यहां एक कम हुआ तो हम चैम्पियन हो गये। हम बलात्कार के चैम्पियन, इसमें मेरे ख्याल से सरकार को बहुत वाहवाही नहीं लेनी चाहिए।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का कई बार जिक्र किया। मान्यवर, एक बात की जानकारी और दिलवा दें कि वर्ष 2008 और 2009 में उत्तर प्रदेश की पुलिस के खिलाफ कितने मामले गये और उसमें से कितने सही पाये गये। मान्यवर, यह पुलिस का जिसकी वजह से यह पूरे लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब हुई और जिसकी बजह से पूरी सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ता है उसको यह संरक्षण क्यों प्रदान करते हैं इस बात की जानकारी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से और दिला दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सामान्यतया जब वाक आउट किया जाता है तो उस समय तक सदन में नहीं आया जाता जब तक वह विषय समाप्त न हो जाय। लेकिन जब सदन को गुमराह किया जा रहा हो सदन के सामने सही आंकड़े रखने के लिए मुझे आना पड़ा। मान्यवर, यह नेशनल क्राइम ब्यरो के कुछ आंकड़े पढ़ रहे थे। मुझे भी हिन्दी पढ़नी आती है और अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत आती है। मैंने डकैती का जिक्र किया था। 2006 में 135 12 परसेंट की वृद्धि है। 12 परसेंट की वृद्धि डकैती में इनको कुछ नहीं लगती है। 17 प्रतिशत लूट में है। क्या डकैती और लूट इनका जन्म सिद्ध अधिकार है मान्यवर, आंकड़े कुछ भी हों उनको यह स्वीकार नहीं करेंगे। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि डकैती में, लूट में, दहेज हत्या में, अपहरण में, मान्यवर, अपहरण की हालत यह है कि 2001, 2006 में और 2010 में 4930।

श्री अध्यक्ष-

यह आंकड़े आप प्रस्तुत कर चुके हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह बात सदन में आ जाये मैं इनके आंकड़ों को दुरुस्त करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके पास बहुत हथियार होंगे। एक बात कहना चाहता हूं कि मंच पर कभी-कभी ऐसे गायक आ जाते हैं कि पब्लिक उन्हें पीछे से हूट करने लगती है, उनका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिकार्ड इतना गिर जाता है मान्यवर, कि वह आते ही यूं करने लगते हैं। तो कुछ हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ऐसे गायक की तरह हैं जिनका रिकार्ड फिर से टूटने वाला है। इनसे जब बात करो उत्तर प्रदेश की तो कभी उड़ीसा पहुंच जाते हैं कभी पंजाब कभी दिल्ली कभी मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं। अरे भैय्या, संसदीय कार्य मंत्री आप उत्तर प्रदेश के हो आप बताओ उत्तर प्रदेश की जो बात कही जा रही है उसका जवाब दो और आप तुलना करना चाहते हो वहां कम है मेरे ख्याल से शायद आजम खां साहब ने कहा या किसी ने कहा जहां कम है यह कहो कि हम इससे भी ज्यादा कम करेंगे लेकिन यह क्या बात हो गयी आपकी यह तो ऐसा ही है कि एक कोई 10 बार चोरी में पकड़ा गया तो यह कहा गया कि इस गांव में एक और है जो 11 बार चोरी किया है तो उससे चोरी का इल्जाम तो नहीं खत्म होता आप पे। तो यहां पर अपनी बात रखने के लिए आपने इजाजत दी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं इस पर चुनौती देता हूं कि अगर यह आंकड़े गलत होंगे तो मैं पूरे सदन के सामने क्षमा याचना करूंगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जो कानून व्यवस्था के सवाल पर अभी प्रमोद तिवारी जी ने, आजम खां साहब ने बहुत सही बाते रखीं। कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है यह संसदीय कार्य मंत्री जी के आंकड़े यह तो इनके आंकड़े हैं और उन अधिकारियों के आंकड़े हैं अगर कोई घटना हुई जैसे इटावा में प्रीति कांड शादी के बाद तीन महीने के बाद उससे लगातार बलात्कार होता रहा। (टोका-टाकी होने पर) कौन-कौन लोग बलात्कार करते रहे हमें मालूम है तभी तो बता रहे हैं। क्या कार्यवाई हुई है उन बलात्कारियों के साथ और उसी के साथ बलात्कार प्रीति के साथ और वही जेल में जब उसके घर के लोग भाई उसके रिश्तेदार उसको लेने गये तो वह भी जेल में और जेल के साथ-साथ उसके पति की हत्या, आत्महत्या की क्यों आत्महत्या करना पड़ा, सही था उसका पति बहुत सीधा-सादा था। लेकिन किन परिस्थितियों में उसके साथ बलात्कार हुआ और फिर उसमें सजा क्या मिली और यहां से जब माननीय मुख्य मंत्री पहले दिन ही बिना जांच के क्लीनचिट दे दें, डी0जी0पी0 लॉ एण्ड आर्डर क्लीन चिट दे दें फिर किसकी हैसियत है, फिर एसओ की हैसियत है, इंसपेक्टर की हैसियत है, सीओ की हैसियत है, एस0पी0 की हैसियत है। क्लीनचिट मुख्य मंत्री क्लीनचिट, डी0जी0पी0 लॉ एण्ड आर्डर क्लीन चिट बिना जांच के जांच तो होना चाहिए। ऐसी कितनी हत्याएं हैं कितने बयान दिये गये और लॉ एण्ड आर्डर की बात करते हो। मैंने तभी कहा कि यह तो तुम्हारे आंकड़े हैं, आपके आंकड़े हैं, यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपके आंकड़े हैं और आंकड़े मैं बता रहा हूं देख लेना तुलना कर लेना इस उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने में 1891 में जो लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे उसका भी रिकार्ड इस 4 साल के अन्दर टूट गया है। इससे तुलना करना लॉ एण्ड आर्डर, बलात्कार, हत्याएं, लूट और यहां तक कि [xxx] विधायकों से पूछो आप लोग तो यहां मजे कर रहे हो [x x x] और माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं।

नोटः-[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

पूरे सत्र में 3-4 बार कह चुके हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आपसे यह कह रहे हैं जो संरक्षण देते हैं अपराधियों को डकैतों को, तो संरक्षण देते हैं जो बचाते हैं वह उससे भी बड़े अपराधी हैं करते क्यों नहीं बन्द अपराधी, करते क्यों नहीं बन्द, करें है क्या 4 साल में बन्द अपराधी हम लोग हैं तो हम लोगों को बन्द करो जेल भेजो, तैयार हैं। आपको तो जाना ही है 6 महीने के बाद देख लेना। जितने भी अपराधी हैं चाहे मंत्री हों चाहे कोई हों 6 महीने के बाद जनता करेगी इसका फैसला। आप नही कर सकते। अब तो साढ़े चार साल कट गया है, पैसे की मशीनें इनके यहां भी लगी हैं, यह तो हैं ही सब कुछ। मैंने तो पहले भी बजट सत्र में कहा था कि यह थोड़े ही कम हैं अब हो सकता है कि न पहुंचाया हो मुख्य मंत्री जी को तो और आगे निकल गये हों।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं। सदन में आरोप लगाने की एक नियमावली है और मान्यवर, आप नियमों को देख लें। उस आरोप लगाने में किसी को छूट नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री या माननीय नेता सदन या माननीय नेता प्रतिपक्ष को उससे अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त है। तो मान्यवर, अगर कोई आरोप लगाना है तो नियमों के तहत लगावें। आप उसकी अनुमति दें, हम उसकी तैयारी करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। मान्यवर, ऐसे खड़े होकर कोई किसी को चोर कह दे, कोई किसी को अपराधी कह दे, कोई किसी को डकैत कह दे, यह हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, सदन की परम्पराओं के अनुकूल भी नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे बिन्दुओं को और ऐसे शब्दों को जो नियमों के अनुसार न हों, ऐसे शब्दों को और ऐसे वाक्यों को जो नियमों के अनुसार न हों, ऐसी बातों को मैं चाहूंगा कि वह कार्यवाही का अंग भी न बनें और साथ-साथ यह प्रकाशित भी न हों और उसको रोकने के लिये भी आप व्यवस्था करें, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जो बातें या शब्द नियमों की परिधि में नहीं होंगे, उनको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। यह प्रकाशित भी नहीं किये जायेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियमों की एक बात कही है। बहुत अच्छा है कि नियमों के पालन की सुधि सरकार को आ जाये और इसका आग्रह अगर आपसे कर लें तो हम इसका स्वागत करेंगे। श्रीमन् मेरा इसमें दो निवेदन है, वह नियमावली जानते भी हैं और कदाचित इसको ठीक से देखने का भी काम करें। अगर आक्षेप किसी व्यक्ति का नाम लेकर किया जायेगा और उसके विरुद्ध अगर यह आरोप लगाये जायेंगे तो नियमावली का वह नियम आप उद्घृत करेंगे और हम उन आरोपों के बारे में पूर्व सूचना आपको देंगे और जब आप हमको अनुमति देंगे तो हम उन आरोपों की बात करेंगे। लेकिन श्रीमन् जिस नियम की चर्चा के लिये आप अनुमति देते हैं और हम प्रदेश से

जुड़ी हुयी समस्या की जब चर्चा करते हैं तो हमने तो किसी का नाम लेकिन नहीं कहा कि [xxx] कर दिया। तो आपको यह कहने की छूट है कि अपराधियों को जो संरक्षण देते हैं, आपको यह छूट हासिल है जिस नियमावली में, उसी नियमावली में हमको भी यह छूट हासिल है कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम हम नहीं, पूरी तरह उनको पालने का काम आप कर रहे हैं। हमारे पास कोई दूसरी नियमावली नहीं है। मान्यवर, उसी नियमावली के तहत हम कहना चाहते हैं कि जो अपराधों की स्थिति इस प्रदेश में बिगड़ी हुयी है वह सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और इसके नियंत्रण में पूरी तरह समर्थ है। इन कारणों से कानून व्यवस्था की यह स्थिति है, इसमें आपको बुरा क्यों लगता है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये चौधरी साहब, आगे की सूचना अब लेनी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, और सूचनायें हमको लेनी हैं।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, दोनों पक्षों में ज्यादा चर्चा हो रही है और हमें कुछ जानकारी नहीं हो पाती, इसीलिये हम पूछ रहे हैं। एक शब्द यहां बार-बार कहा गया मशीन, यह मशीन शब्द असंसदीय है क्या, मुझे नहीं पता यह काहे की मशीन है। मैं यह जानकारी चाह रहा हूं कि मशीन शब्द हन्होंने कहा और संसदीय कार्य मंत्री ने आपत्ति की, कि साहब यह असंसदीय है और यह नियमानुसार नहीं हैं। मैं मशीन शब्द के बारे में कह रहा हूं कि क्या इसका उच्चारण करना असंसदीय है और अगर नहीं है मान्यवर, तो यह मशीन काहे की है और कहां लगी है, यह बता दें ?

श्री लालजी वर्मा-

आप पूरी बात तो सुने नहीं। जरा पूरी बात सुनकर कुछ कहिये।

श्री हुकुम सिंह-

कहां यह मशीन लगी है और इस मशीन का उपयोग क्या है, यह बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मैं अगर नाम न लूं और इस बात को कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के उपनेता ऐसे हैं और अपशब्दों का प्रयोग करूं तो क्या वह नियमों के अनुकूल होगा। हम यह कहें कि विधान मण्डल दल के नेता ऐसे हैं यह हम यह कहें कि नेता प्रतिपक्ष ऐसे हैं तो यह मेरे हिसाब से और नियमों के हिसाब से जहां तक मेरी जानकारी है निश्चित रूप से यह सही नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको दिखवा लें और उसे कार्यवाही से निकाल दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने तो बहुत ही शिष्टाचार के साथ पूछा कि वह मशीन क्या है, क्या काम करती है, कहां लगी है, कब से लगी है, जिस पर इतना विवाद हो रहा है उसके बारे में जानने की मेरी जिज्ञासा है ताकि सदन को भी जानकारी हो जाये।

नोटः-[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

विवाद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष से आप सम्पर्क करें वह देखे हुए हैं वह आपको बता देंगे। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी आपने बहुत सारी बातें रख दी हैं अभी आगे और भी सूचनाएं हमें लेनी हैं इसलिए यदि कुछ कहना हो तो कम शब्दों में ही कहें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि बिना जांच के जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर क्लीनचिट देने से अपराधी बच जाते हैं। डी0जी0पी0 किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, कैबिनेट सचिव किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, अधिकारी हैं। अगर प्रवक्ता हैं तो एलान कर दीजिए कि हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं उसके बाद कोई भी बयान दें हमें कोई एतराज नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में यहां तक कि विधायकों के निलम्बन तक की घोषणा अधिकारियों द्वारा की गई है। मान्यवर, यह जो आंकड़े दिये गये हैं वह सब फर्जी हैं केवल अंग्रेजों के जमाने में जो 1891 बलात्कार हुए थे, इन चार सालों में उससे ज्यादा बलात्कार हुए हैं, इसको दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री ओम प्रकाश जी को, श्री प्रमोद तिवारी जी को और नेता प्रतिपक्ष जी को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह और श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया की लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, हमारी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

रियाज साहब, उस्मानी जी आप लोगों की सूचनाओं को हम चार बजे तक सुन लेंगे और इसके लिए अगर क्रम बदलने की आवश्यकता होगी तो बदल देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सात बजे रोजाअफ्तार है उससे पहले इन लोगों को छोड़ दें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, सारी कटौती मेरे ऊपर ही लागू होती है, मेरी कोई आवाज नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं कोई कटौती नहीं है एक व्यवस्था के बारे में बात हो रही थी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, यहां ज्ञान देने में सभी सक्षम हैं मैं ज्ञानी तो नहीं हूं लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि भारत का संविधान हर भारतीय को यह इजाजत देता है कि वह अपने विचार, अभिव्यक्ति का

स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग कर सके। अगर किसी तरीके से धरना, प्रदर्शन और उपवास, अनशन शान्तिपूर्ण तरीके से किसी जुल्म के विरुद्ध, किसी अन्याय के विरोध में कोई करना चाहे तो उसको इसकी आजादी है। मैं आपका ध्यान कल अर्थात् 9 अगस्त, 2011 की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, हर मंत्री उस भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबा हुआ है और उसकी गलत नीतियों के कारण जो मंहगाई में लगातार वृद्धि होती जा रही है, आम जनमानस त्राहि-त्राहि कर रहा है, इसके विरोध में अखिल भा0वि0 परिषद् शांतिपूर्ण तरीके से चारबाग से एक मार्च निकालकर राजभवन जाने का प्रयास किया और बसों में आने वाले लोग जो डालीबाग हो करके राजभवन की ओर आना चाहते थे लेकिन पुलिस ने दोनों जगहों पर बैरीकेटिंग करके सारे प्रदर्शनकारी जो वहां जाना चाहते थे, अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते थे, उनके हाथ में कोई हथियार, बम, कोई आग्नेयास्त्र नहीं था, वह सिर्फ नारे लगाते हुए अपना विचार अभियक्त करना चाहते थे।

(इस समय 3 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलूराम पीठासीन हुए)

इस सरकार की सुबह से अभी तक तारीफ सभी लोगों ने की और मैं मूकदर्शक बन करके सुनता रहा। उन तारीफों के अन्तर्गत यह भी आ गया कि इस सरकार की जो नीयत है, व्यवहार है, आचरण है, क्या उसकी तुलना हम अंग्रेज शासकों से कर सकते हैं। अंग्रेज शासन इस देश में जमा रहे, उसको उखाड़ा न जा सके, इसलिए उसकी मंशा थी जो 1861 में जो पुलिस कानून बनाया था, आई0पी0सी0 व सी0आर0पी0सी0 उसके तहत यहां के लोगों की उठने वाली आवाज को दबाने के लिए उसने पुलिस लाठी गोली का उपयोग किया ताकि हिन्दुस्तान के लोग आजादी की बात न कर सके, आजादी के लिए आवाज न उठा सकें। तो क्या आज यह बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है, जो हर बात में यह शब्द आता है कि बहिन कु0 मायावती जी, मुझे उनसे कोई गुरेज नहीं है, वह महिला हैं, मैं उनका आदर करता हूं, हर महिला का आदर करता हूं लेकिन क्या यह भी अंग्रेज शासन की तरह हमारी जो आवाज है, हम विरोध करना चाहते हैं मंहगाई के खिलाफ, पुलिस जुल्म के खिलाफ या अन्याय के खिलाफ, हमारी आवाज को दबा दी जायेगी, लाठी, गोली व वाटर कैनन से। अगर राजभवन तक जा करके हम अपनी आवाज बुलन्द करते, अपना ज्ञापन दे देते तो कौन सी कयामत का पहाड़ टूट पड़ती। तो उन्होंने वही रवैया अपनाया कि इनकी आवाज को दबा दो। केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसकी गलत नीतियों के कारण जो मंहगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। केन्द्र सरकार जो आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके मंत्री तक जेल में हैं, उसके खिलाफ हम आवाज उठाने जा रहे थे तो हमको लाठियों से पीट-पीट कर लहूलुहान कर दिया गया, सड़कों पर लिटा दिया गया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के नेता सहित तमाम कार्यकर्ताओं को जमीन पर पटक-पटक कर मारा गया, लाठियों से मारा गया और उनको खींच-खींच करके, ले जा करके थाने में बंद कर दिया गया और वहां रोके रखा गया। यही मैं सवेरे से इसे उठाने का प्रयास कर रहा था और जैसा मैंने कहा, मैंने इसको नियम-311 में दिया था। नियम-311 हो या नियम-56 हो, लालजी वर्मा जी ने कह दिया मुझे देखकर कि जो बनारस के चौधरी साहब हैं उन्होंने जिस नियम का हवाला दिया है, उस नियम में वह अग्राह्य है।

मानो लगा कि मैंने ही यह नियम बनाया हो। मैंने सिर्फ इस बात का ध्यान आकृष्ट किया कि अध्याय 10 के नियम-58 के अंतर्गत (1) (2) (3) (4) और (5) उपनियम 18 है वह कहता है कि नियम-56 में वह विषय उठाये जायेंगे जो तात्कालिक हों और सिर्फ एक विषय तक सीमित रहे। तो मेरी सूचना, जो आपकी शर्त है उसको यह पूरा कर रहा है, कल की घटना है, तात्कालिक घटना है और एक ही विषय पर सीमित है लेकिन इसका नम्बर आते-आते सवा तीन बज गये और जिनका उन नियमों के तहत नहीं था, आपकी कृपा है, आपका विनिश्चय है, मैं आपके विनिश्चय पर कोई आक्षेप प्रकट नहीं करना चाहता। लेकिन भारत का संविधान कहता है कि अपना दुख और अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने की पूरी आजादी है और इसलिए मैं आपके समक्ष यह कह रहा हूं। आपने यह निर्णय लेते-लेते बहुत देर कर दी। जैसे पुलिस ने वहां मारकर लहूलुहान कर दिया उसी तरह से आपके द्वारा भी बहुत देर से अनुमति दी गई। मैं इस घटना की निन्दा करता हूं और मांग करता हूं कि मैं अपनी बात को पूरा करने के पहले यह कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ लखनऊ की घटना नहीं है। बनारस के अन्दर जो मैं देखता हूं चाहे मंहगाई हो चाहे किसी भी चीज पर पुतला दहन हो चाहे बैठकर शांतिपूर्वक उपवास रखना हो धरना देना हो पुलिस लेकर डण्डा खड़ी हो जाती है आपने परमीशन किया अरे किस बात का परमीशन मैं वहां अनशन करना चाहता हूं आपके पास परमीशन है, मैं दो घण्टे का धरना देना चाहता हूं आपके पास परमीशन है मैं एक कि0मी0 का मार्च करना चाहता हूं किसी बात को लेकर आपके पास परमीशन है अरे भाई नहीं परमीशन लूंगा मैं तो फिर चलिए लाठी डण्डा खाइए और जेल जाइए तो उसके लिए भी तैयार हैं। क्या वर्तमान सरकार इस पर विचार करेगी कि वह भी शांति पूर्ण तरीके से किसी भी अन्याय के विरोध में प्रदर्शन निकालने वाले, जुलूस निकालने वाले, मार्च निकालने वाले उपवास करने वालों को लाठी डण्डा के बल पर वाटर कैनन के बल पर अंग्रेजों की तरह दबा देना चाहती है अगर नहीं तो कल इस प्रकार की घटना क्यों हुई, बनारस में जो प्रशासन इस प्रकार का रवैया अपनाता है वह क्यों रवैया अपनाता है यह घोर निन्दनीय है मैं कल की उस घटना की और जो भी आवाज दबाने के लिए इस प्रकार की घटना की जा रही है वर्तमान कुमारी मायावती जी के राज्य में उनके नेतृत्व में यह बन्द होना चाहिए नहीं तो जनता से बढ़कर कोई नहीं है कुछ लोगों ने सही कहा कि जनता जब चाहेगी उखाड़ फेंकेगी बड़े-बड़े तानाशाह को उखाड़कर फेंक दिया तो कोई भी अत्याचारी सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती है। अवसर आएगा वह इसका फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत उसकी है। मैं उस पर यकीन करता हूं मैं किसी को गाली देने में यकीन नहीं करता अपशब्द कहने में यकीन नहीं करता। लेकिन उसके फैसले पर पूरा यकीन करता हूं। वह इस पर विचार करेगी और आप भी इस पर विचार करिए। क्योंकि आप उधर हैं कल हो सकता है कि आप इधर आ जायं। क्या बदले की भावना से कार्यवाहियां होती रहेंगी।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं। कल जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता जो शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज हुआ उनकी गिरफ्तारी की गई बुरी तरह मारा पीटा गया इस घटना की मैं निन्दा करता हूं और इसकी ग्राह्यता पर बल देता हूं। यह

अत्यन्त लोक महत्व का है कार्य-स्थगन की सूचना पर बल देते हुए मैं मांग करता हूं कि सदन का सभी कार्य रोककर इस पर चर्चा कराई जाय। मेरे साथ यह भी होता है कि मैं यहां जो भी घटनाएं उठाता हूं माननीय लालजी वर्मा मुझे कोड तो कर देते हैं लेकिन उत्तर देना होता है तो चुपचाप रह जाते है। कुछ बोलना ही नहीं मानो जो मैंने घटना उठाई उसका कोई महत्व ही नहीं है। कल की जो घटना हुई और बनारस में जो घटनाएं होती हैं उसको हंसके टालें नहीं और गम्भीरता पूर्वक इसका जवाब देने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मेरी सूचना का विनिश्चय तो आ जाय।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय मंत्री जी हमारी सूचना पर उत्तर तो दे दें।

श्री लालजी वर्मा-

मैं उत्तर दे दूं। चौधरी साहब के साथ ज्यादती इनकी पार्टी कर रही है। मान्यवर, चौधरी साहब के साथ ज्यादती इनकी पार्टी कर रही है। मैं तो ज्यादती कर नहीं रहा हूं। मान्यवर, यह जो घटनायें हो रही हैं, यह जो स्थिति आई भारतीय जनता पार्टी की। अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से समझौता कर लिया। सुन तो लीजिये। अब सुनेंगे नहीं। मान्यवर, अखबारों ने लिखा संसद के कार्य-संचालन की दृष्टि से। मान्यवर, अखबारों में जब मंहगाई के ऊपर बात आई और उसके दूसरे दिन से यह लिखा जाना लगा जब कुछ मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ वोट देने का काम किया तो अखबारों ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी तो सरेन्डर हो गई कांग्रेस के सामने। उसके कारण अपनी इज्जत बचाने के लिये भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर उस खिसियाहट में निर्णय लेना पड़ा और रोज संसद में भी किस तरह से हो रहा है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता लेकिन पूरे प्रदेश में जो इनकी छवि खराब हुई उसके चलते अब एक नया पैंतरा और उसमें अब बिना मुद्दे के ही मुद्दा बनाकर पुलिस के साथ....

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

क्या व्यवस्था है ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह सदन नियमों से चलेगा। अगर हम पर नियम लागू होता है तो नियम इन पर भी लागू होंगे। मान्यवर, जो प्रश्न यहां पर उठाया गया, जो मुद्दा उठाया गया न तो वह पार्लियामेंट से सम्बन्धित है, न वह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समझौते से सम्बन्धित है। मान्यवर, यहां व्यवधान होता है सदन में। हम माननीय अध्यक्ष के कक्ष में जाते हैं और वहां बैठ करके वार्ता होती है और वार्ता के अनुरूप जब हम दोबारा आते हैं और सदन सुचारू रूप से चलता है तो इसका मतलब यह है कि बसपा का और हमारा समझौता हो गया। इसका मतलब यह नहीं होता है अगर सदन को सुचारू रूप से चलने के लिये आपस में बात होती है, कुछ वार्ता होती है तो वह चाहे वहां हो या यहां

हो वह तो होकर रहेगी। इसका तो कोई जवाब नहीं कि आपने बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया, इसका आपके पास जवाब नहीं कि छात्र नीचे गिरे हैं, जमीन पर गिरे हैं और उनकी पिटाई हो रही है। इसका कोई जवाब नहीं। जवाब इस बात का है कि पार्लियामेंट में इनका समझौता हो गया। इस घटना से उस घटना की कोई रेलिवेंसी है क्या मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं। उस आसन से अगर हमको रोका जाता है तो इनको भी रोका जाना चाहिए बजाय इसके कि अनर्गल बात करने के, जो मुद्दा उठाया गया है, उसका जवाब आना चाहिए। उसके ऊपर बोलें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इससे पहले की व्यवस्था के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था आ जाए, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है जिससे आपको सहूलियत हो जाय अपनी व्यवस्था देने पर।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पहले मेरी सुन लें मैं बैठ नहीं रहा हूं। अब यह नहीं बैठ रहे हैं तो मैं जवाब नहीं देता। माननीय हुकुम सिंह नहीं चाहते कि चौधरी साहब के प्रश्न का जवाब आ जाय इसलिये मैं बैठ रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

जवाब आ जाने दीजिए। क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न तो कभी भी उठाया जा सकता है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, दो मुद्दों के बीच में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे है। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न किसी भी समय अगर गलत तथ्य, अगर कोई असंसदीय आ जाय, अगर कोई गलत जानकारी आ जाय, अगर कोई नियमों के विपरीत बात आ जाय तो व्यवस्था की बात आती है।

श्री अधिष्ठाता-

पहले उनका जवाब आ जाय।

श्री प्रमोद तिवारी-

अरे छोड़िये उनका जवाब। पहले मेरा जवाब दिलवाइये। मान्यवर, यह सच्चाई है, यह हकीकत है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यह सदन साक्षी है मान्यवर, कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का कोई समझौता न हुआ है, न है न हो सकता है। तीन बार अगर किसी के समझौते से सरकार चलाई है संसदीय कार्य मंत्री जी वह आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाई है। कांग्रेस ने न कभी चलाई है न चलाने की सोच सकती है न चलायेगी।

(सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब अगर बीच में खड़े होंगे तो हम जवाब क्या देंगे और भी विषय हैं। आप ले लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

अभी परसों कांग्रेस वालों को जब वह प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको जूतों से मारा उनकी पीठ पर जूतों के निशान थे। भारतीय जनता पार्टी वालों के पीठ पर बूट के निशान नहीं मिले मान्यवर।

(श्री वीरेन्द्र सिरोही के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठें। मंत्री जी का जवाब सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। अपनी पार्टी के निर्णय के अनुसार, संघर्ष करने का, आन्दोलन करने का, प्रदर्शन करने का निर्णय स्वयं उस पार्टी का है। कानून व्यवस्था की हिफाजत करना यह सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। मान्यवर, जो सभी आन्दोलनकारी थे उनको इस बात की आजादी थी कि परिवर्तन चौक से आगे नहीं जा सकते हैं और तथा-कथित लोग पुलिस बल के साथ जिस तरह से धक्का मुक्की करके परिवर्तन चौक से विधान सभा की तरफ बढ़ने लगे और जिसके कारण बार-बार चेतावनी देने के बाद नहीं रुके और पुलिस के साथ धक्कामुक्की करने लगे तो मजबूर होकर पुलिस को उनको रोकना पड़ा। मान्यवर, यह अकेले एक जगह की घटना नहीं है। कल इन लोगों ने पूरे देश के स्तर पर जगह-जगह इस तरह से प्रयास किया कि कोई इस तरह का कार्य किया जाये कि वह अखबारों में छपे और उसी दृष्टि से चाहे दिल्ली हो, मान्यवर, आपने भी देखा होगा चाहे वह दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ उस स्तर से पुलिस अपने नियम-कानून के अनुसार और कानून की हिफाजत के लिये किसी तरह से स्थिति और न बढ़ने पाये, कम से कम बल का प्रयोग करके, उन्हें रोकने का काम किया। वह नियम-56 में नहीं आता है इसको अग्राह्य कर दीजिये। मान्यवर, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोग बैठे-बैठे इस तरह की बातों को बोलते रहते हैं जो नियमानुसार नहीं है तो इस पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। यह नियम-56 में नहीं आता है इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय चौधरी साहब आपकी पूरी बात आ गई है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, अगर मेरे कार्य-स्थगन पर मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिया गया और मुझे उसमें कोई संशय है तो मैं उसका उत्तर मांग सकता हूं। अगर कोई स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं तो मुझे इजाजत है आप नियम देख लें आप अधिष्ठाता की कुर्सी पर हैं अगर आप कह दें यह छूट मुझे नहीं है तो मैं बैठ जाता हूं। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी पर छोड़ता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको अग्राह्य करके दूसरी नोटिस ले लें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मुझे अपना स्पष्टीकरण पूछने का, अपना संशय दूर करने का कोई अधिकार नहीं है आप हां कर दें तो मैं बैठ जाता हूं। आप रिकार्ड में तो कह दीजिए ताकि मैं कल विशेषाधिकार के प्रश्न में उठा सकूं। यह कुछ बोल नहीं रहे हैं, मौनं सम्मति लक्षणं।

श्री अधिष्ठाता-

हमने माननीय चौधरी साहब को सुना माननीय मंत्री जी को सुना यह नियम-56 में नहीं आता है इसलिए इसको अग्राह्य किया जाता है।

श्री लालजी वर्मा-

एक व्यक्ति की कितनी नोटिस नियम-56 में ली जाएगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह माननीय अध्यक्ष ही बतायेंगे। पीठ बतायेगी मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं। माननीय अध्यक्ष के निर्णय पर शंका करना संसदीय कार्य मंत्री जी का अधिकार है नियमावली में लिखा होगा मैंने पढ़ा नहीं है। माननीय अधिष्ठाता जी, नियम-56 के अन्तर्गत अपनी सूचना के माध्यम से जो प्रश्न सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, यह पूरे प्रदेश के लाखों दुग्ध उत्पादकों से जुड़ा हुआ है और श्रीमन्, इससे प्रदेश के करोड़ों लोग प्रभावित हैं। अनेक अवसरों पर सरकार की ओर से भी यह बात कही गई है, महत्व इसका इसलिए है कि यह प्रदेश आज दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से चाहे जिस स्थिति में पहुंच गया हो लेकिन खेती-बाड़ी के अलावा दुग्ध उत्पादन ही किसान का दूसरा ऐसा कार्य है जिस कार्य के माध्यम से उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुदृढ़ की जा सकती है या उसके परिवार को थोड़ी बेहतर जीवन स्थिति मिल सकती है। बजट चर्चा के दौरान और अन्य अवसरों पर माननीय मंत्री जी ने भी बार-बार बड़े उत्साह के साथ कहा है कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अग्रणी रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए मान्यवर, मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहता हूं। सरकार का भी दृष्टिकोण रहा है कि दुग्ध उत्पादन प्रदेश में बढ़ाया जाना चाहिए, दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों की हालत बेहतर की जानी चाहिए और उनके लिए सरकार ने जो पहले से इन्तजामात किए हैं, उन इन्तजामात को और अधिक व्यवस्थित किया जाना चाहिए। लेकिन उनकी वस्तुस्थिति क्या है, मान्यवर, पी0सी0डी0एफ0 के 39 जनपद में दुग्ध संघों के कर्मचारियों का लगभग 36 करोड़ रुपया बकाया वेतन है और लगभग 16 करोड़ रुपया दुग्ध मूल्य बकाया है। श्रीमन्, दुग्ध संघों के कर्मचारियों का वेतन और दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों के दुग्ध का मूल्य, यह दोनों बकाया है और यह कोई थोड़ा रुपया नहीं है। मान्यवर, बाकी प्रदेश के दूसरे कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का भी लाभ सरकार ने दे दिया। वित्त मंत्री जी समय-समय पर खड़े होकर घोषणाएं करते रहते हैं, चुनावी वर्ष है, कल जो सप्लीमेन्टरी बजट ले करके आए हैं, उसमें बड़ी लोकलुभावना घोषणाएं की गई हैं जैसे लगता है कि प्रदेश के सभी तबकों की आप चिन्ता करेंगे लेकिन अभी तक इनको छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया है। मान्यवर, दुग्ध उत्पादन संघों के माध्यम से कलेक्ट किए जाने वाले दूध की स्थिति यह है कि वर्ष 2008 में

11.44 लाख लीटर से आज यह घट करके 3.51 लाख लीटर रह गया है। प्रतिशत में कितना होता है यह मान्यवर, सांख्यिकी के जानकार जोड़ लेंगे लेकिन 12 लाख लीटर से 3 लाख लीटर पर आ जायेगा तो वह कितने प्रतिशत होगा, यह तो माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बताने का काम करेंगे। 2008 में 2011 तक यह घटकर 25 प्रतिशत के आसपास आ गया है। मान्यवर, इस कार्यकाल में जिला योजना और राज्य योजना में 287 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई और इसका खर्च दिखाने के बावजूद बरेली, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, मुरादाबाद, फतेहपुर, आगरा, फिरोजाबाद आदि दुग्ध संघों को बन्द कर दिया गया है और जे0पी0 नगर, बदायूं, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, एटा, उन्नाव, कानपुर, कानपुर देहात तथा जौनपुर के दुग्ध संघों को बन्द करने की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट जो प्रशासक बनाये गये हैं, उनके माध्यम से चल रही है। मान्यवर, जब यह सारे दुग्ध संघ बन्द हो जायेंगे, जब गांवों की दुग्ध समितियों द्वारा दुग्ध कलेक्शन बन्द हो जायेगा, दुग्ध संघों द्वारा उसके वितरण और उसके प्रोसेसिंग का काम बन्द हो जायेगा, फिर उनको दिए जाने वाला लाभ आयेगा कहां से और उसके पीछे मान्यवर, उद्देश्य है, उस पर भी गौर करना पड़ेगा।

यह अनायास नहीं हो रहा है कि इतने दुग्ध संघ प्रदेश में बन्द हो जायें और आगे आने वाले समय में और दुग्ध संघों को बन्द करने की प्रक्रिया में सरकार चले, आज यह विषय नहीं है, मैं यह नहीं कहना चाहता कि चीनी मिलें औने-पौने दामों पर क्यों बेंच दी गईं, विषयान्तर होगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा और इसलिए मैं यह बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप दुग्ध संघों को बंद कर देंगे तो पी0सी0डी0एफ0 के माध्यम से यह चलायेंगे क्या ? मान्यवर, पी0सी0डी0एफ0 के जिम्मे अगर यह काम है कि इन दुग्ध संघों को मजबूत करे, उसके किसानों की हालत को बेहतर करे, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो, उन किसानों का भुगतान समय से हो। वह इसके बजाये इस काम में लगा हुआ है कि प्राइवेट डेरियों को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे इन दुग्ध संघों को बंद कर दिया जाये और मान्यवर, किसी के परिवारीजन को फायदा पहुंचाने के लिए इन दुग्ध संघों को बंद करने का काम साजिशन किया जा रहा है और सबसे दुःखद बात यह है कि यह साजिश कोई बाहरी नहीं कर रहा है। यह साजिश इस विभाग के प्रमुख सचिव, इस विभाग के माननीय मंत्री जी और इस विभाग से जुड़े हुए उच्चाधिकारी जिनके जिम्मे इसके संरक्षण का काम है वह इसका गला घोटने का काम कर रहे हैं। यह गंभीर स्थिति है। श्रीमन् सितम्बर, 2007 से अब तक दुग्ध संघों का चुनाव नहीं हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सरकार विश्वास नहीं करती है। को-आपरेटिव संस्थाओं का क्या हुआ उसका आपने हश्र देखा। इसी तरह से इन दुग्ध संघों का चुनाव न होने से दो वर्ष का कार्यकाल बीत गया। उसके बाद आपने जिलाधिकारियों को उसका प्रशासक बना दिया। जिलाधिकारियों को प्रशासक बनाने के पीछे भी मंशा है। अगर यह चुनी हुयी संस्थायें होतीं तो उनके डायरेक्टर्स और उन दुग्ध संघों के अध्यक्ष अपनी उन समितियों के प्रति अपनी उन डेलीगेट्स के प्रति जवाबदेह होते लेकिन आज जिलाधिकारी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। किसी दुग्ध संघ के बारे में कोई भी रिपोर्ट रख दीजिए उसको जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम क्यों बंद कर रहे, क्यों ज्यादा है, क्यों कम है। चाहे जो दिखा लीजिए। इसलिए मान्यवर, यह कड़ी अचानक नहीं घटित हुयी है। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करने के जो दुष्परिणाम हैं उसी के परिणामस्वरूप यह दुग्ध संघ तरक्की करने के बजाय टूटने की दिशा में चल रहे हैं। मान्यवर, जिलाधिकारी जबसे प्रभारी हुए हैं जबसे दुग्ध संघों को बंद किया जा रहा है और देनदारी बढ़ाकर मथुरा, आगरा, मुजफ्फरनगर,

सहारनपुर, जे0पी0 नगर, मुरादाबाद, कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली, इलाहाबाद की मुख्य सड़कों पर स्थित पी0सी0डी0एफ0 मुख्यालय की अरबों की सम्पत्ति को कौड़ियों के दाम बेचकर अरबों की कमाई करना चाहते हैं। असल बात यही है। अभी मान्यवर, सिर्फ उसका खून खींच करके काम नहीं चला तो अब उसकी हड्डी और चमड़ी का भी इस्तेमाल करके यह वसूल करना चाहते हैं।

दुग्ध संघों के भवन और उसकी सम्पत्ति को बेचने का पूरा-पूरा इरादा है और सरकार उसकी तैयारी में लगी है। मान्यवर, इसलिए मैं यह बात रखना चाहता हूं। श्रीमन् लखनऊ शहर में बनावटी दूध की सप्लाई फर्जी समूह के नाम से खरीद कर उपभोक्ताओं को सप्लाई करके उनके साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। मान्यवर, हमने अखबारों में पढ़ा। हमसे सैकड़ों लोगों ने बताया और जब हमने पता किया तो यहां जो पराग डेयरी से दूध आ रहा है उसमें मैं सिर्फ आक्सीटोसिन की मिलावट नहीं कहता, सिर्फ दूध की क्वालिटी की गिरावट नहीं कहता बल्कि नकली दूध तक हमारी इस डेयरी से सप्लाई में आया। सबकी जानकारी में यह है इसलिए सदन में मैं जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूं। मान्यवर, इनको घाटे में दिखाकर इनको बंद करने का जो षड़यंत्र किया जा रहा है वह अनायास नहीं है। यह अकेले हम नहीं कहते। यह पी0सी0डी0एफ0 की ट्रेड यूनियन मंच ने कहा है और मान्यवर, पशु पालन विभाग में यह चीजें अनायास नहीं हुयीं हैं। इनके पीछे कारण है। श्रीमन् मंत्री जी द्वारा अपने विभाग के निदेशक श्री रूद्र प्रताप जी पर तत्कालीन द्वारा 19 बिन्दुओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को पत्र लिखकर जांच कराने का अनुरोध किया गया था। जिसको गंभीरता से ले करके तत्कालीन मुख्य सचिव, श्री अतुल गुप्ता जी ने मंत्री महोदय की शिकायतों की जांच तत्कालीन प्रमुख सचिव, वन श्री चंचल कुमार तिवारी को सौंपी थी और इस रिपोर्ट के बाद जो जांच की रिपोर्ट आयी जिसमें उनके ऊपर सारे ही आरोप साबित किये गये, उनकी दो वर्ष से पत्रावली लंबित है। मान्यवर, मुझे बताया गया है कि वह मंत्री जी के पास है, मंत्री जी बता देंगे कि उनके पास नहीं है तो कहां है ? मंत्री जी इसको बेहतर बता सकेंगे कि जो मुख्य सचिव के आदेश पर प्रमुख सचिव ने जांच की और उस निदेशक के विरुद्ध जांच अंततः कहां पड़ी है शासन में। मान्यवर, मा0 मंत्री जी बता दें। मेरी जानकारी में मंत्री जी के पास है। मान्यवर, रूद्र प्रताप जी के पास निदेशक के अलावा और 11 चार्ज थे। उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में जैसे ही इस पर जनहित याचिका दाखिल करने की बात आयी तो उनसे अतिरिक्त प्रभार वापस लेने का काम किया गया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

जी मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, सदस्य, विधान सभा कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा विधान सभा में नियम-51 के तहत मामला उठाया गया जिसमें प्रमुख सचिव, पशुधन विकास ने लिखित में सदन को अवगत कराया कि मा0 सदस्य के विधान सभा में उठाये गये मामले की जांच कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी और मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि 2009 और 2011 मान्यवर, और अभी तक 2 वर्ष हो गये हैं मान्यवर, इसीलिये लोग पत्रावली दबाये हुये हैं शासन में, जिस जगह पर भी यह पड़ी हुयी है, इसी कारण उस पर कार्यवाही की सूचना सदन को नहीं दी जा सकी। 2 वर्ष बीतने के उपरान्त सदन में जो बात कही गयी, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। मान्यवर, इसी प्रकार, जो

औषधि, वैक्सीन, सामग्री, उपकरण इन सारी चीजों को खरीदने में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है और भ्रष्टाचार निवारण संगठन की जो सूचना दी गयी है और बाकी जो बंदर बांट की गयी है, वह इतनी है कि उसकी सूची अगर मैं पढ़ूंगा तो आप कहेंगे कि मैंने आपका समय ज्यादा लिया। मैं इंगित मात्र करना चाहता हूं आपको कि मेरे पास वह सूची है, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार इस राज में है श्रीमन्, और दुग्ध संघों की जो दुरावस्था है क्योंकि हम एक ऐसे परिवार से आते हैं मान्यवर, जो जुड़ा हुआ है खेती किसानी से और ऐसे परिवेश से आता हूं, जहां उसके आस-पास लोग दुग्ध उत्पादन से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, इसी से उनका जीवन चलता है। इसलिये इस प्रदेश के लाखों दुग्ध उत्पादकों की जो दुर्दशा है। मान्यवर, वह बहुत गम्भीर है, प्रदेश व्यापी है, तात्कालिक है, सुनिश्चित है, लोकहित की है इसलिये आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी इस सूचना को स्वीकार करते हुए, जो बिन्दु मैंने ग्राह्यता पर रखे हैं, इससे आप संतुष्ट होते हुए कृपया सदन के सारे कार्य रोककर चर्चा कराये जाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, दुग्ध संघों की स्थिति दिनोंदिन गिरती चली जा रही है और दुग्ध का उत्पादन जिस तरीके से कम हुआ है और जो दुग्ध उत्पादक हैं उनकी भी स्थिति खराब हो जायेगी। जब दुग्ध संघ बन्द हो जायेंगे तो उनके कर्मचारियों की हालत क्या होगी और एक बार नहीं जबसे यह सरकार बनी है तभी से दुग्ध संघों की हालत गिरती चली गयी और वहां के कर्मचारियों ने कई बार लखनऊ में धरना भी दिया, ज्ञापन देने आये क्योंकि उन्हें 9-9 महीनों का वेतन नहीं मिला, वे भुखमरी की कगार पर पहुंच गये। जब भुखमरी की कगार पर पहुंच गये तो उनमें से 42 कर्मचारी मानसिक प्रताड़ना की वजह से मर भी गये। अब उनके परिवारों का क्या होगा ? जब इतनी समितियां बन्द हो जायेंगी। 287 करोड़ रुपये खर्च दिखाकर जिसके बारे में अभी अम्बिका चौधरी ने बोला है, मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। जो आज दुग्ध संघ बन्द हो गये हैं और 287 करोड़ रुपये इनके नाम पर निकाल लिया गया है, इन रुपयों से दुग्ध संघों पर कोई काम नहीं हुआ। जब दुग्ध संघों पर कोई काम ही नहीं हुआ तो कहां गए ये पैसे। इस पैसे के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन है इस पैसे का जिम्मेदार, यह तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है, मंत्री की जिम्मेदारी, प्रमुख सचिव, दुग्ध संघ की जिम्मेदारी है, आयुक्त, दुग्ध संघ की जिम्मेदारी है, एम0डी0 की जिम्मेदारी है। इसकी क्या जरूरत थी कि लगातार चार सालों से एक ही व्यक्ति को इसका प्रमुख सचिव, एक ही व्यक्ति को आयुक्त, दुग्ध संघ, एक ही अधिकारी प्रबन्ध निदेशक के पद पर है, क्या अधिकारियों की कमी है, एक ही अधिकारी को यह सब पद, इतना अधिक भ्रष्टाचार कि 287 करोड़ रुपये का अता-पता नहीं की वह कहां गया ? मान्यवर, यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और यह मैंने पता किया है, कर्मचारी यहां पर आये हैं और मंत्री जी से भी मिले हैं, 25 कर्मचारियों ने मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है। हालत यह है कि प्रमुख सचिव दुग्ध संघ उन कर्मचारियों की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, जो दुग्ध उत्पादन करते हैं उनका कितना पैसा बकाया है, यह हम जानना चाहते हैं, मंत्री जी से। इन दुग्ध उत्पादन करने वाले संघों और समितियों का कितना पैसा बकाया है ? अगर नहीं बकाया है तो बताएं। जब उनका पेमेण्ट ही नहीं होगा। अगर गाय, भैंस और बकरी पालने वाले का पेमेन्ट ही नहीं होगा, उसके दूध के पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा दुग्ध उत्पादन का हाल। इसीलिए तो मान्यवर, यह

हालत हो गयी है कि जो प्रतिदिन लगभग 12 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता था, वह अब घट करके 3 लाख लीटर प्रतिदिन रह गया है। इसी लखनऊ में रेडकाउ नाम का तीन टैंकर, नकली दूध का प्रचार किया जाता है, क्या उससे स्वास्थ्य खराब नहीं होगा और यही नहीं पशुपालन विभाग में जब ठेकेदारी हो रही है। मैं इस सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं और मैं कुछ लोगों के नाम भी बताना चाहता हूं। पशु चिकित्सालय का निर्माण कम्पनी सी0एच0एल0एस0वाई0 एटा ने करवाया है, पशु चिकित्सालय नगला लीलाधर, एक ही कम्पनी सी0एच0एल0एस0वाई0, पशु चिकित्सालय-दतौली सी0एच0एल0एस0वाई0 एटा, पशु चिकित्सालय केशरपुर, सी0एच0एल0वाई0 एटा, पशु चिकित्सालय भड़ौल प्रहलादपुर, सी0एच0एल0वाई0 एटा, पशु चिकित्सालय बरना सी0एच0एल0एस0वाई0 एटा, पशु चिकित्सालय बिथरा मेसर्स सी0एच0एल0एस0वाई0 एटा, पशु चिकित्सालय अंगरैया मेसर्स सी0एच0एल0एस0वाई0 एटा, पशु चिकित्सालय अलीपुर, मेसर्स सी0एच0एल0वाई0 एटा, पशु चिकित्सालय नथुवापुर मेसर्स सी0एच0एल0वाई0 एटा, पशु चिकित्सालय बिनसर, मे0 सी0एच0एल0वाई0 एटा, पशु चिकित्सालय सुमौर मे0 सी0एच0एल0वाई0 एटा, पशु चिकित्सालय अमरौली मे0 सी0एच0एल0वाई0 एटा, पशु चिकित्सालय सरायभूपति मे0 सी0एच0एल0वाई0 एटा, पशु चिकित्सालय गोपालपुर मे0 जैक्शन मैनपुरी, मान्यवर, ये कम्पनी इसका मालिक अगर मंत्री के परिवार का ही हो और बिना टेण्डर के अगर पशुपालन विभाग में यह होने लगेगा, यह दिखवाने की जरूरत है, अगर मंत्री के परिवार का, बतायें कौन मालिक है इस कम्पनी के अगर मंत्री से सम्बन्धित हों और पूरा का पूरा पैसा, इसी तरीके से 287 करोड़ रुपया बताइये, कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गबन किया है, पैसे का सीधा-सीधा गबन है, बने ही नहीं, कहीं-कहीं तो बहुत ही घटिया बने हैं, तो यह तो हालत है। मंत्री के परिवार के लोग अगर यह काम ठेकेदारी उसी विभाग में करेंगे फिर किसकी हैसियत है और चार-चार साल एक ही प्रमुख सचिव, जो अभी चौधरी साहब ने कहा यह भी चीनी मिलों की तरह बन्द हो जायेंगे, सब पूरे दुग्ध संघ, इसकी भी जमीन कौड़ी के मोल किसी न किसी को बेंच देंगे, यह प्लानिंग है, बताइये जब इतनी प्लानिंग मंत्री करें, प्रमुख सचिव करें, बड़े अधिकारी करें, तो क्या होगा और फिर उनकी चिन्ता नहीं जो कर्मचारी भूख की वजह से 42 कर्मचारी मर गये, उनके परिवार की क्या स्थिति होगी, पता नहीं क्या हुआ उनके परिवार का, आज कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास कपड़े नहीं, लखनऊ आने के लिए पैसे नहीं हैं, वेतन नहीं हैं और प्रमुख सचिव, आयुक्त से कर्मचारियों का मिलना संभव नहीं, वह बात नहीं करेंगे, कर्मचारियों की बात नहीं सुनेंगे, मंत्री जी का हाल देख ही लिया है, मेरा सीधा आरोप है, मंत्री जी की पूरी जिम्मेदारी थी, ईमानदारी से दुग्ध उत्पादन बढ़ता दुग्ध संघ ठीक से चलते, चुनाव समय से होता, यह मंत्री जी की जिम्मेदारी थी, लेकिन मंत्री जी उसी में लिप्त,

(पीछे से आवाज आई कि मशीन का क्या हुआ)

अब मशीन का तो मुझे पता नहीं, पता उसमें भी चल जायेगा जब उसकी जांच हो जायेगी तो उसमें जांच होनी चाहिए अगर गबन है तो एफ0आई0आर0 तो होनी है और उसमें सजा मिलनी है अभी नहीं मिलेगी तो छः महीने बाद मिल जायेगी। जनता तो सब जानती है, यह दुग्ध संघ जितने परिवार बरबाद हुए यह सब जानते हैं। 25 लोगों ने राज्यपाल महोदय से आत्महत्या की इजाजत मांगी है, परमीशन मांगी है, 25 कर्मचारियों ने लिखकर दिया है, मेरे पास तो यह सब पूरा विवरण है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं यह सब आपके पास भेज दूंगा, इस पूरे प्रकरण पर जांच होनी चाहिए, जब प्रमुख सचिव इन्वाल्व होंगे, चार साल उसी विभाग मैं तैनात रहेंगे तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी को बुलवा लें, क्योंकि मा0 नेता प्रतिपक्ष बार-बार वही बात दोहरा रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अगर ऐसी बात है तो हम और निकाल लेते हैं, ऐसे बहुत से मामले हैं, सब सामने आ जायेगा और अगर मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो फिर भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं, फिर भ्रष्टाचार की दुहाई क्यों देते हैं, जब सीधे-सीधे भ्रष्टाचार में इन्वाल्व हो तो फिर उस पर कार्यवाही कैसे होगी ? इसमें निश्चित कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, और जिस पर हत्या का आरोप हो और कोर्ट का आदेश भी है।

श्री अधिष्ठाता-

वह नोटिस से हटकर है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, जिस पर हत्या का आरोप हो, अम्बिका जी ने जो बताया है और जो मैंने आरोप लगाये हैं, नैतिकता तो यही है कि मंत्री को तुरन्त अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए था और नहीं तो जब सामूहिक जिम्मेदारी है तो नेता सदन की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे मंत्री को तुरन्त बर्खास्त कर देना चाहिए। हमारी भी मांग है कि जिस पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप हों इसकी जांच हो जानी चाहिए। अगर जांच हो जाय और यह सही है तो फिर शपथ दिला देना। लेकिन अगर आज जरा सी नैतिकता है तो इस्तीफा देना चाहिए। मान्यवर, बहुत कहा जाता है कि पारदर्शी सरकार है, कहां पारदर्शी है, भ्रष्टाचार में जरूर पारदर्शी सरकार है। दूर से दिख रहा है बच्चा-बच्चा जान रहा है पूरे प्रदेश का। इसलिए इसकी जांच करा दें और जांच के साथ-साथ मंत्री का इस्तीफा करवा दें। नेता सदन इसे स्वीकार करें या मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर लें तो बहुत ही अच्छी बात नैतिकता के आधार पर स्वीकार कर लें। तो ऐसे निर्देश इस पीठ से होना चाहिए सदन की गरिमा रहना चाहिए मर्यादा रहना चाहिए और थोड़ी बहुत मानवता भी रहनी चाहिए। सारी सीमाएं पार हो गयी हैं। मानवता रही नहीं। मर्यादा खत्म कर दी। मंत्रियों पर तो जब आरोप लगते तो एक मिनट में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते थे तो इसलिए यह बहुत लोक महत्व का सवाल है। कर्मचारियों का हित इसमें है इसलिए सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय और जो मैंने कहा इसकी जांच करायी जाय और मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए।

*पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री (श्री अवधपाल सिंह यादव)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश में कुल 59 दुग्ध संघ स्थापित हैं जिसमें से 54 दुग्ध संघ इस समय कार्यरत हैं। प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लीटर प्रतिदिन दुग्ध का उत्पादन है। जिसमें से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगभग आधा दूध प्रोसेसिंग में, फैक्ट्री या चिलिंग प्लान्टों के माध्यम से संग्रहीत होता है और जिसका कुछ का पाउडर बनता है और कुछ दूध आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा इन्होंने मुख्य बात यह कही है कि और दुग्ध संघ को बन्द करने की योजना है। पी0सी0डी0एफ0 लाभ हानि के आधार पर चलने वाला फेडरेशन है। चूंकि पूरे प्रदेश में पिछले वर्षों में लगातार निजी क्षेत्र में दूध की फैक्ट्रियां स्थापित होती रही हैं और उनके कारण से आज प्रदेश में किसानों को जो दूध का मूल्य मिलता है, यह अपने आपको किसानों का और पशुपालकों का बड़ा हितैषी बता रहे हैं, इन समाजवादियों में एक परसेन्ट भी नैतिकता होती तो यह मेरी पहले बात सुन लीजिये मैंने आपको बहुत ढंग से सुना है और मैं सुनना भी जानता हूं और बोलना भी जानता हूं अगर यह पशुपालकों के और किसानों के बड़े भारी हितैषी थे।

(इस समय 4 बजे अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

तो यह ढाई सौ करोड़ के घाटे में और कर्जे में पी0सी0डी0एफ0 को छोड़कर नहीं गये होते। इनकी सरकार का बजट 75 हजार करोड़ रुपया जब था तब उत्तर प्रदेश का पी0सी0डी0एफ0 ढाई सौ करोड़ के घाटे और कर्जे में था हमारी सरकार ने उस कर्जे का पूरा का पूरा 101 करोड़ रुपया देने का काम किया और यह पी0सी0डी0एफ0 को क्या देते थे किसी वर्ष में इन्होंने दिया 8 साढ़े 800 करोड़, किसी वर्ष में इन्होंने दिया 12 साढ़े 1200 करोड़ और किसी वर्ष में इन्होंने दिया 24 करोड़ हमारी सरकार ने बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने सवा सौ करोड़ के करीब एक-एक वर्ष में देने का काम किया है। यह कह रहे हैं कि 287 करोड़ रुपया खा गये अरे [x x x] मेरे बाप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।

(समाजवादी के अनेक सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास करते हुए सदन के वेल में आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी-

इनके बाप दूसरे थे ये दूसरे हैं और आप खानदान की बात करते हो, गलत बात करते हो।

श्री अवधपाल सिंह यादव-

अम्बिका चौधरी जी सुनो।

(श्री इरफान सोलंकी के द्वारा रिपोर्टर्स टेबिल पर रखे कागज को उठाकर फाड़ देने पर)

श्री इरफान सोलंकी को सदन से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

श्री इरफान सोलंकी रिपोर्टर्स का कागज फाड़ रहे हैं, मैं इनको इंगित करता हूं इनको सदन से निकाला जाय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ये कागज फाड़े हैं रिपोर्टर का इनको सदन से बाहर किया जाय।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी ने जिन माननीय सदस्यों को इंगित किया है मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इनको सदन से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

श्री इरफान सोलंकी को सदन से निलम्बित किया जाता है। इन्होंने कागज फाड़े हैं हमारे रिपोर्टर के। चलिये निकलिये आप सदन से बाहर निकलिये आपने कागज फाड़े हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने प्रस्ताव रखा है इस पर मतदान करा लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह प्रस्ताव रखा है कि श्री इरफान सोलंकी जिन्होंने रिपोर्टर के जो कागज फाड़े हैं सदन से निलम्बित किया जाय जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों कृपया हां कहें और जो विरोध में हों कृपया नहीं कहें। 'हां' की संख्या अधिक है यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सदन के वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

नियम-56 में नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, यह तो क्या बात हुई कि केवल अपनी बात सुनना है, सरकार का स्पष्टीकरण, सरकार का जवाब तो सुनना ही नहीं है। मैंने माननीय चौधरी साहब से विनती की, नेता प्रतिपक्ष से विनती की कि हमें भी दो मिनट स्पष्टीकरण का मौका दीजिये। भाई हमें बोलने तो दीजिये।

(वेल के बीच समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा आपस में वार्तालाप करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब क्या वेल के अन्दर बैठकर बातचीत होगी। सदन व्यवस्थित करके अपनी बात करिये। हम सुनने के लिये तैयार हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जवाब दें। लेकिन आप लोग सुनने को ही नहीं तैयार हैं। यह तो तरीका ठीक नहीं हुआ। हम हर जवाब देने को तैयार हैं। हमारी बात आप सुनें हम जवाब दे रहे हैं। जो भी हुआ है हम उसका जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान के मध्य श्री अम्बिका चौधरी द्वारा कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी जी, एक बात मैं अनुरोध कर रहा हूं। ठीक है, जो आप कहें, आपका अधिकार है। आप सदन में व्यवधान करें, सदन में प्रोटेस्ट करें, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।

अभी आप जाकर देख लें, अभी हमारे पूरे रिपोर्टर ने कार्यवाही की रिपोर्ट बनाया है और उसको पूरा फाड़ दिया गया, अब आप बताइये कि वह रिपोर्टर का कागज है क्या उसको फाड़ना ठीक है। यह आचरण तो हमको पसन्द नहीं आयेगा। आप और सब हंगामा करिये, बोलिये आपका अधिकार है, आप प्रोटेस्ट करिये, सरकार के खिलाफ। लेकिन रिपोर्टर का कागज फाड़ देना यह आपको शोभा नहीं देता। आप हाथ मत मिलाइये, आप बहुत हाथ मिला रहे हैं। आप थोड़ा कम हाथ मिलाइये। वह कागज हमको भेज दीजिये जो यह फाड़े हैं। कागज लाकर हमारे पास रखो। अब रिपोर्टर भगा दिये जायें, सब भगा दिये जायें, यह तरीका गलत है। आखिर यह क्या तरीका है, रिपोर्टर हमारे सब वहां से भगा दिये जायें और उन पर हमला करके आप कागज फाड़ने लगें। आप लोग अपना प्रोटेस्ट करते हैं, मैं कहां एतराज करता हूं। यह रिपोर्टर आपके ही भाई हैं। आपकी ही बात को नोट करते हैं। उनको तो भगा दिया गया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, सुबह से लेकर शाम तक ये रिपोर्टर हमारे लिये ही काम करते हैं। पूरा उनका सहयोग मिलता है। मान्यवर, उनके साथ इस तरह का व्यवहार यह तो बहुत निन्दनीय है। अगर आप लोगों ने कागज नहीं फाड़ा तो यह वहां आपकी सीट पर पहुंच कैसे गया। मान्यवर, सारे रिपोर्टर ही हम लोगों का सहयोग करते हैं।

(व्यवधान के मध्य श्री उदयराज द्वारा कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

चलिये उदयराज यादव जी, मैं उसको विचार करता हूं। किन्हीं परिस्थितियों में मैंने यह निर्णय लिया। लेकिन रिपोर्टर बैठे हैं, वह तो रिपोर्ट आपके ही बारे में लिखेंगे। इनके साथ आप लोग कुछ मत करिये। आपको जो कुछ प्रोटेस्ट करना है वह करिये।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जो वेल से बोला जायेगा क्या वह भी लिखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं वह लिखा नहीं जा रहा है। वेल के अन्दर से बोली हुयी बात लिखी नहीं जायेगी। यह तो पहले से व्यवस्था है कि वेल के अन्दर से बोली हुयी बात लिखी नहीं जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, चाहे इस पक्ष का सदस्य हो, चाहे उस पक्ष का सदस्य हो, माननीय अध्यक्ष के लिये सब बराबर होते हैं और प्रत्येक सदस्य का आचरण उसको देखने का काम अगर कोई त्रुटि हो तो उसको ठीक करने का काम संरक्षक के नाते आपका है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

हम कहीं से आपसे कोई अतिरिक्त मांग नहीं कर रहे हैं, हमारी जो गलती हो उसके लिये हमें दण्ड दिया जाय उसके लिए मैं आपके समक्ष समर्पित हूं। मान्यवर, कहीं सरकार गिर नहीं रही है लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका अशोभनीय आचरण रहा हो उसकी आप अनदेखी करके कोई ऐसा

कार्य न करें जिससे इस पीठ की मर्यादा कम हो जाए इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर गम्भीरता से विचार कर लें। यदि हमारी कोई गलती हो तो किसी चौराहे पर मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। आज की तारीख में जिस तरीके का आचरण हुआ है वह अशोभनीय है, मान्यवर, इतिहास बार-बार किसी को मौका नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष-

आप सभी लोग चाहते क्या हैं, किस कारण मा0 सदस्य यहां आये हैं, यह बतायें।

श्री लालजी यादव-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप स्वयं कार्यवाही देख लें और कार्यवाही में जो भी आपत्तिजनक बातें हों चाहे वह इधर की हों या उधर की हों उसे कार्यवाही से निकाल दें।

श्री उदयराज-

मान्यवर, यह क्या तरीका है पहले गाली दें बाद में कार्यवाही से निकलवा दें।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, आपने भी अपनी बात रखी, हमने भी रखी और हमने कोई भी अपशब्द नहीं कहा सीधा इनके परिवार पर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं सब जानते हैं, उनके पिता जी को सब जानते हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं सब जानते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह फिर से वही बोलने लगे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मैंने कोई शब्द गलत नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष-

वह नाम नहीं ले रहे हैं कितनी हत्याएं हुईं सब जानते हैं किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, कृपया बैठ जायें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मंत्री जी ने जो आचरण किया है, हमारे पूरे खानदान पर आरोप लगाया है नाम लेकर।

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री (श्री अवधपाल सिंह यादव)-

मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

नाम लेकर कहा है नेता विरोधी दल के खानदान पर कहा है।

श्री अवधपाल सिंह यादव-

मैंने कोई नाम नहीं लिया है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, हम तो आपकी बात मानेंगे, आप हमारे संरक्षक हैं लेकिन हमने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा है आप चाहें तो कार्यवाही देख सकते हैं। मंत्री जी ने जो आचरण किया है उस पर चार्जेज

होना चाहिए। हम लोग आपका संरक्षण चाहते हैं। हम सदन को चलाना चाहते हैं लेकिन मान्यवर, अगर कहीं बेईमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार हो रहा है तो मान्यवर, उसे कहां उठायेंगे, यही वह फोरम है जहां पर हम अपनी बात उठा सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। मान्यवर, आप कार्यवाही देख लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं कार्यवाही देख लूंगा और जो असंसदीय होगा उसे कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, आप अपने कक्ष में कार्यवाही देख लीजिए और जो सजा देना चाहें वह दें।

श्री अध्यक्ष-

आपको क्यों सजा दूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सजा तो देनी पड़ेगी अगर हमारी गलती है तो हमको दीजिए और दूसरे की गलती है तो दूसरे को दीजिए। सजा नहीं देंगे तो जस्टिस नहीं होगा और इस सदन में जिसको चाहे गालियां दे करके जायं।

श्री अध्यक्ष-

चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग न पसन्द करूंगा और न ही इस तरह का आचरण पसन्द करूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं, आप निर्णय करेंगे, हम आपके निर्णय से अलग कैसे हो सकते हैं। हमारा सिर्फ यह कहना था कि आज आप कोई ऐसा कदम उठाइये जिससे इस सदन की मर्यादा और ऊंची उठे उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाने का कोई कृत्य करता हो तो वह दण्डित हो।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब यह आरोप है कि मा0 मंत्री जी ने माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अभी कहे कि हमारे परिवार पर जो आरोप-प्रत्यारोप की बात कही है। जो भी आघात लगा हो या असंसदीय शब्दों का प्रयोग किये हों, मर्यादाओं का पालन नहीं हुआ हो ; परम्परायें टूटी हों तो मैं कार्यवाही दिखवा लेता हूं जो अमर्यादित है या अससंदीय है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अगर कोई भी सदस्य एक शब्द भी सदन में इस बात की आपत्ति न उठाये फिर भी जो उसके अनुरूप नहीं है वह आप कार्यवाही से निकलवा देंगे, यह कोई बात ही नहीं है।

असाधारण स्थिति न भी हो तो भी आप कार्यवाही में जो उचित नहीं है, असंसदीय है उसे आप स्वयं निकाल देते हैं। उसके लिए कुछ नहीं कहना है। लेकिन जिस किसी के आचरण से सदन की मर्यादा गिरती हो, सदन में एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पहले अपने मा0 सदस्यों को व्यवस्थित कर लें, सदन व्यवस्थित कर लें उसके बाद ये बातें आयें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप कार्यवाही से तो निकलवा ही देंगे, मेरा यह कहना है कि जिस कृत्य से यह स्थिति उत्पन्न हुई, आप उसको देख लीजिए, जो भी आपका निर्णय होगा वह शिरोधार्य है। आपका निर्णय मान लेंगे। जो स्थिति आयी, मैं संज्ञान नहीं लेता राज्यपाल दीर्घा, दर्शक दीर्घा, पत्रकार दीर्घा का संज्ञान नहीं लेता। मान्यवर, मैं किसी का संज्ञान नहीं ले सकता। मैं नियमों को जानता हूं। आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हुआ उसको आप स्वयं देख लें, विचार कर लें उसके बाद जो भी आपका निर्णय होगा, शिरोधार्य होगा। इतना ही अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने तो निर्णय बता दिया कि जो भी अमर्यादित, असंसदीय होगा उसको मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा। नेता प्रतिपक्ष जी, अपने मा0 सदस्यों को बिठा लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको आप देख लें और देखने के उपरान्त आप अपना निर्णय दें। इस बीच सदन व्यवस्थित कराकर कार्यवाही शुरू हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, माननीय सदस्यों को बिठा लीजिए, अब कार्यवाही चले। मैं देख लूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप बता दीजिए कि हम गलत हैं, चले आयेंगे। आप बताईये कि मंत्री गलत है उनकी गलती है। आप इसको देख तो लीजिए। आप सिर्फ देखकर न्याय कर दीजिए। हमारा यह कहना है कि आप यह कह दीजिए कि मंत्री जी गलत नहीं हैं, आप लोग गलत हैं, हम आपका निर्णय स्वीकार कर लेंगे। हम कहां आपके विरुद्ध जा रहे हैं। आप विचार कर लीजिए उसके बाद हमको बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने सदस्यों को बिठा लीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

हमने अन्तिम वाक्य कह लिया, अब इसके आगे आप जो कहें।

श्री अध्यक्ष-

मैं तो अन्तिम क्षण तक निवेदन करता रहूंगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

हमारे नेता ने तो केवल इतना कहा था कि हेड फोन हटा लीजिए उस पर संसदीय कार्य मंत्री को इतनी आपत्ति थी जिस पर बाद में खेद भी व्यक्त कर दिया गया था।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने-अपने आसन पर नहीं जा रहे हैं। मैं सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 4 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 4 बजकर 38 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैंने स्वयं सम्पर्क किया और कार्यवाही को भी देखा है जो भी उनके द्वारा शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे मान सम्मान को ठेस हो या यह असंसदीय है तो मैंने यह पूरे विश्वास के साथ कहा और आज भी कह रहा हूं अब भी कह रहा हूं कि मैं इन सभी शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

नहीं यह नहीं होगा। हमारे पूरे खानदान पर यह जो आरोप लगाया गया है तो यह तो क्षम्य नहीं है। या तो मंत्री को बाहर करिये या हमको बाहर कर दीजिये ?

श्री अध्यक्ष-

बाहर क्यों करेंगे ? बाहर करने की क्या बात है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह कौन सी बात है। बाहर करिये। मंत्री को बाहर करिये या हमको बाहर करिये। मंत्री ने आरोप लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष-

हम तो यह चाहेंगे कि आप ही कोई रास्ता बतायें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जिस विभाग का है, अगर उसमें गड़बड़ियां हो रही हैं, प्रमुख सचिव है कोई, अधिकारी है तो कोई तो उस पर आरोप नहीं लगायेंगे तो किस पर लगायेंगे। हमारे खानदान पर आरोप लगायेंगे। वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ है कहने को। जो इन्होंने कब्जे किये, मंत्री ने कब्जे किये हैं, मंत्री पद का दुरुपयोग किया है, मंत्री पद की शपथ का दुरुपयोग किया है। यह मेरे पास है, इनको आप मुख्य मंत्री जी को पहुंचा देना। इन पर जांच करा लेना। इनको तो जेल जाना ही पड़ेगा माननीय अध्यक्ष जी। अगर कार्यवाही यहां से नहीं होती है। इनको जेल जाना ही पड़ेगा क्योंकि इतने चार्ज इनके ऊपर हैं। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर हमारे खानदान पर एक भी चार्ज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। (शोर) इस्तीफा दे दूंगा। क्यों ऐसा करते हो। बहुत बार जांच हो चुकी है और यह हैं माननीय मंत्री जी पर आरोप कि सीधे मंत्री पद का दुरुपयोग किया है। कब्जे किये हैं, तहसीलदार की रिपोर्ट है, एस0डी0एम0 की रिपोर्ट है। प्रधान का बयान है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक कार्य-स्थगन पर आप ग्राह्यता पर सुन रहे थे कोई चर्चा नहीं हो रही है और जब चर्चा नहीं हो रही तो क्यों ग्राह्य है केवल इतने बिन्दु पर आप नियमों के अनुसार सुनते हैं तो मेरा आग्रह है कि आपने दोनों पक्षों का सुन लिया और अब उस नोटिस को आप ग्राह्य या अग्राह्य कर दीजिये। उस पर चर्चा आपने स्वीकार नहीं किया है इसलिये मैं चाहूंगा कि आपसे मैंने पहले भी निवेदन किया है हम सब लोग यहां सदन में अपनी बात रखने के लिये आते हैं हमको अपनी बात रखने के साथ-साथ मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। हम बोलते हैं दूसरे के लिये तो दूसरे के लिये जो हम बोल रहे हैं उसको भी हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आरोप एक दूसरे पर कोई जितना चाहे लगा सकता है लेकिन उसके लिये नियमों के अनुसार एक प्रक्रिया है। व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाना होता है तो उसके लिये एक प्रक्रिया है कि उसको लिखित रूप में देना होता है।

आपके संज्ञान में लानी पड़ती है आप उसको सम्बन्धित सदस्य के पास भेजते उसको अवसर देते हैं तो मान्यवर, ऐसा कोई प्रकरण यहां पर नहीं है। प्रकरण न यहां मंत्री जी पर चार्ज का है, न माननीय नेता प्रतिपक्ष के ऊपर है। एक विषय पर आपने जिनको सुनने के लिए चयनित किया उसको लिया है ऐसे में वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द निकला हो तो मैं चाहूंगा कि उसको आप देखकर उसका निर्णय सुरक्षित रख लें आप जो चाहेंगे निर्णय करने का काम करेंगे ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अगर मैंने अमर्यादा का आचरण किया है तो मुझे यहां से निकाल दीजिए मैं तैयार हूं और मंत्री ने ऐसा कोई आचरण किया है तो मंत्री के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैंने भी प्रायः देखा है, मैं भी आपको बार-बार विश्वास दिलाता हूं कि कहीं अमर्यादित शब्दों का असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे आपको ठेस पहुंची है उसको मैं कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

नहीं ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैं कार्यवाही से निकलवा दूंगा मैंने निर्णय दे दिया मैंने कह दिया है कि कहीं कोई अमर्यादित शब्द आया है तो मैं उसको कार्यवाही से निकलवा दूंगा। अब सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने, शायद परसों की बात थी जब सदन आपने उठा दिया था, अपने कक्ष में चले गए थे और आपसे भी कुछ शिकवा किया गया था और आपने जिन शब्दों का यहां प्रयोग किया यहां आने के बाद, उससे इस कुर्सी की मर्यादा बड़ी थी। तब मैंने बहुत दूर से खड़े होकर

कहा था कि इस 'क्षमा' शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाए आपने बस एहसास कर लिया इतना ही काफी है। मैं समझता हूं उसी भाव का आदर करना चाहिए और माननीय मंत्री जी ने हो सकता है गुस्से में, हो सकता है जो आरोप लगे हैं उससे प्रभावित होकर, वाकई में जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह से परिवार के सम्बन्ध में किया, और जिस तरह से अम्बिका चौधरी जी का नाम लेकर किया, मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा ताल्लुक, मेरी मुलाकातें और मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता आपके वालिद मोहतरमा से भी था और मैं वाकई में उनको बहुत अच्छे साथी की तरह, पुराने साथी की तरह जानता हूं और आप उस वक्त बहुत छोटे थे तो उसका भी लिहाज आप रखेंगे अपने वालिद के आचरण का, उनके रख-रखाव का, उनके तौर-तरीकों का, और कोई बड़ी बात नहीं होगी आप उन शब्दों के लिए अफसोस का इजहार करें, उसके लिए खेद करें उससे आप छोटे नहीं होंगे बड़े होंगे। क्योंकि उस पीठ पर बैठे हुए माननीय अध्यक्ष ने यहां दाखिल होते ही पहला शब्द 'क्षमा' का कहा था जबकि हम यह उम्मीद भी नहीं करते थे और जब नेता भारतीय जनता पार्टी ने चाहा किस तरह का आप जवाब चाहते हैं, किस तरह की आप तलाफ़ी चाहते हैं माननीय अध्यक्ष से, तो जो मैंने शब्द कहा था उससे आपने डिसएग्री किया था, आपने उससे इत्तेफाक नहीं किया था और यह तय हुआ था कि आप सिर्फ आकर इजहार कर दें अफसोस का, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद, आप कुर्सी पर बैठे नहीं थे और पहला शब्द आपका यह था कि-मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आपके उस 'क्षमा' के शब्द से मन को तकलीफ हुई थी और हमने वहीं दर से कहा था कि इस शब्द को आप कार्यवाही से निकाल दिया जाए। इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठकर, माननीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर, जो बात इतनी बड़ी थी ही नहीं जितना बड़ा आज कुछ हो गया। उस पर अगर माननीय अध्यक्ष जी जब 'क्षमा' शब्द का प्रयोग कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से यह कोई ऐसी बात नहीं होगी कि प्रतिष्ठा का सवाल बनाया जाए। हम सब साथी हैं बहुत कुछ होता है यहां, लेकिन इसके लिए हम एक दूसरे के जातिय दुश्मन नहीं हो जाते हैं अगर आज इस चीज को हम यहां नहीं सुलाझांएगें तो यह कटुता घटेगी नहीं बढ़ेगी ही, क्योंकि आप लोग ऐसे इलाके के रहने वाले हैं जहां इसका बुरा मतलब निकलेगा। आपके जिले आपके गांव आपके घर सब पड़ोस के हैं और किसी जमाने में आप सब एक परिवार में थे। तो आप अपने उन बड़ों के रिश्तों का आदर करते हुए अच्छा होगा कि आप अपने उन शब्दों के लिए शर्मिन्दा हों।

श्री अवध पाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं मैंने किसी बदनीयती से कोई बात नहीं कहीं है। मेरे ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे जबकि मेरे ऊपर आज तक किसी भ्रष्टाचार की पुष्टि नहीं हुई है। मुझे लगातार हत्यारा कहते रहे। मैंने अपने जीवन में कभी किसी की हत्या कराने की सोची भी हो अगर कभी किसी की हत्या कराने की सोची भी होगी, मैं इस बात को इस भरे सदन में कहना चाहता हूं, आप जिस एजेन्सी से चाहें जांच करा लें, अगर कोई व्यक्ति यह जाहिर कर दे कि अवधपाल सिंह यादव ने कभी किसी की हत्या के सम्बन्ध में सोचा भी है, विचारा भी है, कराना तो बहुत दूर की बात है, आप जो दण्ड देंगे, मैं उसे भोगने के लिए तैयार हूं, मंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं, इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हूं लेकिन मैं यह जलालत सुनने को तैयार नहीं हूं जो मैं कई दिन से, पिछले तीन दिन से लगातार सुन रहा हूं। लगातार समाजवादी पार्टी

के लोग मेरे ऊपर भ्रष्टाचार, हत्यारा, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जिस हत्या के मुकदमें में मेरे तीनों भाई और मेरे बेटे का नाम लिखाया गया है, उन तीनों के तीनों लोगों की हत्या समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने की है और षडयंत्र के साथ हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और जोगिन्दर सिंह यादव ने कराई है। मान्यवर, अगर मैंने यह कहा कि मैं आपके खानदान को जानता हूं तो मैं आज से नहीं जानता हूं जब मैं 11 वर्ष का था, तब सैफई गया था, तबसे मैं जानता हूं। इसमें मैंने कोई अपराध नहीं कर दिया है। नेता विरोधी दल मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे आचरण को जानते हैं तो कम से कम उन्हें भी यह सोचना चाहिए था कि जो आरोप लगा रहे हैं क्या वह सही है ? मान्यवर, मेरे पिता इस सदन के चार बार सदस्य रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, मैं इस सदन का तीसरी बार सदस्य हूं, विधान परिषद् में एक बार सदस्य रहा हूं, मेरा भाई विधान परिषद् का सदस्य है, मेरे बच्चे आज भी किराये के मकान में पढ़ते हैं। मेरे घर में जब 20 लाख ईंट लगी थी, अच्छे-अच्छों के घर में 50 हजार ईंट नहीं होगी। मुझे भ्रष्टाचारी और हत्यारा कहा जा रहा है ? मैं बहुत भावुक आदमी हूं। मेरे साथ आपराधिक कृत्य किया जा रहा है।

(श्री अवधपाल सिंह यादव बोलते-बोलते भावुक हो गए)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इधर की बात सुनी, उधर की भी बात सुनी, इनको भी कष्ट है, उनको भी कष्ट है, मैं तो आपसे भी विनती करूंगा कि जो माननीय अध्यक्ष जी व्यवस्था दें, उसे आप भी मानें, हम भी मानें। माननीय आजम खां साहब ने बड़ी सुलझी हुए बात कही है। नेता प्रतिपक्ष से भी मेरा अनुरोध है, इनकी भावनाओं को समझते हुए और इनकी नीयत ऐसी नहीं थी, मैं तो बैठा हुआ था, अम्बिका चौधरी जी बहुत सीनियर सदस्य हैं, छोटी-मोटी बात आपने हमेशा एवाइड की है। बड़प्पन इसी में है कि इसको एवाइड करके सदन में मिसाल कायम करें। सदन में कई बार उत्तेजना भरे पल आए हैं कि एक दूसरे को कुछ बोल दिया, कई बार हमारी और आपकी भी नोंक-झोंक हुई, लेकिन व्यक्तिगत सम्बन्धों में कहीं किसी प्रकार की कोई खटास न कभी आई है और न आयेगी। तो मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है मैं तो विनती करूंगा और आप सभी से अनुरोध है कि जो माननीय अध्यक्ष जी व्यवस्था दे दें, उसे हम सब और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप भी मानें। उनको भी कष्ट है, आपको भी कष्ट है और अब इसको समाप्त करें।

शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने तो दिखवा लिया होगा अगर विभाग में भ्रष्टाचार है तो क्या मैं यहां पर तारीफ करने आया हूं ? सरकार की क्या मैं तारीफ करूंगा, मंत्री की क्या मैं तारीफ करूंगा ? अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि यह आरोप है, मैं यह आरोप आपको पहुंचा दूंगा। इस पर जांच हो जानी चाहिए, इतनी सफाई देने की क्या जरूरत है ? जब मैंने मांग की थी तो तुरन्त मंत्री जी को जांच स्वीकार कर लेनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने भावुक शब्दों में कि जांच करा लें और यहां तक कहा कि मैं मंत्री पद छोड़ने को तैयार हूं, सदन की सदस्यता छोड़ने को तैयार हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, जहां भुखमरी की स्थिति में कर्मचारी पहुंच गये हों। मान्यवर, 42 लोग मर गये हों और जहां 25 लोग हत्या कर रहे हों तो मंत्री पर आरोप नहीं लगेंगे तो किस पर लगेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप विषय के बारे कहें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

नहीं मान्यवर, यह क्षम्य नहीं है। आप चाहें तो मुझे निकाल दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप इत्तफाक से तशरीफ नहीं रखते थे। मान्यवर, इस पूरे एपिसोड के दो भाग हैं। एक आरोप-प्रत्यारोप का और दूसरा आपकी तरफ से जवाब का। उस जवाब में थोड़ी सी या ज्यादा सी बात नामुनासिब थी। परिवार के सिलसिले में भी और अम्बिका जी का नाम लेकर भी जिस तरह से कहा गया वह मेरे ख्याल से ज्यादा था। कोई साधारण सदस्य कहें तो बात समझ में आ सकती है लेकिन मंत्री कहें और ऐसे मंत्री जो आगे बैठे हों, ऐसे मंत्री जिनके वालिद का अपना एक इतिहास हो। जिनका इस सदन से और इस परिवार से इतना पुराना रिश्ता हो। अगर आपके ख्याल में इधर से कोई बहुत गलत हुयी थी तो उसका जवाब इतना गलत नहीं आना चाहिए था जो आप पर आरोप थे उसकी आप सफाई देते। जैसे आपने अब कहा कि जांच करा लें, इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन उसके साथ पूरे परिवार के बारे में कहना परिवार में सारे तो बुरे नहीं होंगे शायद कोई एक साहब अच्छे भी हों उन्हें काहे के लिए आपने सजा दे दी। अम्बिका चौधरी जी का नाम लेकर आपने कहा। अगर आपको लगता है कि यह गलत है तो मैंने आपसे अच्छा माहौल बनाये रखने के लिए दर्खास्त की थी और हमारे और उस परिवार के मन की संतुष्टि के लिए भी आपको उस बात के लिए खेद प्रकट करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अभी भी इन्होंने कहा कि इन्होंने यह शब्द कहा था कि मैं इनके परिवार को जानता हूं यह कोई बड़ी बुरी बात तो है नहीं। किसी आरोप के साथ नहीं कहा। अभी मैं कह दूं कि मैं मंत्री जी के परिवार को जानता हूं अगर इतने तक हमारी जुबान सीमित है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, उस वक्त वह भाव नहीं था, काफी सख्त अंदाज था।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, पूरे परिवार की बात कही है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(तत्पश्चात नेता विरोधी दल ने सपा के सदस्यगण के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आगे का विषय ले लें।

श्री अध्यक्ष-

यह जो पी0सी0डी0एफ0 की सूचना थी इसको अग्राह्य करता हूं। माननीय सदस्य श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी आपकी सूचना पुलिस की पदोन्नति भर्ती में दौड़ में सम्मिलित मृतक कर्मियों के परिजनों को मुआवजा देने एवं उम्र के हिसाब से दौड़ कराये जाने के सम्बन्ध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं। इसके बाद श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला जी की सूचना प्रदेश में अनुसूचित जाति में सम्मिलित गोंड़ एवं गोंड़ जाति में विभेद करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं। इसके बाद श्री सिबगतुल्ला अंसारी जी की सूचना है वह उपस्थित नहीं हैं उनकी सूचना अग्राह्य करता हूं। इसके बाद श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी की सूचना है वह उपस्थित नहीं है उनकी सूचना अग्राह्य करता हूं। इसके बाद श्री राधेश्याम जायसवाल जी की सूचना है वह उपस्थित नहीं हैं मैं इसको अग्राह्य करता हूं। इसके बाद श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की सूचना है वह उपस्थित नहीं हैं मैं इनकी सूचना अग्राह्य करता हूं। इसके बाद डॉ0 पी0 के0 राय जी की सूचना है वह उपस्थित नहीं हैं, मैं इनकी सूचना अग्राह्य करता हूं। इसके बाद डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल जी की सूचना पूर्वी उत्तर प्रदेश में जल-जनित मस्तिष्क ज्वर फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। डॉक्टर साहब मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं।

मा0 मंत्री जी, जो मस्तिष्क ज्वर वाला है इसको दिखवा लीजियेगा। श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा जी उपस्थित नहीं हैं, मैं इसकी सूचना को अग्राह्य करता हूं। श्री सनातन पाण्डेय जी अनुपस्थित हैं, मैं इनकी सूचना अग्राह्य करता हूं। श्री मदन चौहान जी की सूचना पर ध्यान आकर्षित करता हूं। श्री जोखू लाल यादव जी उपस्थित नहीं हैं, इनकी सूचना अग्राह्य करता हूं। श्री प्रदीप माथुर की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की सूचना पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। डॉ0 अनिल चौधरी की सूचना पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री विशम्भर प्रसाद निषाद भी उपस्थित नहीं हैं मैं इनकी सूचना को निरस्त करता हूं। श्री बैजनाथ दुबे एवं श्री राम विशुन आजाद उपस्थित नहीं हैं इनकी सूचना को मैं निरस्त करता हूं। श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री आरिफ अनवर हाशमी उपस्थित नहीं है मैं इनकी सूचना अग्राह्य करता हूं। श्रीमती मिथिलेश पाल जी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री दीप नारायण सिंह नहीं हैं, मैं इनकी सूचना अग्राह्य करता हूं। विशेष उल्लेख में श्री उदयराज यादव जी की सूचना अग्राह्य करता हूं। श्री रियाज अहमद जी उपस्थित नहीं हैं मैं इनकी सूचना अग्राह्य करता हूं।

डा0 अजय तोमर-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी भी एक सूचना थी।

श्री अध्यक्ष-

आपकी आलू वाली सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है।

श्रीमती कृष्णा राज-

मेरी भी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सूचना अग्राह्य कर दी है।

(डा0 अजय तोमर के खड़े रहने पर)

मा0 मंत्री जी, डा0 अजय तोमर जी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अजय तोमर एवं श्री राजाराम त्यागी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आप अनुमति देंगे तभी हम बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपकी क्या व्यवस्था है ?

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस पीठ से कई बार यह निर्देश हुआ कि जब विधायकों का कोई मामला होगा तो नियमों से इतर जाकर भी सुन लिया जायेगा। मान्यवर, मैंने कल ये सूचना दी और आपके संज्ञान में आयी थी। आज फिर दे रहा हूं। कल आपने इस पीठ से ही कहा था कि अगर आप ध्यान आकर्षण में देते तो मैं सुन लेता। मान्यवर, मैंने उसको दिया। मान्यवर, मैं किसी भी तरीके से सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता । लेकिन वह एक ऐसा विषय है मान्यवर, जिससे यह पूरा सदन प्रभावित है और स्टेट गवर्नमेण्ट की मशीनरी मतदाता सूची में लगी है।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आप देख लें, ये इस सदन की विषय-वस्तु है ही नहीं। मान्यवर, यह एक नई परम्परा होगी अगर इस सदन में भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में इस सदन में चर्चा होगी तो यह उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने 300 में सूचना दी थी और इसी आधार पर इस सूचना को निरस्त किया गया है मतदाता सूची में कहीं पर बदलना या मतदाता सूची में जो शिकायतें हो रही हैं, उसके सम्बन्ध में यह भारत के निर्वाचन आयोग की परिधि में आता है, साथ ही साथ इसके लिये प्रदेश में एक अभियान चल रहा है, उसमें आप कराइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मुझे इसका ज्ञान है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब आप वरिष्ठ सदस्य हैं आपकी सूचना मैंने कल पढ़ी थी कि मतदाता सूची से गलत ढंग से नाम निकाल दिया गया है, आप मतदाता सूची में नाम घटवाना चाहें या बढ़वाना चाहें, उसमें एक प्रक्रिया है। यह हमारा नियम-300 के अन्तर्गत विधायक का पर्सनल सुरक्षा व सम्मान का मसला होता है और उसको मैं सुनता हूं। अब खन्ना साहब आप बैठ जाइए। अब सब लोग बैठ जाएं सिरोही जी आप भी बैठ जाएं। मैंने 25 सूचनाएं अग्राह्य की हैं और सुनी भी हैं। मा0 मंत्री जी आप मद रखें।

*चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहूंगा। मान्यवर, आज 15-20 लोगों की सूचनाएं निरस्त कर दी गयी थीं, मेरी सूचना तो सबसे ऊपर है आपने सबसे पहले जो सूचना अग्राह्य की थी, वह मेरी सूचना थीं, मा0 अध्यक्ष जी, मेरा सबसे पहले नाम था, मा0 अध्यक्ष जी विद्युतीकरण का मामला था। मा0 अध्यक्ष मुझे सुन लें।

अनुपूरक मांगें समेकित रूप से रखे जाने का अनुरोध

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि सबको अलग-अलग रखे जाने के स्थान पर अगर आपकी अनुमति हो तो एक साथ रख दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, एक साथ रख दीजिए।

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए अनुदान संख्या 02 लगायत 03, 07, 09 लगायत 11, 13 लगायत 15, 18, 21 लगायत 22, 24 लगायत 28, 31, 33, 36 लगायत 37, 39 लगायत 42, 45, 47 लगायत 49, 51 लगायत 52, 57 लगायत 60, 62 लगायत 63, 65 लगायत 66, 68, 71 लगायत 73, 75 लगायत 76, 79 लगायत 81, 83 लगायत 84, 89, 91 तथा 94 के अन्तर्गत अनुपूरक मांगों पर चर्चा एवं मतदान

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 02 लगायत 03, 07, 09 लगायत 11, 13 लगायत 15, 18, 21 लगायत 22, 24 लगायत 28, 31, 33, 36 लगायत 37, 39 लगायत 42, 45, 47 लगायत 49, 51 लगायत 52, 57 लगायत 60, 62 लगायत 63, 65 लगायत 66, 68, 71 लगायत 73, 75 लगायत 76, 79 लगायत 81, 83 लगायत 84, 89, 91 तथा 94 के अन्तर्गत कुल रुपये 10 हजार 780 करोड़ 59 लाख 52 हजार की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनूपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिये स्वीकार की जाय, अनुदानों का विवरण निम्नलिखित है :-

अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 66,00,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 95,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 1,82,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय।

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 5,01,80,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 5,43,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 3,62,60,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 4,29,31,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 3,53,47,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 9,87,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 2,25,52,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 4,09,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 3,77,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 3,50,03,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 7,79,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 6,11,25,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 16,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,69,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 77,20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,16,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 46,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 6,13,91,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग के अन्तर्गत 97,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 3,58,10,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 2,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 1,26,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 24,71,38,000 रुपये की अनुपूरक।

अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 70,83,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 4,95,77,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 13,05,42,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 64,62,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत 1,56,91,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 5,75,95,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 44,12,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत 7,30,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 5,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 58,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 7,97,39,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 6,60,72,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 41,02,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 7,90,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 3,58,87,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 23,66,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 61,76,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 30,60,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 18,90,77,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत 14,48,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 1,94,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 11,31,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग।

*श्री हुकुम सिंह-

अनुपूरक बजट आया मान्यवर, प्रदेश के विकास के लिए आया होता तो मान्यवर, इसे स्वीकार भी करते और धन्यवाद भी देते। मान्यवर, मुख्य बजट हो या अनुपूरक हो थोड़ा सा इसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऊपर ध्यान दिया जाए कि काहे के लिए लाया गया है अनुपूरक बजट, एक मकान विशेष की मेन्टेनेन्स के लिए है, बनाने के लिए नहीं मान्यवर, मेन्टेनेन्स के लिए और मेन्टेनेन्स के लिए भी 20 करोड़ रुपया। मान्यवर, इस गरीब प्रदेश में जहां मा0 कांशीराम की आवास योजना चल रही हो गरीबों के लिए और उनको छोटे-छोटे मकान बनाकर दिये जा रहे हों। उस गरीब प्रदेश में अपव्यय की यह हालत हो कि एक मकान विशेष के लिए 20 करोड़ रुपये का प्राविधान केवल इसलिए कर दिया जाए कि उस मकान की साज-सज्जा हो और उसका रेनोवेशन हो जाए, मान्यवर, यह कहां तक उचित है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में जो हमारी अर्थव्यवस्था है जो हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित है। थोड़ी बात कहते हैं तो बुरी लगती है, आपको। यह मैं किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपकी सोच के ऊपर, आपके दृष्टिकोण के ऊपर और आपके चिन्तन के ऊपर चिन्ता व्यक्त कर रहा हूं कि कब तक आप आत्मसमर्पण करके इस प्रदेश के तमाम खजाने को लुटाते रहेंगे, इस तरह से। मान्यवर, यह गरीबों का खजाना है, यह सड़कों के निर्माण पर खर्च हुआ होता, यह नहरों की सफाई में खर्च हुआ होता, यह स्कूलों की मरम्मत पर खर्च हुए होता तो अच्छा था, स्कूलों में अध्यापन नहीं होता है, स्कूल भवन नहीं हैं, बार-बार इसका जिक्र आता है। यहां बजट तो था ही और आप अनुपूरक बजट भी ले आए, पर किस बात के लिए। मान्यवर, जरा देखें, ध्यान करें, अभी डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल की भव्यता और सुधार हेतु शुरू में क्या व्यवस्था की गयी थी, मान्यवर, इस कार्य के प्रारम्भ में 881 करोड़ का बजट था, बढ़ते-बढ़ते वह अब 2 हजार 451 करोड़ का बजट हो गया है। 851 को आंकलन किया गया, 2451 का हो गया और उसके बाद में आज फिर आ गया। मान्यवर, दूसरे कामों के लिए जैसे आपने बनाया ये 1040 करोड़ का, आपने मान्यवर, कांशीराम स्मारक स्थल के नवीनीकरण के लिए किया तो जो व्यवस्था आपने की थी मान्यवर, उससे बढ़कर के 1040 करोड़ पर आ गये, 366 का था पहले 1040 पर आ गये और मान्यवर बाकी मरम्मत पर चलिये 514 करोड़ था, 1030 हो गया। मान्यवर, अगर इस तरह से प्रदेश का खजाना इस प्रकार लुटाया जायेगा, स्मारक स्थल के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर स्वाभाविक है आपत्ति करेंगे, मान्यवर, मैं सी0ए0जी0 की रिपोर्ट का हवाला नहीं देना चाहता क्योंकि पी0ए0सी0 में जायेगा मैं जानता हूं मुझको उस पर आज सदन में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह हमारे संज्ञान में है, आपके संज्ञान में है, सभी के संज्ञान में है मान्यवर, पत्थर आता है मिर्जापुर से चुनार से, कटाई होती है जाकर राजस्थान में।

मान्यवर, अगर वहीं पर उसकी कटाई हुई होती, उसकी सफाई हुई होती तो वहां पर 100-200 गरीब लोगों को रोजगार मिल गया होता। क्योंकि नहीं, कारण बताया कि वहां पर नक्सलवाद का प्रभाव है, इसलिए वहां कटाई नहीं हो सकती। नक्सलवाद का प्रभाव तो होगी ही वहां पर क्यों नहीं होगा, आप उनकी रोजी-रोटी छीन करके दूसरे राज्यों में ले जा रहे हैं और वहां से जब दोबारा उसको वापस लाये हैं और करोड़ों रुपये यातायात के ऊपर खर्च कर रहे हैं मान्यवर, इस सरकार को क्या यह अधिकार है कि अनुपूरक के लिए अतिरिक्त धनराशि मांगने के लिए यहां पर आये। मान्यवर, डाक्टरों की जगहें खाली पड़ी हैं, 5000 डाक्टर्स के स्थान रिक्त हैं योजना चल रही हैं गांव-गांव में पी0एच0सी0 बनवायेंगे, अस्पताल बनवायेंगे, डाक्टर आपके पास में है नहीं, रोजगार

आपने सबको दे ही दिया जैसी आज यहां पर चर्चा हो रही थी और अनुपूरक यहां पर ले आये, इस अनुपूरक के माध्यम से क्या हम इस बात को लेकर के आये हैं कि अतिरिक्त डाक्टरों की भर्ती करके प्रत्येक अस्पताल में उनकी पोस्टिंग होंगी, नहीं लाये, यह केवल स्मारकों के लिए, मूर्तियों के लिए, पार्कों के लिए यह अनुपूरक बजट आया है मान्यवर, भले ही आप संख्या बल पर इसे पास कराते रहें, लेकिन आप प्रदेश की 20 करोड़ जनता के साथ आप धोखा कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं उनके प्रति आप, उनकी समस्याओं को आप सुन नहीं रहे हैं। मान्यवर, नगर विकास मंत्री जी बैठे यहां पर और आप भी मान्यवर बैठे हुए हैं, जिनके पास में लगभग 90 प्रतिशत विभाग हैं और अच्छा है साइज के हिसाब से ठीक भी है, बधाई देता हूं मैं आपको इसके लिए लेकिन मान्यवर एक बात मैं कह देता हूं क्या पाप किया उन लोगों ने, मेरे जनपद मुजफ्फरनगर की सड़कों पर आप चल करके देख लें जो राज्य मार्ग हैं पानीपत-खटीमा राज्य मार्ग है मान्यवर, दो-दो फिट के गड्ढे हैं, चलिये चलकर के देख लीजिए उनको, मान्यवर, सहारनपुर से लेकर के दिल्ली तक की सड़क की हालत ऐसी है कि बस भी चलने को तैयार नहीं हैं। अनुपूरक ले आये, 300 करोड़ का आप लाए हैं लोक निर्माण विभाग के लिए अनुपूरक में मुझे पता है, लेकिन इस 300 करोड़ में भी कुछ कार्य करने की बात है, यह 300 करोड़ भी आप दे देंगे निर्माण निगम को और निर्माण निगम मूर्तियों पर खर्च कर देगा, स्मारकों पर खर्च कर देगा, नोएडा में कुछ और बन जायेगा कुछ लखनऊ में बन जायेगा। आपको सिवाय गोमतीनगर से लेकर के हवाई अड्डे तक के अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ नजर आता है क्या। पूरा बजट भी इसी पर लगेगा और अनुपूरक भी इसी पर लगेगा और मान्यवर, जितनी बाकी सेवायें हैं, चिकित्सा की सेवा है, शिक्षा की सेवा है मान्यवर, यातायात की सेवा है वह सारी की सारी सेवायें तो ठप हो गई तो मैं आपसे अनुरोध कर देना चाहता हूं कि इस पर हां न कराने से पहले या तो आश्वासन दें या मान्यवर कल परसों हम फिर बैठ लें, कुछ व्यवस्था करें कि नहीं सड़कों के निर्माण के लिए हम व्यवस्था करेंगे। हम स्कूल के भवनों के निर्माण के लिए व्यवस्था करेंगे, हम स्कूल में जो अध्यापक नहीं हैं, उनकी नियुक्ति के लिए व्यवस्था करेंगे, जो गरीबों के लिए मान्यवर बी0पी0एल0 के जो पड़े हुए हैं उनके लिए व्यवस्था करेंगे, जिन विधवाओं को, जिन वृद्धों को पेंशन नहीं दी जा रही है आपके यहां से पैसा नहीं जा रहा है, उनके लिए व्यवस्था करेंगे, इन व्यवस्थाओं के लिए अनुपूरक में कोई स्थान नहीं है, केवल स्थान है तो बार-बार मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहता, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि आज हम उस स्थिति में नहीं हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश की अर्थ व्यवस्था बिगड़ सकती है मान्यवर इन्हीं गलत कामों को करने से, इस उत्तर प्रदेश की भी अर्थ व्यवस्था चौपट हो गई क्योंकि हमने जो अनुत्पादक मद है, उन मदों के ऊपर ध्यान दिया, हमने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि कहां लोगों की सेवा होनी चाहिए इसलिए मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अपना विरोध भी करता हूं और सुझाव भी देता हूं कि अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत आपके मन में जगह बची हो, इन गरीबों के लिए इनके सुधार के लिए, इनकी व्यवस्था के लिए कुछ लेकर के आइये। खाली कब तक इन मूर्तियों के सहारे जियोगे। साढ़े चार साल यह काम करते रहे छह महीने और देख लो इनको कोई न कोई दूसरा आयेगा, मूर्तियां तो आपकी लगी रहेंगी आप यहां नहीं होंगे यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मुझे खुशी होती कि अगर माननीय हुकुम सिंह जी बजट साहित्य को ध्यान से देखने का काम किये होते। मान्यवर, इन्होंने 20 करोड़ रुपये तो देखा लेकिन अनुपूरक प्रस्तावों में और मुख्य योजनाओं को नहीं देखा जो इस प्रकार हैं :-

अनुपूरक प्रस्तावों में मुख्य योजनायें :

	(धनराशि करोड़ रुपयों में)
1-सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना	832.11
2-आपदा राहत निधि को अन्तरण	703.23
3-सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन का निर्माण	688.00
4-सफाई कर्मचारियों का वेतनादि के लिए अतिरिक्त व्यवस्था	641.87
5-सड़क एवं सेतुओं का निर्माण	615.95
6-पुलिस विभाग के अधिष्ठान व्यय एवं निर्माण कार्य	583.59
7-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान	500.00
8-आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय हेतु अतिरिक्त व्यवस्था	468.36
9-मध्याह्न भोजन योजना	418.00
10-सर्वशिक्षा अभियान	372.13
11-उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार कल्याण निधि को अन्तरण व उससे व्यय	354.00
12-उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 को आफ सीजन मरम्मत एवं गन्ना मूल्यों के भुगतान हेतु ऋण	350.03
13-बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजना	340.00
14-आर0के0वी0वाई0 योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम	276.00
15-मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बस्ती समग्र विकास योजना के अन्तर्गत सी0सी0 रोड	235.00
16-जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम	230.00
17-वैधनाथन कमेटी की संस्तुतियों के क्रम में सहकारिता प्रणाली का पुनरोत्थान	225.53
18-मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर विकास योजना के अन्तर्गत ऋण	200.00
19-मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी आवास योजना	200.00
20-त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	170.00
21-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	150.00
22-उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना	144.36
23-कुम्भ मेला 2012-2013	100.00
24-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं में सम्पर्क मार्गों का निर्माण	100.00

(धनराशि करोड़ रुपयों में)

25-इन्दिरा आवास योजना	99.31
26-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विभिन्न योजनायें	70.83
27-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण	60.00
28-उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के उपयोगार्थ पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं हेतु व्यवस्था	50.00
29-राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में निर्माण, उपकरण का क्रय, एम0सी0आई0 शुल्क, वेतन तथा औषधि	46.00
30-मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन (ईको) गार्डन का निर्माण	41.00
31-सामुदायिक हाल का निर्माण	30.00
32-इन्दिरा गांधी मातृत्व योजना का संचालन	25.93
33-गोमती नदी के दायें तटबन्ध में लामार्टीनियर तक भूमि का अधिग्रहण एवं विकास	25.00
34-पुलिस विभाग में आगामी विधान सभा चुनाव हेतु व्यवस्था	24.33
35-नगरीय निकायों को पेयजल कार्य	20.00
36-नगरीय निकायों को सीवरेज कार्य	20.00
37-मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय का भवन निर्माण	17.43
38-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम	16.86
39-शासकीय अधिवक्ताओं की फीस एवं भत्तों में की गयी वृद्धि हेतु अतिरिक्त आवश्यकता	15.00
40-छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में निर्माण एवं उपकरण	11.00
41-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	10.00
42-डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइसेंस, गोमती नगर, लखनऊ में निर्माण कार्य	10.00

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई मेरा यह मानना है कि विश्व में शायद इतना अहिंसक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई मान्यवर, कांशी राम जी के बराबर किसी ने लड़ने का काम किया हो उनके लिए अगर हम थोड़ा सा भी हिस्सा 20 और 25 करोड़ रुपया भी कर लेते हैं 10 हजार करोड़ से ज्यादा के अनुपूरक में तो इनको अखरने लगता है इसलिए कि इनकी मानसिकता है यह नहीं चाहते कि गरीब आगे बढ़े वह भी समाज की मुख्य धारा में जुड़े। मान्यवर, ऐसे महापुरुषों के नाम पर गरीबों के हितों के लिए संचालित की जाने वाली योजनाओं के लिए और प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए यह अनुपूरक लाने का काम किया गया है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा इसकी तारीफ करने की जगह पर आलोचना करने लायक कोई बिन्दु था ही नहीं और उसकी भरपाई के लिए हमने कुशल वित्तीय प्रबन्धन के माध्यम से बात की व्यवस्था की है कि पिछले वर्ष जब हमने 2010-11 का बजट प्रस्तुत किया था तब हमने लक्ष्य रखा था राजकोषीय

घाटे का 3.5 प्रतिशत का लेकिन मान्यवर, कुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण वह घाटा 3 प्रतिशत तक रह गया और इसी तरह से हमारी जो राजस्व प्राप्तियां हैं उसमें भी हमने लगातार वृद्धि की है इस 4 महीने की जो राजस्व प्राप्तियां हैं, हमने जो आंकलन किया था अपने बजट में उसके सापेक्ष पहली बार शायद हुआ होगा कि जितना हमने अपेक्षा किया था 4 महीने में लगभग सभी विभागों का मिलाकर 100 प्रतिशत तक हमने राजस्व प्राप्तियां करने का काम किया है यह कुशल वित्तीय प्रबन्धन है। मैं अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कि इसको सर्वसम्मत से अनुपूरक बजट को पास कराने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रदेश में किसी गरीब या किसी अमीर का नाम बता दें जिसके आवास के ऊपर केवल मरम्मत के ऊपर 20 करोड़ खर्च हुआ हो और यह गरीबों की सरकार है न दूसरी बात मान्यवर, अगर आज डा0 भीमराव जीवित रहते, मान्यवर, कांशीराम जीवित रहते और उनके सामने यह अपव्यय होता दोनों बहुत महान व्यक्ति थे, पूरे देश की समाज की चिन्ता करते थे, उनके सामने अगर उनकी मूर्तियों के ऊपर उनके नाम पर जो फर्जी पार्क बनाये गये हैं। उनके ऊपर अगर खर्च हुआ होता तो माफ नहीं करते इस सरकार को, कभी भी माफ नहीं करते। मान्यवर, दोनों व्यक्ति ऐसे थे जो कभी भी इस प्रकार के अपव्यय को सहन करने वाले नहीं थे उनके नाम पर जिस प्रकार से धन की बर्बादी हो रही है, प्रदेश को धोखा दिया जा रहा है, दोनों के लिए यह दोनों की अवमानना है और दोनों की आत्मा तड़प रही होगी कि कैसे लोगों को हम सत्ता में बिठा गये जो हमारे नाम पर सत्ता में बैठे हुए है और हमारे आदर्शों को बदनाम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं:-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2 लगायत 3, 7, 9 लगावत 11, 13, लगायत 15, 18, 21 लगायत 22, 24 लगायत 28, 31, 33, 36 लगायत 37, 39 लगायत 42, 45, 47 लगायत 49, 51 लगायत 52, 57 लगायत 60, 62 लगायत 63, 65 लगायत 66, 68, 71 लगायत 73, 75 लगायत 76, 79 लगायत 81, 83 लगायत 84, 89, 91 तथा 94 के अन्तर्गत कुल रुपये 10780,59,52,000 (रुपये दस हजार सात सौ अस्सी करोड़ उनसठ लाख बावन हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2011-2012 का अनुपूरक) विधेयक, 2011[†]

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2011-2012 का अनुपूरक) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2011-2012 का अनुपूरक) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

[†] दिनांक 25-8-2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2011-2012 का अनुपूरक) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित कर दी जायें।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2011-2012 का अनुपूरक) विधेयक, 2011 विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2011-2012 का अनुपूरक) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2011-2012 का अनुपूरक) विधेयक, 2011

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2011-2012 का अनुपूरक) अधिनियम, 2011 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2011-2012 के लिए 10879,92,97,000 रुपये का दिया जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2012 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 10879,92,97,000 रुपये (दस हजार आठ सौ उन्नासी करोड़ बानवे लाख सत्तानवे हजार रुपये मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2	3		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (रुपये हजार में)		
		विधान सभाराज्य की समेकित निधि पर भारित	द्वारा स्वीकृत	योग
02	आवास विभाग	राजस्वः 2	———	2
		पूंजीः 660001	———	660001
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्वः 9504	———	9504
		पूंजीः ———	———	0
07 0	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्वः	———	———
		पूंजीः 18225	———	18225
09	ऊर्जा विभाग	राजस्वः5018030	32358	5050388
		पूंजीः ———	416269	416269
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्वः 54300	750	55050
		पूंजीः ———	———	0
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्वः3005045	———	3005045
		पूंजीः 620984	———	620984
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्वः2793129	———	2793129
		पूंजीः 1500000	———	1500000
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्वः3422397	———	3422397
		पूंजीः 112313	———	112313
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्वः 44000	———	44000
		पूंजीः 54700	———	54700
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्वः2255269	———	2255269
		पूंजीः ———	———	0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्वः ———	41979	41979
		पूंजीः ———	———	0

1	2	3		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (रुपये हजार में)		
क्रम संख्या		विधान सभाराज्य की समेकित	द्वारा स्वीकृतनिधि	योग पर भारित
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्वः 3360	———	3360
		पूंजीः 37566	———	37566
22	खेल विभाग	राजस्वः 29742	———	29742
		पूंजीः 8002	———	8002
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उंद्योग)	राजस्वः ———	———	0
		पूंजीः 3500341	———	3500341
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्वः 52976	———	52976
		पूंजीः 25000	———	25000
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्वः3409019	———	3409019
		पूंजीः 2703507	———	2703507
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्वः 145000	———	145000
		पूंजीः 15001	———	15001
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व 26987		———26987
		पूंजी ———	———	0
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व ———	1989	1989
		पूंजी ———	———	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्वः 162000	———	162000
		पूंजीः 610000	———	610000
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्वः 11662	———	11662
		पूंजीः 10000	———	10000
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्वः 4697	———	4697
		पूंजीः ———	———	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्वः 39117	———	39117
		पूंजीः 6100000	———	6100000
39	भाषा विभाग	राजस्वः 9789	———	9789
		पूंजीः ———	———	0

* भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

1	2	3		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (रुपये हजार में)		
क्रम संख्या		विधान सभाराज्य की समेकित द्वारा स्वीकृतनिधि		योग पर भारित
40	नियोजन विभाग	राजस्वः 12415	———	12415
		पूंजीः 3568629	———	3568629
41	निर्वाचन विभाग	राजस्वः 211	———	211
		पूंजीः ———	———	0
42	न्याय विभाग	राजस्वः 760000	500000	1260000
		पूंजीः 500000	———	500000
45	पर्यावरण विभाग	राजस्वः 5000	———	5000
		पूंजीः ———	———	0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्वः 24512	———	24512
		पूंजीः 222626	———	222626
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्वः 708309	———	708309
		पूंजीः ———	———	0
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्वः4957730	———	4957730
		पूंजीः ———	———	0
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्वः13054200	———	13054200
		पूंजीः ———	———	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्वः 513707	———	513707
		पूंजीः 132534	———	132534
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	राजस्वः ———	———	0
		पूंजीः 1569145	———	1569145
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें)	राजस्वः ———	———	0
		पूंजीः 5759543	———	5759543
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्वः 216319	———	216319
		पूंजीः 224966	———	224966

1	2	3		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (रुपये हजार में)		
क्रम संख्या		विधान सभा	राज्य की समेकित द्वारा स्वीकृतनिधि	योग पर भारित
60	वन विभाग	राजस्वः 31064	———	31064
		पूंजीः 42021	———	42021
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्वः 1	———	1
		पूंजीः ———	———	0
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्वः 10000	———	10000
		पूंजीः ———	———	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प–बचत आदि)	राजस्वः 10000	———	——— 10000
		पूंजीः ———	———	0
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व 572	———	572
		पूंजी ———	———	0
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्वः 5059	———	5059
		पूंजीः 778	———	778
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्वः 7973994	———	7973994
		पूंजीः ———	———	0
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्वः 6186966	———	6186966
		पूंजीः 420250	———	420250
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्वः 410274	———	410274
		पूंजीः ———	———	0
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व 79000	———	79000
		पूंजी ———	———	0
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व 3588780	———	3588780
		पूंजी ———	———	0
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्वः 29420	———	29420
		पूंजीः 207249	———	207249

1	2	3			
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (रुपये हजार में)			
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याणं)	राजस्वः	617615	———	617615
		पूंजीः	———	———	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्वः	306000	———	306000
		पूंजीः	———	———	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्वः	5777700	———	5777700
		पूंजीः	13130006	———	13130006
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्वः	254	———	254
		पूंजीः	———	———	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्वः	128631	———	128631
		पूंजीः	16230	———	16230
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्वः	19425	———	19425
		पूंजीः	———	———	0
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्वः	———	———	0
		पूंजीः	113152	———	113152
	योग	**राजस्वः**	**65923183**	**577076**	**66500259**
		पूंजीः	**41882769**	**416269**	**42299038**
	महायोग :		**107805952**	**993345**	**108799297**

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्शक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2011-2012 का अनुपूरक) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2011-2012 का अनुपूरक) विधेयक, 2011 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011

*वन, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, थोड़ा बहुत दो लाइन का संशोधन है। खाली दंड बढ़ा रहे हैं आप इमारती लकड़ी के काटने पर। मैंने तो इस बात के लिये संशोधन दिया है ताकि इस बात पर विचार हो जाये कि यह वन संरक्षण ऐक्ट बना हुआ है, वन के संरक्षण करने के लिये और वृक्ष न कटें उनके लिये। थोड़ा मंत्री जी इसकी समीक्षा कर लें आप। ऐक्ट बना हुआ है और अधिकारी भी बहुत हैं, डी0एफ0ओ0 भी है, रेंजर भी है, सब नीचे तक बैठे हुये हैं। खाली अगर नहीं हैं तो वृक्ष नहीं हैं, जिनके संरक्षण के लिये आप यह लाये हैं। पेनाल्टी भी बढ़ा रहे हैं। अगर आपको याद हो, क्योंकि सड़क से आप भी काफी सफर करते हैं जिन सड़कों के किनारे अच्छे-अच्छे शीशम के पेड़ थे, आज वह नजर आ रहे हैं कहीं। नहीं आ रहे हैं न। नई-नई नर्सरी आपने बनायी कि वन बढ़ायेंगे, सोशल फार्सेट्री भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं नजर आ रहे हैं ? अधिकारियों की तो पंक्ति खड़ी कर दी हमने नीचे से लेकर ऊपर तक और ऐक्ट भी हमने बना दिया। आप ऐक्ट ही बना सकते हैं, आप इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। क्योंकि एक मंत्री तो ऐक्ट ही बनायेगा, कानून ही बनायेगा। लेकिन आखिर इस पर भी विचार होना चाहिये कि आखिर वृक्ष जा कहां रहे हैं, क्यों जा रहे हैं यह ? मैं दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आपका ध्यान चाहता हूं, प्रयास पहले भी किया गया लेकिन सफल नहीं हुआ। इसलिये आप दुबारा एक बार प्रयास कर लीजिये। आजकल मान्यवर, कामर्शियल लकड़ी के साथ-साथ जो आधुनिक लकड़ियां हैं जैसे पापुलर है, किसान आज खेती छोड़कर पापुलर पर जा रहा है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर में तो आगे भी बढ़ गया है। किसान खेती बंद कर रहे हैं और पापुलर लगा रहे हैं क्योंकि 5-6 साल में उसका पेड़ तैयार हो जाता है और अच्छी आमदनी होती है। लेकिन कानून की दिक्कत और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण हम अतिरिक्त यहां पर कोई इन्डस्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं। परिणाम यह है कि सारे का सारा ट्राली में भरते हैं और हरियाणा ले जाते हैं। हरियाणा में इससे लाखों नौजवानों को रोजगार मिला हुआ है और जब कभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड एक था तो यहां 16 प्रतिशत वन क्षेत्र था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सोच करके, कि उत्तर प्रदेश में 16 प्रतिशत वन हैं, हरियाणा और पंजाब में केवल 3-3 प्रतिशत हैं, यहां पर बंदिश लगा दी ताकि यहां पर वनों का कटान न हो और यह उद्योग आगे जाकर न पनपे। लेकिन उत्तराखण्ड के बनने के बाद में यहां वन 3 प्रतिशत रह गया और अगर हम अपनी जीविका के लिये चाहते हैं क्योंकि उसमें शीशम की जरूरत नहीं है उसमें किसी और लगड़ी की भी जरूरत नहीं है, आम की भी जरूरत नहीं है। उसमें जरूरत केवल यह है कि जो 6-7 साल में हमने पेड़ तैयार किया, अगर उसके उद्योग यहां लगते, तो आप सहमत होंगे कि लाखों नौजवानों को उसमें रोजगार मिलता। हमारे वन विभाग के जो अधिकारी हैं, उनकी बहुत कमजोर विवेकहीन पैरवी के कारण वहां आज तक स्टे चल रहा है। हमारा न्याय विभाग और हमारा शासन इस बात के लिये चिन्तित है नहीं, क्योंकि उनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। जा रहा है तो उस गरीब किसान की जेब से, जिसका फायदा हो सकता था। मैंने इस आपके छोटे से संशोधन में अपना संशोधन केवल इसी कारण से प्रस्तुत किया था कि 2-4 बातें मैं सदन के संज्ञान में ला दूं...और अगर आप इन पर विचार कर लें (1) कभी जांच कीजिए कि वास्तविकता क्या है, पूछिये इन अधिकारियों से कि तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, संसाधन हैं तो वृक्ष कहां चले गये ? मान्यवर, कटवा तो यही रहे हैं सब के सब, इनकी मर्जी के बिना पेड़ नहीं कट सकता है। इसमें दो विभाग हैं जिन्हें पूरी कटान का श्रेय जाता है, इसमें छोटा सा हिस्सा आपके विभाग के अधिकारियों का है बाकी हमारे पुलिस के अधिकारियों का जिनका हर मण्डी में पैसा बंधा हुआ है। जैसे ही सुबह मण्डी लगती है तो रेट तय हो जाते हैं, सब चीज के रेट तय कर रखे हैं कि आम की लकड़ी आयेगी तो यह रेट होगा, शीशम की लकड़ी आयेगी तो यह रेट होगा। आप कहीं पेड़ काट लीजिए कहीं ले जाइये बस केवल पुलिस को पैसा दे दीजिए। अगर कहीं पर एक-आध पेड़ काटने का परमिट मिल जाये तो वह अलग बात है। (2) मजबूती के साथ मैं इस बात को यहां पर उठाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से स्टे के कारण हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है वह स्टे समाप्त हो इससे जो स्थिति हरियाणा, पंजाब की है वही स्थिति हमारी भी हो जाये तो निश्चित रूप से लाखों उद्योग लगेंगे, बेरोजगारों को काम मिलेगा और बड़ा कल्याणकारी काम हो जायेगा।

श्री फतेह बहादुर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत ही सम्मानित और हम लोगों से वरिष्ठ सदस्य मा0 हुकुम सिंह जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। वास्तव में हम सब अच्छी तरह से अवगत हैं कि पूरे प्रदेश में नेशनल हाई-वे ॲथरिटी ने नयी सड़कों का निर्माण किया है जिसके कारण बड़े पैमाने पर पेड़ों का कटान हुआ है। उसमें वन विभाग की ओर से कोई कमी नहीं हुयी प्रदेश के विकास के लिए जब भी कहीं आवश्यकता पड़ी है तो निश्चित रूप से वृक्षों की कटान हुई है। इस बात से हम हट नहीं सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो पूरा वृक्षारोपण का क्षेत्र है वह 9.1 प्रतिशत है जब उत्तरांचल अलग नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश का वृक्षारोपण क्षेत्र 16 प्रतिशत था। लेकिन मान्यवर, वह वृक्ष तो उसी क्षेत्रफल में हैं उत्तरांचल से जो हवा चलेगी वह उत्तर प्रदेश में भी आयेगी, इसलिए इस चीज को हम सीमा में नहीं बांध सकते हैं यह पूरे देश का मामला है। दूसरी जो बात आपने न्यायालय में स्टे के सम्बन्ध में कही है उस पर हम प्रभावी पैरवी करायेंगे क्योंकि इससे किसानों को नुकसान है। इसके अलावा हम जानते हैं कि वन क्षेत्र हमारे पास कम है, वृक्ष कम हैं तो निश्चित रूप से उनका कटान न हो इसके लिए हमें सख्ती दिखानी पड़ेगी। पहले 5 हजार रुपए मुआवजा था उसे बढ़ाकर 10 हजार

रुपए कर दिया गया तो निश्चित रूप से यह कटान रोकने का प्रयास है। हम सबको मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए जो संशोधन हमारे वरिष्ठ मा0 सदस्य ने रखा है मैं चाहूंगा कि वह इसे वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सिंह साहब, संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मा0 न्यायालय से स्टे के मामले में प्रभावी पैरवी करेंगे और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे कम करने का प्रयास करेंगे, हम जानते हैं कि नहीं कर पायेंगे लेकिन उन्होंने कहा है इसलिए मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले रहा हूं।

(श्री हुकुम सिंह ने सदन की सहमति से संशोधन का प्रस्ताव वापस लिया।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2-उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की धारा-15 में,- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-45 सन् 1976 की धारा-15 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द ''पांच हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''पांच हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे;

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्शक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री फतेह बहादुर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से मा0 मंत्री जी उच्च शिक्षा मंत्री बने है कोई ऐसा सत्र नहीं बीतता जब ये दो-चार निजी विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव ले करके हम लोगों के बीच में न आ जायं। इनकी निजी विश्वविद्यालयों में बड़ी रूचि है, निजी रूचि होगी। कह रहे हैं, पढ़े-लिखे हैं इसलिए मान लेता हूं, बगल में बैठे हुए मंत्री जी ताकीद कर रहे हैं। उनको अहसास होगा। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के अध्यक्ष रहे हैं लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस चीज की मूल जिम्मेदारी इस प्रदेश की जनता ने इनको दिया है उसकी इन्हें चिन्ता नहीं होती। उच्च शिक्षा मंत्री हैं कई सारे विश्वविद्यालय चलते हैं और जिस स्थिति से गुजर रहे हैं मैं उसकी चर्चा यहां करूं कोई आवश्यक नहीं है ? मुझे आश्चर्य होता है कि मा0 उच्च शिक्षा मंत्री अपने अन्तर्गत चलने वाले विश्वविद्यालयों की व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत आसान और सफल प्रयास कर सकते थे लेकिन हम लोगों ने उच्च शिक्षा मंत्री की तरह इन्हें कभी भी विश्वविद्यालयों में जा करके वहां की व्यवस्थाओं को अपनी आंख से देखने का, वहां के छात्रों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पीड़ा का अहसास करने का और अपनी कैबिनेट में बैठ करके उनकी पीड़ा का वर्णन करके उनकी स्थिति को बेहतर करते हुए कभी देखा नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि भारत सरकार की एक योजना है कि वह पूरे देश में 24-25 केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगी, इसके लिए राज्य सरकार को कोई पैसा नहीं देना है, किसी एक विश्वविद्यालय पर अपनी सहमति देनी है। भारत सरकार उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनायेगी और करोड़ों-करोड़ रुपया उस विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए मा0 मंत्री जी को सौंप देगी। मा0 मंत्री जी जानते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय इस प्रदेश का ही नहीं इस देश का स्वतन्त्रता के बाद बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय है। इस प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री मा0 गोविन्द बल्लभ पन्त जी ने इसकी नींव डाली थी, सन् 1950 का विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चे नहीं पढ़ते, आप परिचित होंगे, बहुत बड़ी संख्या में बिहार के बच्चे, नेपाल के बच्चे पढ़ने आते हैं और यह सिर्फ एक प्रान्त का विश्वविद्यालय नहीं रह गया है बल्कि अन्तर्प्रान्तीय व अन्तर्राज्जीय विश्वविद्यालय हो गया है। इतना ही नहीं नेपाल के छात्रों के आने के नाते यह अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो गया है। अर्थात अगर मा0 मंत्री जी के अन्दर यह पीड़ा आती है कि यह गोरखपुर विश्वविद्यालय एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है, एक अन्तर्राज्जीय महत्व

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का विश्वविद्यालय है। केन्द सरकार पैसा देने के लिए तैयार बैठी है। हम चाहें तो केन्द्र सरकार का पैसा ले करके इसे केन्द्रीय विशविद्यालय का दर्जा दे सकते हैं। मा0 मंत्री जी ने अगर ऐसा कहीं किया होता तो ये ढेर सारे विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता, हम कहते कि जो आपका मूल कार्य है वह भी आप कर रहे हैं। अतिरिक्त जो चल रहा है, वह भी चलता रहे कोई बात नहीं। माननीय मंत्री जी मुझे विश्वास है कि अभी जब हम लोगों से प्रस्ताव वापस लेने की बात कहेंगे तो जो हम लोगों की बात है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की उस पर अपनी सहमति देंगे और सहमति देंगे तो हम लोग बहुत बड़े दिल के आदमी हैं आप जानते हैं कि इसके पहले आपने घोषणा किया था जब उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की बात हो रही थी। आपने इसी सदन में कहा था कि गोरखपुर में फिराक गोरखपुरी की पीठ स्थापित की जायेगी और मैंने अपना प्रस्ताव वापस लिया था, आपको याद होगा। हम लोग आज भी प्रस्ताव वापस लेने के लिए तैयार हैं। उठिये और बड़े दिल से कहिये कि भारत सरकार की जो योजना केन्द्रीय विश्वविद्यालय की है आप गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम देंगे। आपको करना नहीं है केवल अपनी संस्तुति भेजनी है। शेष निर्णय हम लोग केन्द्र सरकार से करवा लेंगे। चिन्ता मत करिये, आप उस संस्तुति को वहां भेजिये। इसी के साथ मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, निजी विश्वविद्यालय का यह बिल माननीय मंत्री जी ले करके आये हैं। आपके माध्यम से दो बातें मंत्री जी से कहना चाहता हूं एक तो यह कि प्रदेश में सैकड़ों हजारों लोग आज बी0ए0, बी0एस-सी0, बी0काम0 के लिए बिना एडमीशन घूम रहे हैं उन लोगों को एडमीशन नहीं मिल रहा है कल इस विधान सभा में एक प्रश्न मेरा आया था और उसके बाद नियम-56 के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया लेकिन माननीय मंत्री जी ने उससे अनभिज्ञता जाहिर की मैं आपके माध्यम से पुनः माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जहां निजी विश्वविद्यालय खोलें वहां उन छात्रों की भी चिन्ता करें जो एडमीशन की तलाश में सड़कों पर घूम रहे हैं विश्वविद्यालय द्वारा जो 20 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जानी थी वह आदेश अभी कालेजों में, जनपदों में नहीं पहुंचा है। उसको पहुंचाया जाय और दूसरी बात हमारे शाहजहांपुर का एक विश्वविद्यालय ऐसा है जिसमें दसियों साल से एक स्थाई प्रिंसिपल नहीं है आप विश्वविद्यालय खोलें बहुत अच्छी बात है लेकिन जो विद्यालय चल रहे हैं जो महाविद्यालय चल रहे हैं उनमें कम से कम स्थायी प्राचार्य की व्यवस्था तो करा दें। पिछले पांच वर्ष से लगातार मैं हर सत्र में यह प्रश्न उठा रहा हूं और उत्तर क्या आता है कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय में रिक्त पदों के लिए प्रबन्ध तंत्र द्वारा विश्वविद्यालय के अनुमोदन से भरे जाने की कार्यवाही की जाती है इस सम्बन्ध में प्रबन्ध तंत्र को समय-समय पर निर्देशित किया गया है। मान्यवर, इतने बड़े विभाग के मंत्री और पांच साल से एक विद्यालय में प्रिंसिपल की व्यवस्था नहीं हो पायी। इतनी बार कहने के बाद, इतनी बार ध्यान आकर्षण करने के बाद मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दोनों बातों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय मंत्री जी से इस बात का उत्तर भी चाहता हूं और मान्यवर, जो संशोधन प्रस्ताव माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी द्वारा रखा गया है उस पर बल देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय राधा मोहन दास जी ने संशोधन दिया व कुछ सुझाव भी दिया है। जहां तक राज्य विश्वविद्यालयों की बात है अभी भी हम निजी विश्वविद्यालयों को खोल रहे हैं आधुनिक शिक्षा को लाना चाहते हैं उच्च शिक्षा को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं कल जो चर्चा की गई उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन एक बार पहले भी गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा चली थी एक तो माननीय अग्रवाल साहब को जानकारी दे दें कि विश्वविद्यालयों के चयन के बारे में एक्सीलेंस के बारे में हमने तीन-साढ़े तीन करोड़ का पैकेज गोरखपुर विश्वविद्यालय को दिया है। पिछले दिनों तमाम तरह की अव्यवस्था थी उसको किसी तरह से दूर किया गया किसी पार्टी को इंगित नहीं कर रहे हैं जबरदस्त दबाव हमारे ऊपर था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए माननीय दीन दयाल उपाध्याय का नाम बदल दिया जाय। आप कहिएगा आपको रिकार्ड दिखा देंगे। कांग्रेस के किसी बड़े नेता के नाम पर प्रस्तावित था हम कहना नहीं चाहते किसी तरह से रोका गया और बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि इस बार यह सरकार चाहे लोहिया का नाम हो चाहे दीन दयाल का नाम है एक भी जगह हम लोगों ने नाम परिवर्तन का काम नहीं किया। साढ़े चार साल में आपको यह मानना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने नाम परिवर्तन नहीं किया। जहां तक आपने केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बारे में कहा पहले भी चर्चा चली है भारत सरकार की तरफ से आपत्ति होती है कि उत्तर प्रदेश राज्य में चार केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जबकि अभी भी हिन्दुस्तान में ऐसे राज्य हैं जहां कि एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं हैं। माननीय ओम प्रकाश जी उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं सारी जानकारी आपको है आप भारत सरकार के बैठकों में जाते रहे हैं हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम अपने ही संशोधनों से विश्वविद्यालयों को और मजबूत कर सके अच्छी स्थिति ला सकें माननीय खन्ना जी ने जो चिन्ता व्यक्त की सही है और हमको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है फैजे आम महाविद्यालय है शाहजहांपुर का खन्ना जी भी कई बार मंत्री रहे हैं। लेकिन वहां प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं करा पाए 28 वर्ष से वहां पर नियमित प्रधानाचार्य नहीं है माइनारिटी संस्था होने के नाते उस प्रबन्ध समिति को अपना प्रधानाचार्य रखने का अधिकार है हम जब दबाव डालते हैं। हमने कहा कि प्रधानाचार्य पद अगर नहीं है तो हम वेतन नहीं देंगे। हमने वेतन रोक दिया। हमने वहां के अन्य अध्यापकों का वेतन रोक दिया। वहां पर बड़ा विरोध हुआ और सही भी है कि एक आदमी की वजह से अन्य का वेतन क्यों रुके ? उनके घर परिवार में खाने का संकट क्यों पैदा हो। उनको वेतन दिया जाने लगा। 6 महीने तक हमने उनका वेतन रोका था। आज भी जब हमने दोबारा कहा तो वहां से आता है कि चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई कोई व्यक्ति प्रधानाचार्य के योग्य नहीं मिला। हमारी मजबूरी है यह। हम केवल इतना कर सकते हैं और उतना हमने किया है। हम केवल मायनारिटी कमीशन को सूचित कर देते हैं। किस तरह से यह महाविद्यालय चल रहा है और जितनी हमारी सीमा है उतना हम आपके साथ हैं। आपने अभी इसके संशोधन के बारे में कहा। आपने प्रवेश के बारे में चिन्ता व्यक्त की। अभी कल भी हमने माननीय हुकुम सिंह जी और तमाम अन्य माननीय सदस्यों के प्रश्नों के जवाब में कहा है। हम कुलपति जी लोगों से बात कर रहे हैं। कहीं से उसकी मांग नहीं आई है। हम सब का प्रयास जैसे सदैव रहा है कि जुलाई, अगस्त में प्रवेश की समस्या न होने पाए। हर छात्र को प्रवेश मिल जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसका बन्दोबस्त किया जा रहा है। जहां तक रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के प्रस्ताव की बात है, एक प्वाइन्ट हम कहेंगे आगे नहीं कि यह बाराबंकी में है और पिछले 12-14 सालों से स्थापित है। इंजीनियरिंग में इसकी अपनी प्रतिष्ठा है। सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से भी लिया है और इंजीनियरिंग में इसके लोगों को एक्सीलेंस का एवार्ड मिला है। हमारा आपसे आग्रह है कि अग्रवाल साहब और खन्ना साहब ने जो संशोधन का प्रस्ताव दिया है उसको वापस ले लें और निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ाने में सहयोग करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। आपका कहना है कि केन्द्र सरकार नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा हो। इसका अर्थ है कि अगर माननीय मंत्री जी खड़े होकर यह कहें कि यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय बने और यह इसके लिये तैयार हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिये भेजा जाय और यह बात केन्द्र सरकार के ऊपर छोड़ दीजिये कि वे बनायें या न बनायें। वह मना कर देंगे तो यह उनकी समस्या है। उनकी समस्या को आप अपने ऊपर क्यों ओढ़ रहे हैं। मैं इसीलिये आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप सहमत हैं तो आप यहीं कहिये। आपका ही कहना है, आप ही कह रहे हैं, आप यही कहिये कि मैं प्रस्ताव भेजने को तैयार हूं अगर केन्द्र सरकार नहीं मानेगी तो मेरा कोई जिम्मा नहीं, मैं अभी अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लूंगा। अब आप अपनी बात से फिर रहे हैं। अध्यक्ष जी, अब आप देख लीजिये, यह अपनी बात से फिर रहे हैं। आपके सामने ही कहा है, आप गवाह हैं। आप ही इनको निर्देशित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे हैं ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अगर यह मान जाय तो मैं तैयार हूं। केवल इतना ही तो कहना है।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से 53 तक खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

हदौरी, देवा–लखनऊ रोड, जिला–बाराबंकी में श्री रामस्वरूप मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम 'श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम 2011' कहा जायेगा।

परिभाषायें

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) ''विद्यापरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् से है;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड और नियोजन बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से है;

(ग) ''कुलाधिपति'', ''प्रतिकुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति–कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, प्रति कुलाधिपति, कुलपति और प्रति–कुलपति से है;

(घ) ''सभा'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) ''निदेशक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी महाविद्यालय; संस्था, केन्द्र और स्कूल, के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसन्धान केन्द्र भी है;

(छ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित है;

(ज) ''कार्यपरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् से है;

(झ) ''विद्यमान महाविद्यालय'' का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(ञ) ''संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है।

(ट) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) ''संस्था'' ''महाविद्यालय'' का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो ;

(ड) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है ;

(ढ) ''अभिलेखों और प्रकाशन'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशन से है ;

(ण) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त

विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है ;

(त) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में नामांकित किसी छात्र से है;

(थ) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शोध संचालित करने सम्बन्धित शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने के लिये नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय ;

(द) ''कोषाध्यक्ष'', ''कुलसचिव'', ''उप कुलसचिव'', ''वित्त अधिकारी'', ''परीक्षा नियंत्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' या ''कुलानुशासक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है ;

(ध) ''ट्रस्ट'' का तात्पर्य भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन दिनांक 04–5–2010 को कार्यालय–उप निबंधक, (तृतीय) लखनऊ में पंजीकृत श्री रामस्वरूप मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, बी–987, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से है;

(न) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा–3 के अधीन स्थापित श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से है ;

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) हदौरी, देवा–लखनऊ रोड, जिला–बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट द्वारा 'श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

4–ट्रस्ट जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व हो ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण, करेगा जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए होगा ;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवनों में कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम पांच करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर की प्रतिस्थापना ;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिए परिनियम और अध्यादेशों का बनाया जाना ;

(च) ऐसी अन्य शर्तें; जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय ;

विश्वविद्यालय का

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के

आरम्भ

लिये ट्रस्ट को प्राधिकार–पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, ट्रस्ट से प्राप्त इस आशय के दस्तावेजों सहित कि, धारा 4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, सम्बन्धित असंदिग्ध शपथ–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार–पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य

6–विश्वविद्यालय के उद्देश्य, विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझें, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करने होंगे और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित को अभिवृद्धि के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा :–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकें ;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन,

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एंव नैतिकता की अंतःक्रिया;

विश्वविद्यालय की शक्तियां

7–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार और प्रयोग के निमित्त व्यवस्था करना ;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, जैव एवम् चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवम् सत्कार प्रबन्धन, विधि एवम् अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानविकी, दर्शन शास्त्र, कला इत्यादि विषयों हेतु भी परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर और उपग्रह केन्द्रों या केन्द्र संचालित करने अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना ;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर, एमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों को परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं का वापस लेना ;

(ड) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना ;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं है, को जैसा कि वह अवधारित करें, शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह–आचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य/प्रध्यापक पद और अन्य अध्यापन का शैक्षणिक पद संस्थति करना और उनके लिये नियुक्तियां करना;

(ज) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना ;

(ञ) देश और विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, केन्द्रों विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य शोध इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो ;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना ;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवम् कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रिया–कलापों के लिए प्रोत्साहित करना ;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझें ;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना ;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है ;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों को विहित करना, मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना ;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे ;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन करना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय ;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिये व्यवस्था करना ;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और विक्रय/पट्टा/ किराया के माध्यम से किसी चल या अचल सम्पत्ति का, अर्जन धारण, प्रबन्ध और निपटारा करना ;

(फ) समिति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति के सापेक्ष आडमान या बंधक के रूप में उधार लेना ;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसी अध्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यो, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) बहिर्वती अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना;

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हो।

प्रवेश और मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगें।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक यथास्थिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विधिक निकाय इत्यादि के दिशा–निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिये होगा

9–विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिये किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिये या वहॉ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय–समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

10—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

(क) कुलाधिपति

(ख) प्रति कुलाधिपति

(ग) कुलपति

(घ) प्रति कुलपति

(ङ) निदेशक/प्रधानाचार्य

(च) कुलसचिव

(छ) संकायाध्यक्ष

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष

(झ) परीक्षा नियंत्रक

(ञ) मुख्य कुलानुशासक

(ट) कोषाध्यक्ष

(ठ) वित्त अधिकारी और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

11—(1) ट्रस्ट के प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति ट्रस्ट को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रतिकुलाधिपति

12—(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष के लिये की जायेगी।

(2) प्रति कुलाधिपति, कुलाधिपति को दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रति—कुलाधिपति, कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13—(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् एवम् योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, कोई प्राधिकारी या व्यक्ति जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरूद्ध अपील कर सकता है। कुलाधिपति, कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों क निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी ट्रस्ट द्वारा अवधारित की जाय।

निदेशक/प्राचार्य

15–निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसे विहित की जाय।

कुलसचिव

16–(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करें, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करें और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(3) कुलसचिव कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् का पदेन सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

18–कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

19–(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20—छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाए।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :—

(क) सभा ;

(ख) कार्य परिषद् ;

(ग) विद्या परिषद् ;

(घ) वित्त समिति ;

(ङ) नियोजन बोर्ड ;

(च) संकाय बोर्ड ;

(छ) प्रवेश समिति ;

(ज) परीक्षा समिति और ;

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22—(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियॉ और कृत्य होंगे, यथा :—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय—समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ग) ऐसे किन्हीं मामलों के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देना जो उसे परामर्श हेतु संदर्भित किये जाय ;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्य परिषद्

23—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाए।

विद्या परिषद्

24—(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

वित्त समिति

25–(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

26–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किये जाएं।

संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27–संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगें जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28–(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये परिनियम बनाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय–समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरन्तरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबंध करना आवश्यक हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियॉ ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियॉ ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना का दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति ;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी है ;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाला सिद्धान्त ;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया ;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य–परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया ;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना ;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना ;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हो या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेंगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध मे परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात तद्नुसार, जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29–इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएंगें जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी मामले के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना ;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम ;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय ;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्रों के लिये प्रभार्य शुल्क ;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमांकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है ;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना ;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिये परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना ;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति ;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिये आवश्यक समझा जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य ;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तःनिरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक ;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हों ;

वार्षिक रिपोर्ट

30–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात सभा को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलना–पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगें और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की एक प्रति कार्यपरिषद् के प्रेक्षण सहित सभा के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

32–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो मामले को सन्दर्भित किये जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कुलपति के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

अपील करने का अधिकार

33–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चय को पलटने के लिए अपील कर सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

34–विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन, कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद् द्वारा ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन निश्चित किया जाए।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

35–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो, कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक, रूप से नामित या नियुक्त किया गया या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

36–जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

37–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त या नाम–निर्दिष्ट या सहयोजित किया था ऐसी अवधि के लिए जो नियुक्त या सहयोजित किया गया हो यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधि मान्यता

38–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

39—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित मामले और संव्यवहार के जहां मूल प्रस्तुत किया जाय, साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नया परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

41—(1) ट्रस्ट कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42—(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात :—

(क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान ; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

43—(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात :—

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान ;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अशंदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44–धारा 41, 42 एवं 43 के अधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्तें

45–विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46–विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा।

सूचना और अभिलेख मांग करने के लिए

47–(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करें जैसा कि राज्य सरकर द्वारा मांग की जाय।

राज्य सरकार की शक्तियां

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा–51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझें।

विश्वविद्यालय का विघटन

48–(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को यथाविहित रीति से पूरा न कर लें, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49–(1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या अस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50–(1) जहॉ राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो दो मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली में दुष्प्रबंधन या इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अभिकथित उल्लंघन की जांच के लिए नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाली सिविल न्यायालय की शक्ति होगी अर्थात :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पूर्वक परीक्षण करना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना ;

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय को निर्देश देगी की वह आवश्यक सुधार करें और इस अधिनियम के उपबन्धों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव दें।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधियां विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा न करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की अस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

51–राज्य सरकार समय–समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीतिगत मामलों पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

विघटन/मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियां/उत्तरदायित्व की प्रास्थिति

52—इस अधिनियम में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त अस्तियां और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है तथा विश्वविद्यालय के दायित्व भी है, ट्रस्ट से सम्बन्धित हो जायेंगें।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

53—(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहें वह उपान्तर, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे ;

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गयी है विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-53 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय जो इस विधेयक का उद्देश्य है उससे हर किसी को सहमति करनी होगी किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। सरकार यह स्वीकार कर रही है कि सरकार के कार्यकाल में वर्तमान प्राविधानों और वैधानिक व्यवस्थाओं के रहते बलात्कार बढ़ा है और सरकार कुछ नहीं कर पाई है। खुलेआम यह विधेयक इस मान्यता को स्थापित करता है कि बलात्कार स्त्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार की घटनायें पहले नियंत्रित हुआ करती थीं इस सरकार के पांच साल के कार्यकाल में अब इस सरकार के लिए यह संभव नहीं रह गया है कि इन्हीं नियमों और विधानों और कानूनों के अन्तर्गत उस पर नियंत्रण कर सके। इसलिए सरकार चाहती है कि कानूनों को थोड़ा कड़ा कर दिया जाए। हम सब मानवीय आधार पर काम करने वाले लोग हैं। सरकार अगर अपने को वर्तमान कानूनों के सामने निःसहाय मानकर उनको और कड़ा करना चाहती है तो हम सब सरकार के इस कदम के साथ हैं। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जब तक यह सरकार है कम से कम इस प्रदेश में बलात्कार और दुर्व्यवहार स्त्रियों के साथ रुके। इस सरकार के जाने के बाद जो कानून है उससे सब निर्धारित हो जाएगा क्योंकि सत्ता के रहते अगर कोई कानून व्यवस्था सही तरीके से चलाई जाए तो अपने देश के कानून बहुत प्रभावी है। जो बात मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्राविधान है जब भी कोई विधेयक संशोधन के लिए लाते हैं तो सरकार का यह दायित्व होता है कि वह मूल अधिनियम की प्रति मा0 सदस्यों को बांटे जिससे वह पुराने अधिनियम का अध्ययन कर सके और जो परिवर्तन आपने किया है उन परिवर्तनों का पुराने अधिनियम के मुकाबले में तुलनात्मक अध्ययन करके एक विश्लेषण कर सकें। मुझे इस बात का दुख है कि इस अधिनियम के तहत जो मूल अधिनियम प्रस्तुत किया गया है हम परिवर्तन तो इसकी तीन-चार धाराओं में कर रहे हैं लेकिन जो मूल अधिनियम रखा गया है वह इसकी सिर्फ एक धारा-354 के संदर्भ में है। अन्य जो 235, 437 और 439 की धारायें हैं उसका मूल अधिनियम साथ में टैग हम लोगों को करके नहीं दिया गया है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह एक विसंगति है मैं आपसे आग्रह करूंगा दुबारा जब यह सरकार विधेयक को प्रस्तुत करे तो यह चेक किया जाना चाहिए कि जो वैधानिक दायित्व विधेयकों को सदन में लाने के पहले पूरे करने होते हैं वह दायित्व अवश्य पूरे किये जाएं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो प्राविधान आपने इतने कड़े किये हैं जो 337 की धारा-1 में आपने परिवर्तन किया और इसे नान रिलायबुल बनाया हम सब इससे सहमत हैं लेकिन आप 337 का पूरा अध्ययन करें तो उसमें सिर्फ एक धारा नहीं है। उसमें तकरीबन सात-आठ धारायें हैं और उसकी धारा नम्बर-6 क्या है मैं आपके सामने पढ़ देता हूं वह धारा यह कहती है कि अगर इस प्रकार के कोई मुकदमें मा0 न्यायालय में चल रहे हैं और दो महीने के अन्दर ट्रायल समाप्त नहीं होती है तो आरोपित को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मंत्री जी मैं इसको बहुत साफ तरह से समझा रहा हूं चूंकि आपने इसके पहले परिवर्तन में लिखा है कि भारतीय दण्ड संहिता 376

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अधीन न्यायाधीश यथा संभव 6 महीने के अन्दर अपराधों का विचारण समाप्त करेगा। अर्थात् आप मान रहे हैं कि ट्रायल 6 महीने तक चलने की आपने व्यवस्था स्वयं इस कानून में की है। धारा-437 की उपधारा 6 यह कहता है कि ट्रायल अगर 2 महीने के अन्दर समाप्त न हो जाए तो आरोपित को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब प्रश्न यह है कि जब आपने स्वयं 6 महीने की छूट दी है और दो महीने में ट्रायल समाप्त नहीं होगा तो आप धारा उपधारा-1 में जरूर कह सकते हैं कि जमानत नहीं होगी लेकिन इसकी उपधारा 6 के तहत क्योंकि ट्रायल दो महीने के अन्दर पूरा नहीं हुआ है इसलिए उसकी स्वतः जमानत हो जाएगी जब तक कि मजिस्ट्रेट लिखित रूप से यह एक्सप्रेस नहीं करे कि वह क्यों इसकी जमानत क्यों नहीं चाहता है। अर्थात् जो परिवर्तन आप लाना चाहते हैं वह निष्प्रभावी होगा और आधा अधूरा होगा इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 337 की धारा-1 में जो परिवर्तन किया है उसके साथ-साथ 337 उपधारा-6 में भी परिवर्तन करते हुए इस अधिनियम को पुनः सदन के सामने लाएं हम सब आपके साथ होंगे इस अधिनियम को पारित करने में आप इसे आधा अधूरा पारित करेंगे तो भी हमें एतराज नहीं होगा लेकिन यह इफेक्टिव नहीं होगा और आपके शासन प्रशासन की असफलता को पुनः सिद्ध करेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने मूल भावना का समर्थन व्यक्त किया है प्रदेश में हमारी सरकार की यह चाहत है कि अपराधविहीन प्रदेश हो और विशेष रूप से महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं, उनके साथ जो अपराध हो रहे हैं, वह बन्द हों और उसी कारण मान्यवर, इसके माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-235, 437 एवं 439 तथा प्रथम परिशिष्ट में निम्नलिखित संशोधन किया जा रहा है :-

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की मूल धारा-235 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् ''235-क-भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-376 के अधीन न्यायाधीश यथा संभव छः माह की अवधि के भीतर अपराधों का विचारण समाप्त करेगा।'' मान्यवर, मूल अधिनियम की धारा-437 में, उपधारा (1) में खण्ड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् ''(i-क) यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसा व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन या दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी या जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-376 के अधीन बलात्कार के किसी अपराध का दोषी है तो वह इस प्रकार छोड़ा नहीं जायेगा।''

मान्यवर, इसी प्रकार मूल अधिनियम की धारा-439 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात् ''439-क-इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को,

(क) जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-376 के अधीन अपराध का अभियुक्त या अपराध कारित करने का संदिग्ध होने के कारण गिरफ्तार किया जाता है या न्यायालय के समक्ष उपसंजात होता है या लाया जाता है, या

(ख) जो खण्ड (क) में यथा विनिर्दिष्ट अपराध को कारित करने के अभियोग पर गिरफ्तार किया गया है और जो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत पर छोड़े जाने के लिए निर्देश के लिए आवेदन करता है।

निम्नलिखित आधारों में से एक या अधिक के सिवाय यथा स्थिति जमानत पर नहीं छोड़ा जायेगा या जमानत पर छोड़े जाने का निर्देश नहीं जायेगा, अर्थात् :-

(1) यह कि न्यायालय, जिसमें उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय सम्मिलित है, का अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि ऐसा व्यक्ति खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का दोषी नहीं है,

(2) यह कि ऐसा व्यक्ति सोलह वर्ष से कम आयु का या बीमार या अशक्त व्यक्ति है।

मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-354 से सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् (1) 354 (2) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। (3) दो वर्ष के लिये कारावास या जुर्माना या दोनों। (4) संज्ञेय (5) अजमानतीय (6) कोई मजिस्ट्रेट।

धारा-354 के अपराध को संज्ञेय और अजमानतीय बनाया गया है। मान्यवर, यह विधेयक सदन से पारित होने के बाद महामहिम श्री राष्ट्रपति के अनुदेश हेतु विधायी विभाग के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जायेगा तो मान्यवर, यह जो व्यवस्था की जा रही है, इससे लोग अपराध करने से भयभीत होंगे और यह सख्त उपाय है। मेरी यह राय है कि माननीय डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी जब इसकी मूल भावना से सहमत हैं तो निश्चित रूप से वे जो संशोधन लाए हैं, चूंकि यह प्रदेश सरकार का एक क्रान्तिकारी कदम है, उस संशोधन को वापस ले लें और इसको पास करने की कृपा करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

हम अपने संशोधन पर बल दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

अधिनियम संख्या-2 सन् 1974 में नयी धारा-235-क का बढ़ाया जाना

2-उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे एतद्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, में धारा-235 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"235-क-भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-376 के अधीन न्यायधीश यथासंभव छः माह की अवधि के भीतर अपराधों का विचारण समाप्त करेगा।"

धारा-437 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-437 में, उपधारा (1) में खण्ड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(i-क) यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसा व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी भांति के कारावास-

(क) जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन या दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, या

(ख) जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन हो सकेगी और जुर्माने से भी,

दण्डनीय भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-376 के अधीन बलात्संग के किसी अपराध का दोषी है तो वह इस प्रकार छोड़ा नहीं जायेगा।"

नयी धारा-439-क का बढ़ाया जाना

4-मूल अधिनियम की धारा-439 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

439-क-इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को,

(क) जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-376 के अधीन अपराध का अभियुक्त या अपराध कारित करने का संदिग्ध होने के कारण गिरफ्तार किया जाता है या न्यायालय के समक्ष उपसंजात होता है या लाया जाता है, या

(ख) जो, खण्ड (क) में यथा विनिर्दिष्ट अपराध को कारित करने के अभियोग पर गिरफ्तार किया गया है और जो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत पर छोड़े जाने के लिए निर्देश के लिए आवेदन करता है,

निम्नलिखित आधारों में से एक या अधिक के सिवाय यथा स्थिति जमानत पर नहीं छोड़ा जायेगा या जमानत पर छोड़े जाने का निर्देश नहीं दिया जायेगा, अर्थात् :-

(i) यह कि न्यायालय, जिसमें उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय सम्मिलित है, का अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि ऐसा व्यक्ति खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का दोषी नहीं है,

(ii) यह कि ऐसा व्यक्ति सोलह वर्ष से कम आयु का या बीमार या अशक्त व्यक्ति है,''

प्रथम अनुसूची का संशोधन

5-मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-354 से सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6
354	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में एक ही नाम से (शोभित विश्वविद्यालय) दो विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो विधेयक आने वाला है यह विधेयक चूंकि सदन में पुरःस्थापित हो चुका था सदन की सम्पत्ति बन चुका है। लेकिन मान्यवर, एक बहुत बड़ी विसंगति है उस विसंगति को मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्वविद्यालय एक नहीं दस बनें। सहारनपुर में विश्वविद्यालय बने स्वागत योग्य है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत में बने वह भी स्वागत योग्य है। लेकिन आपत्ति यह है कि हमें यह सोचना चाहिए कि क्या एक नाम से दो विश्वविद्यालय स्थापित हो सकते हैं। मैंने आपके पास इण्टरनेट की एक कापी भेजी है। इसकी कापी मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास भेज रहा हूं। मान्यवर, मेरठ में शोभित युनिवर्सिटी, मेरठ, बी0 टेक0, एम0टेक, एम0 फार्मा, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, एम0 फिल0 पी0एच0डी0 एडमीशन 2010। मान्यवर, यह शोभित युनिवर्सिटी के नाम से पांच साल से विश्वविद्यालय चल रहा है। मैंने बाईपास पर बोर्ड लगा देखा है। इसलिए मेरी समझ में आया कि शोभित विश्वविद्यालय तो चल रहा है। फिर मैं लायब्रेरी में यह देखने के लिए गया कि क्या इस विश्वविद्यालय का कभी कोई कानून पास हुआ है। मैंने 10 साल के रिकार्ड देखें। कोई विधेयक भी पास नहीं हुआ लेकिन विश्वविद्यालय है। मैंने इण्टरनेट से कापी निकलवाकर आपके पास भी भेज दी। अगर हम इस कानून को बनाते हैं और शोभित विश्वविद्यालय के नाम से दूसरा विश्वविद्यालय बनता है तो यह बहुत बड़ी विसंगति होगी और एक उपहास का कारण बन जाएगा। मैं इस सदन का सदस्य हूं और मैं बहुत खेद के साथ इस बात को ला रहा हूं और मुझे पता है कि सहारनपुर में बनेगा, बहुत अच्छी बात होगी लेकिन साथ-साथ हम यह भी देखें कि कोई ऐसा काम न करें जो गलत हो। वहां पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है उसमें एडमीशन चल रहे हैं। हर साल एडमीशन होते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

इसका बिल पास है ?

श्री हुकुम सिंह-

नहीं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इसका मतलब कि यह अवैध रूप से चल रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

और यह पांच साल से चल रहा है मेरी जानकारी में था। मैंने आपके संज्ञान में ला दिया। मान्यवर, आप संरक्षक हैं हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी भी इस बात से सहमत होंगे। मान्यवर, मैं पुस्तकालय में गया और फिर ढाई घण्टे इण्टरनेट पर बैठकर इसको निकाला। हो सकता है कि विभाग की जानकारी में यह न आया हो। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आज इस मद को स्थगित करें और इस पर विचार करें कि कहां कमी आयी है क्योंकि दो विश्वविद्यालय एक नाम से बनायेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। बाकी आप जानें।

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

पहले इसको प्रस्तुत कर दें फिर थोड़ी सी जानकारी है वह आपको बता दें।

श्री हुकुम सिंह-

इसको प्रस्तुत न करिये। क्योंकि यह प्रस्तावित हो चुका है। मेरे संज्ञान में आया तो मैं आपकी जानकारी में ले आया।

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 हुकुम सिंह जी जानकार हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं। हम लोग तमाम इनसे लड़ते रहे हैं, उनकी जानकारी ठीक है। हमारे पास जो जानकारी है, शोभित विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में मेरठ में काम कर रहा है। यह शोभित विश्वविद्यालय दूसरा है और सहारनपुर में गंगोहनकुर में प्रस्तावित है।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, पढ़ें तो सही, क्या इसमें डीम्ड विश्वविद्यालय लिखा है। वो विश्वविद्यालय अभिलेखों में, डाक्यूमेन्ट में विश्वविद्यालय है, डीम्ड विश्वविद्यालय तो है ही नहीं। यदि वह डीम्ड भी है तो वह विश्वविद्यालय तो है।

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, हमने तो इसको इसलिए लिया है कि हमको इसका थोड़ा बैकग्राउन्ड बताना पड़ता है तो उसके पास शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक कामों को पहले से कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में और आवेदन में दिया भी है कि वह डीम्ड विश्वविद्यालय है। पहले मेरठ में यह कोई ''नाइस'' करके कालेज चलता रहा है फिर उसके बाद वह डीम्ड हुआ है। ये वाला सहारनपुर का एक अलग प्रस्ताव है और मा0 हुकुम सिंह जी ने जो दिया है, इस तथ्य की जानकारी पूरी तौर पर करा ली जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, ये इतनी बड़ी अनियमितता होने जा रही है, यदि ये पास हो जायेगा।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, ये दोनों अलग-अलग जनपदों के हैं और अलग नाम हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने आपके पास में डाक्यूमेन्ट दिया है, उसमें डीम्ड नहीं है, उसमें केवल विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपसे अनुरोध करता हूं ये प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। ठीक है, चलेगा विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। सदन का सदस्य होने के नाते मैं आपके संज्ञान में लाया हूं। इसके बावजूद भी आप संख्या बल के आधार पर पास कराना चाहें तो मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा। कम से कम जो बात तार्किक हो, जिस बात में कानूनी वजन हो, बात ऐसी हो कि कल को हमारा मजाक न बने। एक साधारण सदस्य होने के नाते मैं आपकी जानकारी में लाया हूं और यह सम्भव नहीं है कि एक ही नाम के दो विश्वविद्यालय बन जायें, मान्यवर, ये सम्भव ही नहीं है। ये कैसे संभव होगा।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मा0 हुकुम सिंह जी, हम आपकी बात स्वीकार करते हैं लेकिन ये मेरठ में चल रहा है, डीम्ड विश्वविद्यालय है। अगर ये केवल यूनिवर्सिटी लिखता है तो ये एक अलग पहलू है कार्यवाही का। लेकिन ये जो प्रस्तावित है, ये दूसरा विषय है।

श्री हुकुम सिंह-

अगर मान लीजिये डीम्ड भी है तो है तो विश्वविद्यालय।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

डीम्ड में, डीम्ड मान्य होता है, विश्वविद्यालय सिर्फ विश्वविद्यालय होता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि उसको विश्वविद्यालय मान लिया, डीम्ड का मतलब यह है। विश्वविद्यालय मान लेने के बाद वह विश्वविद्यालय की डिग्री दे रहा है, डिग्री तो विश्वविद्यालय की दे रहा है।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

वह डीम्ड की देता रहा है लेकिन अब सहारनपुर में अलग एक यूनिवर्सिटी बन रही है। ये दोनों अलग-अलग हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यदि उच्च शिक्षा मंत्री जी की जानकारी में होते हुए भी यदि ये प्रस्ताव ले आये, यदि ये जानकारी थी जो पहले कार्यवाही करते और उसको समाप्त कराते और जानकारी के बावजूद भी ले आये, मैंने जो प्रश्न व्यवस्था के रूप में उठाया है। क्या कहीं दुनिया में पूरे विश्व में अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में, आस्ट्रेलिया में, भारतवर्ष में एक मात्र उदाहरण ये होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की विधान सभा के माध्यम से एक ही नाम से, एक ही संस्था के दो विश्वविद्यालय बनने जा रहे हैं। कहीं भी इण्टर कालेज भी दो नाम से नहीं हैं, डिग्री कालेज भी दो नाम से नहीं हैं। क्या ये चीज संभव है ? ये तो उच्च शिक्षा का मजाक बनाया जा रहा है। बाकी आप की इच्छा है।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, सारा प्रस्ताव आपके पास है और जो कागजात, जो डाक्यूमेन्ट हैं, ये हमने पहले ही कहा कि डीम्ड विश्वविद्यालय मेरठ में है।

श्री हुकुम सिंह-

जो मैंने कागज दिया है उसमें कहीं डीम्ड विश्वविद्यालय लिखा है। ये कागज आपके पास भी है।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरठ में यह 1996 से चल रहा है। मा0 अध्यक्ष जी यह एक नाम से दो विश्वविद्यालय नहीं हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, एक बात आप स्पष्ट कर दें कि ये दोनों परिस्थितियां और जो तथ्य मा0 हुकुम सिंह जी, आपके संज्ञान लाये हैं, वह तथ्य मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के बहुत अच्छी तरह से संज्ञान में हैं और आप यह स्वीकार कर लें कि सब कुछ संज्ञान में लेकर मैं इस तथ्य को आप लोगों के संज्ञान में ला रहा हूं।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मा0 ओम प्रकाश सिंह जी सुनिये, वह डीम्ड विश्वविद्यालय तमाम अन्य विश्वविद्यालयों की तरह से एम0बी0ए0, इंजीनियरिंग आदि कोर्स पिछले 12-15 सालों से चला रहा है और उसका एक यूनिट सहारनपुर में गंगोह में उसके अपने गांव में चल रहा है, जिसको वह यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहा है, उसने 50 एकड़ जमीन भी दी है और अन्य मानक भी पूरा करता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमें इस पर आपित्त नहीं है, हम तो चाहते हैं कि वह एक नहीं 4 विश्वविद्यालय बनाये, उस पर हमें आपत्ति नहीं है, हमें तो खुशी होगी लेकिन आप देखें क्या एक नाम से अलग-अलग स्थानों पर दो विश्वविद्यालय बना सकते हैं ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मा0 एक डीम्ड विश्वविद्यालय है और एक विश्वविद्यालय बन रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह हो सकता है क्या, दुनिया में कहीं पर है क्या ? एक ही नाम के दो विश्वविद्यालय कहीं पर हो तो बता दें ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, क्यों नहीं हो सकता है।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी आप कहेंगे कि फिर क्यों नहीं करते हैं, अभी हम लोग इस बात पर चिन्तित हैं कि कोई मद्रास से, कोई तमिलनाडु से, कोई कर्नाटक से है, यूनिवर्सिटी वहां की है और हमारे यहां शाखाएं खुली है। यूनिवर्सिटी एक है लेकिन पूरे देश में 200 शाखाएं खोल दे रही है।

श्री हुकुम सिंह-

आप भी तो शाखा ही खोल रहे हैं।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, यहां पर ऐसा नहीं है हम तो इस शाखा खुलने के विरोध में है। इसका मामला अलग है, इसमें न्याय विभाग से मत लिया जायेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें हम लोगों को आशंका यह है वह एडमीशन दोनों जगह लेगा और डिग्री एक ही नाम से देगा। इस तरह से इसका दुरुपयोग होगा और आप इनको रोक नहीं पायेंगे।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी वह दोनों जगह अलग-अलग एडमीशन लें, यह हम अपने अनुबन्ध में डाल देंगे। जब हम अनुबन्ध करेंगे तो उसमें यह डाल देंगे कि दोनों जगह अलग-अलग विश्वविद्यालय चलें और अलग-अलग एडमीशन लें, एक मेरठ में चलेगा और एक सहारनपुर में चलेगा। इस बात को हम अपने अनुबन्ध में डाल देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने एक बिल्कुल संवैधानिक व्यवस्था उठाई है और मान्यवर, यह एक उपहास होने जा रहा है। मैं इस बात का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं कि विश्वविद्यालय न खुले मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय खुले, लेकिन यह एक बहुत ही असमंजस की स्थिति होगी कि एक ही नाम के दो विश्वविद्यालय होंगे और मान्यवर, हम क्या भेद करेंगे इस शोभित विश्वविद्यालय के नाम से एक शोभित विश्वविद्यालय यहां हैं और एक शोभित विश्वविद्यालय वहां हैं या तो उसको आप अशोभित कर दीजिए।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 अध्यक्ष जी यह कहां से रोक है कि एक ही नाम से दो स्थानों पर दो विश्वविद्यालय नहीं हो सकते हैं। मान्यवर, कई ऐसे हैं, जैसे छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय कानपुर और छत्रपतिशाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, दूसरा मान्यवर, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर और दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा। अगर यह दोनों अलग-अलग स्थान पर हैं तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है।

श्री हुकुम सिंह-

वह तो चिकित्सा विश्वविद्यालय है। ऐसा कहीं पर नहीं है। हर जगह पर अलग-अलग विश्वविद्यालय है।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

हमने आपसे निवेदन किया है कि अब इसका अनुबन्ध लगा दिया जायेगा। अलग-अलग जिलों में ये विश्वविद्यालय है। अलग-अलग वहां पर एडमीशन होगा, लेकिन संस्था एक है। यदि मान्यवर, अगर आपकी अनुमति हो तो हम प्रस्ताव रखें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस पर अपनी व्यवस्था दें, यह व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें कुछ तो आपको कहना पड़ेगा मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

इस संदर्भ में मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि एक डीम्ड विश्वविद्यालय इस नाम से चल रहा है, शोभित के नाम से चल रहा है लेकिन वह एक डीम्ड विश्वविद्यालय है।

श्री हुकुम सिंह-

आपके सामने कागज दिया है मैंने, उसे पढ़ लीजिये, उसमें डीम्ड कहां लिखा है।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

अगर वह डीम्ड नहीं लिख रहा है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री हुकुम सिंह-

चलिए यही कहिये आप।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

हम कह रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

तो अगर क्यों लगा रहे हैं ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

अलग वह संस्था है, अगर डीम्ड केवल है।

श्री हुकुम सिंह-

अगर क्यों कह रहे हैं आप, डाक्यूमेन्ट दे दिया मैंने आपको आप उसे देख लें।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

आपका डाक्यूमेन्ट हमारे हाथ में है।

श्री हुकुम सिंह-

तो क्या है उसमें ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

उस पेपर पर लिख करके इसकी विश्वसनीयता की जांच होगी, वह डीम्ड अगर है, केवल विश्वविद्यालय लिखता है तो जांच का विषय है, लेकिन इस प्रस्ताव से तो इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

प्रस्ताव से इसका सम्बन्ध कैसे नहीं है ? बिल्कुल इसका सम्बन्ध है।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

ऐसा थोड़े है कि इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह अगर डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है और संचालित है तो आप इसको दिखवा लीजियेगा कि यह किस तरह से संचालित हो रहा है। यह विषय बन सकता है कि अगर डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है और चल रहा है विश्वविद्यालय तो यह जांच का विषय है, इसको दिखवा लीजियेगा।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

ठीक है मान्यवर, मैं इसको दिखवा लूंगा और इसकी पूरी जानकारी परसों तक सदन के उठने तक आपको दे देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

आप वहां पर जा करके देख लीजिये कि वहां विश्वविद्यालय लिखा हुआ है कि डीम्ड लिखा हुआ है वहां पर।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

अब हम वहां पर पढ़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास विभाग से जो जानकारी आयेगी, वह हम आपको दे देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

आप वहां पढ़ने नहीं जा रहे हैं, आपके पढ़ने के लिए मैंने यहां भी दे दिया। हंसने की बात नहीं है, हंस तो मैं भी सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उसको दिखवा लिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने इन्हें प्रमाणित डाक्यूमेण्ट दिया है, अब यह दिखवा क्या लेंगे डीम्ड है कि नहीं है। आपके सामने डाक्यूमेण्ट हैं इसमें डीम्ड नहीं है, इण्टरनेट से मैंने निकलवाया है मान्यवर, इस पर डीम्ड नहीं लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि परसों मैं आपको अवगत करा दूंगा परिस्थिति के सन्दर्भ में। यह कह रहे हैं कि 12 तारीख को मैं अवगत करा दूंगा, माननीय मंत्री जी यह परिस्थिति स्पष्ट कर दीजियेगा 12 तारीख को कि क्या स्थिति उसकी है।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी मान्यवर।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार शिक्षा के प्रति बिल्कुल गम्भीर नहीं है, यह शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है और हमारे प्रश्नों का कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दे रही है, इसलिये इसके विरोध में हम सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात श्री ओम प्रकाश सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन का त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिये।

शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-53 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

गंगोह, तहसील–नकुड, जिला–सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर एजुकेशन सोसायटी ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम 1–यह अधिनियम 'शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम 2011' कहा जायेगा।

परिभाषायें 2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) ''विद्यापरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् से है;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड और नियोजन बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से है;

(ग) ''कुलाधिपति'', ''प्रतिकुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति–कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, प्रति–कुलाधिपति, कुलपति और प्रति–कुलपति से है;

(घ) ''सभा'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) ''निदेशक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी महाविद्यालय; संस्था, केन्द्र और स्कूल, के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसन्धान केन्द्र भी है;

(छ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित है;

(ज) ''कार्यपरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् से है;

(झ) ''विद्यमान महाविद्यालय'' का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(ञ) ''संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है।

(ट) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/ छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) ''संस्था'' ''महाविद्यालय'' का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो ;

(ड) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है ;

(ढ) ''अभिलेखों और प्रकाशन'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशन से है ;

(ण) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है ;

(त) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में नामांकित किसी छात्र से है;

(थ) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शोध संचालित करने सम्बन्धित शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने के लिये नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय ;

(द) ''कोषाध्यक्ष'', ''कुलसचिव'', ''उप कुलसचिव'', ''वित्त अधिकारी'', परीक्षा नियंत्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' या ''कुलानुशासक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है ;

(ध) ''ट्रस्ट'' का तात्पर्य भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन दिनांक 08–02–2010 को कार्यालय उप निबंधक, जिला–नार्थ–वेस्ट नई दिल्ली, में रजिस्ट्रीकृत नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर ऐजुकेशन सोसायटी ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी टावर, इंस्टीट्यूशनल एरिया, पाकेट–बी, मयूर विहार फेज–।।, नई दिल्ली से है ;

(न) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा–3 के अधीन स्थापित शोभित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से है ;

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) गंगोह, तहसील–नकुड, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट द्वारा शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्ते

4–ट्रस्ट जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा, अर्थात :–

(क) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व हो ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगा जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए होगा ;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम पांच करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर की प्रतिस्थापना ;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिए परिनियम और अध्यादेशों का बनाया जाना ;

(च) ऐसी अन्य शर्तें; जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय ;

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिये ट्रस्ट को प्राधिकार पत्र

(2) राज्य सरकार, ट्रस्ट से प्राप्त इस आशय के दस्तावेजों सहित कि, धारा 4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, सम्बन्धित असंदिग्ध शपथ–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी करेगी। जारी किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6–विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझें, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित को अभिवृद्धि के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा :–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी है, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकें ;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन,

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एंव नैतिकता की अंतःक्रिया;

विश्वविद्यालय की शक्तियां

7—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय—समय पर अवधारित करें, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार और प्रयोग के निमित्त व्यवस्था करना ;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, जैव एवम् चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवम् सत्कार प्रबन्धन, विधि एवम् अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानविकी, दर्शन शास्त्र, कला इत्यादि विषयों हेतु भी परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर और उपग्रह केन्द्रों या केन्द्र संचालित करने अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना ;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर, एमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों को परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं का वापस लेना ;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना ;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं है, को जैसा कि वह अवधारित करें, शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह—आचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य/प्रध्यापक पद और अन्य अध्यापन का शैक्षणिक पद संस्थति करना और उनके लिये नियुक्तियॉ करना;

(ज) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियॉ करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना ;

(ञ) देश और विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, केन्द्रों विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य शोध इकाईयो की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो ;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना ;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवम् कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहित करना ;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझें ;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना ;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है ;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों को विहित करना, मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना ;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे ;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन करना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय ;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिये व्यवस्था करना ;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और विक्रय/पट्टा/ किराया के माध्यम से किसी चल या अचल सम्पत्ति का, अर्जन धारण, प्रबन्ध और निपटारा करना ;

(फ) समिति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति के सापेक्ष आडमान या बंधक के रूप में उधार लेना ;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसी अध्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यो, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) बहिर्वती अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना;

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हो।

प्रवेश और मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगें।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक यथास्थिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विधिक निकाय इत्यादि के दिशा–निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिये होगा

9–विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिये किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिये या वहॉ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठयक्रम में छात्रो के प्रवेश पर आरक्षण समय–समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति

(ख) प्रति कुलाधिपति

(ग) कुलपति

(घ) प्रति कुलपति

(ङ) निदेशक / प्रधानाचार्य

(च) कुलसचिव

(छ) संकायाध्यक्ष

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष

(झ) परीक्षा नियंत्रक

(ञ) मुख्य कुलानुशासक

(ट) कोषाध्यक्ष

(ठ) वित्त अधिकारी और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाये।

कुलाधिपति

11–(1) ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति ट्रस्ट को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रतिकुलाधिपति

12–(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष के लिये की जायेगी।

(2) प्रति कुलाधिपति, कुलाधिपति को दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रति–कुलाधिपति, कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् एवम् योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, कोई प्राधिकारी या व्यक्ति जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरूद्ध अपील कर सकता है। कुलाधिपति, कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी समिति द्वारा अवधारित की जाय।

निदेशक या प्राचार्य

15–निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसे विहित की जाय।

कुलसचिव

16–(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करें और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(3) कुलसचिव कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् का पदेन सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

18–कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

19–(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20–छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाए।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगें :–

(क) सभा ;

(ख) कार्य परिषद् ;

(ग) विद्या परिषद् ;

(घ) वित्त समिति ;

(ङ) नियोजन बोर्ड ;

(च) संकाय बोर्ड ;

(छ) प्रवेश समिति ;

(ज) परीक्षा समिति और ;

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22–(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियॉ और कृत्य होंगे, यथा :–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ग) ऐसे किन्हीं मामलों के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देना जो उसे परामर्श हेतु संदर्भित किये जाय ;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्य परिषद्

23–(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाए।

विद्या परिषद्

24–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

वित्त समिति

25–(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

26–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किये जाएं।

संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27–संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगें जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28–(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये परिनियम बनाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय–समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरन्तरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबंध करना आवश्यक हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियॉ ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियॉ ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना का दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति ;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी है ;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाला सिद्धान्त ;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया ;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरूद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्यपरिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया ;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना ;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना ;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना ;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हो या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेंगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्यपरिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात तद्नुसार, जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएंगें जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी मामले के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगें, अर्थात :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण—पत्र के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना ;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम ;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण—पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियॉ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय ;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण—पत्रों के लिये प्रभार्य शुल्क ;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमांकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है ;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना ;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिये परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना ;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति ;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिये आवश्यक समझा जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य ;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तःनिरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक ;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हो ;

वार्षिक रिपोर्ट

30—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात सभा को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलना—पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगें और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की एक प्रति कार्यपरिषद् के प्रेक्षण सहित सभा के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

32—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो मामले को सन्दर्भित किये जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कुलपति के आदेश के विरूद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

अपील करने का अधिकार

33–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चय को पलटने के लिए अपील कर सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

34–विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन, कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद् द्वारा ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन निश्चित किया जाए।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

35–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो, कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक, रूप से नामित या नियुक्त किया गया या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

36–जहॉ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

37–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त, या नाम निर्दिष्ट या सहयोजित किया था ऐसी अवधि के लिए जो नियुक्त या सहयोजित किया गया हो यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधि मान्यता

38–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

39–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित मामले और संव्यवहार के जहां मूल प्रस्तुत किया जाय, साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नया परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

41–(1) ट्रस्ट कम से कम दस करोड़ रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42–(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात :–

(क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान ; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

43–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात :–

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान ;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अशंदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44–धारा 41, 42 एवं 43 के अधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्तें

45—विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46—विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा।

सूचना और अभिलेख मांग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां

47—(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करें जैसा कि राज्य सरकर द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा—51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझें।

विश्वविद्यालय का विघटन

48—(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को यथाविहित रीति से पूरा न कर लें, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49—(1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या अस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50—(1) जहॉ राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो दो मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली में दुष्प्रबंधन या इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जॉच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अभिकथित उल्लंघन की जांच के लिए नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाली सिविल न्यायालय की शक्ति होगी अर्थात :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पूर्वक परीक्षण करना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना ;

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय को निर्देश देगी की वह आवश्यक सुधार करें और इस अधिनियम के उपबन्धों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव दें।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधियॉ विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा न करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की अस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

51–राज्य सरकार समय–समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीतिगत मामलों पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

विघटन/मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियां/उत्तरदायित्व की प्रास्थिति

52–इस अधिनियम में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त अस्तियां और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है तथा विश्वविद्यालय के दायित्व भी है, ट्रस्ट से सम्बन्धित हो जायेंगे।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

53–(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहें वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गयी है विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-53, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री इरफान सोलंकी, सदस्य, विधान सभा के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कानपुर से प्राप्त सूचना से सदन को अवगत कराना

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल आपके निर्देश पर यह कहा था कि माननीय विधायक श्री इरफान सोलंकी जी के बारे में वस्तुस्थिति से मैं कल अवगत करा दूंगा। तो मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अवगत कराना चाहता हूं अगर आपकी अनुमति हो।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री लालजी वर्मा-

दिनांक 15-6-2011 को दिन में लगभग 11.30 बजे, मा0 विधायक श्री इरफान सोलंकी अपने 20-25 समर्थकों व कुछ पत्रकार व कुछ फोटोग्राफर्स के साथ प्रबन्ध निदेशक, केस्को के कार्यालय

में उस समय पहुंचे जब वे सरकारी कार्य कर रही थी। प्रबन्ध निदेशक कक्ष के बाहर तैनात गार्ड ने मा0 विधायक जी से यह कहा कि वह अन्दर जाकर उनके आने की सूचना दे रहा है, जिसको सुनकर मा0 विधायक जी एवं उनके समर्थक उत्तेजित हो गये तथा शोरगुल, गाली-गलौज तथा कक्ष के बाहर तैनात गार्ड को धक्का देते हुए जबरन प्रबन्ध निदेशक केस्को के कक्ष में घुस गये। शोरगुल सुनकर केस्को मुख्यालय में कार्यरत अन्य अधिकारी भी कक्ष में आ गये। मा0 विधायक जी एवं उनके समर्थकों द्वारा प्रबन्ध निदेशक, केस्को से अभद्रता करते हुए दूरगामी परिणाम भुगतने की धमकी दी गयी एवं सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया। यही नहीं प्रबन्ध निदेशक, केस्को के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा जब उनसे शान्त होकर बात करने के लिए निवेदन किया गया तो मा0 विधायक जी एवं उनके समर्थक उनको मारने के लिए आमादा हो गये तथा भद्दी-भद्दी गालियां भी दीं।

मा0 विधायक जी के कृत्य से न केवल केस्को कर्मियों में बल्कि अन्य सरकारी कर्मचारियों में भी असन्तोष की ज्वाला प्रस्फुटित होने लगी तथा उनमें अपनी सुरक्षा के प्रति संदेह उत्पन्न होना प्रारम्भ हो गया।

घटना की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अधिशासी अभियन्ता (तकनीकी), केस्को द्वारा थाना ग्वालटोली, कानपुर में दिनांक 17-6-2011 को घटना की तहरीर प्रेषित की गयी।

श्री लालजी वर्मा-

जिसके आधार पर थाना ग्वालटोली कानपुर नगर द्वारा तद्दिनांक को ही मुकदमा अपराध संख्या-243/11 धारा-147/186/353/504/506 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। दिनांक 19-6-2011 को मा0 विधायक श्री इरफान सोलंकी व अन्य नामजद अभियुक्त श्री मो0 हसन रूमी को गिरफ्तार किया गया जिसकी सूचना विधान सभा सचिवालय व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को उसी दिन प्रेषित की गयी। घटना की विवेचना करते हुए सम्बन्धित विवेचक द्वारा अपनी विवेचना में तमाम तफ्तीश, बयानात, गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल आदि के आधार पर मा0 विधायक श्री इरफान सोलंकी तथा मो0 हसन रूमी के विरुद्ध जुर्म धारा-147/186/189/353/504/506 आई0पी0सी0 पूर्ण रूपेण प्रमाणित पाया गया तथा उक्त धारा के अन्तर्गत आरोप-पत्र संख्या-103/11 दिनांक 8-7-2011 न्यायालय में प्रेषित किया जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

यह सूचना जो जिलाधिकारी के यहां से आयी है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। उक्त घटना से यह स्पष्ट है कि मा0 विधायक श्री इरफान सोलंकी द्वारा एक वरिष्ठ महिला अधिकारी के साथ किया गया व्यवहार किसी भी प्रकार से एक मा0 विधायक से अपेक्षित आचरण के अनुरूप नहीं था।

मान्यवर, यह जिलाधिकारी ने अवगत कराया है उसके आधार पर मैंने यह सूचना दी है।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब मैं नियम-51 की सूचनाओं को लेता हूं।

आज दिनांक 10 अगस्त, 2011 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 84 सूचनाएं प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की प्रतापगढ़ में महामाया आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन के दोषी मुख्य विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी मगरौरा के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की फैजाबाद के ग्राम घूरीटीकन में दबंगों द्वारा चक मार्ग कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की गोण्डा के ग्रामीण अंचलों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति बाहुल्य गांव में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना डॉ0 अनिल चौधरी की महामाया नगर की तहसील सादाबाद के मुख्य क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा पांचवीं सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की सिद्धार्थ नगर में खराब ट्रांसफार्मर ठीक कराने एवं विद्युत की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। छठी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ की ग्राम सभा कोटा तितरा मार्ग स्थित बेसों नदी पर बने पुल तक एप्रोच सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की मऊ अन्तर्गत सरयू नदी से सटे ग्रामों को नदी के कटान से बचाने हेतु ठोकर व पीचिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की आजमगढ़ के ब्लाक रानी सराय के ग्रामों में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा नवीं सूचना श्री जावेद अंसारी की आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन सी0एम0एस0जी0 स्टोर में करोड़ों रुपये की अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं। दसवीं सूचना श्री कौकब हमीद की विधायक चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी के प्रकरण में सूचना न देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर स्थित केमरी में उपमण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर में नहरों में पानी टेल तक न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की बदायूं नगर में आवास विकास मार्ग की रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी में आंगनबाड़ी केन्द्र चलाने हेतु अनुमन्य मकान किराये में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के न्याय पंचायतों में पीने के पानी हेतु पानी की टंकी व नल लगाये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय राय की लखनऊ स्थित मोहल्ला चांदगंज में आवासियों द्वारा मार्ग पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है। सत्तरहवीं सूचना डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की प्रदेश के नगर निगमों में ठेकेदारी पर सफाई कराने के अविवेकपूर्ण निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री इमरान मसूद की स्व0 मौ0 ताहिर खां प्राथमिक विद्यालय मच्छरहेड़ी विकास खण्ड नकुड़ सहारनपुर की प्रधानाध्यापक के मृत्यु के उपरान्त मृतक आश्रित कोटे में उनकी पुत्री की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री राजेश गौतम की लखीमपुर खीरी स्थित लखीमपुर शारदा नगर ठखेरवा मार्ग से ग्राम मटेही तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्री राघव लखन पाल शर्मा की फूड सेल, मेरठ के निरीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री सिबगतुल्ला अंसारी की गाजीपुर की तहसील मोहम्मदाबाद के ग्रामों को गंगा नदी

के कटान से बचाने के सम्बन्ध में है। बाइसवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में विद्युत आपूर्ति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है। तेईसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की उ0प्र0 सचिवालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौबीसवीं सूचना श्री विद्या सागर गुप्ता की लखनऊ स्थित दुर्विजयगंज मोहल्ला में सीवर लाइन एवं जल पाइप लाइन को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है। पच्चीसवीं सूचना श्री अनिल दोहरे की कानपुर नगर के ग्राम पंचायत ककवन के ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र लगाये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। छब्बीसवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की प्रदेश में बी0पी0एड0, सी0पी0एड0, डी0पी0एड0 को विशिष्ट बी0टी0सी0 में शामिल न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सत्ताईसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में भू-माफियाओं द्वारा निजी स्वार्थ में भू-उपयोग में संशोधन कराये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठाईसवीं सूचना श्री राम प्रकाश यादव की कानपुर नगर के थाना कल्याणपुर निवासी श्रीमती प्रीती पाण्डेय पत्नी स्व0 जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। उन्तीसवीं सूचना श्री जसवन्त सिंह की गोरखपुर स्थित सरदार चीनी मिल द्वारा किसानों को गन्ने के बकाये मूल्य का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसवीं सूचना श्री माधव पासवान की गोरखपुर के मुन्डेरा बाजार स्थित ग्रामों में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इकत्तीसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की सीतापुर की नगर पालिका महमूदाबाद के गांवों में पानी की टंकी बनाये जाने के सम्बन्ध में है। बत्तीसवीं सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान की लखनऊ स्थित त्रिवेणी नगर फेज-2 स्थित हाथी बाबा मंदिर के सामने वाली रोड से तबेलों को हटाये जाने के सम्बन्ध में है। तैंतीसवीं सूचना श्री महबूब अली की जे0पी0 नगर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड जोया के कर्मचारियों का वेतन भुगतान व किसानों का बकाया दूध मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा चौतीसवीं सूचना श्री राजेश यादव की लखनऊ स्थित मोहल्ला भरतनगर में पुलिस की मिली भगत से अवैध रूप से टैंकरों में पानी की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत की जाती हैं :-

1-श्री दीपक कुमार,

2-डा0 अजय तोमर,

3-श्री हरपाल सैनी,

4-श्री अनूप सण्डा,

5-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद,

6-श्री विनोद सरोज,

7-श्री मदन भैया,

8-चौ0 सत्यपाल सिंह,

9-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

10-श्री सुरेश्वर सिंह,

11-श्री राधेश्याम गुप्ता,
12-श्रीमती सीमा द्विवेदी,
13-श्री शम्भू चौधरी,
14-श्री अशोक कंसल,
15-श्री उदयभान करवरिया,
16-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही,
17-श्री पंकज कुमार मलिक,
18-श्रीमती मिथलेश पाल,
19-डा0 पी0 के0 राय,
20-श्री दीप नारायण सिंह,
21-श्री जोखू लाल यादव,
22-श्री अशोक कुमार सिंह,
23-श्री सनातन पाण्डेय,
24-श्री उदयराज यादव,
25-श्री राजाराम त्यागी,
26-श्री कृपा शंकर सिंह,
27-श्री निर्मल वर्मा,
28-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
29-श्री अरविन्द सिंह यादव,
30-श्री लालजी यादव,
31-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा
32-श्री शिव शंकर चौहान,
33-श्री विशम्भर सिंह यादव,
34-श्री सुखलाल,
35-डा0 आर0 ए0 उस्मानी,
36-श्री श्रीपति आजाद,
37-श्री राधेश्याम जायसवाल,
38-श्री दीनानाथ कुशवाहा,
39-श्री शैलेन्द्र यादव ललई,
40-श्री आलोक कुमार,
41-श्री बैजनाथ दुबे,
42-श्री विश्वनाथ,

43-श्री कुबेर सिंह,

44-श्री विजय बहादुर यादव,

45-श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया,

46-महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी,

47-श्री संजीव दरियाबादी,

48-श्री लल्लू सिंह,

49-श्री सुरेश श्रीवास्तव।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 06 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

दिनांक 10 अगस्त, 2011

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-108 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73-74 पर)

विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सहायक/अवर अभियन्ता

क्र0सं0	नाम अभियन्ता	मूल पद	मूल विभाग	पैकफेड में प्रतिनियुक्ति पर कार्य अवधि
1	2	3	4	5
1	श्री अशोक कुमार वर्मा	सहा0स्था0अभि0	उ0प्र0 जल निगम	01-10-2007
2	श्री राणा सिंह	सहा0अभियन्ता	उ0प्र0 निर्माण निगम	14-06-2008
3	श्री श्याम चन्द्र चौधरी	सहा0अभि0(मैके0)	सिंचाई विभाग	08-12-2009
4	श्री सुधीर कुमार	सहा0 अभियन्ता	पी0डब्ल्यू0डी0 अरुणांचल प्रदेश	08-01-2010
5	श्री राजीव श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	उ0प्र0 जल निगम	17-06-2007
6	श्री हरिश्चन्द्र मौर्या	अवर अभियन्ता	आर0ई0एस0	05-02-2008
7	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	आर0ई0एस0	17-07-2007
8	श्री सी0बी0 सिन्हा	अवर अभियन्ता	पी0सी0एफ0	06-12-2005
9	श्री कामता प्रसाद मौर्य	अवर अभियन्ता	पी0सी0एफ0	01-12-2006
10	श्री नीलेश कुमार श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	पी0सी0एफ0	07-12-2005
11	श्री विनय कुमार अग्रवाल	अवर अभियन्ता	पी0सी0एफ0	07-12-2005
12	श्री एहसानुज्जमा	अवर अभियन्ता	पी0सी0डी0एफ0	16-04-2005
13	श्री रितेश सिंह यादव	अवर अभियन्ता	आवास संघ	02-03-2006

पी0एस0यू0पी0-एल0 123 विधान सभा (224)-25-10-2011-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।